Vol- XXI, January-April 2024
Issue No. I

ISSN : 0970-1745
Regd. No. 2607/1-V8522
IIFS IMPACT FACTOR 5.875

Shodh

A Triannual Bilingual Peer Reviewed Refereed Research Journal of Arts & Humanities

Editor in Chief
Dr. Surendra Pandey

Editors
Dr. Vikash Kumar
Dr. Shailendra Kumar
Dr. Santosh Bahadur Singh

Shodh A Triannual Bilingual Refereed Journal of Arts & Humanities ■ January-April 2024

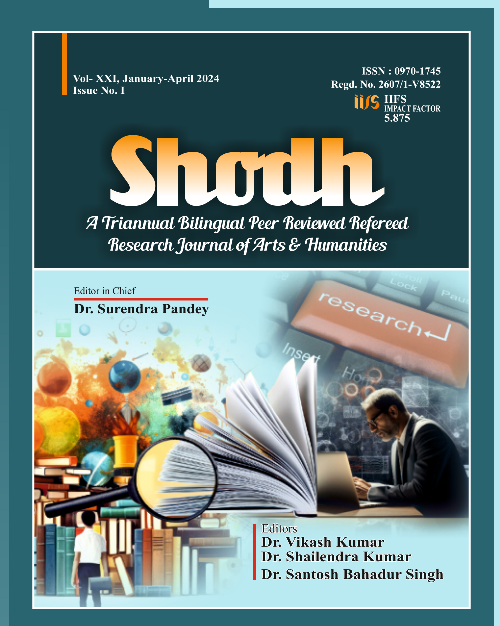

Published by
History & Historical Writing Association,
U.P., Varanasi (INDIA)
HIG-4, VDA Colony, Lalpur-II, Chandmari,
Varanasi, Email: shodh1984@gmail.com

Vol. XXI Issue No. I, Jan.–April. 2024, ISSN: 0970-1745 **Impact Factor 5.875**

Regd. No. 2607/1-V8522 ISSN: 0970-1745

SHODH

[A Triannual Bilingual Peer Reviewed Refereed Research Journal of

Art & Humanities]

Chief Editor
Dr. Surendra Pandey
Editors
Dr. Vikash Kumar
Dr. Shailendra Kumar
Dr. Santosh Bahadur Singh

Published by
History & Historical Writing Association, U.P., Varanasi (India)
HIG-4, VDA Colony, Lalpur-II, Chandmari, Varanasi
Mob. 9451173404, 9868477818, 9470828492 Email: shodh1984@gmail.com

Printed by
Akhand Publishing House, Delhi (India)
L-9/A, First Floor, Street No.42, Sadatpur Extension, Delhi
Mob. 9968628081, 9555149955, 9013387535 Email: akhandpublishing@yahoo.com

Note: The responsibility of the facts given and opinions expressed in articles of journal is solely that of individual author and not to the publisher.

First Issue Publication 1984

Vol. XXI Issue No. I, Jan.–April. 2024, ISSN: 0970-1745 **Impact Factor 5.875**

Chief Editor :

Dr. Surendra Pandey
Assistant Professor,
Kuba P.G. College,
Dariyapur, Newada, Azamgarh

Editors

Dr. Vikash Kumar
Assistant Professor,
Department of Hindi,
Sri Varshney College, Aligarh, U.P

Dr. Shailendra Kumar
Assistant Professor,
Department of Management
Sikkim University, Sikkim

Dr. Santosh Bahadur Singh
Assistant Professor
Department of English
Lady Irwin College, University of Delhi

Executive-Editors

Dr. Varsha Singh
Associate Professor
Department of English
Deshbandhu College, University of Delhi

Dr. Arun Kumar Mishra
Assistant Profesar
Hindi M D PG College
Pratapgarh, UP

Co-Editors

Dr. Abhishekh Kumar Pandey
Principal
Vidya College of Professional Studies,
Patna Bihar

Dr. Sudhir Kumar Sah
Former Research Scholar
Faculty in P. G. Deptt of
Commerce TMBU Bhagalpur,
Bihar

Sub-Editors

Dr. Ravendra Rajput
Associate Professor, Deptt. of Teacher Education
Shri Varshney College Aligarh

Dr. Abhay Kumar
Assistant Professor, BRM College,
Munger, Munger University, Bihar

Vol. XXI Issue No. I, Jan.–April. 2024, ISSN: 0970-1745 **Impact Factor 5.875**

SHODH

......A Triannual Bilingual Refereed Research Journals of Arts & Humanities

Patrons
Dr Jai Ram Singh
Principle Degree College, Palahipatti, Varanasi

Editorial Board

1. Prof. Hirocko, Nagasaki, Osaka University, Japan.
2. Prof. Ashok Singh, Department of Hindi, Banaras Hindu University.
3. Prof. Ravindra Nath Singh, AIHC Department, Banaras Hindu University.
4. Prof. Rangnath Pathak, Department of Hindi, Banaras Hindu University.
5. Prof. Chandrakala Tripathi, Department of Hindi, Banaras Hindu University.
6. Prof. Anita Singh, Department of English, Banaras Hindu University.
7. Prof. Abha Singh, Pro Vice Chancellor, B.N. Mandal University, Bihar.
8. Prof. Sharvesh Pandey, Principal DCSK PG College, Mau, UP
9. Prof. Yogesh Kumar Sharma, Department of English, Swami Shraddhanand College, University of Delhi.
10. Prof. Sanghmitra, Department of Political Science, Bodoland University Assam.
11. Dr Nirmla Kumari, Associate Professor, Hindi Department, Shri Varshney College, Aligarh.
12. Dr Varsha Singh Associate Professor English Department, Deshbandhu College, University of Delhi.
13. Dr Anupam Kumar, Associate Professor of English, SGT University, Budhera, Badli Road, Gurugram, Haryana
14. Dr O.P. Singh, Harishchandra P.G. College, Varanasi.
15. Santosh Patel, Assistant Registrar, Delhi Teacher University, Delhi.
16. Dr Ratnesh Tripathi, Assistant Professor, Department of History, Satyawati College, University of Delhi.

17. Dr Vikash Kumar Singh, Assistant Professor, AIHC Department, Banaras Hindu University.
18. Satyendra Kumar, Assistant Professor, Department of English, Kirori Mal College, University of Delhi.
19. Dr. Shubhanku Kochar, Assistant Professor, Department of English, Guru Govind Singh Indraprastha University, Dwarka New Delhi.
20. Vijay kumar, Assistant Professor, Department of English, Satyawati College, University of Delhi.
21. Dr Bhartendu Kumar Pathak, Assistant Professor, Department of Hindi, Kashmir University, Shrinagar (J&K).
22. Dr Priyadarshini, Assistant Professor, Department of Hindi, The English Foreign Languages University, Haiderabad, Telangana.
23. Dr. Rashmika Mishra Assistant professor department of vocal music Mmv Bhu
24. Dr. Bhupendra Kumar Assistant Professor Department of Sanskrit Kirori Mal College, University of Delhi.

विषय-सूची
Contents

PART–I

1. हिन्दी सिनेमा पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव 3
—प्रो० (डॉ०) सावित्री सिंह

2. बेटी वियोग : स्त्री की समस्याओं का सजीव अंकन 8
—डॉ० पूनम कुमारी

3. छात्र-छात्राओं में गणित के प्रति भय, भ्रम, मिथक और गलत धारणाएँ 14
—डॉ० अभिषेख कुमार पाण्डेय

4. श्रीमद्भगवद्गीता के बारहवें अध्याय 'भक्तियोग' का मर्म 23
—प्रो० (डॉ०) सावित्री सिंह

5. हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति और भारतीय सुरक्षा चिन्तायें 28
—प्रीतम कुमार

6. 'सूरजमुखी अँधेरे के' 36
—मारीषा

7. आधुनिक संदर्भ और लोक संस्कृति : विद्यानिवास मिश्र के विशेष संदर्भ में 42
*—*दीपमाला, **डॉ० सरोज सिंह*

8. भारत-पाकिस्तान संबंध - एक अध्ययन 53
—डॉ० विरेश कुमार

9. भूमंडलीकरण, मीडिया एवं सरोकार 58
—हर्षवर्धन पाण्डे

10. नवीन शिक्षा नीति 2020 में भारतीय सांस्कृतिक विरासत
Indian Cultural Heritage in NEP 2020 65
—डॉ० जीतेन्द्र प्रताप, लवलेश कुमार विश्वकर्मा

11. आश्रम व्यवस्था और शिक्षा 72
—डॉ० रवेन्द्र राजपूत

** First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

12. भोजपुरी कविता में लोक 80
—डॉ. संतोष पटेल

13. संस्कृत वाङ्मय और राष्ट्र का सामाजिक अभ्युदय 90
—श्री रामरेखा कुमार

14. अनामिका के काव्यों में स्त्री संवदेना 95
—डॉ0 अरुण कुमार मिश्र

15. हिंदी उपन्यासों में आपातकाल का वर्णन 102
—शशिकला सिंह पटेल

16. समाज: मनुष्य के विस्थापन का अर्थशास्त्र 107
—दुर्गेश कुमार

17. हिंदी सिनेमा में दलित चित्रण का वर्तमान और भविष्य 120
—डॉ0 सुरेन्द्र पाण्डेय

18. दलित लेखन साहित्य के आईने में 126
—डॉ0 विकास कुमार

19. समकालीन हिन्दी कहानी में वैयक्तिक बोध 130
—पंकज

20. पुस्तक समीक्षा 135
—सुरसेन बहादुर

21. लोक' एवं 'लोकसाहित्य' का अन्तर्सम्बन्ध 139
—वीरेन्द्र साहू

22. एक राष्ट्र एक चुनाव : संभावनाएँ और चुनौतियाँ 144
—अमिताभ भट्ट

23. हिन्दी साहित्यकार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों में चित्रित नारी यथार्थ 154
—राखी पचौरी

24. भारत में महिला सशक्तिकरण एवं संवैधानिक प्रावधान 161
—प्रो. सुधा राजपूत

25. विदेसिया में अभिव्यक्त लोकजीवन 168
—डॉ. राकेश कुमार रंजन

PART–II

1. Augmentation of English Language Teaching and Learning Through Digital Technology 3
*—Mr Himanshu Sharma *& Dr Sanjeev Kumar (Bansal)***

2. Encouraging Consumer Rights in India: The Significance of Consumer Protection Act, 2019 15
—Dr. Krishna Bajpai

3. Evaluation of Water Quality Index and Physico-chemical parameter value of the River Ganga at the site Kalakankar and Shringverpur 26
—Dr. Beenu Tripathi

4. Socio-Legal Status of Live- In-Relationship Under Hindu Law : A Balance Need To Be Drawn 40
—Prof. Seema Yadav

5. Influence of Contemporary Society and English Literature on Feminism 54
—Dr. Binu Singh & Pushpagya Raj***

6. Library and Information Science Professionals learning approach towards soft skills enhancement through MOOCs Platforms 60
*— *Amruta Nareshchandra Upreti & **Asharam Pal*

7. Transforming Politics from the Inside Out: A spiritual Approach to Governance 74
—Dr. Devendra Nath Tiwari

8. Cultural Preservation and Heritage Revitalization: Strategies for Sustaining Siddi and Girmitiya Identities in the Global Diaspora 83
—Abhijeet Chaudhary

9. "Fundamental Criteria for Critical Analysis of English Textbook in Modern Education System" 95
—Prof. Shashi Bala Trivedi

10. Study on process management and competitiveness of SMEs in Bihar 107
—Satya Prakash Ranjan

11. Barriers to Health: A Sociological Study of Healthcare Access for Rural Women in India 114
*—*Dr. Satyam Dwivedi, **Dr. Archana Pal & ***Ankita Trivedi*

PART – I

हिन्दी सिनेमा पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव

प्रो0 (डॉ0) सावित्री सिंह
संस्कृत विभाग,
रोहतास महिला महाविद्यालय,
सासाराम, रोहतास

साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज जिस प्रकार का होगा वह उसी भाँति साहित्य में प्रतिबिंबित रहता है। समाज के रूप, रंग, वृद्धि–ह्रास, उत्थान–पतन, समृद्धि दुरवस्था के निश्चित ज्ञान का प्रधान साधन तत्कालीन साहित्य होता है। संस्कृत साहित्य भारतीय समाज के भव्य विचारों का रुचिर दर्पण है। संस्कृत काव्य जीवन के विषम परिस्थितियों के भीतर से आनंद की खोज में सदा संलग्न रहा है। आनंद सच्चिदानंद भगवान का विशुद्ध रूप है इसलिए संस्कृत काव्य की आत्मा रस है। और भारतीय समाज का मेरुदंड है गृहस्थाश्रम। संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य वाल्मीकि रामायण का गार्हस्थ्य धर्म की धुरी पर घूमता है। दशरथ का आदर्श पितृत्व, कौशल्या का आदर्श मातृत्व, सीता का आदर्श सतीत्व, भरत का आदर्श भातृत्व, सुग्रीव का आदर्श बंधुत्व और सबसे अधिक रामचंद्र का आदर्श पुत्रत्व भारतीय गार्हस्थ्य धर्म के ही विभिन्न अंगों के आराधनीय आदर्शों कीउउ मधुमय मनोरम अभिव्यक्तियां हैं। संस्कृत साहित्य सर्वागीण है यह सब अंगों से परिपूर्ण है मानव जीवन के लिए कर ही पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष संस्कृत साहित्य में चारों पुरुषार्थों का विवेचन बड़े विस्तार तथा विचार के साथ किया गया है साधारण की अवधारणा बनी हुई है कि संस्कृत साहित्य में केवल धर्म ग्रंथो का ही बाहुल्य है परंतु बात कोई दूसरी ही है प्राचीन ग्रंथकारों ने बहुत ही भौतिक जगत के साधन भूत अर्थशास्त्र और कामशास्त्र के वर्णन की ओर भी अपनी दृष्टि लगाई है कौटिल्य का शास्त्र प्रसिद्ध नहीं है इस एक ग्रंथ के ही अध्ययन से हम संस्कृत साहित्य में लिखे गए राजनीति शास्त्र से सर्वागीण परिचय प्राप्त कर सकते हैं कामशास्त्र भी हमारी उपेक्षा का विषय कभी नहीं था वचन मुनि ने कामसूत्र में गृहस्थ जीवन के लिए उपदेश साधनों का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया है। संस्कृत साहित्य में विज्ञान, ज्योतिष, वैदिक स्थापत्य, पशु पक्षी संबंधी लक्षण ग्रंथ प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। धर्म और मोक्ष संबंधी रचनाओं के विषय में चर्चा करना ही बेकार है। सच तो यह है कि यहां प्रेय शास्त्र तथा श्रेय शास्त्र उभय शास्त्रों के अध्ययन की ओर प्राचीन काल से विद्वानों की प्रवृत्ति रही है।

भारतीय सिनेमा पर भी संस्कृत साहित्य का अमिट प्रभाव है। हिंदी सिनेमा की विषय वस्तु, नायक नायिका, रस, नाट्य योजना, गीत संगीत, नृत्य सभी संस्कृत साहित्य से आच्छादित है। इनसे संबंधित मानक ग्रंथों में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, धन्नजय का दशरूपक और विषय वस्तु और कथानक की दृष्टि रामायण, महाभारत, गीता, पुराण हिन्दी सिनेमा के मेरुदंड कहे जा सकते हैं।

सिनेमा आरंभ से ही साहित्य को आधार रूप में साथ लेकर चला है साहित्य शब्दों के माध्यम से पाठकों के मन मस्तिष्क में छवि का निर्माण करता है और सिनेमा तस्वीर और ध्वनि के मेल से बिंब निर्माण कर दर्शकों के समक्ष छवि चित्र का निर्माण करता है। आरम्भ से ही सिनेमा साहित्य को विस्तृत जनमानस तक पहुंचा कर और साहित्य सिनेमा को नये व सशक्त विषय व कहानी उपलब्ध करवा कर एक दूसरे के लिए परस्पर सहयोगी की भूमिका निभाते रहे हैं। भारत में सिनेमा का आरंभ सन 1913 ई से शुरू होता है। प्रारंभ में मुक् सिनेमा में धार्मिक एवं पौराणिक आख्यानों पर ही अधिकतर फिल्मों का निर्माण प्रारंभ हुई। यह सभी पौराणिक एवं धार्मिक आख्यान एवं चरित्र संस्कृत के महाकाव्य रामायण और महाभारत पर आधारित थे संस्कृत के पुराने से भी कुछ प्रसंग एवं चरित्र को पर्दे पर उतर गया रामायण और महाभारत भारतीय साहित्य की एक ऐसी अमूल नीधियां हैं, जिन्होंने भारतीय जीवन धारा को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित किया है। इन दोनों ग्रन्थों को लेकर अथवा उपजीव्य काव्य को लेकर संपूर्ण भारतीय जनमानस में जो भावात्मक एकता विद्यमान है उसने ही इन कृतियों पर फिल्म निर्माण की एक ग्राहक प्रस्तुत की आदि कवि संस्कृत के महाकाव्य रामायण की आख्यानों एवं चरित्र को लेकर अनेक फिल्में बनी इनमें राजा हरिश्चंद्र 1913 लंका दहन 1917 श्री राम वनवास 1918 अहिल्या उद्धार 1919 सती पार्वती 1920 राम जन्म 1920 लव कुश 1920 रत्नाकर 1921 सती अनसूया 1921 रामायण 1922 सती अंजनी 1922 हनुमान जन्म 1927 अयोध्या का राजा 1932 सीता 1934 भारत मिलाप 1942 रामराज 1943 पवन पुत्र हनुमान 1927 अयोध्या का राजा 1932 सीता 1934 भारत मिलाप 1942 रामराज 1943 पवन पुत्र हनुमान 1957 अयोध्यापति 1956 आदि हैं प्रकाश पिक्चर्स की रामराज और भारत मिलाप के निर्देशक विजय भट थे और यह दोनों ही फिल्में अत्यंत सफल रही थी इन दोनों फिल्मों में प्राचीन भारत की भव्यता और समृद्धि की झलक मिलती है ।

महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को लेकर बनी अन्य फिल्मों में सत्यवान सावित्री (1914), द्रोपदी वस्त्र हरणम (1917), नल-दमयन्ती (1918), सैरंध्री (1919), कच-देवयानी (1919), महाभारत (1920), भक्त बिदुर (1921), वीर अभिमन्यु (1922), भीष्म पितामह (1922), राजा परीक्षित (1922), ज़िशुपाल वध (1922), गुरु द्रोणाचार्य (1923), जरासंध वध (1923), कृष्ण अर्जुन युद्ध (1923), वीर भीमसेन (1923), सावित्री (1924), नल दमयन्ती (1927), देवी देवयानी (1931), द्रोपदी (1931) आदि उल्लेखनीय है। इसके अलावा श्रीमद्भागवत पुराण के भी विभिन्न स्कन्धों में वर्णित पात्रों एवं घटनाओं को लेकर फिल्में बनी है। भक्त प्रहलाद (1917), श्री कृष्ण जन्म (1918), कालिया मदर्न (1919), ऊषा-स्वप्न (1919), रूक्मिण ी सत्यभाभा (1920), श्री कृष्ण-सुदामा (1920), कंस वध (1920), ध्रुव चरित्र (1921), विष्णु अवतार (1921), यशोदा नन्दन (1922), श्री कृष्ण-सत्यभामा (1923), भक्त सुदामा (1927), रूक्मिणी स्वयंवर (1946) आदि समय-समय पर बनी प्रसिद्ध फिल्में हैं।

शकुन्तला और दुष्यन्त के प्रणय की बेहद खुबसूरत गाथा को फिल्मकारों ने कई बार सिने पर्दे पर प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम मूक सिनेमा के दौर में कोहिनूर फिल्म कम्पनी ने सन् 1919 ई0 में शकुन्तला की कहानी को 'वियवामित्र मेनका' उर्फ 'शकुन्तला जन्म' नाम से पर्दे पर उतारा। उसके बाद सन् 1920 ई0 में पाटनकर बंधुओं ने इसी कहानी पर 'शकुन्तला उर्फ द लोस्ट रिंग' नाम से फिल्म बनाई। सन् 1920 में

ओरिएंटल फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी की सुचेत सिंह निर्देशित "शकुन्तला" प्रदर्शित हुई। इसमें अमेरिकी अभिनेत्री डोरोथी किंगडम ने शकुन्तला की भूमिका निभाई थी। इसके बाद सवाक सिनेमा के आरम्भ में मदान थियेटर्स की संगीत प्रधान फिल्म 'शकुन्तला' सन् 1931 ई0 में रिलीज हुई। इसमें मास्टर निसार और जहाँ आरा कज्जन दुष्यन्त और शकुन्तला की भूमिका में थे। प्रसिद्ध नाटककार राधेश्याम कथावाचक द्वारा लिखे गये और मास्टर निसार और संगीत प्रधान फिल्म 'शकुन्तला' सन् 1931 ई0 में रिलीज हुई। इसमें मास्टर निसार और जहाँआरा कज्जन द्वारा गाये गये फिल्म के गीत बेहद लोकप्रिय हुए। सन् 1931 ई0 में सरोज मूवीटोन की एम0 भवनानी निर्देशित 'शकुन्तला' प्रदर्शित हुई। सन् 1942 में वी. शान्ताराम प्रभात फिल्म कम्पनी से अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने बम्बई में राजकमल कला मंदिर की स्थापना की। अपने बैनर की प्रथम फिल्म के रूप में उन्होंने कालिदास की ही 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' को 'शकुन्तला' नाम से सन् 1943 में परदे पर उतारा, फिल्म जबरदस्त हिट रही।

कालिदास के प्रसिद्ध काव्य 'मेघदूत' पर 1945 में मेघदूत नामक फिल्म कृति पिक्चर्स के बैनर तले देवकी बोस निर्देशित फिल्म बनी। लीला देसाई और शाहू मोडक मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के संगीतकार कमलदास गुप्ता थे। प्रियतमा के वियोग में व्याकुल शापग्रस्त यक्ष की वेदना को जगमोहन ने अपने सुरीले स्वर से साकार कर दिया था। उनका गाया 'ओ वर्षा के पहले बादल, मेरा सन्देशा ले जा' काफी लोकप्रिय हुआ था। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भवभूति की 'मालती माधव' नामक कृति में पद्मावती की कन्या माधवी और विदर्भ नरेश के अमात्य देवरात के पुत्र माधव की कथा है। सर्वप्रथम भवभूति की 'मालती माधव' पर सन् 1922 में फिल्म बनी। इसके बाद सन् 1929 में दादा साहब फाल्के ने इसी नाम से हिन्दुस्तान फिल्म कम्पनी के लिए फिल्म बनाई। सन् 1933 में सरोज मूवीटोन ने ए.पी. कपूर के निर्देशन में 'मालती माधव' को एक बार फिर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। इस फिल्म में संगीत सुरेन्द्रनाथ भाटिया का था। कलाकारों में जेबुन्निसा, सरदार अख्तर, माधव काले, अशरफ खान आदि प्रमुख थे। सन् 1951 में प्रसन्न पिक्चर्स के बैनर तले बनी 'मालती माधव' का निर्देशन एम. नीलकण्ठ ने किया था। दुर्गा खोटे, अनन्त मराठे, बालक राम, बेबी शकुन्तला, राज किशोर, इन्दु, सुमन आदि कलाकारों ने इस फिल्म में अभिनय किया था। लता मंगेश्कर के गाये गीत 'मन सौंप दिया अनजाने में', और 'कोई बना आज अपना' उस समय बेहद लोकप्रिय हुए थे।

मृच्छकटिकम की कथा पर ही सन् 1984 में 'उत्सव' नामक फिल्म बनी। फिल्म के निर्माता थे शशि कपूर और निर्देशक थे प्रख्यात अभिनेता, साहित्यकार और निर्देशक गिरीश कर्नाड। इसमें प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा 'वसंत सेना' की भूमिका में थे। चारूदत्त की भूमिका में शेखर सुमन थे और शकार की भूमिका में शशि कपूर थे। फिल्म में लता मंगेश्कर और आशा भोंसले का गाया गीत 'मन क्यूं बहका री बहका' बेहद प्रसिद्ध हुआ। 'मृच्छकटिकम्' पर अन्य भाषाओं में भी फिल्में बनी जिनमें कन्नड़ में 1931, 1941 में तमिल में सन् 1936 में, तेलुगु में सन् 1967 में और मलयालम में 1985 में बनी। सन् 1934 में प्रसिद्ध फिल्म कम्पनी अजंता सिनेटोन ने 'वासवदत्ता' उर्फ शाही गवैया' नाम से फिल्म बनाई। फिल्म का निर्देशन पी.वाई. अल्टेकर ने किया था। यह फिल्म संस्कृत के प्रख्यात रचनाकार भास द्वारा रचित स्वप्न वासदत्तम पर आधारित थी। कौशाम्बी के इतिहास प्रसिद्ध राजा उदयन और अवन्ति की अनुपम सुन्दरी राजकुमारी वासव दत्ता के प्रणय और विवाह और वासवदत्ता

के त्याग को केन्द्र में रखकर लिखी गयी कथा है। अभिनेत्री बिब्बो ने वासवदत्ता की ओर अभिनेता बी. साहनी ने उदयन की भूमिका निभाई थी। फिल्म में जयराज, ताराबाई, पद्मा शालिग्राम (रानी पद्मावती) और भूडो आडवाणी ने भी अभिनय किया था। शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय के छः श्लोकों में अंकित शिवसंकल्प सूक्त संस्कृत साहित्य का दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रकाश माना जा सकता है।

।। श्री शिवसंकल्पसूक्तम्।।
यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति।
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः।
यदपूर्व यक्षमन्तः प्रजानाम् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।
यत्प्रजानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु।
यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मेमनःशिवसंकल्पमस्तु
येनेदम्भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम् ।
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।
यस्मितृचः सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठितारथनाभाविवाराः ।
यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।।

काजल सिनेमा में

'तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखें और दिखाएं।
तोरा मन दर्पण कहलाए रे......। मन हीं देवता, मन हीं ईश्वर।
मन से बड़ा न कोय। मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार।

ये गीत पूरी तरह से शिव संकल्प **सूक्त** के अंदर निहित भावनाओं विचारों को प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त गुढी फिल्म में

'हमको मन की शक्ति देना मन विजय करें.....
दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें।

इस गीत में भी तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु की प्रतिध्वनि गुंजित हो रही है। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण के विश्व प्रसिद्ध संदेश

चरैवेति चरैवेति

जो जीवन पर्यन्त कर्म करने का संदेश देता है की भावना से ओत-प्रोत संगीत-
'जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम.....(फिल्म शोर)

'सफर फिल्म'

नदिया चले, चले रे धारा। चंदा चले, चले रे तारा।
तुझको चलना होगा ।
जीवन कहीं भी ठहरता है।

तू न चलेगा तो चल देंगी राहें ।

इसी प्रकार शास्त्रों में सुख दु:ख में समभाव बनाये रखने के ज्ञान को अत्यंत रोचक हृदयहारी संगीत में आत्मसात कर सकते हैं –

काहे मनवा दु:ख की चिंता क्यों सताती है।
दु:ख तो अपना साथी है। (फिल्म दोस्ती)

फिर वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को हम इस गीत में महसूस कर सकते हैं –

ज्योत से ज्योत जगाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो।
राह में आए जो दीन दु:खी उसको गले लगाते चलो।

इसी प्रकार जीवन की क्षणभंगुरता, नश्वरता –

दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई।
काहे को दुनिया बनाई .....(तीसरी कसम)।

भारतीय जनसामान्य प्राय: संस्कृत की साहित्यक कृतियों से अपरिचित ही रहा है। हिन्दी सिनेमा ने ही संस्कृत साहित्य को आम दर्शक तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। हालांकि अभी भी संस्कृत साहित्य की अनेक अनुपम कृतियों के फिल्मांतरण की सम्भावनाएं है और उम्मीद की जानी चाहिए कि संस्कृत की अन्य साहित्यक कृतियों भी फिल्मी पर्दे पर दिखाई देगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. IJEMMASSS March, 2022, संस्कृत साहित्य और हिन्दी सिनेमा – सीमा खड़कवाल
2. Pictureplusonline.com
3. en.m.wikpedia.org.

बेटी वियोग : स्त्री की समस्याओं का सजीव अंकन

डॉ० पूनम कुमारी
सहायक प्रोफेसर,
दर्शनशास्त्र विभाग
जय प्रकाश महाविद्यालय, छपरा

साहित्य का उद्द्श्य समाज परिवर्तन नहीं है, बल्कि साहित्य का उद्द्श्य समाज का हृदय–परिस्कार है। सदियों से साहित्य ने अपने इस दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। साहित्य लेखन की लगभग 2000 वर्षो की परंपरा में लोक साहित्य की एक सुदीघ परंपरा रही है। भोजपुरी साहित्य लेखन में भिखारी ठाकुर की अपनी विशिष्ट पहचान है। एक ओर हिन्दी कथा साहित्य में प्रेमचंद जैसे सशक्त कथाकार अपनी लेखनी से नारी पात्रों का चित्रण कर रहे थे, उसी समय भोजपुरी साहित्य में भिखारी ठाकुर भी अपनी पहचान बना रहे थे। प्रेमचंद निर्मला, सेवासदन, गोदान जैसे उपन्यासों मे स्त्रियों की स्थिति का चित्रण कर रहे थे, तो भिखारी ठाकुर भी विदेशिया, बेटी बेचवा, गबर घिचोर' जैसे नाटकों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे।

लोकनाटक का सीधा सम्बन्ध समाज और समाज के विविध उपदानों से होता है। इसमें व्यक्ति की नहीं समाज की अभिव्यक्ति होती है और यह अभिव्यक्ति इतनी तीव्र होती है कि लोकमानस के कोमल हृदय पर सीधे असर डालती है। इन लोकनाटकों की रचना करने वाला व्यक्ति नाटककार के साथ–साथ समाज सुधारक भी होता है। भिखारी ठाकुर भी अपने लोकनाटक 'बेटी वियोग' (बेटी बेचवा) के माध्यम से ऐसे ही समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनका यह नाटक स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु बने कानूनों की कलई खोलता है। कागजों मे स्त्रियों को अनेक अधिकार दिये गये हैं परन्तु व्यवहार में वह आज भी इन अधिकारों से वंचित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिला है परन्तु स्त्रियों पर सहनशीलता का गुण लादकर हर जगह उन्हें चुप करा दिया जाता है। 'बेटी वियोग' नाटक उसी मौन का प्रतिवाद करता है।

'बेटी वियोग' नाटक में तीन प्रमुख पात्र हैं – चटक (पिता), लोभा (माता) और उपातो (बेटी) । गरीब और कर्ज में डूबे माता–पिता बेटी के विवाह के लिए परेशान रहते हैं। फलतः वे रूपया (धन) लेकर बूढ़े वर से बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेम–धर्म और गाना–बजाना के साथ विवाह संपन्न होता है। ससुराल में अधमरे पति की हालत देखकर बेटी मायके चली आती है और रो–रोकर माता–पिता से अपना दुखड़ा सुनाती है। 'विवाहोपरान्त पति की सेवा ही पत्नी का कर्तव्य होता है' ऐसा कहकर उसकी पुनः विदाई कर दी जाती है। बेटी की ये पुनर्विदाई समाज के लिए प्रश्नचिह्न बनकर सीख देती है।

इस नाटक में गरीबी, दहेज–प्रथा, स्त्री की बेबसी और बेमेल विवाह को उजागर किया गया है। सच तो यह है कि गरीबी ही इन कुरीतियों की जड़ है। गरीबी की मार झेल रहे माता–पिता पहले ही कर्ज से आकण्ठ

डूबे हुए हैं उसी में जवान होती बेटी के विवाह की चिन्ता कोढ़ में खाज का काम करती है। ऐसे में धन लेकर बूढ़े किन्तु धनाढ्य वर से बेटी का विवाह करना उन्हें श्रेयस्कर लगता है। सवाल यह उठता है कि क्या बेटी कोई वस्तु है जिसका सौदा किया जाय? भिखारी ठाकुर ने विवाह की तुलना व्यापार से करते हुए स्वयं बेटी के मुँह से कहलवाया है –

पढ़ल-गुनल भूलि गइलख, समदल भेड़ा भइलख
सउदा बेसाहे में ठगइलख हो बाबूजी।
रोपेया गिनाइ लिहलख, पगहा धाराइ दिहलख
चोरिया के छेरिया बनवलख हो बाबूजी।[1]

वैदिक काल से यह मान्यता रही है कि कन्यादान से ही पिता का जॉघ पवित्र होता है। अतः बेटियों का महत्व कहीं भी बेटों से कम नहीं है परन्तु आज का समाज तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। दहेज इसका सबसे बड़ा कारण है। दहेज की क्रूरता ने आज माता-पिता को भ्रूण-हत्या तक के लिए विवश कर दिया है। ऐसे समय में इस नाटक की दो पंक्तियाँ अत्यन्त ही प्रासंगिक जान पड़ती हैं –

जघिया बखाना तोर चकट देवा, जिन्ह बेटी जनमायो।
लटे-लटे मोतिया गुहाइ के, बेटी जाँघे बइठायो।।[2]

यह पढ़कर ऐसा लगता है कि भिखारी ठाकुर आज के विकृत समाज को उनकी संस्कृति व परम्परा की याद दिला रहे हैं।

भिखारी ठाकुर लगभग अनपढ़ थे परन्तु समाज पर उनकी पैनी नजर थी। एक तरह वह कुतुबपुर जैसी छोटी जगह से अपने नाटकों के द्वारा सामाजिक विसंगतियों का विरोध कर रहे थे, दूसरी ओर वही काम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द एक बड़े फलक पर अपने उपन्यासों के माध्यम से कर रहे थे। उस समय अनमेल विवाह समाज का कोढ़ बना हुआ था। भिखारी ठाकुर का 'बेटी वियोग' और 'प्रेमचन्द का निर्मला' उपन्यास इसी विसंगति का प्रतिफल है। भले ही दोनों लेखकों ने एक ही समस्या पर अपनी लेखनी चलाई है परन्तु दोनों ही कथाओं की बुनावट में फर्क है। प्रेमचन्द की नायिका 'निर्मला' सब कुछ चुपचाप सहने के लिए विवश है। बाद में वह एक जगह कहती है –

"हृदय रोता था पर मुख पर हँसी का रंग भरना पड़ता
था। जिसका मुँह देखने को जी नहीं चाहता था उसके सामने
हँसकर बातें करनी पड़ती थी।"[3]

जबकि भिखारी ठाकुर की नायिका 'उपातो' विवाह के दौरान ही इसका विरोध करती है। वह रो-रो कर बेमेल विवाह की परिणति सबके सामने उजागर करती है। अपनी माता से उलाहना देते हुए वह कहती है –

जमते मईया माहुर देके काहें ना दिहलू मारी?
हमरा के नाहक पालन करे में साँसत सहलू भारी।[4]

स्वयं बेटी के मुँह से बेमेल विवाह का विरोध कराके भिखारी ठाकुर अप्रत्यक्ष रूप से समस्त बेटियों को ऐसी विसंगति का विरोध करने के लिए प्रेरित करते नजर आते हैं।

भिखारी ठाकुर विवाह को सत का बंधन मानते है। यह बंधन दो समवयस्कों का बंधन है। इस बंधन को जीवनपर्यन्त निभाना ही पति-पत्नी का कर्तव्य है। चूँकि विवाह में विस्थापन स्त्री का होता है इसलिए सम्बन्ध निर्वहन का भार उसके ऊपर अधिक होता है। परन्तु जिस विवाह में पति-पत्नी की जोड़ी बेमेल हो उस विवाह को भिखारी ठाकुर एक खेल ही मानते हैं-

टोला-परोसा के नर-नारी। एक कौतुक के विलोकनहारी।।
पत्नी बालक पति बूढ़ा जवरे। होखत सुमंगली उठावत कवरे।।[5]

भिखारी ठाकुर ने स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की थी परन्तु मनोभावों की सूक्ष्मता व उसकी महता की गहरी परख उनमें थी। प्रारम्भ में वह बेटी के बदले धन लेने में माता (लोभा) की सहमति तो दिखाते हैं परन्तु वर की आयु उससे छुपा ले जाते हैं। धन लेने में भी उसकी सहमति अतिशय गरीबी के चलते होती है। नाटक का यह ताना-बाना वह निश्चय ही मातृत्व की रक्षा के लिए बुनते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ अपनी कमसिन बेटी का विवाह अस्सी साल के बूढ़े वर से करने को कदापि तैयार न होगी। इसी मातृत्व को लांछित होने से बचाने के लिए यह सच्चाई उजागर होने पर लोभा (माता) से चटक (पिता) को फटकार भी लगवाते हैं -

"अपने मन में भइल ख भूपा। बेटी काटि के डललख कूपा।।
बूढ़ा वर से सादी कइलख। गाँव घर का चित्त से गइलख।।
सरप होके दिहलख डंस। अब ना बेटी के बढ़ी बंस।।
बाप ना हउअ हउअ भूत। अब ना बेटी खेलइहन पूत।।"[6]

यह गंभीर समस्या पर गंभीरता से लिखा गया नाटक है। बीच-बीच में भिखारी ठाकुर इसमें व्यंग्य के छींटे भी डालते रहते हैं। ऐसा करने से इसकी रसात्मकता अंत तक बनी रहती है। ऊपर-ऊपर से तो ये व्यंग्य हास्य का संचार करते हैं परन्तु अपनी सूक्ष्मता में यही व्यंग्य बेमेल विवाह की विभीषिका को उद्‌घाटित करते हैं-

"चलनी के चालल दुलहा, सूप के फटकारल हे,
दिअका के लागल बर, दुआरे बाजा बाजल हे।
आँवा के पाकल दुलहा, झाँवा के झारल हे,
कलछुल के दागल बकलोलपुर के भागल है।"[7]

विवाह का एक रस्म होता हैं 'भसुर गुरहत्थन' इसमें भसुर (दूल्हा का बड़ा भाई) दुल्हन के लिए मंडप में गहना-कपड़ा चढ़ाता है। बदले में कन्यापक्ष से स्त्रियाँ गीतों के द्वारा गाली सुनाती हैं। यह गाली सामान कम चढ़ाने पर उलाहना के रूप में होती है। परन्तु भिखारी ठाकुर इस नाटक में ससुर को गाली न सुनवाकर उसकी प्रशंसा करवाते हैं क्योंकि उसने गहना-कपड़ा से आँगन भर दिया है। सूक्ष्मता से देखा जाय तो यह प्रशंसा, प्रशंसा न होकर भिखारी ठाकुर का आक्रोश है। इतना गहना-कपड़ा किस काम का है जब मरणासन्न वर से बेटी का विवाह हो रहा है। कहीं न कहीं इन सबके बदले बेटी की भावना पर बेड़ी ही तो कसी जा रही है। मौन रहकर बूढ़े वर से विवाह के लिए उसे विवश ही तो किया जा रहा है -

"एही सुघर भसुर के जाऊँ बलिहारी हे,
सिया जोग ले अइलन कुसुम रंग सारी हे।
नथिया, बुलाक, बेसर, झुलनी लगाई हे,

माँगटीका बननी में हीरा जड़ाई हे।।"[8]

यह नाटक सामान्यजन के बीच के एक अतिसामान्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है इसलिए लोक के विविध रूपों की छटा का दर्शन स्वाभाविक ही है। विवाह के विभिन्न रस्मों का क्रम से निर्वहन इसमें दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह हो सकता है कि भिखारी ठाकुर स्वयं नाई थे। सभी रस्मों की समझ–बूझ उन्हें गंभीरता से थी। सखियों द्वारा प्रत्येक रस्म के दौरान गीत गवाकर भिखारी ठाकुर ने विवाह जैसी अमूर्त संस्था को मूर्त कर दिया है। सम्बन्ध निर्वहन जो कि भोजपुरी क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है, का पुट भी इस नाटक में मिलता है। भोजपुरी क्षेत्रों में बेटी का विवाह तय करने के पूर्व सभी भाई–बन्धुओं से विचार–विमर्श किया जाता है। सबकी सहमति पर ही विवाह तय होता है। गोतिया और चटक का विवाह के मामले पर मतभेद दिखाकर भिखारी ठाकुर विखण्डित हो रहे परिवारों की ओर इशारा करते हैं साथ ही साथ पारिवारिक विखण्डन को भी बेमेल विवाह का एक कारण मानते हैं।

भिखारी ठाकुर में तर्क देकर अपनी बात रखने की अद्‌भुत क्षमता दिखाई पड़ती है। पूँजीवादी व्यवस्था का दंश उन्होंने झेला था परन्तु खुलकर विरोध कर पाना उस समय संभव नहीं था। यही वजह है कि उनके नाटकों में भी कहीं भी सीधा–सीधा विरोध नहीं दिखाई पड़ता है लेकिन तर्क के द्वारा वह इसका संकेत जरूर दे देते हैं। 'बेटी वियोग' नाटक में भी औरत और पंडित का संवाद इसी ओर इशारा करता है –

"औरत – आन्हर नइखन, लंगड़ नइखन। देखीं त, आँख मुँहे मार कीची फेंकतारन।

पंडित – आरे त जेकरा आंखे ना रही, ओकरा कीची कहाँ से गिरी रे?

औरत – ए रवों, त कीची गिरेला कीची लेखा कि मार ढकना के ढकना किचिये गिरेला?

पंडित – आहाहाहा, तोहरो अकिल के था पंडीजी के चल गइल। तोहरा से एक हाली जे कह देलीं कि सुखी घर के लइका, ह, डबल जे पहथन घीव खइले बा, से घीव के मइल आँख मुँहे निकल रहल बा।"[9]

यह संवाद तत्कालीन पूँजीवादी व्यवस्था पर करारा प्रहार है। पूँजीपति बाहर से अपनी स्थिति को छिपाने के लिए तरह–तरह के ताम–झाम करते रहते थे वास्तविकता यह है कि वे भीतर से बिल्कुल खोखले हो गये थे। चूँकि भिखारी ठाकुर उसी पूँजीवादी व्यवस्था का दंश झेल रहे थे इसलिए उनके भीतर का आक्रोश अप्रत्यक्ष रूप से उनके नाटकों में आ जाता है।

इस नाटक के मंथन के दौरान भिखारी ठाकुर को कड़े विरोधों का सामना भी करना पड़ा था परन्तु उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए इस नाटक का मंचन जारी रखा। उनकी लड़ाई किसी वर्ग विशेष से नहीं थी। वह हर उस बेटी के लिए लड़ रहे थे जो इस विसंगति का शिकार हो रही थी। उन्होंने डंके की चोट पर बेटी बेचने वालों से कहा –

"हम हई नाई जात, खोलि दिहली मुख बात, लछिमी के लछन उतरलख हो बाबूजी।

जिला छपरा ह अतिना बेयार पर, लाज कके खाऊ से लगाम साधऽ बाबूजी।

पुरूब के कोना घर, गंगा के किनार पर, छपरा से तीन कोस दिअरा में बाबूजी।

कहत भिखारी तूं खरारी के इयाद कर ऽ, फेरू मति करिहख अइसन काम तूं हो बाबूजी।"[10]

भिखारी ठाकुर ने बेटी बेचने वालों की कड़ी निन्दा की है। उसे कुत्ते के माँस से भी अधिक हेय माना है व ऐसे व्यक्ति को समाज से तिरस्कृत करने का आग्रह किया है।

आज समाज बहुत आगे निकल चुका है परन्तु स्त्रियों की दशा में अपेक्षित सुधार आज भी नहीं दिखाई दे रहा है जबकि स्त्री माँ, बेटी, बहन आदि प्रत्येक रूप में पूजनीय है। स्त्रियों की महत्ता बताते हुए आशा कुशवाहा कहती हैं –

"हमारी संस्कृति में भले ही यह कहा जाए कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' पर यथार्थ में इतना आदर कभी स्त्री को नहीं मिला है। हमारी संस्कृति तो यही बताती है कि नारी-शिशु के जन्म पर धरती तीन हाथ नीचे धंस जाती है। किशोरी, पिता के सिर पर अनावश्यक पर अनिवार्य बोझ है। माँ, जिसका दूध पीकर मानव को जीवन मिलता है, वहीं दोयम दर्जे की मानी जाती रही है। प्रौढ़ा पति के लिए अनाकर्षक, पुत्र के लिए अस्तित्व और स्वतः अपने लिए भार है। वृद्धा, जीती है इसलिए कि जीना है और मौत अपने वश में नहीं है। यही कहानी है नारी की। लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक पहलू है। बिना स्त्री के न तो पुरुष का जीवन चल सकता है न ही सृष्टि चल सकती है। नारी धरती की क्षमा और उर्वरता है, आकाश का निरवधि विस्तार है और सिन्धु की अतल गहराई है। नारी सृष्टि की प्रतिकृति है, माँ है।"[11]

अतः आज की विकृत होती पुरुष मानसिकता व घटते मानव मूल्यों के बीच भिखारी ठाकुर का यह नाटक अत्यन्त ही प्रासंगिक है। आशा है भिखारी ठाकुर द्वारा प्रस्तुत चित्र समाज की आँख खोलेगा और बेटियों पर इस तरह के जुल्म नहीं होंगे। बेटी की अन्तिम भूख और माँग जो पिता के आगे भिखारी ठाकुर ने रखवाया है वह वही है कि –

रोवत वानी सिर धुनि, छछनल सुनि,
बेटी मति बेचे दीहख केहू के हो बाबूजी।
आपन होखे तेकरो के पूछे आवे सेकरो के,
दीहऽ मति पति दुलहिन जोग हो बाबूजी।"[12]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भिखारी ठाकुर रचनावली, सं० वीरेन्द्र नारायण यादव, पृ० सं० 89-90, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद् पटना।
2. वही, पृ० सं० 90
3. निर्मला, प्रेमचंद, राजपाल प्रकाशन, नई दिल्ली।

4. भिखारी ठाकुर रचनावली, सं० वीरेन्द्र नारायण यादव, पृ० सं० 86, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्, पटना।
5. वही, पृ० सं० 86
6. वही, पृ० सं० 88
7. वही, पृ० सं० 77
8. वही, पृ० सं० 79
9. वही, पृ० सं० 82
10. वही, पृ० सं० 91
11. लोकरंग– 1 सं०– सुभाषचन्द्र कुशवाहा, पृ० सं० 178
12. भिखारी ठाकुर रचनावली, सं० वीरेन्द्र नारायण यादव, पृ० सं० 91, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्, पटना।

छात्र-छात्राओं में गणित के प्रति भय, भ्रम, मिथक और गलत धारणाएँ

डॉ० अभिषेख कुमार पाण्डेय
प्राचार्य,
विद्या कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,
रसूलपुर, वरुणा, चिपुरा, परसा, पटना, बिहार

सार

"गणित संख्याओं, समीकरणों, संगणनाओं या एल्गोरिदम के बारे में नहीं है: यह समझने के बारे में है।" ......विलियम पॉल थर्स्टन

इस आलेख को लिखने का सिर्फ और सिर्फ मात्र एक उददे्श्य है दैनिक जीवन में गणित सीखने में तीन केंद्रीय वैचारिक गतिविधियों: अवधारणा निर्माण, अनुमान निर्माण और अनुमान सत्यापन का एक ऐसा दृश्य प्रस्तुतीकरण करना है, जो वर्त्तमान गणितीय समस्यायों के प्रति हो रहे भय, भ्रम, मिथक और गलत धारणा को दूर करने का प्रयास किया जायद्य ये गतिविधियाँ वर्तमान रोजमर्रा की सोच में भी मूर्त रूप में विद्यमान होती हैं, जिसमें उदाहरणों की भूमिका भी महत्वपूर्णरूप में दिखाई दे रही है। गणित जीवन के विपरीत, रोजमर्रा की सोच में, व्यवहारिक उदाहरण अक्सर एकमात्र उपकरण के रूप में होते हैं जिसके द्वारा हम विभिन्न तरह के अवधारणाएं और अनुमान बना सकते हैं, और उन्हें सत्यापित भी कर सकते हैं। इस प्रकार, हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते है कि एक विद्यार्थी के जीवन के लिए रोजमर्रा की विचार प्रक्रियाओं में इन गतिविधियों में दैनिक जीवन में हो रहे उदाहरणों पर भरोसा करना तत्काल रूप से और स्वाभाविक हो जाता है। फिर भी बालक और बालिका अपने दैनिक गणित में, गणितीय परिभाषाओं के माध्यम से जो भी अवधारणाएँ बनाते जा रहे हैं और उन लागु अनुमानों को गणितीय प्रमाणों द्वारा सत्यापित भी करते जा रहे है। इस प्रकार, और विद्यालयों में अध्यापकों और घरो में अभिभावकों द्वारा गणित के छात्रों पर सोचने के कुछ तरीके इस प्रकार थोपा जाता है जो सहज तो नहीं है बल्कि प्रति-सहज ज्ञान युक्त जरुर होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह कह सकते है कि गणितीय सोच के लिए एक किशोर शिक्षार्थियों से एक प्रकार के शिक्षा निषेध की आवश्यकता होती है तभी जा कर उन गलत अवधारणा को दूर कर सकेंगे।

कीवर्ड संकल्पना: छवि, संकल्पना परिभाषा, संकल्पना निर्माण, अनुमान निर्माण, उदाहरण, सामान्यीकरण।

प्रस्तावना

मैथ फोबिया को चिंता की भावना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी को गणितीय समस्याओं को कुशलतापूर्वक हल करने से रोकती है। यह तनाव, आशंका या डर की भावना हो सकती है जो गणित के प्रदर्शन में बाधा डालती है। गणित फोबिया से ग्रस्त व्यक्ति में जरूरी नहीं कि गणित में योग्यता की कमी हो; बल्कि, वह चिंता के हस्तक्षेपकारी लक्षणों के कारण अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पाता है। गणित भय या गणित की चिंता आपके बच्चे के सीखने और विषय में प्रदर्शन करने के तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। गणित फोबिया के मूल कारणों में पाठ्यक्रम संरचना, स्कूलों की सुविधाएं, निर्देशात्मक तकनीकें, शिक्षकों का शिक्षण प्रदर्शन, उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग और मूल्यांकन प्रणाली प्रमुख हैं। इसी प्रकार गणित शिक्षकों के लिए उचित प्रोत्साहन का अभाव तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की गणित के प्रति नकारात्मक धारणा भी महत्वपूर्ण कारण हैं। अध्ययन से पता चला है कि छात्रों में गणित का फोबिया रहता है।

गणित फोबिया को छात्रों में गणित की कमजोरी माना जाता है जो सीखने के मनोवैज्ञानिक आयाम से संबंधित है। इसे फोबिया के रूप में परिभाषित भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी कहा जाता है और यह लगातार गंभीर और तीव्र चिंता का कारण बनता है। बहुत से लोगों की गणित के बारे में नकारात्मक धारणा है कि यह एक अत्यंत कठिन विषय है जिसमें वे महारत हासिल नहीं कर सकते। यह नकारात्मक ध ारणा उन्हें विषय पर ध्यान केंद्रित करने से कमजोर कर देती है और परिणामस्वरूप उन्हें परीक्षणों या परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से कम प्रदर्शन मिलता है। फलस्वरूप गणित के प्रति दिन–ब–दिन डर बढ़ता जाता है और अंततः यह फोबिया के रूप में विकसित हो जाता है।

गणित का फोबिया विभिन्न कारणों से हो सकता है जैसे शिक्षण–अधिगम से संबंधित विभिन्न पहलुओं की कमी जैसे: अच्छे शिक्षक–छात्र संबंध, शिक्षण के छात्र–केंद्रित/अभिनव दृष्टिकोण का उपयोग, परामर्श, गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, बेहतर गणित पाठ्यक्रम, विषयों को तोड़ना। इकाइयों में, गणित आदि पढ़ाने में आईसीटी का अनुप्रयोग गणित भय का कारण बन सकता है। इस प्रकार गणित का भय मुख्य रूप से परीक्षण और परीक्षा (अच्छा प्रदर्शन करने के दबाव के कारण), लोगों (व्यक्तिगत, माता–पिता, शिक्षक और सहकर्मी) की व्यक्तिगत कम दक्षता, माता–पिता की कठिनाई की अवधारणा, शिक्षक की खराब ज्ञान प्रस्तुति और साथियों की नकारात्मक भावना के कारण होता है। गणित की ओर और गणित की प्रकृति।

आज के समय का सबसे बड़ा प्रश्न गणित का भय है क्या? इस प्रश्न के बारे में विस्तृत वर्णन कुछ इस प्रकार कर सकते है। हमारे समाज में कुछ लोगों को लगता है कि वो वास्तव में ही सत्य में गणित को समझ पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। इस प्रकार के वर्णन को "डिसकेलुकुलिया" कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ऐसा बिलकुल भी नहीं लगता है कि वे गणित में कमजोर असमर्थ हैं। गणित को लेकर हमारे समाज में कुछ अजीबोगरीब तरह के गलत गलत अवधारणाएँ प्रचलित हो रही हैं, जैसे- गणित एक ठोस जटिल विषय है, यह अन्य विषयों की तुलना में ज्यादा ही कठिन और जटिल होता है, यह बहुर नीरस तरह का विषय है, गणित के अध्यापक बेहद गंभीर और डरावने दीखते है। परंतु इन धारणाओं का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी ये हमारे समाज में प्रचलित हैं। यहाँ पर एक अध्यापक का पूछना है कि वास्तव में गणित से डरने का आखिर क्या कारण हो सकता है जो की बालक बालिकाओं को गणित

विषय से पढने में दुरी बनाने का दर रहता है, एक शोध में गणित से डरने के चार कारण का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार से हैं-

1. अनुवांशिकता (Genetics) – मनोविज्ञान कहता है कि एक बालक के जीवन में अनुवांशिकता का बहुत प्रभाव पड़ता है क्योकि अनुवांशिकता से ही उसकी प्रवृत्ति का निर्धारण होता है, और यदि एक बालक के माता पिता अशिक्षित है और समझदार नहीं तो कहीं का कहीं उनके गुण बालक बालिका में आयेगाद्य चूँकि जबकि गणित और पढ़ने की क्षमता परिवारों से ही चलती है, और बहुत्र हद्द तक इन लक्षणों को प्रभावित करने वाले जीन की जटिल प्रणाली अज्ञात भी है। यह गहन खोज मनोवैज्ञानिकों की इस समझ को गहराई में बतलाती है कि प्रकृति और पोषण किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे बच्चे के सीखने के वातावरण – माहौल में अधिगम और गणित कौशल के विकास करने तथा इन संज्ञानात्मक लक्षणों के जटिल पहलुओं को अध्ययन करते है। गणित से डरने का यह बहुत अहम् कारण है, हो सकता है, यह डर उन बालकों को विरासत में पुरखों, माता, पिता, बुवा, दादा, दादी, नाना, नानी, मिला हो। जैसे कि माता–पिता या उनसे जिससे हम आनुवांशिक रूप से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा विषय के प्रति आपकी नकारात्मक सोच भी हो सकती है जिससे गणित में रुचि ही नहीं होती है।

2. जेन्डर (Gender) – अक्सर देखा गया है कि किशोरियाँ गणित विषय में अक्सर कमजोर होती हैं। इस विषय पर हुए शोध अध्ययन से यह भी पता चलता है कि अधिकतर छात्राएँ पूर्वाग्रह से ग्रसित, भयभीत – भ्रमित होती हैं और जैसे ही गणित विषय के अधिगम के क्षेत्र की बात आती है वो अपने आपको बालकों/किशोरों की तुलना में कम आंकती/मापती हैं जिससे गणित क्षेत्र में हल करते समय वो बहुत चिंतित और डरी भयभीत हुई रहती हैं। छात्राओं में यह भी भय सामाजिक रूप से उन अध्यापिकाओं/शिक्षिकाओं के द्वारा भी पैदा किया जा सकता है जो श्वयमं भी यह समस्या झेल चुकी होती हैं।

3. समाज (Society) – समाज किशोरों और बालकों के अधिगम का सबसे प्रमुख स्रोत और मित्र होता है। जिस समाज या समुदाय में ये छात्र–छात्रायें रहते हैं उस समाज में हर तरह के लोग रहते है। बालक में गणित विषय से भय/संशय भ्रम का प्रमुख कारण होता है। एक अच्छा स्वच्छ समाज छात्रों की क्षमता को पहचान कर उन्हें कठिन जटिल विषय जैसे–गणित, विज्ञान, जिव विज्ञानं आदि का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। एक अच्छा समाज छात्रों की स्किल्स पर भी ज्यादा ध्यान देता है जिससे वे उनपर ज्यादा विश्वास से भरे होते हैं।

4. उम्र (Age) – जैसे–जैसे एक व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, उसकी भविष्य की चिन्ताएँ बढ़ती जाती है और हमारी याददाश्त भी धीरे–धीरे कम होने लगती है जिससे हमारी गणित ज्ञान हल करने की क्षमता भी कम होने लगती है।

प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणित समझने में सबसे अधिक छात्रों की तुलना में छात्राओं को बहुत कठिनाई होती है। प्राचीन समय में वैदिक काल से ही गणित विषय को विद्यालय के सभी विषयों में सबसे ज्यादा कठिन समझा जाता रहा है। विद्यालय में एक अध्यापक के द्वारा गणित पढ़ाने सिखाने के लिए

विद्यालय गणित को जिस प्रकार निर्मित किया है उसमें चार मुख्य बातें दिखाई देती दे रही हैं और जिसके वजह से उन विद्यार्थियों में भय, भ्रम चिंता और उसके समाधान की समस्या उत्पन्न होती है–

1. यह यथार्थ रूप में वास्तविक, अर्थपूर्ण और सहायक पाठ्यपुस्तक से रहित है। एक प्रसिद्ध शिक्षा जगत में गणितज्ञ के शब्दों में गणित के साथ समस्या यह हमेशा रहती है कि यह किसी के बारे में नहीं है।

2. प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणित विषय प्राय: अमूर्त प्रतीकों के उपयोग को शामिल करता है जिसके कारण उन विद्यार्थी गणित को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं।

3. प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय को गणित विषय की सुदढ़ रणनीति बनाकर गणित शिक्षण की आवश्यकता है जो नहीं होने से विद्यार्थी में गणित के अध्ययन में कठिनाई महसूस करते हैं।

4. प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय गणित विषय को प्राय: निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के सैट के रूप में सिखाया जाता है चाहे वह विद्यार्थी वास्तव में गणितीय संख्याओं और उनके संबंधों को समझ पाते हैं या नहीं। प्राय: समस्याओं का सही उत्तर प्राप्त करने पर अधिक बल दिया जाता है और समाधान प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने के लिए विशेष प्रयास नहीं किया जाता है। गणित में शुद्धता (सटीकता) जो गणित को और अधिक कठिन बनाता है।

गणित के प्रति भय के कुछ कारण निम्न प्रकार से हैं–

1. **विद्यालय का अप्रिय वातावरण–** ऐसे विद्यालय जहाँ पर गणित विषय के पाठ्यचर्या को पूर्ण करने हेतु और गणितीय समस्या को हल करने हेतु किशोर और किशोरी–विद्यार्थियों को विचार व वैकल्पिक रणनीतियों को विकसित करने की स्वतन्त्रता दिये बिना बहुत ही सख्त और कठिन अनुशासनात्मक वातावरण बनाये रखा जाता है वहाँ पर शैक्षिक वातावरण विद्यार्थियों में गणित के प्रति नकारात्मक रुचि और तनाव उत्पन्न करता है।

2. **सकारात्मक आदर्श की कमी–** जब बालक बालिका से लेकर किशोर किशोरी विद्यार्थियों को गणित अधि गम करने में घर परिवार में माता पिता और अभिभावक से सहायता और सहयोग प्राप्त नहीं होती है और विद्यालय में अध्यापकों द्वारा भी प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता है तब उन विद्यार्थियों को गणित की आवश्यकताओं को समझने बुझने में बहुत अधिक जटिल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माता–पिता, अभिभावक और अध्यापकों/शिक्षकों का गणित में बेहतर और उच्च प्रदर्शन के लिए बना दबाव, छात्रों में गणित के प्रति भय, भ्रम और संशय को उत्पन्न करता है।

3. **लिंग और आसपास का परिवेश का असर–** सामान्यत: अक्सर यह देखा गया है कि किशोरिओं और लड़कियों और प्रतिकूल सामाजिक परिवेश से आये शिक्षार्थी गणित विषय में अच्छा और बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को गणित की विद्यालय में कक्षा में हीन भावना से देखा जाता है और उनका समाज में तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया जाता है।

4. **गणित एक सजा के रूप में**– सामान्यतः हमारे समाज में व्याप्त कुछ विद्यालयों में अध्यापकों का छात्रों को अनुशासित करने के लिए गणित विषय की गणितीय समस्याओं का समाधान करने हेतु दबावरूपी सजा से एक प्रकार से बच्चों में गणित के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है।

5. **निर्धारित समय में परीक्षा**– सामान्यतः हमारे समाज में व्याप्त कुछ विद्यालयों में सभी गणितीय अधिगम का उद्देश्य मात्र केवल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है। विद्यार्थियों के सामने साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं और प्रदत्त कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए माता–पिता, अभिभावक, अध्यापक और विद्यालय की तरफ से बहुत अधिक दबाव डाला जाता है। इन सभी परीक्षाओं में उच्च प्रदर्शन प्राप्त करना, और खाशकर विशेषरूप से गणित विषय में उन विद्यार्थियों के अंदर भय उत्पन्न करता है।

6. **गणितीय समस्या समाधान की तैयारी की कमी**– अधिकांश समय अधिक परीक्षणों का सामना करने के कारण, विद्यार्थी कक्षा के लिए और परीक्षाओं के लिए सदैव अच्छे ढंग से तैयारी नहीं कर पाते हैं और विद्यार्थियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है।

प्राप्त कारणों को अध्ययन करने के उपरांत यह समझ में आता है कि जब एक बार विद्यार्थिओं में गणित के प्रति गणित के डर का बीज में उत्पन्न हो जाए तो समय के साथ–साथ वो एक विशाल वृक्ष की सामान बन जाता है। उन विद्यार्थिओं में गणित के प्रति नकारात्मक विचार उनके मन में गणित के प्रति डर उत्पन्न कर देता है। इस डर से किशोर किशोरी विद्यार्थी बाहर नहीं निकल पाते है और उनके शैक्षिक प्रदर्शन में भी कमी आने लगती है। गणित के प्रति विद्यार्थिओं में यह भय, भ्रम और मिथ्या वियार्थिओं में कुंठा आने लगती है और वो ओने आप को उससे दूर करने लगते है।

भ्रम और मिथ्याः आज के आधुनिक जगत में गणित एक अनिवार्य विषय बन गया है और वैसे में जैसे जैसे लोग शिक्षा के प्रति जागरूकता हो रही है वैसे वैसे लोग अपनी विषयी रूचि भी दिखा रहे हैद्य फिर भी बात जब गणित की आती है तो मुद्द् फिर वही भ्रम भय और मिथ्या का आ जाता है जिसको मात्र एक पहेली मन कर लोग रह जाते है। वैसे पूराने समय की अवधारणा और कहानीयाँ जो लगता है की सत्य है परंतु देखा जाय तो वास्तविक और वैज्ञानिक रूप से सत्य नहीं होता। कुछ ऐसे विंदु है जिनको देखने से यह प्रतीत होता है कि उनके जीवन में गणित के प्रति भ्रम और मीथ्या बनी है।

1. **गणित कठिन विषय** – गणित विषय के बारे में यह भ्रम है, कि गणित अन्य विषयों की अपेक्षा अत्यन्त कठिन और जटिल है और यह तीव्र बुद्धि के विद्यार्थिओं की ही समझ में आता है।

2. **गणित छात्राओं के लिए नहीं** – हमारे विद्यार्थिओं के बीच में इस प्रकार की अवधारणा है कि गणित का अध्ययन मात्र सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है। यहीं नहीं हमारे बीच ऐसी भी अवधारण है कि लड़कियाँ शारीरिक और मानसिक रूप से गणित के प्रतीकों को अमूर्त अवधारणाओं को नहीं समझ सकती हैं और चूँकि गणित तार्किक होता है इसलिए लड़कियाँ तार्किक नहीं होती है, साथ ही यह भी माना जाता है कि लड़कियों को शादी कर घर–परिवार के काम करना है तो वे गणित पढ़ कर सिर्फ समय की बर्बादी ही करती हैं और कुछ नहीं। अतः लड़कियों को गणित विषय न पढ़ कर अन्य कोई

सरल विषय जैसे कला, संगीत, समाजविज्ञान ....का चयन करना चाहिए।

3. **गणित सिर्फ खास के लिए** – हमारा समाज गलत अवधारणा को बहुत जल्दी ग्रहण करता है और अछे अवधारणा को देर में ऐसा कहा गया है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। चूँकि गणित विषय के लिए यह कहा जाता है कि गणित सिर्फ और सिर्फ कुछ खुशकिस्मत अर्थात निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति से हट कर के लोग ही पढ़ सकते हैं, यह हर किसी के लिए नहीं है। गणित विषय के अध्ययन की क्षमता भी सिर्फ और सिर्फ कुछ खास लोगों में ही होती है।

4. **गणित जानने वाले तीव्र होते हैं** – ऐसा अवधारणा है कि गणित विषय को जानने वाले लोग अति तीव्र बुद्धि, सृजनशील और उच्च व्यक्तित्व के होते हैं, ये लोग किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरन्त दे सकते हैं।

5. **गणित सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए** – ऐसा माना जाता है कि गणित सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही पढ़ना चाहिए जो अपना भविष्य रोजगार के क्षेत्र में वैज्ञानिक अर्थात गणितज्ञ के रूप में देखते हैं।

6. **गणित की पढ़ाई जरूरी नहीं** – कुछ लोगों का यह मानना है कि गणित विषय की साक्षरता सभी विद्यार्थिओं के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि गणित की पढ़ाई सिर्फ तीव्र बुद्धि के बच्चों के लिए होती है।

गणित में भय भ्रम और मिथक दूर करने का उपायः

जैसा कि सर्वविदित है कि शिक्षा की सफलता के लिए एक त्रिकोण होता है– शिक्षक–छात्र–माता–पिता, विद्यार्थियों से गणित का भय दूर करने में प्रत्येक की भूमिका महत्वपूर्ण है। बच्चों को गणित पढ़ने के लिए प्रेरित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक यह है कि शिक्षक गणित के प्रति सकारात्मक और उत्साही रहें। दूसरे, शिक्षक को गलत उत्तर नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि वे वास्तव में हमारे दिमाग को बढ़ने में मदद करते हैं। टेस्ट महत्वपूर्ण हैं लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं होने चाहिए।' गणित का सच्चा लक्ष्य छात्रों को गणित को हथियार के रूप में लेकर वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करना होना चाहिए। शिक्षकों को गणित को एक अशिक्षित, कठिन विषय के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए क्योंकि यह वैसा नहीं है। बच्चों को यह दिखाया जाना चाहिए कि गणित एक रचनात्मक विषय है। गणित सीखना इतिहास या जीव विज्ञान सीखने की तुलना में लगभग संगीत या कला सीखने जैसा है। गणित के बुनियादी तथ्य कभी नहीं बदलते, लेकिन जिस तरह से हम गणित की समस्याओं को हल करते हैं वह बहुत अधिक परिवर्तनशीलता प्रस्तुत करता है! यदि छात्रों को हल करने के लिए खुली समस्याएं दी जाएं तो वे अक्सर अधिक प्रेरित होते हैं। एक बार जब छात्रों को यह पता चल जाता है कि गणित की कहाँ आवश्यकता है, तो वे अधिक प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, बुनियादी गणित जैसे खरीदारी करते समय कीमतों का अनुमान लगाना, खाना पकाने में अंश, वित्तीय लेनदेन में दशमलव और सिलाई या लकड़ी के काम में कौशल को मापना जीवनशैली में बहुत जरूरी है। इसलिए गणित का शिक्षण रोजमर्रा के जीवन के अनुभवों के साथ होना चाहिए।

छात्र क्या कर सकते हैं?:----

छात्रों को सबसे पहले गणित भय के लक्षणों को जानना होगा। गणित फोबिया के चार सामान्य लक्षण हैं:

१. घबराहट,

२. व्यामोह,

३. निष्क्रिय व्यवहार

४. आत्मविश्वास की कमी।

एक बार जब एक छात्र को पता चल जाए कि उसे गणित का भय है तो उसे इसे स्वीकार करना होगा। गणित का फोबिया होने से कोई व्यक्ति बुरा व्यक्ति नहीं बन जाता, लेकिन इससे न निपटने पर व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। छात्रों को समझ में न आने पर प्रश्न पूछना चाहिए। गणित की अवध ारणाएँ एक–दूसरे पर आधारित होती हैं और यदि कोई शुरुआत में ही खो जाता है, तो बाद की अवधारणाओं को समझना बहुत कठिन हो जाएगा। विद्यार्थियों को यह महसूस करना चाहिए कि यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो संभव है कि कमरे में कम से कम एक अन्य व्यक्ति भी भ्रमित हो। एक रात पहले परीक्षा के लिए रटने के बजाय, उन्हें हर दिन अध्ययन करने और समस्याओं का अभ्यास करने के लिए समय निकालना चाहिए। बार–बार दीर्घकालिक अभ्यास से उन्हें यह याद रखने में मदद मिलेगी कि परीक्षण के माहौल में तनावग्रस्त होने पर चीजों को केसे हल किया जाए। जल्दी अध्ययन करने से उन अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने का समय भी मिलता है जिनमें महारत हासिल करना अधिक कठिन होता है।

माता–पिता क्या कर सकते हैं?

ऐसे कई अध्ययन हैं जो बच्चे की शैक्षिक प्रक्रियाओं में माता–पिता की भागीदारी के महत्व को साबित करते हैं। तो, गणित फोबिया को कम करने का सबसे आसान तरीका यह है कि माता–पिता को अपने बच्चे की शिक्षा में अधिक शामिल होना चाहिए। इसके अलावा, शोध से पता चला है कि माता–पिता की गणित के प्रति धारणा उनके बच्चों की गणित में धारणा और उपलब्धि को प्रभावित करती है (यी एंड एक्लेस, 1988) । माता–पिता को बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देना होगा और देखना होगा कि क्या वे विशेष रूप से तब परेशान होते हैं जब उन्हें गणित करना होता है। सकारात्मक सुदृढीकरण एक बच्चे को गणित भय से उबरने में मदद करने का एक शानदार तरीका है। कुछ गलत होने पर नकारात्मक होने के बजाय, माता–पिता को उनके साथ समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए और उन पहलुओं पर जोर देना चाहिए जिन्हें उन्होंने सही पाया है। उन कौशलों को इंगित करें जिनमें उन्होंने महारत हासिल की है और उन कौशलों के बारे में सकारात्मक रहें जिनमें अभी भी कुछ काम करने की आवश्यकता है।

अंततः, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने गणित में महारत हासिल किए बिना ही जीवन में सफलता हासिल की। इसलिए गणित के अंकों के प्रति अत्यधिक पागल होना बिल्कुल निराधार है। बच्चों के प्रति धैर्यवान, सकारात्मक और सहयोगी रवैये से गणित के डर पर काबू पाया जा सकता है।

इसके अलावा कुछ शिक्षण और औपचारिक तरीके जो गणितीय जीवन में बदलाव ला सकता है––

1. **आगमन विधि और निगमन विधि का उपयो** – एक अध्यापक को कक्षा में हमेशा आगमन विधि के साथ निगमन विधियों का प्रयोग कर छात्राओं के लिए गणित रुचिकर बना सकते है।

2. **आसान से कठिन प्रश्न का अभ्यास** – एक अध्यापक होने क्ले नाते आप को ज्यादातर शुरुवाती स्तर पर गणित अभ्यास में प्रश्नों का चयन सरल से कठिन स्तर पर होना चाहिए। इस विधि का प्रयोग कर के छात्राओं के लिए गणित रुचिकर बना सकते है।

3. **मस्तिष्क छमता का विकास** – किशोरिओं में गणित के प्रति प्रायोगिक परिक्षण के माध्यम से गणितीय संशयों का समाधान करवाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उनका मष्तिष्क का उच्च विकास हो सके।

4. **प्रयास और त्रुटि नियम का प्रयोग** – एक अध्यापक को गणित का अध्यापन करते समय मनोविज्ञान का प्रयास और त्रुटी का प्रयोग करना चाहिए क्योकिं बालक हो बालिका उनका मष्तिष्क एक चाक के तरह होता है उनको चाहे किसी भी दिशा में प्रयोग कर सकते है।

5. **व्यवहारिक रूप से प्रयोग** – विद्यार्थिओं को गणित का अध्यापन करते समय सिर्फ व्यवहारिक विषय का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए क्योकिं ऐसे विद्यार्थी व्यवहारिक गणितीय जीवन का ज्ञान जल्दी सिख जाते है?

6. **रुचि के साथ का अध्ययन** – एक अध्यापक होने के नाते आप को सर्वप्रथम गणित के उस भाग को पढ़ाना चाहिए जिस में उसकी रूचि ज्यादा दिख रही हो, जैसे कोई बालक अंक गणित में रूचि ज्यादा हो तो उसको अंक गणित का पाठ पढ़ना चाहिए।

7. **स्मृति झमता का विकास** – एक अध्यापक होने के नाते सर्वप्रथम विद्यार्थी में गणित में स्मृति स्तर का विकास करना चाहिये जिससे गणितीय नियम यद् हो सके। क्योकि यह गणित का आधार होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. APU (1980) Mathematical Development% Secondary Survey Report (London% HMSO)-
2. Askew] M- and Wiliam] D- (1995) Recent Research in Mathematics Education 5&16 (London% HMSO)-
3. Berk] L-E- (1997) Child Development] 4th edn- (Boston% Allyn and Bacon)-
4. French] D- (2003) "Problems in Learning School Algebra¸ notes and handouts from seminar at SHU March 22-
5. French] D- (2002) Teaching and Learning Algebra (London% Continuum)-
6. Gates] P- ed- (2001) Issues in mathematics teaching (London% RoutledgeFalmer)
7. Curtain Phillips] M- (2016] January 18)- The Causes and Prevention of Math Anñiety by Marilyn Curtain&Phillips]M-Ed- Mathnasium- Retrieved September 16] 2021] from https%@@www-mathnasium-

com@keller8-

8. Retrieved by https%@@generalstrategy-blogspot-com@2021@03@fear&doubt&and&myth&about&mathematics-html
9. Retrieved by http%@@risingkashmir-com@mathematics&phobia&in&students&a&concern@
10. Retrieved by https%@@blog-scientificworld-in@2015@02@math&learning&games&hindi-html

श्रीमद्भगवद्गीता के बारहवें अध्याय 'भक्तियोग' का मर्म

प्रो. (डॉ.) सावित्री सिंह
संस्कृत विभाग,
रोहतास महिला महाविद्यालय
सासाराम, (बिहार)

श्रीमद्भगवद्गीता और निष्काम कर्म का संदेश विश्व में अनुपम और अद्वितीय है। वास्तव में श्री कृष्ण हमारे सर्वोत्तम शिक्षक, मार्गदर्शक, उपदेशक हैं। और श्रीमद् भागवत गीता भवसागर मध्य डूबते- उतराते, हाथ-पांव मारते, माया में लिप्त निर्बल जनों के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है। हम सांसारिक जन को गीता के बारहवें अध्याय में अभिव्यक्त श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में निहित साकार और निराकार ब्रह्म के महत्व के संदेश सी अनेक प्रश्नों का समाधान मिलता है। इनसे जीवन की चुनौतियों दुखों और असफलताओं से उत्पन्न तनाव से लड़ने में शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है।

गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र के कौतूहल और जिज्ञासा से होता है। शांति की सारी कोशिशे, सभी प्रयत्न, सभी प्रयास समाप्त हो चुके हैं। व्यर्थ हो चुके हैं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत के रूप में असफल हो चुके हैं। और दुर्योधन का घमंड अहंकार सत्ता का लालच या सबसे बड़ी बात पांडवों के प्रति उसके घृणा और नफरत ने कौरव एवं पांडवों को युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र में पहुंचा दिया है। दोनों की सेनाएं आमने-सामने खड़ी हैं युद्ध के नगाड़े बज चुके हैं। धृतराष्ट्र जिसने युद्ध रोकने के लिए अथवा शांति के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किया अथवा अपने पुत्र के हठ और अहंकार घृणा और नफरत के आगे बेबस असहाय दिखता हुआ आज कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कुरुवंश की स्थिति परिस्थिति को जानने के लिए व्याकुल है।

युद्ध स्थल पर अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर कृष्ण माया मोह से जकड़े हुए अर्जुन को कर्म करने का संदेश देते हैं। इसी क्रम में बारहवें अध्याय में भगवान को किस तरह की भक्त प्रिय हैं, ऐसी जिज्ञासा होती है। जिसका उत्तर 20 श्लोकों में दिया गया है।

एवं सततयुक्ता ये भुक्तास्त्वां पर्युपासते।
ये चाप्यक्षरमव्युक्तं तेषां के योगवित्तमाः।।1।।

अर्जुन ने पूछा-जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण (सिद्ध) माना जाय ?

मध्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते।
श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः।।2।।

श्रीभगवान् ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, और अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं।

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ।।3।।
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।।4।।

लेकिन जो लोग अपनी इन्द्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अन्तर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इन्द्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अन्ततः मुझे प्राप्त करते है ।

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते।।5।।

जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त, निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यन्त कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है ।

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।।6।।
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्।।7।।

जो अपने सारे कार्यों को मुझमें अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरन्तर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ! मैं जन्म-मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ ।

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः।।8।।

मुझ भगवान् में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझमें लगाओ। इस प्रकार तुम निस्सन्देह मुझमें सदैव वास करोगे ।

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय।।9।।

हे अर्जुन, हे धनञ्जय! यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्तियोग के विधि-विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो ।

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव।
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि।।10।।

यदि तुम भक्तियोग के विधि–विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था (सिद्धि) को प्राप्त होगे।

अथैतदप्यशक्तोखसि कर्तु मद्योगमाश्रितः ।
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्॥11॥

किन्तु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म–स्थित होने का प्रयत्न करो।

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्॥12॥

यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनःशान्ति प्राप्त हो सकती है ।

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
निर्ममो निरहङ्कारः समदुः खसुखः क्षमी॥13॥
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥14॥

जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख–दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय है ।

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः॥15॥

जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख–दुख में, भय तथा चिन्ता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यन्त प्रिय है।

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥16॥

मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्य–कलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिन्तारहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है ।

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥17॥

जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय है।

समः शत्रै च मित्रे च तथा मानापमानयोः।
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः॥18॥
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् ।
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥19॥

जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर-बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है - ऐसा पुरुष मुझे अत्यन्त प्रिय है।

ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते।
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥20॥

जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बना कर श्रद्धासहित पूर्णरूपेण संलग्न रहते हैं, वे भद्र मुझे अत्यधिक प्रिय हैं।

गीता के 12 अध्याय में भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। दूसरे श्लोक में पहले यह सिद्धांत किया है कि भगवतभक्त उत्तम योगी है, फिर तीसरे श्लोक में पक्षांतर बोधक श तूश अव्यय का प्रयोग कर, उसमें और चौथे श्लोक में कहा है कि अव्यक्त की उपासना करने वाले भी मुझे ही पाते हैं। परंतु इसके सत्य होने पर भी पांचवें श्लोक में यह कहा गया है कि और अव्यक्त उपासकों का मार्ग अधिक क्लेशदायक होता है। क्योंकि देहाभिमानी जीवों को अव्यक्त गति बड़ी कठिनाई से मिलती है।

छठे और सातवें श्लोक में वर्णन किया है कि अव्यक्त की अपेक्षा व्यक्त की उपासना आसान होती है। अव्यक्त की उपासना कठिन होने पर भी मोक्षदायक हीं है। भक्ति मार्ग वालों को स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति मार्ग में भी कर्मों को ना छोड़कर उन्हें ही ईश्वरार्पण पूर्वक अवश्य करना पड़ता है और इसी हेतु से छठे श्लोक में ही सब कर्मों का संन्यास करके श मुझमेंश में ये शब्द रखे गए हैं।

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि भक्ति मार्ग में भी कर्मों को स्वरूपतः न छोड़े किंतु परमेश्वर में उन्हें, अर्थात उनके फलों को अर्पण कर दें। इससे प्रकट होता है कि भगवान ने इस अध्याय के अंत में जिस भक्तिमान पुरुष को अपना प्यारा बतलाया है, उसे भी इसी निष्काम कर्म योग मार्ग का ही समझना चाहिए। इस प्रकार भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता और सुलभता बतलाकर अब परमेश्वर की ऐसी भक्ति करने के उपाय अथवा बदलते हुए उनके तारतम्य का भी अंत में स्पष्टीकरण करते हैं।

बारहवें श्लोक में कर्म फल के त्याग की अर्थात् निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता प्रतिपादित है। अभ्यास की अपेक्षा तो ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान बढ़कर है और ध्यान की अपेक्षा समस्त कर्मफलों का त्याग श्रेयस्कर है। कर्मफलों का त्याग करने के पश्चात तुरंत ही संसार की शांति हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सद्भावना की भावना को बल देते हुए ख्रष्ण कहते हैं कि जो सभी प्राणियों से द्वेष न करने वाला, उनके प्रति प्रीति रखने वाला करुणा से युक्त, निर्मम (अयं निजः परो वेत्ति से रहित), अहंकारहीन, सुख दुख में समान,

क्षमावान् निरंतर संतुष्ट, एकाग्रचित, शरीर और इंद्रियों को वश में रखने वाला, दृढ़ निश्चय तथा मेरे में मन और बुद्धि को समर्पित किए हुए हैं ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझको प्यारा है। 15वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जिससे लोक अर्थात् संसार उद्विग्न नहीं होता और जो लोक से उद्विन नहीं होता तथा जो हर्ष, भय और उद्वेग से रहित है वह भी मेरा प्यारा है। सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित, पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा शून्य और समस्त लौकिक अलौकिक फलवाले कर्मों का त्याग करने वाला है। वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यो न ह्रष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति। शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः से में प्रियः।।। इतना हीं नहीं

जो शत्रु और मित्र तथा मान और अपमान में समान है, शीत और उष्ण में समान है एवं सुख दुःख में समान है तथा रोगहीन है वह भक्त भी मुझे बहुत प्रिय है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता के 12 अध्याय का नाम भक्ति योग है किंतु इसमें साकार निराकार ब्रह्म की महत्ता एवं उसके साथ-साथ निष्काम कर्मयोग के महत्व को भी स्थापित किया गया है।।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गीता रहस्य -बाल गंगाधर तिलक।
2. श्रीमद्‌भागवतगीता मधुसुदनी टीका।
3. भारतीय दर्शन - राधाकृष्णन
4. संस्कृत साहित्य का इतिहास बलदेव उपाध्याय
5. वैदिक साहित्य का इतिहास बलदेव उपाध्याय

हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति और भारतीय सुरक्षा चिन्तायें

प्रीतम कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

"जो भी देश हिन्द महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर वर्चस्व स्थापित करेगा यह महासागर समुद्रों की कुंजी है। 21 वी शताब्दी में विश्व का भाग्य निर्धारण इसकी समुद्री सतहों पर होगा"[1] हिन्द महासागर का महत्व इसमें उपलब्ध अपार कच्चे माल के भण्डार के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है। हिन्द महासागर से समस्त विश्व का व्यवसाय बड़ी मात्रा में इसके माध्यम से होता है। यह महासागर समस्त विश्व को आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से प्रभावित करता है इसलिए विश्व की प्रमुख शक्तियाँ इस महासागर में अपना शक्ति वर्चस्व स्थापित करना चाहती है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं चीन आदि। हाल ही में चीन भी हिन्द महासागर में रूचि लेने लगा है। सोवियत संघ की रिक्तता की पूर्ति एवं वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति को अभिवृद्धि हेतु व्यवसायिक व नौसैन्य में चीन की बढ़ रही गतिविधियाँ हिन्द महासागरीय क्षेत्र की सुरक्षा में अत्यधिक चिंता का विषय है "पीपुल लिबरेशन आर्मी नेवी" (PLAN) की त्रिस्तरीय विस्तार वादी नीतियां सघंर्ष के नये सोपान की धोतक है जिसके अन्तर्गत उसने 2000–2020 तक हिन्द महासागरीय क्षेत्र में एअर क्राफ्ट केरियर, नाभिकीय पनडुब्बियॉ, बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइलों, सतही लडाकू पोतों व एअर क्राफ्ट की संख्या सामर्थ्य में वृद्धि करके वर्चस्व–रणनीति निर्धारित की जो कि भारतीय सुरक्षा के लिये एक चुनौती है। क्योंकि भारत ने बृहद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति तथा हिंद महासागर की क्षेत्रीय राजनीति के मध्य एक संतुलन तलाशने की कोशिश की है। इसने सार्क, हिमतक्षेस का गठन करने के साथ ही साथ आसियान के साथ अपने संबंधें को लगातार बढ़ाया है।

प्रस्तावना

प्रायद्वीपीय भारत का इतिहास प्राचीन काल से ही हिन्द महासागर से प्रभावित होता रहा है क्योकि तीनों ओर से घिरे होने के कारण अपने सामुद्रिक व्यापार हेतु वह इसी महासागर पर अवलम्बित है। वास्तव में, क्रिस्टोफर कोलम्बस के अटलांटिक महासागर पार करने के कई शताब्दियों पूर्व ही हिन्द महासागर में चीन और पश्चिम में भूमध्य सागरीय देशों का जोड़कर वाणिज्य व सांस्कृतिक आदान–प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता रहा है। बंगाल की खाड़ी में पाँचवी से छठवीं शताब्दी विभिन्न राजवंशों ने अपना

सामुद्रिक एकाधिकार स्थापित कर मलाया सुमात्र तथा जावा आदि क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रशान्त महासागर के कुछ क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित कर सम्पूर्ण हिन्द क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। तथापि पाँचवी शताब्दी से लेकर दसवी शताब्दी तक मलक्का जलडमरूमध्य पर राजवंश का एकाधिकार बना रहा किन्तु ग्यारहवी शताब्दी में चोल वंश द्वारा की गयी एक सफल नौसैनिक कार्यवाहीं के परिणाम स्वरूप राजवंश का शासन समाप्त कर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया गया था। किन्तु बाद में हिन्दू साम्राज्य के कमजोर हो जाने के कारण तेरहवी शताब्दी में भारत के समीपवर्ती सामुद्रिक क्षेत्रों पर अधिकार व नियंत्रण हेतु चली प्रतियोगिता में अन्ततः 1803 ई0 में ट्रेफल्गर की निर्णयात्मक लड़ाई में ब्रिटेन ने फ्रासिसियों को पराजित कर सम्पूर्ण हिंद महासागर पर नियन्त्रण कर इसे "ब्रिटिश झील के रूप में परिवर्तित कर दिया" किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन द्वारा मलाया व भारत को छोड़कर शेष सम्पूर्ण एशिया से अपनी शक्ति समेट लेने के परिणाम स्वरूप जो रिक्तता उत्पन्न हुयी उसकी पूर्ति भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे नवोदित राष्ट्रों द्वारा न कर पाने के कारण यहाँ अमेरिका व सोवियत संघ व चीन जैसे महाशक्ति को प्रवेश का अवसर प्राप्त हुआ उससे सम्पूर्ण क्षेत्र की शान्ति, सुरक्षा व स्थिरता के लिये गम्भीर संकट पैदा हो गये।

हिन्द महासागर का भू-स्त्रातेजिक व सामरिक महत्वः-

हिन्द महासागर न केवल भारत वरन सम्पूर्ण एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी व दक्षिणी अफ्रिकी तटों को स्पर्श करता है साथ ही उसकी सामरिक, व्यापार व सामुद्रिक नीतियाँ के निर्धारण में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। यह एक स्थल बद्ध महासागर है जो 7 करोड़ 50 लाख वर्ग मील क्षेत्र में विस्तृत है। हिन्द महासागर समस्त पृथ्वी के जल क्षेत्र का 19 प्रतिशत तथा लगभग 44 देशों की भूमि को स्पर्श करता है जो कि यह अपार खनिज सम्पदा से युक्त है। पूर्व व पश्चिम से हिन्द महासागर में प्रवेश करने के लिये क्रमशः मलक्का तथा वेव-एल मण्डेव के प्रमुख तंग जलडमरूमध्य है। अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में है। इस कारण यह महासागर बर्फ, कोहरा, व आँधियों से मुक्त रहा है। इसी भौगोलिक विशिष्टता के कारण यहाँ सामुद्रिक यातायात अधिक विकसित हो रहा है हिंद महासागर में स्थित अण्डमान निकोबार द्वीप समूह मालद्वीव, लक्षद्वीप, सेशिलीज द्वीप, मॉरिशस द्वीप, चगोस तथा सोकोब्रा जैसे महत्वपूर्ण द्वीपों के कारण यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील रहा हैं।[2] इस क्षेत्र में आकर्षण और प्रभाव के लिये तेल की आपूर्ति एक ऐसा मुद्दा है जिसने अमेरिका, रूस, चीन की हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति एक दूसरे से अधिक परिणाम में बनाए रखने के लिये शक्ति विस्तार को आवश्यक बना दिया है। इन शक्तियों की होड़ को देखते हुये असीमित एंव पूर्ण युद्ध के युग में देश की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि हम हिन्द महासागर को कहाँ तक अपने एकाधिकार में रख सकते है।

सामुद्रिक दृष्टिकोण से नौ सेना को आवश्यक और सुरक्षात्मक कार्य अधिक करने होते है। आक्रमणकारी को हमारे क्षेत्र में आतंक पैदा करने के पूर्व ही उन्हें खदेड़ना नौसेना के प्रमुख कार्यो में से एक है। युद्ध सामग्री जिसका कि युद्ध कौशल की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होता है, रणक्षेत्र में सही समय पर पहुँचना सुदृढ़ नौ सेना पर निर्भर करता है। शत्रु के सामुद्रिक जलयानों को अपने सामुद्रिक क्षेत्र में

अनाधिकार प्रवेश करने से रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के पालन हेतु तत्पर होने में नौ सेना की महत्ता को अस्वीकार नही किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने में इसकी भूमिका किसी से छिपी नही है। भारतीय व्यापार का 3/4 भाग समुद्री मार्गो अर्थात् समुद्री यातायात से सम्बन्धित है। समुद्री विज्ञान की प्रगति के लिये समुद्र के संदर्भ में अन्वेषण कार्य भी समुद्री जलयानों द्वारा ही सम्पन्न होता है। समुद्र तल में छिपे खनिज पदार्थो की जानकारी समुद्र विज्ञान की उन्नति पर ही निर्भर है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और मित्रता का वातावरण बनाने में इसकी उल्लेखनीय भूमिका होती है युद्ध कला में परिवर्तन के पश्चात आज भी व्यापारिक व नौसेनिक जहाजों का महत्व बजाय कम होने के निरन्तर बढता जा रहा है। लगता है कि युद्ध गुरूत्वाकर्षण हिन्द महासागर की ओर परिवर्तित हो गया है। क्योंकि महाशक्तियों की स्पर्धा से ही शान्ति क्षेत्र बनने की परिकल्पना वाला समुद्र आज युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है।[3]

चीन की हिन्द महासागर महत्वाकाँक्षाएंः-

चीन हिन्द महासागर में भारत एवं रूस का प्रतिद्वन्दी बनना चाहता है। बंगाल की खाड़ी में चीन की पनडुब्बियां कभी-कभी दिखाई पड़ती है। चीन लगातार इस क्षेत्र के तटवर्ती रास्तों में कुछ स्थानों पर नौसेनिक अड्डा तथा सुविधाएँ प्राप्त करने का निरन्तर प्रयास कर रहा है। उसने तंजानिया के दार-एस-सलाम में नौसैनिक अड्डे का निर्माण कर लिया है। हाल ही मे चीन ने म्यांमार के कोकोद्वीप पर अपने नौसेना तैनात किया है। यहॉ पर चीन ने अपने नौसैनिक अड्डे विकसित किये है। इसके अलावा चीन कराची और जंजीवार में नौसैनिक सुवधाएँ पहले से ही प्राप्त कर चुका है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रूस द्वारा हिन्द महासागर में अपनी नौसैनिक शक्ति विकसित करने में प्रदर्शित की गयी उपेक्षा तथा अमेरिका द्वारा वियतनाम व कम्बोडिया से वापसी एवं पश्चिम एशिया में अपने हितों को ध्यान में रखकर चीन ने हिन्द महासागर में अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिये प्रयत्नशील है। अमेरिका इस क्षेत्र मे इस प्रकार की गतिविधियों की आलोचना करता है जब चीन के हित, हिन्द महासागर में अमेरिका से टकराते है क्योंकि अमेरिका हिन्द महासागर में रूस की बजाए चीन को अपना प्रतिद्वन्द्वी मानता है। वह भी इस क्षेत्र में चीन द्वारा भविष्य में उत्पन्न खतरों का जवाब देने की रणनीति पर कार्य कर रहा है। चीन की मान्यता है कि भारत अमेरिका का इस क्षेत्र में सहयोग उसके हितों के लिये खतरा है। इसको ध्यान में रखकर चीन बंगाल की खाड़ी में स्थित हंगाई द्वीप पर रडार सुविधा विकसित कर रहा है। हिन्द महासागर में चीन इस तरह से भारत और अमेरिका की सैनिक गतिविधियों पर नजर रख सके। इसके अलावा वह म्यांमार के कोको द्वीप पर अपनी नौसैनिक वाहन सुविधा विकसित कर रहा है। हिन्द महासागर में चीन इस तरह की गतिविधियों पर नजर रख सके व इस क्षेत्र में नयी प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सके। चीन की इस प्रकार की गतिविधियों से न केवल भारत की सुरक्षा हित प्रभावित होगें बल्कि दक्षिणापूर्वी देशों के साथ अन्य तटवर्ती देश की सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

उपर्युक्त विश्लेषणों के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन, अमेरिका, चीन तथा जापान आदि देश अपने व्यापक हितों को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र में अपने प्रभाव में वृद्धि करने के साथ-साथ इस पर

नियन्त्रण स्थापित करने का निरन्तर प्रयास कर रहे है। इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भविष्य में तनाव एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसमें संदेह नही है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियॉ के हित समय-समय पर टकराएगा, जिससे तटवर्ती राष्ट्रों की सुरक्षा एक तरह से हिन्द महासागर से जुड़ी हुयी है। इसलिए तटवर्ती राष्ट्र ने अपने व्यापक एवं दीर्घकालिक सुरक्षा हितों को ध्यान में रखकर समय-समय पर महाशक्तियों की इस क्षेत्र में उपस्थिति का विरोध किया है। तटवर्ती राष्ट्रों ने इस क्षेत्र को शान्ति क्षेत्र बनाने का निरन्तर प्रयास किया जिससे उनके हितों की सुरक्षा हो सके।[4]

(String of Policy):- स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति चीन के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढाने के लिये किया जा रहा है। इस शब्द का प्रयोग अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के द्वारा किया गया। हिन्द महासागर का क्षेत्र दुनिया के मुख्य व्यापारिक मार्गो में शामिल है और फिलहाल यहाँ अमेरिका का पहले से ही प्रभाव है। तब भारत और चीन भी इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये प्रतिस्पर्धा कर रहे है। उभरते चीन ने हिन्द महासागर में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिये "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" की नीति को बढावा दिया, जिसका अभिप्राय है, हांगकांग से लेकर सूडान के पत्तन तक समुद्री संचार पर चीन का नियंत्रण बना रहे, जिसमें मलक्का जल संधि, हरभुज जलसन्धि तक चीन अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। इसके अन्तर्गत चीन, पाकिस्तान, (ग्वादर पतन), बांग्लादेश (चटगाँव), मालदीव श्रीलंका (हम्बन टोटा), म्यांमार (कोको द्वीप) और सोमालिया तक अपने नौ सैनिक हितों को बनाए रखना। "स्ट्रिंग पर्ल्स का सिद्धान्त" के बारे में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा निर्मित रिपोर्ट, "एशिया में ऊर्जा का भविष्य (The Future of Energy in Asia) में उल्लेख किया गया है। क्रिस्टोफर प्रियर्सन ने इसको परिभाषित करते हुये कहा है कि "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" चीन के उभरते भू राजनैतिक प्रभाव का परिणाम है जिसका चीन पत्तन और वायु सेना अड्डों पर अपनी पहुँच बेहतर करना चाहता तथा विभिन्न राज्यों के साथ बेहतर से बेहतर संबंध स्थापित करना चाहता है। चीनी सेना के आध ुनिकीकरण करके दक्षिणी चीन सागर, मलक्का की सन्धि, हिन्द महासागर और पार्शिया (फ्रारस की खाड़ी) तक अपने प्रभाव का विस्तार करना है।

स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति और भारत की नीतिः-

भारत और इण्डोनेशिया के मध्य वर्ष 2001 में एक सैन्य समझौता हुआ। इसलिए हिन्द महासागर सुरक्षा और आर्थिक दोनों कारणों से भारत के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है वर्ष 1997 में 'इण्डियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन (हिमतक्षेस) की स्थापना हुयी। इसके अतिरिक्त 'विम्सटेक' की स्थापना भी वर्ष 1997 में हुयी। वर्ष 2000 में मेकांग-गंगा परियोजना को आगे बढ़ाया गया। डियागो गार्शिया में पहले ही अमेरिका का सैनिक अड्डा बना हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि 21 वी शताब्दी में अमेरिका के अतिरिक्त चीन और भारत हिन्द महासागर में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने वाले मूल देश होगें भारत के द्वारा श्रीलंका, मालदीव, के साथ महत्वपूर्ण संबंध पर बल दिया जा रहा है। वर्ष 2000 के बाद भारत की सुरक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाब हुये। हिन्दमहासागर की सुरक्षा के लिये भारत के अण्डमान निकोबार द्वीप में एकीकृत सैनिक कमान की स्थापना की गई है। अण्डमान निकोबार दीप समूह म्यामांर के कोकोद्वीप से

लगभग 60 किमी दूर है तथा इण्डोनेशिया से करीब 150 किमी दूर, जबकि भारत की मुख्य भूमि से इसकी दूरी 1200 किमी दूर है तथा अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान जैसे देशों के साथ भी "मालाबार" सैनिक अभ्यास आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त भारत के द्वारा आसियान देशों के साथ भी सैनकि अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2008 में भारत के द्वारा "इण्डियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम" का आयोजन किया गया, जिसमें हिंद महासागर में स्थित सभी देशों के नौ सेनाओं को आपसी सहयोग एवं विचार–विमर्श के लिये आमंत्रि किया गया।5

हिन्द महासागर में भारत द्वारा मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। इस नौ सैनिक अभ्यास की शुरूआत वर्ष 1992 में हुयी थी। परन्तु इस सैनिक अभ्यास को वर्ष 2002 के बाद प्रभावी रूप प्रदान किया गया तथा इसमें अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को शामिल होने पर चीन के द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी। चीन के अनुसार भारत अन्य महाशक्तियों के साथ मिलकर चीन को घेरने की नीति अपना रहा है। भारत के अनुसार इस सैनिक अभ्यास को वर्ष 2002 के बाद प्रभावी रूप प्रदान किया गया तथा इसमें अमेरिका, जापान, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया जैसे देशों को शामिल होने पर चीन के द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी। चीन के अनुसार भारत अन्य महाशक्तियों के साथ मिलकर चीन को घेरने की नीति अपना रहा है। भारत के अनुसार इस सैनिक अभ्यास के द्वारा समुद्री डकैती, आतंकवाद, नशीली दवाओं की तस्करी रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। वर्तमान में हिन्द महासागर में शान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिये ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, जापान और अमेरिका के साथ समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर सहयोग किया जा रहा है, जिसके द्वारा समुद्री डकैतियों को नियंत्रित किया जाएगा। समुद्री क्षेत्र में आपदा एवं राहत कार्यो का संचालन होगा। खोज अभियान में एक दूसरे का सहयोग किया जाएगा और सभी देश इस मुद्दे पर सहमत है कि समुद्री संचार मार्ग खुला रखा जाए।[6]

हिन्द महासागर में भारतीय सुरक्षा का दृष्टिकोणः–

भारत की विदेश नीति के क्रमिक विकास पर सम्यक दृष्टिपात से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने बृहद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति तथा हिन्द महासागर की क्षेत्रीय राजनीति के मध्य एक सन्तुलन बनाने की कोशिश की है। इसने सार्क, हिमतक्षेस का गठन करने के साथ ही आसियान के साथ अपने संबंधों को लगातार बढ़ाया है। एशिया महाद्वीप में सामान्य स्थिति में उत्पन्न जटिलताओं को देखते हुये भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा तभी सुनिश्चित कर सकता है। जबकि न केवल उसकी सीमाओं से लगे भागों में बल्कि सारे एशिया में तनाव में शिथिलता आये, शान्ति और स्थिरता का वातावरण बना रहे। यही कारण है कि भारतीय नेता दक्षिण एशिया में तनाव बढाये जाने और हिन्द महासागर का सैन्यीकरण करने के विरोधा जाने और हिन्द महासागर का दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तथा सुदूरपूर्व में राजनीतिक नियमन लाने में सहयोग को देश की विदेश नीति के प्रमुख कार्यभारों में गिनते है।

भारतीय प्रायद्वीपीय स्थिति ने हिन्द महासागर के भू–राजनैतिक व भू–सामरिक महत्ता की और बढ़ा दिया है। महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग होने के कारण ही विश्व की बड़ी शक्तियाँ इस क्षेत्र पर नियन्त्रण स्थापित कर

न केवल अपने भू-आर्थिक व राजनीतिक हितों की पूर्ति चाह रही है। अपितु शक्ति राजनीति के माध्यम से अपने वर्चस्व व प्रभाव-वृद्धि हेतु सतत तत्पर है। अमेरिकी नौसेना के भूतपूर्व कमाण्डर एच०जे० गिम्पल का मत है कि "चूँकि विश्व का ज्यादा भाग पानी है समुद्र है इसलिए जाहिर है कि तूती उसी राष्ट्र की बोलेगी जो महासागरों पर कब्जा करने की सबसे आसान तरकीब है कि महासागरों में छितरे हुये द्वीपों पर कब्जा करके वहां सैनिक अड्डे कायम कर लेगा ताकि वक्त जरूरत कहीं भी सैनिक मदद भेजी जा सके।" हिन्द महासागर में बढ़ते सैन्यीकरण पर का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

हिन्द महासागर में शान्ति शान्ति क्षेत्र के प्रश्न का अपना इतिहास है। 1964 में यह विचार रखा गया कि इस महासागर को "शान्ति और चैन" का क्षेत्र घोषित किया जाए ऐसा प्रस्ताव काहिरा में हो रहे गुटनिरपेक्ष देशों के दूसरे सम्मेलन में श्रीलंका ने रखा था। इसलिये एशिया अफ्रिका के गुटनिरपेक्ष देशों ने इस पहल का समर्थन किया परिणाम स्वरूप, काहिरा सम्मेलन के प्रस्ताव में यह परामर्श प्रकट हुआ कि सर्वप्रथम उन महासागरों को परमाणु प्रकट हुआ कि सर्वप्रथम उन महासागरों को परमाणु अस्त्र रहित क्षेत्र घोषित किया जाए, जहां अभी भी ऐसे अस्त्र नही पहुँचे है। हिन्द महासागर में फौजी अड्डे बनाने में सम्राज्यवादी राज्यों के इरादे की सम्मेलन में भर्त्सना की गयी।[7]

भारत की "नेकलेस ऑफ डायमण्ड" रणनीतिः-

"हीरो का हार रणनीति" (नेकलेस ऑफ डायमंड स्त्रातेजी) हिन्द महासागर में पकड़ को नियंत्रित करने के लिये चीन अपनी डैट ट्रैप डिप्लोमेसी और स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स रणनीति के माध्यम से पिछले कुछ वर्षो में हिन्द महासागर में उपस्थिति बढ़ा रहा है। तथा इस रणनीति के जरिये हिन्द महासागर में अपना विस्तार कर रहा है हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन अपने जिबूती सैन्य अड्डे का आधुनिकीकरण कर रहा है। अपनी वचन ऋण नीति के माध्यम से चीन भारत के आस पास रणनीतिक रूप से स्थित देशों को ढांचागत ऋण उधार लेने का लालच देता है एक बार जब राष्ट्र ऋण ग्रस्त हो जाते है तो चीन उन पर अपने भू-रणनीतिक हितों का समर्थन करने के लिये दवाब डालता है। अपनी "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" के माध्यम से चीन हिन्द-महासागर में भारतीय पकड़ को नियंत्रित करने के लिए अपने पद चिन्हों का विस्तार कर रहा यह चटगाँव "बांग्लादेश", करांची ग्वादर बंदरगाह "पाकिस्तान" कोलम्बों हम्बनटोटा "श्री लंका" कोको द्वीप "म्यांमार" और अभी फिलहाल मालदीव में सैन्य सुविधाएं तथा रणनीतिक रूप से भारत को चारों ओर से एक घेरा बना रहा है। जवाबी कार्यवाहीं में भारत ने "हीरों का हार" रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया इस रणनीति का उद्देश्य चीन को माला पहनाना या आसान शब्दों में कहे तो जवाबी घेरा डालने की रणनीति है भारत अपने नौसैनिक अड्डों का विस्तार कर रहा है और चीन की रणनीतियों का मुकाबला करने के लिये रणनीतिक रूप से मजबूत देशों के साथ संबंध भी सुधार रहा है। भारत ने अपने सामरिक आधाारों (Strategie Base) पर मजबूती से कार्य किया है। जैसे-2018 में सिंगापुर का चांगी नेवल वेस, इण्डोनेशिया का सवांग बन्दरगाह तथा ओमान का डुकुम पोर्ट, 2015 में सेशेल्स का अज्मप्शन आइलैण्ड, 2016 ईरान का चावहार पोर्ट तथा वर्तमान में भारत मॉरिशस के अगा लेगा दीप पर अपना सैन्य आधाार बना रहा है इसके अलावा भारत

रणनीतिक सहयोग के मामलों पर अन्य देशों के संबंध व्यापक कर रहा है। जैसे–मंगोलिया, जापान वियतनाम मध्य एशिया के समस्त देश आदि देशों से बेहतर संबंधों पर कार्य कर रहा है। जिससे भारत चीन की परधि के सभी देशों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखें इससे भारत को रणनीतिक पहुँच मिलेगी और इसका पैटर्न चीन को जवाबी घेरे में पहनाते "हीरों का हार" (नेकलेस ऑफ डायमण्ड) के रूप में देखा जा सकता है।[8]

SAGAR [Security and Growth for All in the Region]

'भारत द्वारा "सागर" पहल को वर्ष 12 जनवरी 2015 में शुरू किया गया यह हिन्द महासागर क्षेत्र द्धप्व्त्ऋ के लिये भारत की रणनीतिक पहल है जिसमें "सागर" के माध्यम से भारत अपने समुद्री पडोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है। इसके अलावा भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है और हिन्द महासागर क्षेत्र में समावेशी सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना सुनिश्चित करता है। इस दृष्टिकोण के आधार पर SAGAR पहल को निम्नलिखित शर्तो पर परिभाषित किया जा सकता है:[9]

1. **सुरक्षा:** तटीय सुरक्षा में वृद्धि ताकि भूमि और समुद्री क्षेत्रों की अपेक्षाकृत आसानी से सुरक्षा की जा सके।
2. **क्षमता निर्माण:** आर्थिक व्यापार और समुद्री सुरक्षा की सुचारू सुविधा के लिये आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना।
3. **सामूहिक कार्यवाही:** प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री डकैती आतंकवाद और उभरते गैर राज्य अभिनेताओं जैसे समुद्री खतरों से निपटने के लिये सामुहिक कार्यवाहीं को बढावा देना।
4. **सतत विकास:** बेहतर सहयोग के माध्यम से सतत क्षेत्रीय विकास की दिशा में काम करना।
5. **समुद्री जुडाव:** अधिक विश्वास बनाने और समुद्री नियमों, मानदण्ड़ो और विवादों के शान्ति पूर्ण समाधान के लिये समान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे तटों से परे देशों के साथ जुड़ाव

अंत में निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि हिन्द महासागर में भारत की सुरक्षा को वर्तमान में चीन से कडी चुनौती मिल रही है और उससे उसकी "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" नीति बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। लेकिन भारत भी समय रहते उसकी इस रणनीति के विरूद्ध ठोस ओर कारगर प्रयास कर रहा है जिसका परिणाम यह हुआ कि हिन्द महासागर में दोनों राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा दिनों दिन बढ़ती जा रही है भारत भी चीन को नियंत्रित करने के लिये क्वाड संगठनों में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है इसके अलावा भारत की "नेकलेस ऑफ डायमण्ड" रणनीति भी चीन को हिन्द महासागर में रोकने में सहायक सिद्ध हो रही है जिससे कि चीन को हिन्द महासागर में सीमित और नियंत्रित किया जा सके। भारत समुद्री सुरक्षा के लिये चरम है और उभरते परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिये SAGAR और IONS जैसी पहले कर रहा है भारत न सिर्फ अपनी तट रेखा की रक्षा में बल्कि वैश्विक समुद्री स्थिरता में भी योगदान देता है सुरक्षित समुद्र का दृष्टिकोण भारत

को एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ने के लिये प्रेरित करता है जो प्रयास, अनुकूलन शीलता और सहयोग को महत्वपूर्ण बनाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः-

1. अल्फ्रेड भेमर महानः द इन्फ्लूएंश ऑफ सी पावर ऑपान हिस्ट्री
2. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंधः राम सूरत पाण्डे
3. राष्ट्रीय सुरक्षाः अशोक कुमार सिंह 6th Edition 2022
4. राष्ट्रीय सुरक्षाः डॉ० राम कृष्ण सिंह, डॉ० राकेश सिंह 2008
5. एशिया में ऊर्जा भविष्यः अमेरिका रक्षा मंत्रालय रिपोर्ट पत्रिका (2004)
6. भूमण्डलीय करण के दौर में भारतीय विदेश नीतिः राजेश मिश्रा
7. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिः डॉ० बी०एल० फाडिया, डॉ० कुलदीप फाडिया (2022)
8. वार्षिक रिपोर्टः (2005-06) रक्षा मंत्रालय भारत सरकार
9. ग्लोबल साउथ में समुद्री सुरक्षा की चुनौतीः द हिन्दू एडोटोरियल 29 नवम्बर, 2023
10. समुद्री सुरक्षा में भारत की पहलः द टाइम्स ऑफ इण्डिया एडोटोरियल, 17 अगस्त

‘सूरजमुखी अँधेरे के’

मारीषा
शोधार्थी, हिंदी विभाग, महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार

सार संक्षेप

बाल यौन शोषण पर केंद्रित उपन्यास ‘सूरजमुखी अँधेरे के’ (कृष्णा सोबती), पितृसत्तात्मक समाज की विसंगतियों, विकृतियों और उससे उत्पन्न शोषणकारी स्वरुप को बहुत ही प्रभावी तरीके से उद्घाटित करता है।
उपन्यास की नायिका ‘रतिका’ को बचपन से ही यौन शोषण का दंश झेलना पड़ता है, जिसकी त्रासद स्मृतियां एक ट्रौमा के रूप में जीवनभर उसका पीछा करती रहती है। रतिका के जीवन से जुड़ी इन अयाचित स्थितियों के सापेक्ष जिस बेबाकी से लेखिका ने स्त्री मन की पीड़ा, स्त्री-पुरुष असमानता और स्त्री विरोधी सामाजिक मूल्यों को प्रश्नाकित किया है, उससे स्त्री मुक्ति के विमर्श को नया अंजाम मिलता है।
आदर्शों की भव्यता को चाक - चाक करता अँधेरे में खिला एक सूरजमुखी !
“बाल यौन - शोषण को विषय बनाकर चला यह उपन्यास एक चेतावनी है, जिसे कोई संवेदनशील समाज अनसुना नहीं कर सकता।”

बीज शब्द- बाल यौन शोषण, पितृसत्ता, स्त्री -मुक्ति, सामाजिक वर्जना, समताबोध

रेशम की- सी नरम ठंडी मगर उष्म शैली में प्रस्तुत इस उपन्यास में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके फटे बचपन ने उसके सहज भोलेपन को असमय चाक कर दिया और उसके तन-मन के गिर्द दुश्मनी की कटीली बाड़ खीच दी। अंदर और बाहर की दोहरी दुश्मनी में जकड़ी रत्ती की लड़ाई मानवीय मन की नितांत उलझी हुई चाहत और जीवन -भरे संघर्ष का दस्तावेज है।

मित्रों मरजानी, ड़ार से बिछुड़ी और यारों के यार से अलग और आगे इस उपन्यास में कृष्णा सोबती ने गहन संवेदना के स्तर पर कलाकार की तीसरी आँख से परत- दर- परत तन - मन की साँवली प्यास को उकेरा है। आधुनिक भाव- बोध की पीठिका पर मनोविज्ञान की गूढ़तम पहेलियों को सादगी से आँक कर सोबती ने एक ऐसे वयस्क माध्यम और शिल्प की स्थापना की है जो एक साथ परंपरागत शिल्प और मूल्यों को चुनौती है। आदर्शों की भव्यता से अलग हटकर सूरजमुखी अँधेरे के यथार्थ और सत्य के निरूपण की

वह असाधारण सत्य – कथा है जिसका सत्य कभी मरता नहीं।

भारतीय समाज में नारी की परिस्थिति को उसके शरीर से जोड़कर देखे जाने की मानसिकता अनादिकाल से चली आ रही है। वैदिक काल से आधुनिक युग तक, स्त्री को उसकी जैविक बनावट के दायरे तक ही सीमित करके देखा गया। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में चूँकि स्त्री, पुरुष का उपनिवेश थी, इसलिए उससे शुद्धता और शुचिता की अपेक्षा रखी जाती थी। स्त्री की वैयकित्तका को नकार कर उसे सिर्फ एक शरीर समझे जाने का आग्रह वर्तमान युग में भी समाप्त नहीं हुआ है। स्त्री के शरीर की सुरक्षा एवं पवित्रता का भय सम्पूर्ण समाज को आक्रांत किये रहता है। राजेंद्र यादव के अनुसार, "पुरुष की अपेक्षा स्त्री अपनी देह में ज्यादा कैद है। वह अपने शरीर से ऊपर उठना या भूलना भी चाहे, तो न प्रकृति उसे ऐसा करने देगी न समाज. उसका सारा सामाजिक मूल्यांकन सबसे पहले उसके शरीर का मूल्याकंन है. 'सूरजमुखी अँधेरे के' की स्त्री रत्ती के बारे में कृष्णा जी कहतीं हैं कि – जिस सड़क का कोई किनारा नहीं –रत्ती वही है। वह आप ही अपनी सड़क का "डैड-एंड है। आखिरी छोर बहुत बार रोंदें हैं रास्ते, पर पहुँचने की मंजिल न थी. फिर भी इन राहों पर चलना अच्छा है। और भी अच्छा है इन पाँवों से चलना –उतरना नारी की परतंत्रता के प्रमुख कारणों में से एक है यौन – शुचिता का सामजिक दवाव. सामाजिक एवं आर्थिक भागीदारी के अवसर, शारीरिक पवित्रता के नष्ट हो जाने के भय से कई बार उससे छीन लिए जातें है. भारतीय सामाजिक व्यवस्था में यौन शुचिता को नारी अस्मिता का समानार्थी शब्द बना दिया गया है. स्त्री को लेकर समाज में एक ही समय में अलग-अलग धारणाएं प्रचलित रही है. कभी देवी सति माना गया है तो कभी पत्नी- पुत्री के रूप में देखा जाता है, तो कभी, नीच, कुलटा, वेश्या के नाम से संबोधित किया जाता रहा है. स्त्रीयों को कभी स्वतंत्र रूप से स्वीकार नहीं किया गया है. जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई उसे अपने कायदे के अनुरूप उसी तरफ परिभाषित कर दिया गया है। स्त्रीयों के स्वतंत्र अस्तित्व को हमेशा से नकारा गया। उसे किसी की पुत्री, पत्नी, माँ, प्रेमिका तक ही सीमित कर दिया गया। आजादी के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। हमारे संविधान में सभी नागरिक को समान आधिकार प्राप्त है अर्थात किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा एवं सम्प्रदाय के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा इसके बावजूद आज भी स्त्री इस तथाकथित सभ्य एवं आधुनिक समाज में शोषित एवं पीड़ित है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्त्री का पुरुष पर आर्थिक रूप से निर्भर होने को जाता है। साथ ही इसके मूल में उन सामाजिक शिक्षाओं को भी देखा जा सकता है, जिसके अनुसार स्त्री को समाज में सम्मान तभी प्राप्त हो सकता है जब वह माँ, बहन, पत्नी, बेटी की भूमिका में हो. स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व की परिकल्पना की थी। इन सामाजिक शिक्षाओं में मनाही है. यह सामाजिक शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों को बचपन से समान रूप से दी जाती है। इस समाजीकरण के तहत कई बार स्त्री स्वंग अपने को दोयम दर्जे का मान लेती है और अपना जीवन पुरुष के संरक्षण में चुपचाप गुजार देती है. उसके मन में इस व्यवस्था का विरोध तक पैदा नहीं होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजीकरण के तहत स्त्री के अचेतन में पुरुष की श्रेष्ठता को बिठा दिया जाता है। इस पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री हमेशा से स्त्री की आजादी पर अंकुश लगाकर उसे बंदी बनाने का प्रयास किया है। "सारे साहित्यिक और सांस्कृतिक गरिमामय शब्दजाल से पुरुष ने स्त्री की जिस एक चीज को नकारा, वह है उसकी आजादी इसलिए उसने उसे ही बाकायदा अपने आक्रमण का केंद्र बनाया।" इसी को स्पस्ट करते हुए सिमोन द बोउआर अपनी पुस्तक 'द सेकंड सेक्स' में लिखा है कि "स्त्री

पैदा नहीं होती बल्कि उसे बना दिया जाता है. 'द सेकंड सेक्स' में सिमोन आधी दुनिया की गुलामी का सवाल उठाती है। इससे पहले स्टुअर्ट मिल, दिदर्शे, मेरी बोल्सतन, फ्राफ्ट चेनिवित्स्क्य, मार्क्स, एंगल्स, बेबल आदि विद्वान ने भी स्त्री की गुलामी का सवाल और समाज में उसकी सहभागिता और समानता का सवाल उठा चुके हैं वर्तमान समय में जहाँ परिवर्तन अनवरत एवं त्रीवगति से जारी है. ऐसे समय में भी यह एक दुखद एवं विचलित कर देने वाली अवस्था है कि स्त्री का स्त्री होना आज भी उसके लिए एक विडंबनापूर्ण स्थिति है। समकालीन साहित्य में महिला कथाकारों के संदर्भ में कृष्णा सोबती जी का सृजनात्मक कार्य अधिक बेबाक और निर्भीक है। कृष्णा जी के इसी बेबाकपना के कारण कई आलोचकों ने उन पर मांसलता का आरोप लगाया है। सत्य तो यह है कि कृष्णा जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त उन तमाम मान्यताओं का बड़ी बेबाकी से पर्दाफाश करती है जिसको तथाकथित सभ्य समाज अपने भीतर बड़े ख़ूबसूरती से छिपाय हुए सभ्य होने का डंका पीटता है और इसी कड़ी में प्रस्तुत उपन्यास 'सूरजमुखी अँधेरे के' में कृष्णा जी ने रत्ती के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया है कि आदर्शों की भव्यता को रत्ती किस तरह खारिज करती है और समाज के सामने अपने प्रश्नों के माध्यम से संवाद स्थापित करती है। वे पूछती है कि आखिर ये समाज ऐसा क्यों है? तथाकथित सभ्य समाज सभ्यता के इस रंगीन चादर तले स्त्री का जीवन क्या है? न तो यह समाज इस पर बात करना चाहता है और न ही स्त्री के प्रति हो रही उन अमानवीयताओं पर उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहता है बल्कि सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, लज्जा, सम्मान के नाम पर स्त्री के अधिकारों एवं उसके मानवीय मूल्यों से जुड़े हुए प्रश्नों को निर्दयतापूर्वक कुचल देना चाहता है। 'सूरजमुखी अँधेरे के' की स्त्री प्रधान उपन्यास है। उपन्यास की कथावस्तु स्त्री समस्या केंद्रित है। जाहिर सी बात है कि उपन्यास की प्रध ान पात्र एक स्त्री ही है। इस उपन्यास के कथा के केन्द्र में 'रतिका' नाम की बालिका है, जिसे बचपन में बलात्कार की पीड़ा का शिकार होना पड़ा। "बलात्कार केवल कानून की दफा नहीं- मात्र रसभंग ही नहीं, छोटे बच्चों के अधकचरे खेल भी नहीं–अमंगल लहर की वह टूटी अनंग स्थिति है जिसे अपने चाहने से स्रोत तक लौटा पाना जन्म –जन्मान्तरों सा ही अनिश्चित है।" लेखिका ने रत्ती के माध्यम से समाज की उस अमानवीय व्यवस्था का करारा चोट किया है जिसे कोई भी संवेदनशील समाज झुठला नहीं सकता। यह वह मनोग्रंथि है जिसे सुलझाना समाज के लिए नितांत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान को विषय बनाकर लिखा गया यह उपन्यास एक संवेदनशील समाज के समक्ष अनेकों प्रश्न खड़े करता है। जिसका जवाब देना समाज के लिए कड़ी चुनौती पेश करता है। रत्ती वह कड़ी है जो समाज को यह सोचने पर विवश कर देती है कि आखिर समाज इतना असंवेदनशील है क्यों? रत्ती मासूम सी एक जवान होती लड़की है जिसके जवान होने और फिर परिपक्व होने तक की पूरी यात्रा में उसका बचपन उसके पीठ पर लदा है। उसके बचपन के किसी खास दिन का साया उसे ताउम्र उसका पीछा नहीं छोड़ता। रत्ती के साथ बचपन में बालात्कार हुआ है। यह तथ्य फटे बचपन ने उसके सहज भोलेपन को असमय चाक कर दिया और उसके तन – मन के गिर्द एक कटीली बाड़ खीच दी। अंदर और बाहर की दोहरी दुश्मनी में जकड़ी रत्ती की लड़ाई मानवीय मन की नितांत उलझी हुई चाहत और जीवन- भरे संघर्ष का दस्तावेज है। उसके बचपन में हुआ ये हादसा और उस भयानक हादसे की लाश रत्ती ताउम्र अपने कन्धों पर ढोती रहती है और उस लाश का वजन इतना अधिक है कि फिर रत्ती

कभी तनकर खड़ी नहीं हो पाती। इसलिए वह कहती है–"किससे है यह लड़ाई।"

"किसी से नहीं, रत्ती की खुद अपने से. रत्ती अच्छी लड़की नहीं, रत्ती कोई औरत नहीं वह सिर्फ गीली लकड़ी है. जब भी जलेगी, धुंआ देगी. सिर्फ धुंआ.

यह क्या है जो रत्ती को अच्छी लड़की रहने नहीं दे रहा है? क्या है जो उसके भीतर कहीं भीतर मोटी – मोटी तहों में जम गया है? वह जो उसका नहीं, वह जिसके लिए दोषी नहीं। फिर उसके लिए रत्ती दोषी कैसे हो सकती है? रत्ती अच्छी लड़की है या बुरी लड़की इस भेद को समझने से पहले ही उस पर यह सोच लाद दी गई कि अच्छे और बुरे होने के मायने क्या होते है और क्योंकि हमारे लिए ये पैमाने हम न तय करके हमारा समाज करता है। इसलिए वह ही यह तय करता है कि किस छवि के साथ कौन सा टैग चस्पा करना है।

रत्ती अपना खोया हुआ आत्मसम्मान पाने के लिए स्वयं एवं समाज दोनों स्तर पर जूझती है। उसके जीवन में कई पुरुष पात्र आतें हैं। रंजन, रोहित, ओमी, बाली और डेविड इत्यादि पुरुषों के साथ संबंध बनाती है लेकिन कोई भी सम्बन्ध उसे सम्पूर्णता प्रदान नहीं कर पाता और न ही उसे उस कुंठा एवं जकरन से मुक्त कर सम्पूर्ण औरत ही बना पाता। रीमा और केशी के पाँव की आहट रीमा के बेडरूम की ओर खो गई तो रत्ती की आँखें भर– भर बरसने लगी। चाहा कोई एक चेहरा, एक नाम याद कर किसी को पुकार सके, पर चेहरों की भीड़ जैसे 'फोकस' के बाहर की गई और वक्त का धब्बा बनाकर आँखों के सामने टंगी रही. परिणामत: रतिका जुडकर भी किसी से जुड़ नहीं पाती. अपने ही हाथों बनाई अपनी ही दीवारों में कैद उसकी आत्मा बेचौन और छटपटाती रहती है। रतिका को किसी ने नहीं पाया. रतिका वह सड़क है जिसका कोई किनारा नहीं। वह अपनी ही सड़क का आखिरी छोड़ है। रतिका न तो पुरुष की दया चाहती है, न ही उसकी हिंसा को अपने अंदर पालना चाहती है, वह अपने अतीत को भुलाकर एक सामान्य जीवन बिताना चाहती है मगर परिस्थिति उसे ऐसा करने नहीं देती है.

"केशी कहते है, रत्ती को आगे देखना चाहिए. सरकना चाहिए. रत्ती हँसने लगी. खोखली सी हँसी –

"प्यारी रीमा, मेरा 'आगे' हैं कहाँ, मुझे तो आँखों के सामने आगे– पीछे होती तस्वीर को देखना भर है बस।" रत्ती ने गिलास उठा एक घुट पानी पिया और ठन्डे सर्द गले से कहा –"मेरा कोई भविष्य नहीं, मेरे आगे कुछ नहीं।" रत्ती के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के चलते वो अब मान बैठी है कि उसका कोई भविष्य नहीं. इतने संबंधों को बदलने के वावजूद उसे किसी से भी स्थायित्व नहीं मिला। रत्ती कभी समूची औरत नहीं बन पाई। समाज ने उसे कभी समूची औरत नहीं बनने दिया। उपन्यास के दूसरे भाग में सुरंग में जिस तरह कहानी प्रवेश करती है ठीक उसी तरह रत्ती के जीवन में भी सुरंग की तरह कई खामियां उत्पन्न हो जाती है। समाज के पास जब कुछ भी नही बचता तो अंतिम हथियार के तौर पर वह महिला के चरित्र पर सीधे हमला करता है और ठीक ऐसा ही रत्ती के साथ होता है। "जाने क्या– क्या कहा करते हैं। रत्ती बुरी है। इसे लड़के पसंद हैं। इसे गिरजाघर के पीछे देखा था। मैं तो किसी से कुछ कहती नहीं हूँ असद भाई----पुरानी बात है फिर भी। बचपन में रत्ती के साथ घटी एक घटना जो मामूली हो सकती थी लेकिन उस एक घटना ने रत्ती के दिलों– दिमाग में ऐसी जगह बना ली जो ताउम्र उसके लिए कलंक हो गई। और

उसी को वे अपना नियति मान बैठी। असद भाई के द्वारा बार- बार समझाने के बाद भी रत्ती हमेशा याद रखेगी -वह एक अच्छी लड़की है। प्यारी और बहादुर ----। रत्ती कभी अपने को उस ग्रंथि से मुक्त नहीं कर पाती है। आखिरी समय में एक लड़का जिसका नाम दिवाकर है उसे सम्पूर्ण स्त्रीत्व प्रदान करता है। "रत्ती ने दिवाकर के पौरुष को चूम लिया और वक्ष पर सिर धरकर कहा -पहले कभी नहीं। तुमने मेरा शाप धो दिया है दिवाकर!" दिवाकर प्यार से रत्ती को दाबते रहे ! तापते रहे ! रत्ती ने दिवाकर के ओठों को ऐसे छुआ कि उन पर कोई अक्षर लिखती हो। रत्ती जिस दिवाकर के साथ अपना भविष्य देखती है अंततः वो भी उसे छोडकर चला जाता है। रत्ती का सम्पूर्ण जीवन एक भूल -भुलैया है जिस तरह से पुरुष पात्र उसके जीवन में आतें हैं और चले जाते है उससे रत्ती की मानसिक स्थिति और भी उलझ जाती है। वह अपने जीवन को सुलझाने का जितना भी प्रयास करती है उसका जीवन और उलझ ही जाता है। रत्ती जिस नाव पर सवार है उसे अंततः डूबना ही है। उबरने जैसा कुछ है ही नहीं। दिवाकर हँसे और कुछ देर तक हँसते रहे -

"जानती हो रतिका, तुमने अपने बारे में पूरी किताब बना रखी है। तुम्हें हर पन्ने की हर लाइन याद है। पढ़ने तक की भी जरुरत नहीं। "रत्ती को सुनना नहीं भाया रुखाई से कहा -"जिसके पास मीलों लंबा एकांत हो, वह अकेले में, अपने लिए अपने को क्यों न पढता रहेगा। दिवाकर, अकेले में कोई क्या -से- क्या हो जाता है, यह सिर्फ देखकर पता पाया नहीं जा सकता।''

रतिका अवसाद से घिरी वह लड़की है जो समाज द्वारा स्थापित मूल्य अच्छी -बुरी के जाल में इस कदर फसीं है जिससे वो आसानी से बाहर निकल सकती थी लेकिन निकल नहीं पाती है और अंततः कभी रंजन, रोहित, ओमी, बाली, डेविड, दिवाकर जैसे पुरुषों के जाल में फसकर अपना जीवन बर्बाद कर देती है। और इन सबसे उसे केवल निराशा - हताशा ही हाथ लगती है। जिस दिवाकर ने उसका हाथ थामा भी था वह भी उसे सम्पूर्णता नही प्रदान कर पाता है। रतिका ताउम्र अपना खोया हुआ आत्मसम्मान पाने के लिए संघर्ष करती रहती है। "तुम्हारे कहने से महसूस होता है दिवाकर कि जीती- जागती औरत नहीं हूँ, कोई प्रेतात्मा हूँ.''नही मालूम दिवाकर, मैं तो खोने को जानती हूँ। पाने की पहचान ही नहीं रही ...''

सिर्फ आकाश -
आकाश में घरौंदे नहीं बनते
आकाश में धरती के फूल नहीं खिलते ---
नहीं उगते तो बस नहीं उगते ---
उगते ही नहीं!
नहीं!

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सूरजमुखी अँधेरे के, सोबती कृष्णा, पृष्ठ सं.-10
2. वही, पृष्ठ सं. -16
3. वही, पृष्ठ सं.- 17

4. वही, पृष्ठ सं. –18
5. वही, पृष्ठ सं. –24
6. वही, पृष्ठ सं.–34
7. वही, पृष्ठ सं.– 49
8. वही, पृष्ठ सं.– 52
9. वही, पृष्ठ सं.– 58
10. वही, पृष्ठ सं.– 59
11. वही, पृष्ठ सं.– 60
12. वही, पृष्ठ सं. –74
13. वही, पृष्ठ सं.– 76
14. वही, पृष्ठ सं.– 83
15. वही, पृष्ठ सं.– 98
16. वही, पृष्ठ सं.– 101
17. वही, पृष्ठ सं.– 115
18. वही, पृष्ठ सं.– 121
19. वही, पृष्ठ सं.– 143
20. आजकल, फरबरी 2028 , पृष्ठ सं.– 45
21. वही, पृष्ठ सं.– 46
22. वही, पृष्ठ सं.– 47
23. वही, पृष्ठ सं.– 33
24. वही, पृष्ठ सं.– 34
25. वही, पृष्ठ सं.– 35
26, वही, पृष्ठ सं.– 35
27. जन विकल्प, ९, कृष्णा सोबती विशेषांक, पृष्ठ सं.– 46,
28. वही, पृष्ठ सं.– 47
29. वही, पृष्ठ सं.– 48
30. वही, पृष्ठ सं.– 49
31. वही, पृष्ठ सं. –50

आधुनिक संदर्भ और लोक संस्कृति : विद्यानिवास मिश्र के विशेष संदर्भ में

दीपमाला
असिस्टेंट प्रोफेसर
हिंदी विभाग - डी०एस० कॉलेज, अलीगढ।
शोधार्थी - : सी०एम०पी, कॉलेज, प्रयागराज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
शोध निर्देशक:
डॉ० सरोज सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर –, सी०एम०पी० कॉलेज, (हिंदी –विभाग)-प्रयागराज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

शोध सार:

विद्यानिवास मिश्र लोक के साधक हैं। लोक उनकी हर सांस में बसता है। लोक के कण-कण से उनको आत्मीय प्रेम है। लोक के रीति-रिवाज, परंपराएं, लोक- जीवन, लोक- संस्कृति, लोक -साहित्य, में व्यक्त मार्मिक संदेश उनके साहित्य को एक अलग पहचान देते हैं। लोक -संस्कृति मानवीय मूल्यों की संपोषक होती है। लोक -संस्कृति किसी भी राष्ट्र की जीवंतता की प्रतीक होती है। लोक -संस्कृति किसी भी देश समाज एवं जाति की अस्मिता होती है। वह लोक के आचार्य- विचार, रीति- रिवाज, धर्म, लोक- विश्वास, सामूहिकता, संवेदनशीलता को अपने अंदर संजोये रहती है। गतिशीलता, निरंतर अद्यतन होते रहने के साथ सर्वे भवंतु सुखिन:, सर्वे संतु निरामया, वसुधैव -कुटुंबकम, की मूल संवेदना को बनाए रखना लोक संस्कृति का मुख्य प्रयोजन होता है। आधुनिक संदर्भो में पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण के कारण लोग लोक -संस्कृति को पिछड़ेपन का प्रतीक मानकर उससे किनारा कर रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि हमारी संस्कृति समाप्त हुई तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। लोक-संस्कृति, लोक-साहित्य के अंतर्गत आने वाले लोकगीत मनोरंजक ढंग से मानव और मानव, मानव और प्रकृति, मानव और जीव- जंतु के परस्पर अन्योंन्याश्रित संबंध, प्रेम और सौहार्द की भावना को व्यक्त करते हैं। लोक संस्कृति, लोक -कल्याण की भावना को लेकर चलने में उपनिषदों के समान है। लोक- साहित्य व्यक्ति विशेष की संकल्पना ना होकर समग्र लोक की संवेदनाओं का अभिव्यक्त रूप होता है, तथा उपनिषदों में व्यक्त ज्ञान भी किसी एक विद्वान के न होकर अनेक चिंतकों व विचारकों के संदेश हैं जो समाज में मानवीय मूल्यों के महत्व को दर्शाते हैं। वर्तमान समय में व्याप्त पूंजीवाद ने गतवर्षों में विशेष रूप से पश्चिमी सभ्यता की अंधदौड़ से प्रभावित भारतीय जनजीवन में जो खेल दिखाया है तथा राष्ट्रीय एकता, पारिवारिक

बंधन, नैतिक व मानवीय मूल्यों तथा सामाजिक मर्यादाओं को जिस तरह से तोड़ा है। मनुष्य की सोच को संकीर्ण कर बस खुद तक सीमित कर दिया है। यह वास्तव में बहुत ही चिंताजनक है। इनके कारण वर्तमान मानव अनेक प्रकार की मानसिक व शारीरिक विसंगतियों से जूझ रहा है। इन विसंगतियों से निजात पाने का एकमात्र रास्ता है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, का संरक्षण करना जिसके बिना हम अस्तित्वविहीन रोबोट बनते जा रहे हैं। विद्यानिवास मिश्र का साहित्य-संसार आधुनिक विसंगतियों के दुष्प्रभाव व आधुनिक मानव के यन्त्रवत जीवन का आख्यान है जिसमें वह अपनी विश्व दृष्टि के साथ समग्र मानवता के प्रति सजग सचेत व संवेदनशील बने रहने की प्रेरणा देते हैं।

बीज शब्द – लोक -संस्कृति, वसुधैव -कुटुंबकम, आधुनिक, अन्योन्याश्रित, पूंजीवाद, विसंगति, संरक्षण, यंत्रवत, विश्वदृष्टि, मानवता, संवेदनशील।

विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध परंपरा में विशिष्ट स्थान है। उनके निबंधों में भारतीय-संस्कृति, लोक-संस्कृति आधुनिकता व परंपरा का ऐसा संतुलित सामंजस्य मिलता है, जिससे मनुष्य को अपनी जमीन से जुड़े रहकर विकास के शिखर पर पहुंचने की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया है, जो उनकी लोक-संस्कृति के प्रति अप्रतिम आस्था को व्यक्त करने वाला है। उनके निबंधों में लोक-संस्कृति में व्याप्त सामूहिकता, संवेदनशीलता, सहयोग, आपसी प्रेम-सौहार्द तथा भेदभाव रहित समाज का ऐसा विराट स्वरूप है, जो वर्तमान उपभोक्तावादी आडंबरपूर्ण समाज में हमें अपनी लोक-संस्कृति से हमेशा जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। लोक-संस्कृति शब्द अत्यंत व्यापक है इसके अंतर्गत लोक और लोक की जीवन शैली अभिव्याप्त है। लोक का यदि समान्य अर्थ लिया जाए तो यह जन सामान्य के लिए प्रयुक्त होता है और यदि इसमें संस्कृति शब्द जुड़ जाए तो लोक- संस्कृति का आशय है जनसाधारण की सामूहिक, सहयोगी, संवेदनात्मक जीवन शैली जिसमें समग्र को साथ लेकर चलने की संकल्पना हो। "लोक शब्द अत्यंत व्यापक है और सम है, यह ब्रह्म की ही तरह अनंत अक्षर और असीम है, जीवन का प्रतीक और जन् का पर्याय है ।लोक की सीमा केवल ग्राम या साधारण जनता तक नहीं ही नहीं है, ऐसा संकीर्ण अर्थ तो बहुत बड़ी साहित्यिक ही नहीं सामाजिक और सांस्कृतिक भूल का द्योतक है, समस्त चराचर मात्र में लोक की समीचीन अलंकृति ही परम उपादेय और मांगलिक है। लोक जीवन का समाज के स्तर पर समीकरण ही संस्कृति है। भारत में इस संस्कृति की मूलभूमि अध्यात्म अथवा आत्मोन्नति स्वीकार की गई है।"[1]

भारतीय लोक-संस्कृति ,आध्यात्मिक विकास व आस्तिकता को जीवन का मूल्य ध्येय मानती है क्योंकि यदि कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक विकास की आस्था में है तो उसे यह ज्ञात हो जाता है कि सबको इतिहास बन जाना है ।कोई भी व्यक्ति यदि समाज में सम्मान प्राप्त करता है तो अपने आचरण के कारण ही प्राप्त करता है। ष्भारतीय लोक-संस्कृति के आध्यात्मिक आधार के वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक तत्वों के परिशीलन में जिस अलौकिकता, आध्यात्मिकता और अस्तित्व का न्याय मिलता है, वही उसका अविनश्वर स्वरूप है, जीवन है। वैदिक और औपनिषदिक मानव ने जनजीवन को आध्यात्मिक जागरण की पूर्णता दी, पौराणिक और ऐतिहासिक मानव ने सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी और कृष्ण के तट पर

यज्ञ मंडपों में देवों का साक्षात्कार लाभ किया। सामाजिक जीवन इतना मर्यादित और परंपरागत हो चला कि लोक अथवा जनता में उसकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो सकी।"[2]

किसी देश की संस्कृति उस देश के लोगों की आपसी प्रेम, संवेदनशीलता, सहयोग, रीति-रिवाज परंपरा, आस्था व विश्वास को व्यक्त करती है। प्रसिद्ध मानव विज्ञान शास्त्री डॉ० डी० एन० मजूमदार ने संस्कृति को इस प्रकार परिभाषित किया है- "संस्कृति के अंतर्गत मनुष्यों की रीति-नीति, लोक-विश्वास, आदर्श, कलायें तथा मानव द्वारा उपलब्ध समस्त कौशल और योग्यताओं को लिया जा सकता है।"3

भारतीय संस्कृति, लोक-संस्कृति तथा लोकगीतों से आत्मीय जुड़ाव रखने वाले लोक-चेतना के सजग प्रहरी विद्यानिवास मिश्र संस्कृति को मानवीय मूल्यों का संपोषक मानते थे। "संस्कृति का अकेले भूगोल, अकेले इतिहास, अकेले मानव समुदाय से सरोकार नहीं होता वह इन सब में होता है और मनुष्य के मन में सदियों साथ रहने और एक-दूसरे का सुख-दुख बंटानें के कारण कुछ संस्कार पड़ते हैं, कुछ स्मृतियां तह की तह बैठती जाती है, कुछ अभिप्रेरक मूल्य घर कर जाते हैं, संस्कृति इन सब का निथरा हुआ प्रवाहशील रस है, भारतीय संस्कृति जिन मूल्यों से परिचालित होती रही है, उनके समस्त प्राणियों का कल्याण, सत्य की खोज, मुक्ति की चाह - ये यह प्रमुख है।"[4]

संस्कृति का संबंध आत्मा से है और सभ्यता वाह्य क्रियाकलाप है। संस्कृति नैतिकता की विस्तारक है और सभ्यता बौद्धिक विकास की। किसी भी समाज के समग्र विकास के लिए संस्कृति और सभ्यता दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। सभ्यता मानव मन की वाह्य प्रवृत्तिमूलक प्रेरणाओं का विकसित व साकार रूप है तथा संस्कृति मानव मन की अंतर्मुखी प्रवृत्तियों का साकार अभिव्यक्त व्यावहारिक रूप है। यदि सभ्यता को जीवन कहा जाए तो संस्कृति उस जीवन का सौन्दर्य बोध है। भारतीय संस्कृति लोक-संस्कृति, लोक-परंपरा, लोक -विश्वासों में व्यक्त मानव मात्र के कल्याण व सहयोग की भावना का विराट स्वरूप प्रस्तुत करने वाली है। आचार्य नरेंद्र देव ने संस्कृति को मानव चित्त की खेती के रूप में परिभाषित किया है। आचार्य नरेंद्र देव की परिभाषा के अनुसार - "संस्कृति मानव चित्त की खेती है इस मानव चित्त का निरंतर संस्कार होते रहना चाहिए। इस संस्कार में यह शामिल है कि अपनी सांस्कृतिक यात्रा की परतों को बार-बार उलटते-पलटते रहना चाहिए। यह उलटना पलटना ही स्मृति का पुनः आकलन है।"5

हमारे देश की संस्कृति में व्यक्ति के निजी भौतिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा लोक हित में किए गए कार्यों को ही जीवन का वास्तविक सुख माना गया है। "इस देश की संस्कृति के दो पक्ष हैं- एक तो है सनातन सत्य का उद्घोष करने वाले शास्त्र और दूसरा है उन शास्त्रों की अनुभूति द्वारा परीक्षा करने वाला और सनातन सत्य को जीने वाला परिग्रहहीन, ग्रहहीन संत समुदाय जो व्यक्ति के रूप में भर चुके है, देह के रूप में शव होते हैं वह केवल समुदाय और समुदाय के भाव होते हैं। यह संत और कुछ नहीं बटोरते, व्यक्ति मन की पीड़ा को बटोरते हैं, एक स्थान से बंधे नहीं होते इसीलिए प्रत्येक स्थान इनका होता है, अपनी निजता खोकर ये सबके हो जाते हैं।"[6]

विद्यानिवास मिश्र ने अपने साहित्य में लोक के रीति-रिवाज, परंपराओं तथा जन -विश्वासों को व्यक्त

किया है ।अपनी माटी ,अपनी भाषा ,अपने लोकगीतों से इनका इतना जुड़ाव है कि उन्होंने लोक- साहित्य के अंतर्गत आने वाले गीतों ,कहानियां तथा प्रसंगों को अपने साहित्य लेखन का विषय बनाकर लोक- संस्कृति ,लोक- साहित्य में व्यक्त विराट मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है।

लोक साहित्य में लोक- मानस के अनुभवों और जिजीविषा पर आधारित गीतों की मौखिक परंपरा होती है। जन सामान्य कि वह मौखिक अभिव्यक्ति, जिसमें वह अपनी अदम्य जिजीविषा, जीवन संघर्षों को क्षेत्रीय बोली में गीतों के रूप में अपनी भावी पीढ़ी को सौंपता है। यह अलिखित तथा व्याकरण तथा छंद के नियमों से मुक्त होता है। डॉ० रविंद्र भम्रर के शब्दों में ष्लोक साहित्य लोक- मानस की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह बहुधा अलिखित ही रहता है और अपनी मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता रहता है। लोक का प्राणी जो कुछ कहता- सुनता है उसे समूह की वाणी बनाकर और समूह में घुल मिलकर ही कहता है। संभवतः लोक साहित्य लोक-संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब भी होता है अभिजात परिष्कृत या लिखित साहित्य के प्रतिकूल लोक साहित्य परिमार्जित भाषा, शास्त्रीय रचना पद्धति और व्याकरणिक नियमों से मुक्त रहता है। लोक भाषा के माध्यम से लोक चिंता की अकृत्रिम अभिव्यक्ति लोक-संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है।"[7]

आधुनिक सन्दर्भों की यदि बात की जाये तो हिन्दी साहित्य का सातवां दशक आधुनिकता से बहुत अधिक प्रभावित रहा। आधुनिक ज्ञान - विज्ञान, प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप मनुष्य की जीवन शैली में कान्तिकारी परिवर्तन आये और ऐसा कहा जाने लगा कि अब सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और प्रत्येक क्षेत्र में तर्कवादी बौद्धिक सोच का वितंडावाद बढ़ने लगा तथा ये स्पष्ट घोषणा कर दी गयी, कि अब साहित्य, इतिहास, मिथक जैसे ज्ञान निरर्थक हैं, इनका मनुष्य के जीवन में कोई महत्व नहीं रह गया है। विकासवादी व उपभोक्तावादी सोच पर चलकर एक बिन्दु पर पहुंचकर मनुष्य ने पाया कि साहित्य, इतिहास, मिथक के अभाव में हमारा जीवन संवेदनाओं का दमन करते करते यन्त्रवत् व निरर्थक हो गया है। इस भौतिक तड़क-भड़क ने जीवन को एकांगी व नीरस बना दिया है अतः विज्ञान व तकनीकि के क्षेत्र में कितनी भी उन्नति हो जाये, मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए साहित्य, मिथक, इतिहास जैसे विषय प्राणवायु की तरह अनिवार्य बने रहेंगे और इन सबकी पूर्ति हम लोक -संस्कृति, लोकसाहित्य मिथक के माध्यम से ही कर सकते हैं। लोकसाहित्य, लोक संस्कति का अध्ययन, चिंतन-मनन मनुष्य में संवेदनशीलता व सहयोग की भावना विकसित करता है।" लोक साहित्य का रचयिता कोई व्यक्ति नहीं हुआ करता वह एक विशिष्ट समूह होता है, जो सामूहिक आकांक्षाओं के घनीभूत होते ही गीतों, उक्तियों, कथाओं में फूट पड़ता है। वैसे

तो मान लेना चाहिए कि किसी भी गीत, कथा या उक्ति का प्रथम दर्शन किसी व्यक्ति को हुआ होगा, पर उस व्यक्ति ने अपने को अपने तक इस नए साक्षात्कार को सीमित ना करके इसे अपने सामूहिकता की संपत्ति बना देने के लिए उतावला हो गया होगा। समूह ने मिलकर उसे अपने और अनुभवों का रंग देकर बिल्कुल विलग अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर दिया होगा। इस अभिव्यक्ति के पीछे न केवल अनेक व्यक्तियों का अनुभव और कल्पना का परिष्कार है बल्कि अनेक कंठो का स्वर मेल भी है।"[8]

लोक साहित्य जनमानस की सीधी, सरल, अनगढ़ ,क्षेत्रीय बोली में लोकमानस की मौखिक अभिव्यक्ति

होती है ,इसमें शब्दों का गठन इतना सुनिश्चित होता है कि यदि उसमें थोड़ा सा भी हेर फेर किया जाए तो लोक साहित्य का प्रवाह और अभिव्यक्ति बाधित होने लगती है। ष्लोक साहित्य की सहजता का कारण उसका अशिक्षित जनता में प्रचार या अशिक्षित जनता द्वारा रचा जाना नहीं, बल्कि उसकी सहजकता का मर्म है, उसकी लोककंठ द्वारा स्वीकृति, उसकी कसौटी है लोगों की लय मिला देना, उसे अलंकार की परवाह नहीं, उसे चिंता है समतालता की और इसीलिए उसकी चिर नवीनता सुरक्षित है। वह पुनरुक्ति से नहीं डरती बल्कि पुनरुक्ति उसे उल्टे बल प्रदान करती है और अधिक बल प्रदान करती है। शब्द की तो बात ही क्या पंक्ति की पंक्ति दोहराई जाती है कि दोहराए जाने के कारण वह और अधिक अर्थवती हो जाए।"[9]

लोक साहित्य को यदि गद्य और पद्य के रूप में बांटा जाए तो गद्य के अंतर्गत लोक कथा ही एक मात्र विधा है और पद्य के अंतर्गत लोकगीत, लोकगाथा लोकनाट्य, प्रकीर्ण साहित्य जैसी विधाएं आती है।

लोकगीत जनमानस की वह सामूहिक मौखिक अभिव्यक्ति है जिसमें वह गीतों के माध्यम से लोककंठ से अपने जीवन- संघर्ष, आनंद- उल्लास, सुख- दुख, राग -विराग, इन सबमें अविचलित रहते हुए धैर्य के साथ जीवनपथ पर कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा अपनी भावी पीढ़ी को सौपते है। "लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है इसका रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक को समर्पित कर देता है।"[10]

लोकगाथा में किसी भी चरित्र नायक के जीवन की वीरतापूर्ण मार्मिक घटना को गीत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। "यह शब्द लोक -साहित्य में अंग्रेजी की 'बेलेड' शब्द के पर्याय के रूप में गृहीत हुआ है। 'बेलेड' शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है- नाचना। पहले 'बेलेड' गीत गाते समय नृत्य होता था बाद में इसमें से नृत्य लुप्त हो गया और कथात्मक गीतों को 'बेलेड' कहां जाने लगा।"[11]

लोकनाट्य में धार्मिक ग्रंथो तथा लोक में प्रचलित कथाओं में गीतात्मक संवाद तथा अभिनय के माध्यम से मनोरंजक ढंग से जीवन संदेशों को व्यक्त किया जाता है।

"अनेक रोचक कथानकों पर आधारित गीत नाट्य लोक साहित्य की अमर ख्याति है इस प्रकार विभिन्न पात्रों के माध्यम से गीतात्मक संवाद प्रस्तुत करके लोकनाट्य खेले जाते हैं और एक विशाल जन समूह का मनोरंजन करते हैं।"[12]

लोककथा, लोक में प्रचलित मौखिक कथाओं को जिनको प्रायः बचपन में हम बाबा-दादी, नाना-नानी, माता-पिता या अन्य सदस्यों से सुनते हैं जिनमें कल्पना तत्व के साथ-साथ मूल कथ्य जीवन संदेशों को व्यक्त किया जाता है। जैसे- विक्रम बैताल की कहानी, रानी सारंगा की कथा, सदाबृज की कथा इत्यादि।

लोक साहित्य में प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत स्फुट सुभाषित, कहावतें, लोकोक्तियां- मुहावरे, खेल के गीत, पहेलियां आदि आते हैं।

लोक साहित्य के अंतर्गत आने वाली उपर्युक्त इन सभी विधाओं का उद्देश्य सामूहिकता व सहयोग की भावना को बनाए रखना है। "लोक-साहित्य का प्रयोजन लोक का ही मंगल, लोक का ही सुख-दुख निवारण,

लोक के ही उत्सव, लोक की ही आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। वेद के मंत्रों की ही तरह प्रत्येक लोकगीत का एक विशिष्ट विनियोग होता है और इसीलिए सर्वोत्कृष्ट लोक साहित्य ,संस्कारगीत हमारी प्रत्येक धार्मिक विधि के अनिवार्य अंग बन गए हैं। लोक मानस का सबसे अधिक उदात्तीकरण हमें लोकगीतों में मिलता है।"[13]

विद्यानिवास मिश्र लोक के अनन्य उपासक हैं। लोक उनकी हर सांस में बसता है। लोक के कण–कण से उनको आत्मीय प्रेम है। लोक के रीति–रिवाज, परंपराएं, लोक–जीवन, लोक–साहित्य, लोक संस्कृति में अभिव्यक्त मार्मिक संदेश उनके साहित्य को एक विशिष्ट पहचान देते हैं। अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से उनको इतना लगाव है कि देश–विदेश कहीं भी रहे हों, उनको भारतीय भोजन,भारतीय परिधान पर गर्व था और यह गर्व उनके पहनावे, खान–पान, व्यक्तित्व, साहित्य लेखन में अपने गांव, अपनी संस्कृति, अपने देश के प्रति आत्मीय प्रेम के रूप में छलक ही पड़ता है। लोक –संस्कृति, लोक जीवन, लोक– साहित्य, लोकगीत लोक परंपराओं को हम उनके साहित्य सृजन में देख सकते हैं। लोक साहित्य समाज में मौखिक परंपरा की रूप में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को सौंपी जाती है इस विश्वास के साथ कि लोक साहित्य में अभिव्यक्त इन मार्मिक संदेशों से हमारी भावी पीढ़ी एक समग्र संतुलित जीवन जीने का संदेश प्राप्त करेगी तथा जीवन की विषम परिस्थितियों में भी वह धैर्य के साथ जिजीविषा को बनाए रखेगी तथा परिस्थितियों कैसी भी हो हमारी भावी पीढ़ी का प्रत्येक निर्णय विवेकयुक्त होगा।

भारतीय पर्व, त्योहार, मेले सब भारतीय संस्कृति की वसुधैव –कुटुंबकम, की भावना को व्यावहारिक रूप में परिपुष्ट करते हैं। इस पर्व –त्योहारों, मेलों में ऊंच –नीच, जात–पात का भेदभाव भुलाकर सभी लोग सहज आत्मीय भाव से एक दूसरे से मिलते हैं, साथ चलते हैं, गीत गाते हैं और मानव मात्र समान की संकल्पना को साकार करते हैं। "कुंभ पर्व एक बड़ा लक्ष्य एकता का दर्शन है, यह एकता कोई ठोस, जड़ या सिद्ध पदार्थ नहीं, यह एकता भी एक तरल प्रक्रिया है। बर्फ और जल एक है यह पहचान बर्फ के पिघलने पर ही तो होती है।"[14]

भारतीय रीति–रिवाज त्योहारों के प्रति आधुनिक मानव के घटते उल्लास को देखकर विद्यानिवास मिश्र का मन चिंतित हो जाता है। उन्होंने प्राय: अपने सभी निबंधों में भारतीय संस्कृति को आधुनिक समय में विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित बताया है। पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण के कारण हमारी वर्तमान पीढ़ी में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जो आत्मघाती उदासीनता और उपेक्षा वृति उपजी है। उससे उनको बहुत खीझ होती है, जिसे हम उनके सांस्कृतिक निबंधों में देख सकते हैं। उनके निबंध संग्रह 'बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं' के प्राय: सभी निबंधों में सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने से संबंधित चिंतन हम देख सकते हैं। उनका विचार है कि हमें आधुनिक जीवन के प्रति जागरूक रहते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत सर्वे भवन्तु सुखिन:........ के संकल्पना को व्यवहार में लाना चाहिए। "बसंत का उत्साह जितना बूढ़ो में है, उतना तरुणों में नहीं, जितनी निर्मम तटस्थता तरुणों में है, उतनी बूढ़ो में नहीं। बूढ़े गले में ढोल बांधें चिल्लाते हैं 'शिव शंकर' खेले फाग गौरा संग लिए और जवान खिड़कियां दरवाजे बंद कर घरों में पड़े रहते हैं मुझे चौन से रहने दो'।"[15]

अपनी भाषा, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की चिंता हम उनके निबंधों में प्राय: देख सकते हैं। उन्होंने विज्ञान व तकनीकि दृष्टि से बढ़ने के साथ–साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने की विचारधारा को सर्वोपरि

माना है, क्योंकि यदि किसी राष्ट्र की भाषा और संस्कृति नष्ट हो गए तो राष्ट्र की अस्मिता भी सुरक्षित नहीं रह सकती। राष्ट्रभाषा हिंदी जिसने स्वतंत्रता पूर्व लोगों को जोड़ने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, हिंदी साहित्य की कितनी रचनाएं देश- प्रेम की भावना के कारण अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई, लेकिन हमारे साहित्यकारों ने आजादी की मशाल जलाए ही रखी, कभी हार नहीं मानी, जेल यात्राएं की तथा जेल यात्राओं में भी उन्होंने देशभक्तिपूर्ण रचनाएं लिखना बंद नहीं किया। उस हिंदी भाषा को जब अपने ही आगंन में किसी विदेशी भाषा से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है,तो स्थिति बहुत ही विचारणीय हो जाती है। "अंग्रेजी भारतीय बौद्धिक विकास के लिए गलफांसी के समान है। तकनीकि प्रगति को जो लोग एकान्तिक महत्व देते हैं और यह तर्क देते हैं कि यह सारी किताबें अंग्रेजी में ही उपलब्ध है, वे भूल जाते हैं कि तकनीकि प्रगति का मूल आधार शुद्ध विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक चिंतन है और वह चिंतन जितने मूल रुप में अपनी भाषा में संभव है उतने मुक्त रूप में आरोपित भाषा में कभी नहीं। दूसरी भाषा का ज्ञान केवल ग्रहण के स्तर तक सीमित रहे तो ठीक रहता है, प्रयोग स्तर पर उसको स्वीकार करने का अर्थ ही होता है, अपनी अभिव्यक्ति को दुपचट में डालना, वह ना अपनी रहती है ना परायी।"[16]

इसलिए हिंदी भाषा को संपूर्ण देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा की निश्चित स्थिति पर विराजमान करने के लिए आवश्यक है कि हिंदी भाषा का प्रयोग, प्रचार व व्यवहार भी हो। "इसीलिए अंग्रेजी का सिंहासन से तुरंत हटाना जरूरी है, भारतीय भाषाओं का विवाद अंग्रेजी परस्तों द्वारा पैदा किया गया है। हिंदुस्तान का चिंतन चार नस्लो के चार भाषा परिवारों की कल्पना को कभी भी स्वीकार नहीं करता। आज द्रविड़-आर्य भेद की बात इतनी गहराई में चली गई है, इसके जनक है, भारतीय बुद्धिजीवियों के आराध्य, पश्चिम के प्राच्यविद्याविशारद भारत के हितैषी साम्राज्यवादी नौकरशाह तथा कथित विद्वान।"[17]

इसलिए हमें हिंदी भाषा को लेकर शर्म या हीनभावना मन में ना लाकर बल्कि अपनी मातृभाषा हिंदी, जिसने हमें जोड़कर रखा, आजादी दिलायी, उस पर हमे गर्व करना चाहिए तथा सिर माथे चढ़ाना चाहिए, यह हमारी मां के समान सर्वथा सम्माननीय है। "आज हमें निर्णय लेना है कि हम अपने देश की तरुण प्रतिभा को निर्माण की ओर उन्मुख करें या अंग्रेजी की दासता में घुटकर मर जाने दे।"[18]

विद्यानिवास मिश्र विज्ञान और तकनीकि के संतुलित प्रयोग की बात करते हैं जिससे विज्ञान हमारे लिए हमेशा वरदान बना रहे, क्योंकि पर्यावरणीय समस्याएं किसी देश, जाति, धर्म की सीमाओं से बंधी नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरे की सूचक हैं। कोई बीमारी, महामारी, प्राकृतिक आपदा देश, जाति और धर्म की सीमाओं को देखकर नहीं आती ,इससे बहुत अधिक संख्या में निर्दोष लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रकृति को विजित करने की सोच को प्रकृति ही कभी सच नहीं होने देती है। वह मनुष्य और प्रकृति के संतुलित सहसंबंध को ही स्वीकार करती है। भारतीय संस्कृति, लोक संस्कृति में प्राकृतिक शक्तियों को सर्व शक्तिशाली मानकर पूजा-अर्चना द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन का भाव रहता है। वेदों में प्राकृतिक शक्तियों सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी, पर्वत, वायु, धरती, आकाश, वृक्षों से संबंधित ऋचाएं है। "भारतीय संस्कृति पर्यावरण की चिंता नहीं करती, वह स्नेह-दीक्षा की चिंता करती है, जो उसने ली है, खुले आकाश से, सूर्योदय से, वर्षा से, भीगी धरती से और घर बाहर को आलोकित करने वाली दीपशिखा से, राम-राग की टेर से रमा, सब में रमा

राम के जप से, पूरे परिवेश के साथ मनुष्य का विगलित तादात्म्य अपने आप ही पर्यावरण की सुरक्षा है।"[19]

वर्तमान में आधुनिक होने के लिए अपनी संस्कृति व परंपरा का तिरस्कार करना ही वैज्ञानिकता व आध ुनिकता का पर्याय बनता जा रहा है। ऐसी सोच हमारे मस्तिष्क में उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण विकसित हुई। हम यंत्रवत केवल अपने क्षणिक लाभ के लिए अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण, भावी –पीढ़ी के लिए संसाधन, सबको दांव पर लगाकर अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। मनुष्य को प्रकृति का नियंता मानने वाली सोच अनियोजित व विवेक रहित विकास को बढ़ावा देने वाली है, इसलिए विज्ञान का वही स्वरूप ग्राह्य है जो मानव और प्रकृति के प्रत्येक अवयव को समान रूप से महत्वपूर्ण माने क्योंकि विज्ञान और तकनीकि मानव के लिए है ना कि मानव विज्ञान और तकनीक के लिए। "तकनीकि हमेशा रही है और रहेगी उसे रोका नहीं जा सकता है, मनुष्य की यात्रा जहां आगे जाती है, उसे पीछे नहीं ले जाया जा सकता। हमे अपने जीवन जीवन क्रम को इस रूप में बदल सकने की आवश्यकता नहीं है, हां उस तकनीकि यंत्र जाल के प्रति हमारा मनोभाव कैसा हो, विचारणीय है और यही हमारे मानव विवेक की भूमिका है। वह तकनीकि यंत्र जाल हमारे जीवन रस को सुखाने वाला है। ऐसा है कि हमारे जीवन क्रम को ऐसे नियंत्रण में लेने वाला है कि हम विवश हो जाएं। हम पंगु हो जाए, तो किस काम का यह तंत्रजाल। ऐसी सुविधा किस काम की जब हम मनोरंजन भी एक यंत्र की तरह से करते हैं कि आपको अमुक दिन मनोरंजन के लिए निकलना है।"[20]

यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हम विज्ञान व तकनीकि को किस रूप में ले। विज्ञान व तकनीकि का प्रयोग संवेदन शून्य होकर ना करें कि बस अधिक से अधिक लाभ लेना है। ष्इन सब चीजों को देखते हुए सामान्य बुद्धि के बल पर यह कहा जा सकता है कि हम विकास के बारे में एक नई दृष्टि से सोचे और विज्ञान को मूल्यो से तटस्थ बनाकर ना सोचे प्रायः हमने मान लिया है कि विज्ञान मूल्यों से तटस्थ हैं।"[21]

विज्ञान संवेदनाओं से रहित मात्र बुद्धि का विषय नहीं है क्योंकि विज्ञान व तकनीकि मानव हित में ही कार्य करते हैं इसीलिए विज्ञान भी संवेदनाओं से इतर नहीं है और साहित्य का विरोधी भी नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण ही है। "यही विज्ञान के संदर्भ में हिंदी की बात आती है। कोई भी भाषा अपनी संस्कृति से अपनी सोच से अलग नहीं होती है। जिस क्षण आप हिंदी में सोचते हैं, जिस क्षण आप कबीर तुलसीदास की भाषा में सोचते हैं, जिस क्षण आप हिंदी में ही क्यों मराठी या अन्य देशी भाषा में सोचते हैं तो आप नामदेव की भाषा से अलग करके नहीं सोच सकते क्योंकि हमारा सोचने का जो चौखटा है वह इन भाषाओं में समृद्ध कवियों का दिया हुआ चौखटा है। उस चौखटा में आप एक विश्व दृष्टि है और वह विश्व दृष्टि अगर आपके पास है और तमाम पश्चिमी साहित्य पढ़ने के बावजूद है, तो निश्चय ही जब कुल भाषाओं में आप सोचेंगे तो आप पश्चिम से अलग तरीके से सोचेंगे। सोचते ही आपको विज्ञान की नई दृष्टि मिलेगी। विज्ञान के प्रति आपका अर्पण भाव दूसरे प्रकार का होगा। गणित के प्रति अर्पण भाव दूसरे प्रकार का होगा और आप इसको सत्य का साधन नहीं मानेंगे। इसको मानेंगे एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व निर्माण का साधन, चेतना की एक विशेष प्रकार के परिष्कार का साधन, जिसमें मनुष्य सहज हो जाता है और उसे संसार का साधारणीकरण प्रत्यक्ष होने लगता है। इसलिए इन भाषाओं में जब आप कार्य करेंगे, मौलिक रूप में से काम करेंगे, सोचेंगे, लड़खड़ायेंगे तो लड़खड़ाना भी आपकी एक गति होगी। ओढ़ी हुई चलाई हुई गति

नहीं होगी। अपने-आप लड़खड़ाये, गिरेगे उठेगे चलेंगे, गति आप की होगी तो निश्चित ही आपको अपने गंतव्य की सही पहचान होगी।"[22]

वर्तमान परिवेश में पाश्चात्य सभ्यता की अंधभक्ति के कारण लोक संस्कृति को पिछड़ेपन का प्रतीक मानकर उससे किनारा कर रहे हैं। लोक- संस्कृति लोक -साहित्य के अंतर्गत आने वाले गीत लोकगीत मनोरंजक ढंग से मानव और मानव, मानव और प्रकृति, मानव और जीव-जंतु के आपसी प्रेम सौहार्द, साझेदारी, संतुलन को व्यक्त करते हैं, "इसलिए यह कहना कि लोक संस्कृति का समय चला गया अब उसके लिए कोई स्थान जीवन में नहीं है, अपने ऊर्जा स्रोत को काट कर रख देना है - और यह एक जीवन्त संस्कृति के लिए शुभ नहीं है। गनीमत है कि अभी हिंदुस्तान में आवरणों का घेरा इतना प्रबल नहीं है कि वह अपने सहज भाव को कभी-कभी ही सही स्मरण न करें। यह अवश्य है कि स्मरण मो मोहासक्ति रूप में नहीं होना चाहिए, स्मरण अपने संकल्प की पुनर्नवीकरण के रूप में होना चाहिए। यह संकल्प है मनुष्य का लोक से आलोकमय होने का।"[24]

विद्यानिवास मिश्र ने लोक -संस्कृति, लोकगीतों में व्यक्त ज्ञान को लोक- संवेदना की उपज माना है। यह ज्ञान व्यक्ति विशेष की संकल्पना ना होकर समग्र लोक की संवेदनाओं का अभिव्यक्त रूप होता है तथा उपनिषद में व्यक्त ज्ञान भी किसी एक विद्वान के न होकर अनेक विद्वानों, अनेक चिंतकों के व विचारकों के संदेश है जो स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए अनिवार्य है। "उपनिषद भी एक व्यक्ति की रचना नहीं वरन् नाना प्रकार के विचारकों के चिंतन और मनन में सहभागी सहज जीवन बिताने वाले समाज द्वारा सत्य का साक्षात्कार है और लोक साहित्य भी निरंतर कर्मशील लोक जीवन की चरम सामूहिक उपलब्धि है। बात कुछ अटपटी लगेगी पर उपनिषद और लोक साहित्य का मूल स्वर इस माने में एक है कि सहज सत्य की उपलब्धि के लिए दोनों में समान रूप से बेचैनी है"[25]

'**परंपरा :** आधुनिक भारतीय संदर्भश नामक निबंध में उन्होंने आधुनिक समय में हर परंपरा को पिछड़ेपन का प्रतीक मानने वाली सोच पर दु:ख व्यक्त किया है। व्यक्ति परंपरा पर सवाल जवाब करें उसके गुण दोष के बारे में चर्चा करें तो उन दुविधाग्रस्त प्रश्नों का निराकरण हो। उन्हें और संशोधित परिष्कृत किया जाए किसी न किसी रूप में व्यक्ति परंपरा से जुड़ा रहे। यदि किसी परंपरा के विषय में कोई विसंगति हो तो उसे दूर किया जाए पर परंपरा को पिछड़पन मानकर त्याग देना उचित नहीं है। परंपरा को तोड़कर हम एकांगी जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे हमारा दायरा निरंतर संकीर्ण होता जा रहा है तथा हमें विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक विकृतियों का सामना करना पड़ रहा है। ष्परंपरा शब्द धीरे-धीरे बुद्धिजीवी लोगों के बीच वर्जित होता जा रहा है। मैं यह समझता हूं, यह एक खतरनाक स्थिति है। परंपरा का खंडन एक अलग बात है क्योंकि उस खंडन से ही परंपरा का विकास होता है परंतु परंपरा को नकारना एक दूसरी ही स्थिति है, जो चिंतन और सर्जन में खोखलेपन और परायेपन को जन्म देती है।"[26]

विद्यानिवास मिश्र को अपनी लोक -संस्कृति, लोक साहित्य व लोकगीतों में इतना आत्मीय जुड़ाव है कि उन्होंने लोकगीतों की पंक्तियों को प्रसंगवश अपने निबंधों में व्यक्त किया है तथा उन पंक्तियों में व्यक्त मानवता के संदेशों का व्याख्यायित भी किया है। "वे बताते हैं कि लोकगीत माधुर्य, उल्लास और संवेदना के अक्षय

स्रोत आदिम युग से इसलिए रहे हैं, क्योंकि समाज उनमें स्वयं को अभिव्यक्त करता रहा है। लोक संगीत में उल्लास की जो अनंत संभावनाएं हैं उसके कारण या सदैव से लोगों के मन को आकृष्ट करना रहा है। यह समृद्धि वाचिक परंपरा एक ओर तो वेदों की भांति अपौरुषेय और शाश्वत है, पारंपरिक है। दूसरी ओर उसमें समय की प्रवाह को पहचानने और उसके अनुरूप परिवर्तन ग्रहण करते समय स्वयं को ढालने की क्षमता है।"[27]

विद्यानिवास मिश्र लोक साहित्य, लोकनाट्य एवं लोकगीतों को मनोरंजन के साथ-साथ एक लोक व्यवहार का दर्पण भी मानते थे। उनका मानना था कि लोक साहित्य का रचयिता अपनी वाणी को अपने अनुभव को लोक की संवेदना का माध्यम बनाता है, लोकानुभव को लोक कंठ से व्यक्त करता है। "उनकी दृष्टि में लोक साहित्य के रचयिता अचेतन कलाकार हैं। उन्हें दुःख का ज्ञान और अनुभव है पर सुख की लालसा उनकी मुट्ठी में बंधी है। उनकी मंगलकामना अप्रतिहत है। बाबुल के नीचे मंडप छाने वाले, अभावों के घर में दूध -दही की नहरे बहाने वाले, धूल और गंदगी के बीच काल्पनिक चंदन का छिड़काव और दुर्व्यवहार करने वाले वाली सास -ननद को भी पुत्र जन्मोत्सव के उल्लास में उदारतापूर्वक नेग देने का संकल्प इस लोक ने ही सुरक्षित रखा है। विश्व में जो कहीं नहीं मिलता वह भाई-बहन का निश्छल प्रेम केवल इन लोकगीतों में ही मिलता है। उनके अनुसार इन लोकगीतों की सारी मौलिकता इनका विद्वजनों द्वारा अनछुआपन है। विद्वान जब भी लिखेगा संवारकर मांजकर लिखेगा, पर अनपढ़ आदमी अपनी बात सहजता के साथ मर्म के साथ छूकर कहेगा।"[28]

निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि लोक संस्कृति व लोक साहित्य का उद्देश्य होता है जनमानस के सुख-दुख संघर्षों के बीच अदम्य जिजीविषा व विवेकपूर्ण निर्णयों की लोककंठ से मौखिक अभिव्यक्ति को हमारी भावी पीढ़ी को सौंपना जिससे वह अपने जीवन पथ पर मानवीय मूल्यों को संपोषित करते हुए आगे बढ़ती रहे। लोक- संस्कृति किसी भी देश समाज एवं जाति की आत्मा होती है। वह अपने भीतर लोक के आचार विचार, रीति-रिवाज, धर्म लोक विश्वासों को संजोए रहती है। गतिशीलता, निरंतर अद्यतन होते रहने की प्रवृत्ति, समृद्धि, संस्कार मंगलाकांक्षा और वंसुधैव कुटुम्बकम की भावना लोक- संस्कृति की मूल संवेदना होती है। वर्तमान समय में व्याप्त पूंजीवाद ने गत वर्षों में विशेष रूप से पश्चिमी सभ्यता के अंध दौड़ में प्रभावित भारतीय जनजीवन में जो खेल दिखाया है और राष्ट्रीय एकता, पारिवारिक बंधन, नैतिक व मानवीय मूल्यों तथा, सामाजिक मर्यादाओं को जिस तरह तोड़ा है उससे निजात पाने का एकमात्र रास्ता है अपनी संस्कृति अपनी भाषा का संरक्षण करना। जिसके बिना हम अस्तित्व विहीन रोबोट बनते जा रहे हैं। विद्यानिवास मिश्र का साहित्य -संसार आधुनिक विसंगतियों के दुष्प्रभाव व कारण और आधुनिक मानव के यंत्रवत जीवन का आख्यान है जिसमें वे अपनी विश्व दृष्टि के साथ समग्र मानवता के प्रति सजग सचेत व संवेदनशील बने रहने की प्रेरणा देते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सम्मेलन पत्रिका- लोक संस्कृति विशेषांक (1995) हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, पृ० सं० 86.
2. वहीं पृ० सं० 87
3. कृष्णदेव उपाध्याय – लोक संस्कृति की रूपरेखा (2001) लोक भारती प्रकाशन, प्रयागराज, पृ० सं० 11.

4. विद्यानिवास मिश्र – स्वरूप विमर्श (2016) भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० सं० 52.
5. विद्यानिवास मिश्र – नदी, नारी और संस्कृति (2015) प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पृ० सं० 28.
6. विद्यानिवास मिश्र – शेफाली झर रही है (1997) वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० सं० 45.
7. श्रीराम शर्मा – लोक साहित्य : सिद्धांत और प्रयोग (2020) श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृ० सं० 15.
8. विद्यानिवास मिश्र : साहित्य की चेतना (1967) विंध्याचल प्रकाशन, छतरपुर, मध्य प्रदेश पृ० सं० 34 – 35.
9. वहीं पृ० सं० 39.
10. श्रीराम शर्मा – लोक साहित्य : सिद्धांत और प्रयोग (2020) श्री विनोद प्रकाशन पुस्तक मंदिर, आगरा पृ० सं० 39.
11. वहीं पृ० सं० 39.
12. वहीं पृ० सं० 43.
13. विद्यानिवास मिश्र – साहित्य की चेतना (1967) विंध्याचल प्रकाशन- छतरपुर, मध्य प्रदेश पृ० सं० 36.
14. विद्यानिवास मिश्र – शेफाली झर रही है (1997) वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० सं० 45.
15. विद्यानिवास मिश्र – बसंत आ गया, पर कोई उत्कण्ठा नहीं (2002) लोक भारतीय प्रकाशन, प्रयागराज, पृ० सं० 92.
16. वहीं पृ० सं० 43.
17. वहीं पृ० सं० 45.
18. वहीं पृ० सं० 45.
19. विद्यानिवास मिश्र – भारतीयता की पहचान (1994) वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० सं० 56.
20. वहीं पृ० सं० 62.
21. वहीं पृ० सं० 65.
22. वहीं पृ० सं० 65.
23. वहीं पृ० सं० 65.
24. वहीं पृ० सं० 97.
25. वहीं पृ० सं० 97.
26. विद्यानिवास मिश्र – बसंत आ गया, पर कोई उत्कंठा नहीं (2002) लोक भारती प्रकाशन, प्रयागराज, पृ० सं० 13.
27. डॉ० एस० के० पाण्डेय – संस्कृति पुरुष : विद्यानिवास मिश्र (2009) हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयागराज, पृ० सं० 180.
28. वहीं पृ० सं 180.

भारत-पाकिस्तान संबंध - एक अध्ययन

डॉ० विरेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

सारांश

भारत–पाकिस्तान संबंधों का जन्म ही शत्रुतापूर्ण वातावरण में हुआ जिसका प्रभाव दक्षिण एशिया पर भी पड़ा। जब भारत 15 अगस्त 1947 ई० को अंग्रेजों की दासता से स्वतंत्र हुआ तो वह विकास व समृद्धि के पथ पर अग्रसर होना चाहता था किन्तु पाकिस्तान की घृणा, लालच व अविश्वास के कारण अक्टूबर 1947 को ही एक युद्ध का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1965 व 1971 में युद्ध तथा 1999 में कारगिल संघर्ष भी हुआ। भारत के 18 मई, 1974 के प्रथम परमाणु परीक्षण पर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फीकार अली भुट्टों ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुये वक्त्व्य दिया कि– ईसाई, यहूदी और हिन्दू कौमों के पास परमाणु बम हैं, साम्यवादी ताकतों के पास भी यह है। सिर्फ मुस्लिम सभ्यता ही इससे महरूम है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि– दक्षिण एशिया में कश्मीर के मसलें पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सम्भव है। 26 मई, 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने अपने सभी पड़ोसी राष्ट्र व सार्क सहयोगियों को आमंत्रित किया। भारत पाकिस्तान को पुनः सम्बन्धों को सुधारने के प्रयास करने चाहिए। दोनों राष्ट्रों को यह समझना चाहिए कि पहले ऐसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाया जाये जिनमें असहमति नहीं है। भारत–पाकिस्तान के मधुर एवं सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों का सम्पूर्ण दक्षिण एशिया को लाभ होगा।

प्रस्तावना

भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के दो ऐसे सहोदर पड़ोसी है जिनके पारस्परिक संबंधों के स्वरूप से कूटनीतिक परिदृश्य प्रभावित होते रहे हैं। द्वि–राष्ट्र सिद्धान्त, घृणा और अविश्वास के मूलभूत आधारों पर निर्मित पाकिस्तान अपने जन्म से ही भारत विरोधी नीतियों के कारण भारतीय विदेश नीति के लिए गम्भीर चुनौती रहा हैं। भारत–पाकिस्तान सम्बन्धों का इतिहास असहमति की बाढ़ एवं सहमति के अकाल की परछाई है। सम्बन्धों का विकास एक कदम आगे एवं दो कदम पीछे के रूप में हुआ है।[1] यह सर्वविदित है कि 14 अगस्त 1947 से पूर्व पाकिस्तान नाम का कोई राष्ट्र विश्व मानचित्र पटल पर नहीं था। ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों की 'फूट डालो शासन करो' की नीति के परिणामस्वरूप भारत केवल भौगोलिक रूप से ही विभाजित नहीं

हुआ, बल्कि उससे पूर्व मानसिक तौर पर गहरे मतभेद पैदा कर दिये गये जिसके फलस्वरूप हिन्दुस्तान के तीन टुकड़े हो गये। समसामयिक विश्व में एक ही भौगोलिक इकाई के दो राष्ट्रों में विभाजित होने पर उन दोनों राष्ट्रों के मध्य परस्पर तीव्र राजनीतिक, स्त्रातेजिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरोध एवं संघर्ष रहा है। कोरिया, वियतनाम, जर्मनी, फिलिस्तीन आदि राष्ट्र भी इसके उपर्युक्त उदाहरण है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन एक ही भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं प्रतिरक्षा इकाई का विभाजन है। जिसके परिणामस्वरूप स्वाभाविक विसंगतियों, त्रुटियों एवं अनौचित्यों का प्रादुर्भाव हुआ।[2]

पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि उसकी तीन जीवन रेखायें हैं – 'आर्मी, अल्लाह और अमेरिका।' वर्तमान में परिवर्तितरूप – 'मुल्ला, मलिक और मिलिट्री'

सम्बन्धों की स्थिति

वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य से पूर्व हम अमेरिका में 11 सितम्बर 2001 में हुये आतंकवादी हमले के पश्चात् दक्षिणी एशिया की शान्ति व सुरक्षा परिदृश्य पर गम्भीर प्रभाव उत्पन्न हुआ। अफगानिस्तान में आतंकवाद से निजात के नाम पर अमरीकी सेनाओं का ताण्डव भी कम संहारक व भयप्रद नहीं रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका से आर्थिक व सैन्य उपकरणों की बड़ी भारी सहायता आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के नाम पर दी जाती थी। किन्तु इतिहास इसका साक्षी है कि जब-जब पाकिस्तान को नवीन सैन्य हथियार व आर्थिक सहायता मिली है तब-तब पाक ने भारत के खिलाफ अविश्वास व नफरत का जहर उगलते हुये युद्ध की शंख ध्वनि बजायी है।

भारत के 18 मई, 1974 के प्रथम परमाणु परीक्षण पर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फीकार अली भुटों ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुये वक्तव्य दिया कि- 'ईसाई, यहूदी और हिन्दू कौमों के पास परमाणु बम हैं, साम्यवादी ताकतों के पास भी यह है। सिर्फ मुस्लिम सभ्यता ही इससे महरूम है।'[3] तथा भारत के 11 और 13 मई, 1998 के द्वितीय परमाणु परीक्षणों के पश्चात् प्रतिक्रियास्वरूप 28 एवं 30 मई, 1998 को ही छह परमाणु परीक्षण कर अपनी हटधर्मिता व संकुचित मानसिकता का ही परिचय दिया, किन्तु पाकिस्तान की तत्कालीन आर्थिक दशा दयनीय थी इस संबंध में पाक के महान अर्थशास्त्री शाहिद कारदार की चेतावनी- 'देश के खजाने में आयात के भुगतान के लिए सिर्फ चार हफ्तों की विदेशी मुद्रा बची है, विदेशी मदद के बिना बचा-खुचा कोष देखते-देखते खत्म हो जायेगा।'[4] तत्पश्चात् पाकिस्तान 60-70 परमाणु बम बनाने की क्षमता से युक्त हो गया। वर्तमान में सिपिरी की रिपोर्ट में पाकिस्तान के पास 100-110 परमाणु बम होने के संकेत स्पष्ट किये हैं जबकि भारत के पास 90-100 वारहेडस होने का उल्लेख किया है।5 अभी हाल ही में एक सर्वे में कहा गया है कि पाकिस्तान एक दशक के बाद 250-300 परमाणु वारहेडस के साथ विश्व का तीसरा बड़ा परमाणु वारहेडस युक्त राष्ट्र हो सकता है। पाकिस्तान इतना रॉ मैटेरियल हासिल कर रहा है कि वह प्रत्येक वर्ष 10 बम बना सके।

इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की मनोदशा भारतीय महाद्वीप पर स्त्रातेजिक, कूटनीतिक एवं राजनीतिक दबाव बनाने के लिये हर वह कार्य कर रहा है जो भारत के लिये ही नहीं बल्कि

सम्पूर्ण दक्षिण एशिया के साथ समूची मानव जाति के लिए खतरे का स्पष्ट संकेत है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि– 'दक्षिण एशिया में कश्मीर के मसलें पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सम्भव है।'[6] भारत की तत्कालीन एन०डी०ए० सरकार 26 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने अपने सभी पड़ोसी राष्ट्र व सार्क सहयोगियों को आमंत्रित किया और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समारोह में शरीक भी हुए किन्तु सीमा के हालात सामान्य न होने के कारण 14 जून 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेना मुख्यालय में जाकर राष्ट्र की सरहदों की सुरक्षा व्यवस्था का हाल जानते हुए, सेना की तैयारियों एवं तत्कालीन आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली।[7] सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह के साथ सेना के ऑपरेशनल ब्रीफिंग रूम में तत्कालीन रक्षामंत्री अरुण जेटली, राज्य रक्षामंत्री राव इन्द्रजीत सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति में प्रधानमंत्री को वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुख से किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना की तैयारियों के बारे में जानकारी ली और सेना की तत्कालिक आवश्यकताओं के बारे में भी अवगत कराया गया। पाकिस्तान की सीमा पर तत्कालिक उकसावे की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए यह मीटिंग स्पष्ट करती है कि यदि निकट भविष्य में पाकिस्तान द्वारा न सहन करने वाली स्थिति पैदा की गयी तो भारत द्वारा समयानुकूल उचित कार्यवाही की जा सके। भारत पाक के राजनीतिज्ञों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक बयान बाजी नहीं करनी चाहिए। जून 2015 को म्यांमार में की गई भारत की सैन्य संक्रिया एक आवश्यक और शैक्षिक कार्यवाही थी। भारत के सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर की टिप्पणी पर पाकिस्तान के गृह मंत्री निसार अली खां का बयान– पाकिस्तान म्यांमार की तरह नहीं है। साथ ही उसने चेतावनी दी थी कि उनका देश सीमा पार से धमकी के आगे नहीं झुकेगा। इस प्रकार की टिप्पणियां सीमा पर हलचल पैदा करने के लिए उत्तरदायी होती है।

ब्रिक्स राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन 10 जुलाई 2015 को ऊा रूस में भारत–पाकिस्तान दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने आपस में मुलाकात करके यह ब्यान दिया कि, सीमा पर शान्ति बहाली के उपाय एवं आतंकवाद पर दोनों राष्ट्र मिलकर कार्यवाही करेंगे। परन्तु पाकिस्तान का दोहरा चेहरा इससे साफ होता है कि उफा की मुलाकात के तत्पश्चात् पाक का एक आतंकवादी जम्मू कश्मीर के उधमपुर से अगस्त 2015 में जीवित पकड़ा गया। पंजाब के गुरदासपुर में आतंकवादी हमला तथा जम्मू–कश्मीर में दूसरे आतंकवादी का जीवित पकड़ा जाना तथा पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा आतंकी नावेद को पाकिस्तानी नागरिक मानने से इंकार करना उसकी दुराग्रह की नीति को स्पष्ट करता है। 23–24 अगस्त 2015 को प्रस्तावित भारत–पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार स्तर की बातचीत का शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाना।[8] 30 अगस्त 2015 को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुसेन राइस की पाकिस्तान यात्रा के समय दिये बयान को व्हाइट हाउस से खारिज कर दिया गया। अमेरिका ने भारत पाक को द्विपक्षीय आधार पर जम्मू कश्मीर की समस्या के साथ अन्य मुददों को भी सुलझाने के लिए कहा गया है। सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 70वें अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रयास व चेष्ठाऐं कि कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका मध्यस्थता करें असफल सिद्ध हुआ। वर्तमान समय में विश्व राजनीति में भारत की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की सरजमीं पर अमेरिका द्वारा मारा जाना। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान की जमीन पर

आतंकवाद और अन्य गैरकानूनी कार्य सुविधाजनक रूप से संचलित किये जा रहें है। अमेरिका ने अभी हाल में पाकिस्तान सरकार को यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे बिना किसी भेदभाव के सभी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। साथ ही उसने भारत पाक शान्ति वार्ता प्रक्रिया में अपनी किसी भूमिका से स्पष्ट इनकार किया है। 27 नवम्बर 2015 को मेरठ (उ०प्र०) कैन्ट क्षेत्र से पाकिस्तान गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. का जासूस मौहम्मद एजाज निवासी तरामंडी चौक, इरफानाबाद, इस्लामाबाद के रूप में पहचान हुई है।[9] उक्त पाक जासूस पिछले 2 वर्ष से भारत में रह रहा था और भारत के गुप्त सैन्य दस्तावेज तथा सुखोई लडाकू विमान की गुप्त सूचनाऐं आई.एस.आई. को भेज चुका है। एजाज ने भारत में बांग्लादेश के रास्ते से प्रवेश किया। पाकिस्तान द्वारा भारत के रिहायसी क्षेत्रों में गोलीबारी करना, सीमा पर अवैध घुसपैठ, माद्रक द्रव पदार्थ व हथियारों की तस्करी आदि घटनायें तेज कर दी है जो उसने भारत से हुई चार जंगों की पूर्व पीठिका तैयार करने के लिए की थी। 02 जनवरी सन 2016 को पंजाब के पठानकोट में वायु सेना स्टेशन पर आतंकवादी हमला जिसमें जैश–ए–मोहम्मद की संलिप्तता, 18 सितम्बर 2016 को जम्मू–कश्मीर के उड़ी में सेना के आधार शिविर पर प्रात: वेला में आतंकी हमला। भारत द्वारा ग्यारह दिन पश्चात 28 सितम्बर की रात्रि में पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सी आर पी एफ के काफिलें पर आत्मघाती हमला जिसमें 40 जवान शहीद हुयें। इस घटना के 12 दिन पश्चात 26 फरवरी 2019 को भारत ने एयरस्ट्राइक कर बालाकोट में जैश–ए–मोहम्मद के आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया। 05 अगस्त 2019 को जम्मू–कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा (धारा 370 व 35 ए) को समाप्त कर दिया गया।[10] एक कहावत है कि अपनी कमजोरी छुपानी है तो दुनिया का ध्यान भटका दो। पाकिस्तान भी इसी नीति का अनुसरण करता दिखाई दे रहा है। शान्ति, सौहार्द एवं विकास के स्थान पर पाकिस्तान द्वारा बार–बार उकसावे की क्रिया व जंग की तैयारी की बातें की जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान के तत्कालीन रक्षामंत्री ख्वाजा आसि‍फ ने कहा था कि अगर भारत उस पर युद्ध थोपता है तो भारत को इसका खामियाजा दशकों तक भुगतना होगा। पचास साल पहले की तुलना में पाकिस्तानी सेना अब ज्यादा अनुभवी और पेशेवर है।

निष्कर्ष –

उक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पाकिस्तान में जनता द्वारा चुनी हुई कोई भी सरकार आये। परन्तु भारत के साथ सम्बन्धों का निर्णय पाकिस्तानी सेना, आई०एस०आई० एवं कट्टरपथीयों के द्वारा प्रभावित होते है। भारत का नैसर्गिक विरोध एवं नाभिकीय हथियार अर्जित करने में सफल होने के बावजूद पाकिस्तान की अभिलाषाऐं अधूरी हैं।[11] मई 2014 में भारत की एन. डी. ए. सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ–साथ नहीं चल सकते हैं। पाकिस्तानी हुक्मकरानों को यह समझना चाहिए कि विकास और, समृद्धि का रास्ता शान्ति से होकर ही जाता है। पाकिस्तान ने स्त्रातेजिक व कूटनीतिक प्रभाव रखने के लिए अब तक जो आतंकवाद का समर्थन एवं सहयोग किया है उससे सबसे ज्यादा नुकसान स्वयं पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। पाकिस्तान को अपनी गलत नीतियों का त्याग करते हुये भारत के साथ अर्थ पूर्ण संवाद के द्वारा आपसी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे संवाद की प्रक्रिया धीमी हो। दोनों देशों

द्वारा आतंकवाद पर एक साझा रणनीतिक योजना बनाई जानी चाहिए और साथ ही पाकिस्तान की सेना व सरकार को शुद्ध हृदय से यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि आतंकवाद का कोई अच्छा या बुरा स्वरूप नहीं होता है। वह दूसरों के साथ-साथ अपनी जड़ों को भी खोदता है। भारत पाकिस्तान को पुनः एक बार सम्बन्धों को सुधारने के प्रयास करने चाहिए। दोनों राष्ट्रों को यह समझना चाहिए कि पहले ऐसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाया जाये जिनमें असहमति नहीं है। बाद में उससे महत्वपूर्ण मुददों पर विचार विमर्श किया जायें और तत्पचात परस्पर विश्वास और सहयोग दृढ हो जाने पर अत्यन्त विवादस्पद मुद्दों पर वार्ता की जानी चाहिए। यदि इस नीति को ध्यान में रखकर भारत पाक सम्बन्धों की आधार शिला रखी गयी तो निकट भविष्य में दोनों राष्ट्रों के सम्बन्ध सामान्य होना असम्भव नहीं लगता है। किन्तु पाकिस्तान इस नीति के विपरीत ही वार्ता करना चाहता है। भारत पाक जयपुर टेस्ट क्रिकेट मैच देखने आये पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जिया-उल-हक के उन वाक्यों को भी ध्यान में रखना होगा यदि जर्मनी, फ्रांस एवं ब्रिटेन के मध्य सदियों से चली आ रही शत्रुता समाप्त हो सकती है तो 40 वर्ष पुरानी शत्रुता क्यों नहीं समाप्त हो सकती है। और शांति कोई बल्ब नहीं कि बटन दबाते ही रोशनी हो जाये, इसके लिये तो हर स्तर पर कोशिश करनी होगी।[12] भारत-पाकिस्तान के मधुर एवं सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध न केवल दोनों देशों के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास को तीव्र गति प्रदान करेंगे, बल्कि सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों में शान्ति स्थापित होगी और विकास को एक आसान राह प्राप्त हो सकती है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. सिंह डॉ० रामकृष्ण एवं सिंह डॉ० राकेश "राष्ट्रीय सुरक्षा" शारदा पुस्तक भवन् इलाहाबाद 2013 पृष्ठ 143
2. वही
3. सिंह डॉ० अशोक कुमार "आधुनिक स्त्रातेजिक विचारधारा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा" प्रकाश बुक डिपो, बरेली 2010 पृष्ठ 566
4. फाडिया बी०एल० "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति" साहित्य भवन, आगरा 2014 पृष्ठ 427
5. दैनिक जागरण समाचार पत्र अलीगढ़ 23 फरवरी 2010
6. फाडिया बी०एल० "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति" साहित्य भवन, आगरा 2014 पृष्ठ 429
7. हिन्दुस्तान समाचार पत्र अलीगढ़ 15.06.2014 द्वारा देशबन्धु।
8. दैनिक जागरण समाचार पत्र अलीगढ 06.09.2015
9. हिन्दुस्तान समाचार पत्र अलीगढ 28.11.2015
10. दैनिक जागरण समाचार पत्र अलीगढ 06.08.2019
11. मिश्र डॉ. सुरेन्द्र कुमार "भारतीय सुरक्षा एवं विदेश नीति" उदय पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज दिल्ली पेज -123
12. सिंह डॉ० रामकृष्ण एवं सिंह डॉ० राकेश "राष्ट्रीय सुरक्षा" शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद 2013 पृष्ठ 154

भूमंडलीकरण, मीडिया एवं सरोकार

हर्षवर्धन पाण्डे,
शोधार्थी, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल

शोध सार

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने आज समाचार जगत की पूरी दुनिया बदल कर रख दी है। वैश्वीकरण और मीडिया का दो दशकों में जो असर भारतीय समाज पर छोड़ा वैसा पहले कभी नहीं हुआ। मिशन से उद्योग बन चुकी पत्रकारिता आज भूमंडलीकरण के दौर में अपने बुनियादी उसूलों से भटक चुकी है। आज की पत्रकारिता बाजार के आगे नतमस्तक हो गई है। आर्थिक उदारीकरण के बाद वैश्विक मीडिया के उभार ने समाचारों की प्रकृति में परिवर्तन लाने का काम किया है। पिछले दो दशकों में भारत में पत्रकारिता अपने बुनियादी सरोकारों को उठाने में सफल नहीं रही है। उदारीकरण की आंधी में मीडिया पूरी तरह से कारपरेट घरानों के आगे नतमस्तक दिखाई देता है। मूल्यों ने क्षरण ने पत्रकारिता को भी कहीं का नहीं छोड़ा है। कारपोरेटीकरण के बाद मीडिया कंपनियों पर उनके निवेशकों की ओर से मुनाफे का दबाव बढ़ा है और अधिक से अधिक से मुनाफा कमाने के लिए मीडिया कम्पनियाँ जनमाध्यमों और पत्रकारिता की आचार संहिता के साथ समझौता कर रही हैं। पत्रकारिता उसूलों को तोड़ रही हैं और कारपोरेट हितों के अनुकूल एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी है।

शब्द कुंजी भूमंडलीकरण, बाजार, समाज, मीडिया

अंग्रेजी के मशहूर लेखक आर्थर मिलर ने कभी एक अच्छे अखबार की परिभाषा करते हुए कहा था कि, 'अच्छा अखबार वह है जिसमें देश खुद से बातें करता है।' अखबारों और चैनलों में बेहतर और सरोकारी पत्रकारिता करने की जगह भी दिन पर दिन संकुचित और सीमित होती जा रही है। हैरानी की बात नहीं है कि हिंदी पत्रकारिता के इस 'स्वर्णयुग' में पत्रकारों की घुटन बढ़ी है, उन पर कारपोरेट दबाव बढ़े हैं और पेड न्यूज जैसे सांस्थानिक भ्रष्ट तरीकों के कारण ईमानदार रहने के विकल्प में घटे हैं। यही नहीं, हिंदी पत्रकारिता की अपनी मूल पहचान भी खतरे में है। वह न सिर्फ अंग्रेजी के अंधानुकरण में लगी हुई है बल्कि उसकी दिलचस्पी केवल अपमार्केट उपभोक्तओं में है। उसे उस विशाल हिंदी समाज की चिंताओं की कोई परवाह नहीं है जो गरीब हैं, हाशिए पर हैं, बेहतर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ चाहते हैं लेकिन मुख्यधारा की हिंदी पत्रकारिता को उसकी कोई चिंता नहीं है।[1]

पश्चिम के सूचनाशास्त्री रेमंड विलियम्स ने ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में संचार के उपकरणों का उदय मानते हुए कहा है कि संचार के उपकरणों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों ने ही संचार क्रांति और सूचना क्रांति का युग उपस्थित कर दिया और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में समग्र विश्व को बाँध दिया है।[2]

अमरीका के एल्विन टाफ्लर ने सूचना क्रांति को तेज परिवर्तन का कारक माना है। सूचना क्रांति वैविध्य का सम्मिश्रण और परिवर्तनों का तीव्र होना, इन्हीं के तालमेल से सूचना विस्फोट होता है।[3]

जन माध्यमों पर निजी क्षेत्र के बढ़ते वर्चस्व और खासकर नवउदारवादी आर्थिक सुधारों के पिछले दो दशकों में जन माध्यमों के स्वामित्व में निजी बड़ी देशी–विदेशी पूंजी प्रवेश और प्रभाव में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है। जनमाध्यमों में निजी बड़ी देशी–विदेशी पूंजी के प्रवेश के साथ मीडिया उद्योग के कारपोरेटीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। इसके साथ मीडिया उद्योग में कुछ बड़े देशी–विदेशी मीडिया समूहों का वर्चस्व बढ़ा है।मीडिया उद्योग में संकेन्द्रण (कंसन्ट्रेशन) और एकाधिकारवादी और अल्पधिकरवादी (मोनोपोली और अल्गापोली) प्रवृत्तियां मजबूत हुई हैं। इसके कारण जन माध्यमों की अंतर्वस्तु (कंटेंट) और उसके चरित्र में भी बदलाव साफ देखे जा सकते हैं। बड़ी देशी–विदेशी पूंजी और कारपोरेट समूहों के स्वामित्व वाले मीडिया समूहों के लिए लोकतंत्र और जनहित की तुलना में निजी कारपोरेट हित ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस कारण लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत विचारों की विविधता और बहुलता के लिए कारपोरेट जन माध्यमों में जगह दिन पर दिन सिकुड़ती जा रही है। दूसरी ओर जन माध्यमों के कंटेंट में भी आम लोगों और उनके सरोकारों, जरूरतों और इच्छाओं के लिए जगह कम होती जा रही है।[4]

उदारीकरण के पहले भाषायी पत्रकारिता राष्ट्रीयता के धागे को मजबूत बनाने का आधार रही है। हालाँकि वह आधार उदारीकरण के दौर में किंचित कमजोर नजर आ रहा है। अमेरिकी लेखक सेलिंग हेरिसन ने 1960 के दशक में एक अवधारणा विकसित की थी जिसके अनुसार जैसे जैसे भारत में शैक्षिक स्तर बढ़ेगा, भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए खतरा बढ़ेगा। उन्होनें लिखा था भारत में अपकेन्द्रीय और अभिकेन्द्रिय शक्तियां बारी– बारी से वर्चस्व स्थापित करेंगी जिसके परिणामस्वरूप उथल पुथल की आशंका है। इसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान आजादी के अस्तित्व को होगा।[5]

लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। हिंदी समेत भाषायी प्रेक्षणों ने भारतीय राजव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही हैरिसन की अवधारणा को खारिज करने में बड़ी भूमिका निभाई। भारत की समाचार पत्र क्रांति में रॉबिन जेफी के अध्ययन से भी यह बात साफ होती है। इस अध्ययन के आधार पर जैसे – जैसे भारतीय मीडिया का प्रसार बढ़ा, कम पढ़े लोगों तक उसकी पहुँच बढ़ी। वैसे वैसे हैरिसन की सोच के ठीक उलट असर हुआ। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में आई क्रांति ने भारतीय राज्य की एकता को तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम किया।[6]

मीडिया बदल रहा है। पूंजी ने इसकी परिवर्तन गति को पिछले दस–पंद्रह वर्षों में काफी तेज कर दिया है। महानगरीय और नगरीय मीडिया में इसके प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब छोटे शहर और कस्बों का

मीडिया भी इस प्रक्रिया का अपवाद नहीं रहा है। मुद्रण माध्यम और इलेक्ट्रानिक माध्यम अर्थात पत्र–पत्रिकाओं और टीवी चैनलों का उभरता रूप हमसे यह अपेक्षा करता है कि अब भारतीय मीडिया को परिवर्तित संदर्भ में समझने की आवश्यकता है, न कि औपनिवेशिक संदर्भ दृष्टि से क्योंकि वैश्विक पूंजीवाद और सूचना क्रांति ने तीसरी दुनिया के मीडिया चरित्र को काफी हद तक बदलकर रख दिया है। यह पहले की अपेक्षा आज अधिक बहिर्मुखी, सतहीवादी, तत्कालवादी, रूपवादी, मास–उत्पादनवादी और उत्पादोन्मुखी बन चुका है। तब भारत इसका अपवाद कैसे हो सकता है?[7]

समकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रबंधन के प्रभाव मीडिया पर पड़ते ही हैं। 1947 के पूर्व प्रिंट मीडिया का एजेंडा स्वतन्त्रता प्राप्ति था। आज प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और इंटरनेट माध्यमों का एजेंडा अधिकाधिक प्रसार संख्या, टीआरपी और लाभ वृद्धि है। समाज में गुणात्मक बदलाव के लिए हस्तक्षेपधर्मिता बनने के बजाए उत्पादधर्मी बनना अधिक जरूरी है।

भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी भारतीय भाषाओं के अखबारों में जहाँ प्राणहीनता बढ़ी वहीँ टेलीविजन चैनलों ने हिंदी सिनेमा की फार्मूलेबाजी की तर्ज पर तमाशा संस्कृति को स्वीकार किया जिसने तमाशे के नामा पर तत्कालिक घटनाओं को सनसनीखेज ढंग से पेश करना शुरू किया तो कई बार स्टिंग आपरेशन के नाम पर हंगामे का कहर ही बरपा दिया। कई बार सनसनी के नाम पर टी.वी चैनलों पर प्रायोजित खबरें भी तड़का लगाकर पेश की गई। भारत में टी.वी न्यूज चैनलों के अंदर सनसनी और विवाद पैदा करने की इस प्रवृत्ति के पीछे बुनियादी कारण उसके आर्थिक–बिजनेस ढाँचे माडल और न्यूजरूम की सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना में निहित है। पिछले डेढ़ दशकों में देश में न्यूज चैनलों की संख्या तेजी से बड़ी है और इसके साथ ही उनके बीच अधिक से अधिक दर्शक खींचने की होड़ तेज और तीखी हुई है। इसकी वजह यह है कि उनकी आय और राजस्व का मुख्य स्रोत विज्ञापन हैं जो दर्शकों की संख्या और उनकी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करते हैं। नतीजा यह कि अधिक से अधिक दर्शक (टी.आर.पी) खींचने के लिए उनमें प्रतिर्स्पधा बढ़ती जा रही है बल्कि इस होड़ में पत्रकारिता के मूल्य, नियम और एथिक्स को भी ताक में रखने में हिचक नहीं हो रही है। यही नहीं, इस होड़ में एक–दूसरे की नकल और एक ही जैसी रिपोर्टिंग के साथ–साथ एक जैसे विषयों मुद्दों घटनाओं और सबसे बढ़कर एक जैसे नजरिये के साथ प्राइम टाइम बहसों चर्चाओं की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि सभी न्यूज चैनलों को लगता है कि अगर उन्होंने धारा के विरुद्ध जाकर रिपोर्टिंग की या चर्चाओं बहसों में मुद्दे उठाये या खबरें की तो वे पिछड़ जाएंगे और उनके प्रतिद्वंद्वी सारे दर्शक बटोर ले जाएंगे। यही कारण है कि जैसे ही एक चैनल किसी विवादस्पद मुद्दे को उठाता है, बाकी भी उसी की ओर लपक पड़ते हैं। दूसरे, दर्शकों का ध्यान लगातार आकर्षित करने के लिए उन पर हमेशा विवादस्पद मुद्दों घटनाओं बयानों की खोज का दबाव रहता है।[8]

उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा खुले बाजार की नीतियों के निर्धारण के मूल में प्रगत मीडिया तकनीक भी है। मुक्त बाजार व्यवस्था के लिए योजनाओं तथा कार्यक्रमों का निर्माण पूरी दुनिया में उनके प्रसारण की नई व्यवस्था ही नए मीडिया की वह क्रांति है जिसे औद्योगिक क्रांति के बाद सबसे बड़ी क्रांति के रूप मान्यता मिली।[9]

भारत में तकरीबन 912 टी.वी चैनल हैं जिनमें 384 समाचार चैनल हैं, जबकि 528 चैनल सामने मनोरंजन की श्रेणी में आते हैं। पश्चिम में टीवी की कमाई का 60 फीसदी हिस्सा जहाँ ग्राहकों से हासिल शुल्क और 40 फीसदी हिस्सा विज्ञापन से आता है इसलिए वहां कार्यक्रमों के निर्माण पर उपभोक्तओं की रुचियों और लोकवृत के मूल्यों को रखना पड़ता है। भारत में चैनलों की कमाई का कुछ ही हिस्सा ग्राहकों से हासिल सब्सक्रिप्शन शुल्क से आता है। भारत में सिर्फ 326 चैनल ही पे चैनल है जिन्हें देखने के लिए फीस चुकानी पड़ती है जबकि 584 चैनल फ्री टू एयर हैं। भारत में 32 हजार करोड़ के विज्ञापन बाजार में कब्जे को लेकर टीवी चैनलों में भारी होड़ लगी रहती है। मौजूदा व्यवस्था में जिसकी ज्यादा टीआरपी होती है, उसे ही ज्यादा और महंगे विज्ञापन मिलते हैं इसलिए हर चैनल टीआरपी हासिल करने में जुटा रहता है।[10]

आज पत्रकारिता सूचना देने, विज्ञापन, जनसम्पर्क, प्रोपेगेंडा में बंट गई है जिसमें कारोबार की दृष्टि से विज्ञापन, जनसम्पर्क, प्रोपेगेंडा सबसे प्रमुख चीज बन चुकी है। पत्रकारिता से सरोकार गायब हो चुके हैं।

बहुराष्ट्रीय मीडिया कम्पनियाँ अपने कार्यक्रमों का निर्धारण विज्ञापन को ध्यान में रखकर करती हैं। विज्ञापन के जरिये ही ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने उत्पादों के लिए ग्राहक जुटा पाती हैं। विज्ञापन उद्योग एक तरह का कमाऊं पूत है, इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए। घरेलू उत्पाद के दम तोड़ने का एक प्रमुख कारण यह विज्ञापन उद्योग भी है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में मीडिया की भूमिका प्रमुख है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विज्ञापन और मीडिया का सहारा लेकर ही शक्तिशाली बन रही है। संचार क्रांति के दौर में भी कुछ ही देशों की कम्पनियों का वर्चस्व बढ़ा है। इस तरह से देखें तो सूचनाओं का एक विशाल भण्डार तैयार होता नजर आ रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ यहाँ भी अपना आधिपत्य बनाये रखना चाहती है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उपग्रहों से जितनी भी जानकारियों का आदान-प्रदान होता है उसका 90 प्रतिशत हिस्सा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खाते में जाता है। विश्व में 50 प्रतिशत सूचना और आंकड़ों का प्रवाह विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का होता है। सूचना उद्योग पर चंद महाशक्तियों ने अपना नियंत्रण कर लिया है।[11]

आज मीडिया सूचना और मनोरंजन को समावेशी बनाकर इनका अपने हिसाब से प्रयोग कर रहा है। समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं के व्यापारीकरण ने पत्रकारिता के सिद्धांतों को धुंधला कर दिया है। आज मीडिया बाजार को ध्यान में रखकर अपना काम करती है। वैश्वीकरण ने मीडिया को तोड़ने-मरोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनेक ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनमें किसी एक वर्ग की रूचि नहीं होती लेकिन मीडिया उन्हें ग्लैमराइज करके एक और खास तरह की कवरेज देकर रूचि पैदा करता है। आज मीडिया हर घटना में ग्लैमर की तलाश करता है। बलात्कार, हत्या, हिंसा और दुर्घटनाओं जैसी अंदर तक झकझोर देने वाली घटनाएँ भी वह ग्लैमर के साथ प्रस्तुत करता है। वास्तव में इनके पीछे व्यापारिक हित ही छिपे होते हैं।"[12]

मीडिया और मनोरंजन उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही, इसमें दांव ऊँचे और बड़े होते जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर इसके विस्तार के साथ इसमें बड़ी देशी-विदेशी पूंजी की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आमतौर पर छोटी-मंझोली पूंजी के इस असंगठित उद्योग में पिछले डेढ़-दो दशकों में कई मीडिया कंपनियों ने शेयर बाजार से पूंजी उठाई है और उनमें देशी-विदेशी निवेशकों ने पैसा लगाया है। आज ऐसी दर्जनों मीडिया कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं और जिनमें

देशी–विदेशी पूंजी लगी हुई है। इनमें से कुछ कम्पनियाँ परंपरागत मीडिया कम्पनियाँ हैं जो पिछले कई दशकों से समाचारपत्र और फिल्म कारोबार में सक्रिय थी लेकिन इनमें कई कम्पनियाँ खासकर टी.वी कम्पनियाँ ऐसी हैं जो नब्बे के दशक में टी.वी उद्योग के विस्तार के साथ पैदा हुई और तेजी से फली–फूली हैं। उनके विस्तार में बड़ी पूंजी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बड़ी पूंजी के प्रवेश के साथ ये कम्पनियाँ जिनमें कई आठ–दस साल पहले तक छोटी प्रोडक्शन कंपनी या एक खास इलाके तक सीमित समाचारपत्र कंपनी थीं, कुछ ही सालों में बड़ी कंपनियों में बदल गई।[13]

हिंदी पत्रकारिता के शीर्ष संपादक बाबूराव विष्णुराव पराड़कर ने आज से करीब 87 वर्ष पूर्व भविष्यवाण ी कर दी थी कि भविष्य के अखबार ज्यादा रंगीन बेहतर कागज और छपाई वाले होंगे लेकिन उनमें आत्मा नहीं होगी।[14]

नोम चोमस्की एडवर्ड हरमन ने प्रोपेगंडा माडल और 'मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट' में विस्तार से बताया है कि कैसे कारपोरेट मीडिया एक ओर व्यवस्था सत्ता विरोधी सूचनाओं विचारों को रोकता है और दूसरी ओर, एक फर्जी सहमति का निर्माण करता है। कारपोरेट मीडिया की बढ़ती ताकत के साथ हाल के वर्षों में एक और बड़ी चिंता उभर कर सामने आई है। यह अनुभव किया जा रहा है कि दुनिया के कई विकसित देशों में बड़ी पूंजी के साथ नाभिनालबद्ध कारपोरेट मीडिया की ताकत और प्रभाव के आगे वहां की चुनी हुई सरकारें भी घुटने टेक चुकी हैं और उन्हें खुश करने में लगी रहती हैं। इस कारण कारपोरेट मीडिया का नीति निर्माण और महत्वपूर्ण फैसलों में भी हस्तक्षेप बढ़ा है। तथ्य यह है कि वे ही सरकारों का एजेंडा निर्धारित करने लगे हैं। इसके साथ ही, कारपोरेट मीडिया को प्रभावित करने और उसका अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए एक विशाल जनसंपर्क और लाबीइंग उद्योग का जन्म और प्रसार हुआ है लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि उन वर्गों और समुदायों की जिनकी बड़े कारपोरेट मीडिया तक पहुँच नहीं है या जो बड़ी जनसंपर्क कंपनियों और लाबीइंग फर्मों की महँगी सेवाएं नहीं ले सकते, उनकी आवाजें और मुद्दे कारपोरेट मीडिया में सुनाई और दिखाई नहीं देते हैं। यही नहीं, कारपोरेट मीडिया के इस अवांछित प्रभाव का नुकसान यह भी हुआ है कि सरकारें उनकी बंधक सी हो गई हैं।[15]

1925 के वृन्दावन के संपादक सम्मलेन में पराड़कर जी ने कहा था पत्र बेचने के लाभ से अश्लील समाचारों को महत्व देकर तथा दुराचरणमूलक अपराधों का चित्ताकर्षक वर्णन कर हम परमात्मा की दृष्टि में अपराधियों से भी बड़े बड़े अपराधी ठहर रहे हैं, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपराधी अत्याचार करके दंड खाता है और हम सारे समाज की रूचि बिगाड़ कर आदर पाना चाहते हैं।[16]

आजादी के बाद कुछ वर्षो तक भारतीय मीडिया में वस्तुपरक समाचारों पर बल था। असत्य के लिए उसमें अधिक गुंजाईश नहीं थी। धीरे- धीरे पत्रकारिता के क्षेत्र में पूंजी हावी होती गई लेकिन सूचना क्रांति ने पश्चिमी साम्राज्यवाद तले पत्रकारिता की आत्मा को तहस नहस कर दिया और मौजूदा मीडिया साम्राज्यवाद का सूचना इन्द्रजाल बन गया है। बदलाव का कारण समाचार पत्र मालिकों का व्यवसायिकता की अंधी दौड़ में शामिल होना है। यह बदलाव समाचार तंत्र पर साम्राज्यवादी देशों के बाजार का परिणाम है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में उपजा बाजारवाद इस बदलाव के मूल में है। बदलाव के दोनों कारण हैं एक है वह है व्यवसायिकता।

भूमंडलीकृत बाजार ने इसे तेज हवा दी है।[17]

बाजारीकरण के इस दौर ने समाचार पत्र या न्यूज चैनलों का मूल उद्देश्य व्यापार को बढाना है। आजादी के बाद से नीतियों को अपने मनचाहा अनुकूल कर पूंजीवाद ने पूंजी का संचय किया है, बाजार के फैलाव के जरिये एक नए किस्म का पूंजी वितरण कर हमारा पूंजीपति वर्ग आज संगठित और लूट खसोट की तैयारी में है। विज्ञापन और बाजारीकरण उसकी बढ़ती जरूरतों का परिचायक है।[18]

टेलीविजन के उदय ने विश्व बाजार का एक नया परिदृश्य बनाया है। विज्ञापन, उपग्रह तकनीकी, कम्प्यूटर और अब इंटरनेट ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को नई उंचाइयों पर पहुंचाया है। आज डिजिटल क्रांति ने सूचना और संचार तकनीकी को विश्वव्यापी परिवर्तनों की एक ऐसी संभावनापूर्ण दुनिया में धकेल दिया है, जहां सूचना एवं संचार तकनीकी के अनेक रूप पुराने पड़ गए है। इनकी परंपरागत भूमिका बदल गई है। तकनीकी रूपों का तेजी से विलय हो रहा है, इसके परिणामस्वरूप परंपरागत माध्यमों के बीच की सीमाएं खत्म हो चुकी है।[19]

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है भूमंडलीकरण ने प्रसारण मीडिया के मूल्यों को हाल के वर्षो में बहुत कमजोर किया है। आज का मीडिया बाजारवाद की गिरफ्त में भी नजर आता है। इंटरनेट के प्रसार के कारण डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया से कुछ उम्मीदें जरूर थी जहाँ हर कोई भी अपनी बातें आसानी से साझा कर सकता है लेकिन यहाँ पर गेटकीपिंग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। आज मीडिया और आमजन में अविश्वास की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यही प्रतीत होता है कि मीडिया सही ढंग से अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। मीडिया के व्यापारीकरण ने पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों को क्षति पहुंचाई है। आज मीडिया बाजार को ध्यान में रखकर अपना काम कर रहा है जिसका पूरा ध्यान मुनाफा बटोरने पर केंद्रित है। मीडिया हर घटना में ग्लैमर को तलाश रहा है और खबर भी टीआरपी को देखते हुए बनाई जा रही है। बलात्कार, हत्या, हिंसा जैसी खबरों को तड़के के साथ पेश करने की मानो होड़ ही लगी हुई है जिसके पीछे बड़े कारपरेट हित छिपे हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. http://www-samachar4media-com/Is&this&the&golden&era&of&hindi&journalism ½
2. शर्मा, कुमुद, समाचार बाजार की नैतिकता, सामयिक बुक्स, नई दिल्ली, पेज 13 2009
3. प्रीव्यूज एंड प्रीमाइसेज एल्विन टाफ्लर, पेज 103
4. प्रधान, आनंद http://teesraraasta-blogspot-com
5. चतुर्वेदी, जगदीश्वर, युद्ध, ग्लोबल संस्कृति और मीडिया, अनामिका प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 20
6. जेफी, रॉबिन, भारत की समाचार पत्र क्रांति, भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली, पृष्ठ 7
7. जोशी, रामशरण, मीडिया, बाजार और सामाजिक जवाबदेही, मीडिया, मिथ और समाज, शिल्पायन, दिल्ली, पेज 74 –75 2008

8. प्रधान, आनंद, http://teesraraasta-blogspot-com
9. चोपड़ा, लक्ष्मेन्द्र, मीडिया और समाज, आधार प्रकाशन, पंचकूला, पेज 24 2006
10. आंचलिक पत्रकार, नवम्बर 2020 पृष्ठ 39
11. समकालीन विश्व राजनीति (अध्याय-9 वैश्वीकरण), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, 2021-22, पृ. 139
12. वही
13. वही
14. प्रधान, आनंद, http://teesraraasta-blogspot-com
15. वही
16. तिवारी, अर्जुन, पत्रकारिता के युग निर्माता बाबूराव विष्णु पराड़कर, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली (2010) पृष्ठ 70
17. शर्मा, कुमुद, समाचार बाजार की नैतिकता, सामयिक बुक्स, नई दिल्ली, पेज 13 2009
18. पचौरी, सुधीश, मीडिया और साहित्य, आशुतोष प्रकाशन, दिल्ली, पेज 33 2007
19. चतुर्वेदी, जगदीश्वर, माध्यम साम्राज्यवाद, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ.सं. 153

नवीन शिक्षा नीति 2020 में भारतीय सांस्कृतिक विरासत Indian Cultural Heritage in NEP 2020

शोध पर्यवेक्षक
डॉ० जीतेन्द्र प्रताप *(असि० प्रोफे०)*
दयानन्द वैदिक कॉलेज उरई, जालौन
शोध छात्र
लवलेश कुमार विश्वकर्मा
शिक्षा संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

सारांश

शिक्षा को मानव संसाधन का सार माना जाता है जो देश के सामाजिक- आर्थिक गतिविधियों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण एवं उपचारात्मक भूमिका निभाती है। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपना जीवन सुखमय-शान्तिमय तथा आनन्ददायक जीने के लिए प्रेरित करती है।

नवीन शिक्षा नीति-2020 का ड्राफ्ट पी०डी०एफ० प्रारूप में हिन्दी 107 पृष्ठों में जबकि अंग्रेजी में कुल 65 पृष्ठों में है। सम्पूर्ण शिक्षा नीति का परिचय कुल 4 भागों तथा 27 अध्यायों में किया गया है। सम्पूर्ण शिक्षा नीति को कुल 308 बिन्दुओं के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। नवीन शिक्षा नीति के अध्याय 22 में भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में महत्वपूर्ण तथ्या उल्लिखित किये गये है। नवीन शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमाना पाँच प्रमुख चुनौतियों को उजागर किया गया है। जो इस प्रकार हैं-

1. पहुंच (Access)
2. समानता (Equity)
3. गुणवत्ता (Quality)
4. वहनीयता (Affordability)
5. जवाबदेही (Accountabitity)

भारत में विभिन्न प्रकार की सभ्यता व संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है जो सहस्त्रों वर्षो पूर्व विकसित हुयी थी जिसमें भाषा, कला, साहित्य, रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं का संगम देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृतियों तथा परम्पराओं का संरक्षण व संवर्धन करने हेतु भाषा आधार स्तम्भ है। संस्कृतियों तथा

अपनी विरासतों को समृद्ध बनाये रखने के लिए भाषाओं का संरक्षण देना अति आवश्यक हो गया है। यूनेस्कों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 197 भारतीय भाषायें खो गयी हैं। भारत में अन्य भारतीय भाषाएं प्रायः लुप्त हो गयी है। भारतीय भाषाओं के संरक्षण के साथ ही साथ हमें विदेशी भाषाओं को भी समुन्नत बनाकर अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना होगा।

मुख्य शब्द/संकेत शब्द- शिक्षा मानव संषाधन, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, चुनौतियां, भाषा।

प्रस्तावना

शिक्षा को मानव संसाधन का सार माना जाता है। जो देश के सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण एवं उपचारात्मक भूमिका निभाती है। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपना जीवन सुखमय, शान्तिमय तथा आनन्दमय जीने के लिए प्रेरित करती है।

वह शिक्षा प्रणाली जो किसी भी राष्ट्र की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं तथा आदर्शों के अनुसार हो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कहलाती है। मानव को अपनी शक्तियों की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए तथा राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा एक मूलभूत जरूरत है। शिक्षा में विषयवस्तु को नवाचारी बनाने के स्थान पर बालकों में समस्या समाधान, तार्किक क्षमता, सोचने की क्षमता तथा नवीन सूचनाओं की बदलती हुयी नयी परिस्थितियों को प्रयोग में लाने पर जोर देना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बालक पर केन्द्रित होना चाहिए जो खोज, अनुभव, जिज्ञासा व वार्तालाप के आधार पर संचालित हो। शिक्षा लचीली, समग्रता व समन्वित रूप से देखने-समझने में सक्षम बनाने वाली रूचि-पूर्ण होनी चाहिए।

नवीन शिक्षा नीति-2020 का ड्राफ्ट पी०डी०एफ० प्रारूप में हिन्दी 107 पृष्ठों में जबकि अंग्रेजी में कुल 65 पृष्ठों में है। सम्पूर्ण शिक्षा नीति का परिचय कुल 4 भागों तथा 27 अध्यायों में किया गया है। सम्पूर्ण शिक्षा नीति को कुल 308 बिन्दुओं के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के निर्माण की दिशा में प्रारम्भिक सोच-विचार करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा अक्टूबर 2015 में अपने उद्देश्य व्यक्त किये गये। पूर्व केबिनेट सचिव श्री टी०एस०आर० सुब्रमणियम की अध्यक्षता में नवीन शिक्षा नीति के निर्माण हेतु एक समिति का गठन किया गया। जिसने 07 मई 2016 को अपनी आख्या प्रस्तुत की थी। सुब्रमणियम समिति ने अपने प्रस्ताव में शिक्षा नीति के उद्देश्यों प्रारम्भिक बाल देख-रेख, शिक्षा का अधिकार, स्कूल परीक्षा सुधार, शिक्षक प्रबन्धन शिक्षा में आई०सी०टी०, व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विकास व प्रबन्धन अधिनियम, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, नैक नोडल एजेन्सी, शिक्षक सेवा शर्तें, सांस्कृतिक विरासत तथा अन्य शिक्षा से जुड़े मुद्दों में अपने व्यापक व अनेकों सुझाव दिये। इस आख्या पर व्यापक विचार-विमर्श करने के उपरान्त भारत सरकार के द्वारा जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ० के० कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक

समिति का गठन किया गया। जिसने शिक्षा नीति का सम्पूर्ण मसौदा तैयार करके 31 मई 2019 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा राज्य मंत्री श्री संजय श्याम राव धोत्रे जी को सौप दिया गया। 29 जुलाई 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रतिवेदन में वर्तमान समाज में विद्यमान शिक्षा प्रणाली में पाँच प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। जो निम्नलिखित है:–

1. पहुंच (Access)
2. समानता (Equity)
3. गुणवत्ता (Quality)
4. वहनीयता (Affordability)
5. जवाबदेही (Accountabitity)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन प्रमुख हैं।

1. वैश्विक कल्याण
2. वैश्विक नागरिकता
3. सूतत विकास
4. कौशल विकास
5. प्रज्ञा (Wisdom) सत्य

नवीन शिक्षा नीति के अध्याय–22 में भारतीय भाषाओं, कला, लोक सांस्कृतिक का संवर्धन तथा सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया गया है सांस्कृतिक विरासत के सन्दर्भ में उल्लिखित प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1. भारत में विभिन्न प्रकार की सभ्यता व संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। जो हजारों वर्षो पूर्व विकसित हुयी थी जो कला, साहित्य, रीति–रिवाजों परम्पराओं, भाषाई अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, विरासत स्थलों, स्मारकों, किलों, युद्ध क्षेत्रों तथा अन्य रूपों में दिखायी पड़ती है। पर्यटन के क्षेत्र में भारत आने वाले विदेशी यात्री भी खूब आनन्द लेते है तथा भारत आकर भारतीय आतिथ्य का अनुभव करते हैं। विदेशियों के द्वारा विभिन्न प्रकार से भारतीय सभ्यता व संस्कृति की प्रसंशा करना यह दर्शाता है कि भारत की सभ्यता व संस्कृति अद्वितीय है जिसका संरक्षण और संवर्धन देश के नागरिकों के लिए एक प्रथम प्राथमिकता होना चाहिए क्योंकि इसमें देश की अर्थव्यवस्था भी निर्भर करती है।

2. भारतीय कला और संस्कृति का प्रचार न केवल राष्ट्र के लिए ब्लकि सम्पूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक जागरूकता बालकों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसके माध्यम से बालकों में संस्कारों का उन्नयन किया जाता है। यह अपने खुद के सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा और परम्पराओं

के एक मजबूत अर्थ से है ताकि बालक एक सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्म सम्मान का निर्माण कर सकते हैं।

3. कला, संस्कृति का ज्ञान प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कला, सांस्कृतिक पहचान, जागरूकता और सामाजिक उत्थान को मजबूती प्रदान करने के अतिरिक्त व्यक्तियों में संज्ञानात्मक और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने और व्यक्तिगत खुशी बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। भारतीय कला और संस्कृति को शिक्षा के प्रत्येक स्तर में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि छात्रों का समुचित विकास किया जा सकें।

4. भाषा मुख्यत: कला, संस्कृतिक व सभ्यता की आधारभूत इकाई रही है। भाषा दुनिया को विभिन्न प्रकार से देखती और समझती है भाषा वक्ता के आधारभूत धारणा को निर्धारित करती है। भाषायें वार्तालाप का माध्यम होती हैं। वार्तालाप के समय भाषाओं के शब्द व स्वर स्थानान्तरित होते रहते हैं जो हमारी सभ्यता व संस्कृति को भी स्थानान्तरित करते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत भाषाओं के माध्यम से स्थानान्तरित होती रहती है। भाषाओं में हमारी संस्कृति विद्यमान है साहित्य, नाटकों, संगीत, फिल्म, उपन्यास, कविता, कहानी इत्यादि के रूप में भाषा के बिना अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता है सभ्यता तथा संस्कृति को बढावा देने के लिए भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

5. दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को उचित संरक्षण नहीं मिला है। यूनेस्कों से प्राप्त आंकडों के अनुसार हमने 197 भारतीय भाषाओं को खो दिया है तथा विभिन्न भारतीय भाषाये प्राय: लुप्त होने की स्थिति पर हैं ऐसी भाषायें जो किसी विशेष समुदाय या जन जातियों के द्वारा बोली जाती हैं उन जनजातियों या व्यक्ति विशेष जिसके द्वारा वें भाषायें बोली जाती हैं इनके समाप्त हो जाने के उपरान्त ये भाषाये भी समाप्त हो जाती हैं। संस्कृति तथा सभ्यता को संरक्षण देने के लिए भाषाओं का संरक्षण अतिमहत्वपूर्ण है।

6. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषायें कई मुद्दों में कठिनाईयों का सामना कती हुयी प्रतीत हो रही हैं इन भारतीय भाषाओं को शिक्षण तथा अधिगम के प्रत्येक स्तर में स्कूल और उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत करने की जरूरत है। भाषाओं को प्रासंगिक एवं जीवन्त बनाये रखने के लिए उनके शब्दकोश को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए तथा भाषाओं का आधिकारिक अद्यतन भी होना चाहिए। इन भाषाओं से पाठ्य-पुस्तकें, कार्य पुस्तिकायें, वीडियों, नाटक, कहानी कविताए, उपन्यास, पत्रिकाएं आदि सामाग्री को प्रकाशित कराना चाहिए।

7. विभिन्न उपायों के बावजूद भी भारत में भाषा शिक्षकों में भी अधिक अनुशासनात्मक होने के लिए सुधार किये जाने की आवश्यकता है। भाषा के साहित्य, शब्दकोश, शब्दावली तथा व्याकरण में भी सुधार किये जाने की महती जरूरत है ताकि भाषा का उन्नयन किया जा सके।

8. अपनी भाषा, संस्कृति तथा परम्पराओं में शिक्षित होना कोई गलत नहीं है। यह शैक्षिक सामाजिक तथा तकनीकि उन्नति में काफी लाभकारी होता है अत: भारतीय युवक तथा युवतियों को सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय उन्नति के लिए अपने देश की भाषा के प्रति जागरूक होना चाहिए छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में अधिक सीखते हैं। अत: कम से कम ग्रेड 5 तक या ग्रेड 8 तक की शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा/गृह भाषा/स्थानीय

भाषा व क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। शिक्षकों को भी द्विभाषी एपोच को प्रयोग करने के लिए भी आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जाने चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अन्तर्गत ग्रेड 6 से 8 के बीच प्रत्येक विद्यार्थियों को लैग्वेज ऑफ इण्डिया पर प्रोजेक्ट या भाषायी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए।

9. भारतीय साइन लैग्वेज को देशभर में मानकीकृत किया जायेगा। भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी के अतिरिक्त विदेशी भाषायें जैसे– जापानी, थाई, कोरियाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, व रूसी भी माध्यमिक स्तर में शिक्षण अधिगम का माध्यम बनायी जायेगी। जिसे छात्र भारतीय सभ्यता व संस्कृति के साथ–साथ विश्व की सांस्कृतिक धरोहर को भी पहचान व जान सकेगें।

10. उच्च शिक्षा में अनुवाद व व्याख्या, कला व संग्रहालय प्रशासन, कलाकृति, संरक्षण, ग्राफ्रिक व वेब डिजाइन के पाठ्यक्रम चलाये जायेगें। कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के तथा पर्यटन उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय भाषाओं की सामाग्री तैयार की जायेगी। कलाकृतियों का संरक्षण किया जायेगा। संग्रहालयों पर्यटन स्थलों व विरासत स्थलों को संचालित करने के लिए सुयोग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

11. विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए इससे छात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा देश के विभिन्न हिस्सों से विद्यमान सांस्कृतिक विविधता की पहचान हो सकेगी तथा एक भारत, श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत 100 पर्यटन स्थलों की पहचान भारत सरकार के द्वारा की जायेगी तथा इनको भारत सरकार के द्वारा विकसित किया जायेगा वहीं उनके इतिहास, योगदान, परम्परा आदि का ज्ञान छात्रों को कराया जायेगा ताकि भारत की सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण किया जा सके।

12. संस्कृत भाषा के व्यापक व महत्वपूर्ण योगदान, सांस्कृतिक महत्व तथा वैज्ञानिक प्रकृति होने के कारण इसे शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जायेगा। संस्कृत भाषा को रूचिपूर्ण, नवीन तरीकों तथा प्रासंगिक विषयवस्तु से जोड़कर शिक्षण कराया जायेगा। संस्कृत विद्यालयों को भी बहुविषयी संस्थानों की तरह विकसित किया जायेगा शिक्षा व संस्कृत विषयों में चार वर्षीय बहुविद्यालय बी०एड० डिग्री के माध्यम से संस्कृत शिक्षकों को प्रशिक्षित करके बड़ी संख्या में तैयार किया जायेगा।

13. सभी शास्त्रीय भाषाओं व साहित्य का अध्ययन करने वाले संस्थानों व विश्वविद्यालयों का विस्तार किया जायेगा। अस्त–व्यस्त हालात में पड़ी पाण्डुलिपियों को एकत्रित व संरक्षित करके उनका अनुवाद किया जायेगा तथा भाषाओं के विकास के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जायेगा। पाली, ारसी व प्राकृत भाषाओं के लिए विश्वविद्यालय स्तर में एक संस्थान विकसित किया जायेगा। इस प्रकार संस्कृत भाषा जो प्राचीन सभ्यता व संस्कृति का प्रमुख स्त्रोत रही है इसका संरक्षण व संवर्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. शास्त्रीय, आदिवासी तथा लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित तथा प्रोत्साहित किया जायेगा तथा आम जनमानस की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी लोगों की व्यापक भागीदारी के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी तथा क्राउडसोर्सिंग, संस्कृति तथा सभ्यता के संवर्धन करने के प्रयासों में हमारी महत्वपूर्ण सहायता कर सकेंगे।

15. संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सहयोग से एक अकादमी की स्थापना की जायेगी तथा उससे प्रमुख शब्दों का भण्डारण सुनिश्चित करते हुए नियमित रूप से नवीन शब्दकोष जारी किये जायेगें तथा देश के प्रत्येक कोने में बोली जाने वाली अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए भी एक अकादमी की स्थापना की जायेगी।

16. सभी भारतीय भाषाओं तथा समृद्ध स्थानीय कला व संरक्षण हेतु बेव आधारित प्लेटफ़ार्म तथा पोर्टल के सहयोग से इनके नवीन दस्तावेज तैयार किये जायेगे। विश्वविद्यालयों के सहयोग के साथ मिलकर इन्हे उन्नति के पथ पर अग्रसर किया जायेगा। भाषाओं के उन्नति के इस भाषाओं को राष्ट्रीय शोध संस्थान द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ताकि भाषाओं की उन्नति तथा संवर्द्धन में किसी प्रकार का कोई अवरोध न उत्पन्न हो सके।

17. भारतीय भाषा, कला व संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जायेगी। भारतीय भाषाओं के लगातार प्रयोग तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जायेगा। भारतीय भाषाओं के लगातार प्रयोग तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जायेगा। भारतीय भाषाओं में नवीनता तथा दक्षता को शामिल करते हुए रोजगार के मानदण्डों को शामिल किया जायेगा।

निष्कर्ष (Conclusion) :-

नवीन शिक्षा नीति–2020 के अध्याय 22 में भारतीय भाषाओं, कला, लोकसंस्कृतियों का संवर्धन तथा सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया गया है। भारत में विभिन्न प्रकार की सभ्यता व संस्कृतियों का समय देखने को मिलता है। जो हजारों वर्षों पूर्व विकसित हुयी थी, कला, साहित्य, मेलों, उत्सवों, रीति–रिवाजों, परम्पराओं, प्रथाओं, स्मारकों, विरासत स्थलियों, किलों, युद्ध क्षेत्रों तथा अन्य रूपों में दिखायी पड़ती है।

कला, संस्कृति का ज्ञान प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। कला सांस्कृतिक पहचान, जागरूकता तथा सामाजिक उत्थान को मजबूती प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को संज्ञानात्मक क्षमता तथा रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने में मजबूती प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाऐं में कई मुद्दों में परेशानियों का सामना करती हुयी प्रतीत होती है। भारतीय भाषाओं को शिक्षण तथा अधिगम के विभिन्न स्तरों में लागू किया जाना चाहिए। भाषाओं को प्रासंगिक तथा जीवन्त बनाये रखने के लिए शब्दकोष को व्यापक स्वरूप प्रदान करना चाहिए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्प्रेषाण्ण की समस्या विद्यमान न रहें। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर में शिक्षक को मातृभाषा के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। शिक्षकों को उच्च शिक्षा में शिक्षण कार्य करते समय द्विभाषी अप्रोच का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।

भारतीय साइन लैग्वेज को देशभर में मानकीकृत किया जाना चाहिए उच्च शिक्षा में शिक्षकों के द्वारा त्रिभाषा सूत्र को अपनाया जाना चाहिए। भारतीय भाषा व अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त विदेशी भाषाए जैसे जापानी, थाई, कोरियाई, फ्रेन्च, जर्मन स्पेनिश, पुर्तगाली व रूसी को भी शिक्षण का माध्यम बनाया जाना चाहिए।

उच्च शिक्षा में अनुवाद व्याख्या, कला, संग्रहालय प्रशासन, कलाकृतियां संरक्षण, ग्राफिक्स वेब डिजाइन इत्यादि के पाठ्यक्रम संचालित किये जाने चाहिए। संस्कृत भाषा के वैज्ञानिक व महत्वपूर्ण योगदान, सांस्कृतिक महत्व व वैज्ञानिक प्रकृति होने के कारण इसे शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। शास्त्रीय आदिवासी तथा लुप्तप्राय भाषाओं, कलाओं, परम्पराओं तथा संस्कृतियों के संरक्षण हेतु भी कार्य किये जाने चाहिए ताकि समाज का समुचित तथा चर्तुमुखी विकास शाश्वत विद्यमान रहे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, डा० अल्का (2021) : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज।
   Page-746,747,776,777,778
2. पाण्डेय, डा० अभिषेख कुमार और शर्मा डा० अभय कुमार (2024) भारतीय शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य, ब्लू डक पब्लिकेशन, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर
   ISBN No: 978-81-19463-74-9
3. www.google.com :
4. www.youtube.com :
5. Magazines : प्रतियोगिता दर्पण (मासिक)
6. News Paper : The Hindu
   : The Hindustan Times
   : The Times of India

आश्रम व्यवस्था और शिक्षा

डॉ० रवेन्द्र राजपूत,
एसोसिएट प्रोफेसर,
शिक्षक शिक्षा विभाग
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता इस जगत की अपेक्षा परलोक को अधिक मान्यता देना है क्योंकि यहाँ पर जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति वैदिक काल सें ही माना जाता रहा है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारे मनीषियों ने विभिन्न स्तर निर्धारित किये जिनसे सफलता पूर्वक गुजरते हुए व्यक्ति अन्तिम अवस्था को प्राप्त कर सके। हिन्दू संस्कृति में मानव के सम्पूर्ण जीवन को 4 भागों में विभाजित कर मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुकूल उसके अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को प्रस्तुत कर व्यक्ति के जीवन को स्फल बनाने के लिए निर्देशन प्रदान करना है। इसे ही आश्रम व्यवस्था कहते हैं।

आश्रम का अर्थ (Meaning of Ashram) - आश्रम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की 'श्रम' धातु से हुई जिसका अर्थ है - प्रयास या परिश्रम करना। अन्य अर्थ में आश्रम का तात्पर्य है रूकना या आराम करना।

अर्थात् आश्रम ठहरने या विश्राम करने का एक स्थान है जहाँ व्यक्ति कुछ समय के लिए रहकर अपने गुणों का विकास करके स्वयं को जीवन के आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। इस तरह आश्रय व्यक्ति का लख्य नहीं वरन् लक्ष्य या मोक्ष प्राप्ति का एक साधन मात्र है।

डॉ. पी.एच. प्रभु कहते है - "आश्रम शब्द श्रम धातु से धना है जिसका तात्पर्य परिश्रम या उद्योग करने से है इस दृष्टि से आश्रम शब्द के 2 अर्थ है- (i) वह स्थान जहाँ लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयत्न या उद्योग किया जाता है। (ii) इस प्रयत्न या उद्योग के लिए की जाने वाली किया।"

अत: आश्रम का तात्पर्य ऐसे क्रिया स्थल से है, जहाँ कुछ समय ठहर कर व्यक्ति उद्यम करता है।

परिभाषा (Definition) -

1. महाभारत - "मानव जीवन के चार आश्रम 'व्यक्तित्व विकास की चार सीढ़ियाँ हैं जिन पर क्रमानुसार चढ़ते हुए व्यक्ति जीवन के अन्तिम लक्ष्य 'ब्रह्म' (मोक्ष)' की प्राप्ति करता है।"
2. डॉ. प्रभू - "आश्रम को जीवन के अन्तिम लक्ष्य प्राप्ति हेतु व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला विश्राम स्थल मानना चाहिए, इसमें एक आश्रम में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को दूसरे आश्रम

या व्यवस्था के योग्य बनाता है।"

3. डॉ. वी.एन. सिंह – "आश्रम का अर्थ जीवन का वह विभाग है जिसमें मनुष्य प्रयास करता है।"

4. डॉ. आर.एन. मुखर्जी – "आश्रम व्यवस्था हिन्दू जीवन का वह क्रमबद्ध इतिहास है जिसका उद्देश्य जीवनयात्रा को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर प्रत्येक स्तर पर मनुष्य को कुछ समय तक रखकर उसे इस प्रकार तैयार करता है कि वह जगत की वास्तविकताओं और प्रयासमय क्रियात्मक जीवन की अनिवार्यताओं में से गुजरना हुआ अन्तिम लक्ष्य परम ब्रह्म या मोक्ष को प्राप्त कर सके जो कि मानव जीवन का परम व चरम लक्ष्य या उद्देश्य है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था वह अपूर्व व्यवस्था है जो हिन्दू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर व्यक्ति को समय विशेष के लिए प्रत्येक स्तर पर रखकर उसे भावी जीवन के लिए तैयार करती है कि वह स्वयं के प्रयास द्वारा समस्त दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करता हुआ जीवन के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके।

आश्रमों के प्रकार (**Types of Ashrama**) – वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत जिस प्रकार समाज को 4 वर्णो में विभाजित किया गया है ठीक उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति जीवन को सन्तुलित रखने के लिए सम्पूर्ण जीवन यात्रा को भी चार स्तरों में विभाजित किया गया है। व्यक्ति की आयु के ये 4 स्तर या भाग ही चार आश्रम कहे जाते हैं। जो कि निम्न हैं–

1. **ब्रह्मचर्य आश्रम (Brahamcharya Ashrama)** – ब्रह्मचर्य जीवन का प्रथम आश्रम है। "उपनयन" (जनेऊ) संस्कार के पश्चात् बालक ब्रहमचर्य आश्रम में प्रयोग करता है। पृथक–पृथक वर्ण के बालकों के लिए उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी। ब्राह्मण बालक, क्षत्रिय, वैश्य के लिए क्रमशः 8, 11, 12 वर्ष आयु रखी गयी थीं। इस संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। ब्रह्मचर्य का सामान्य अर्थ यौन क्रियाओं से अलग रहते हुए संयम नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करना माना जाता है। परन्तु यह तो ब्रह्मचर्य का केवल एक अंशमात्र ही है। ब्रह्मचर्य में सभी संयम – नैतिकता, आचरण शुद्धता, कर्त्तव्य परायाण ाता, अनुशासन व पवित्रता समाये हुए हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इन्द्रिय संयम से नहीं अपितु इन्द्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए नियमपूर्वक जीवनयापन करते हुए वेदों का अध्ययन करना था। इस आश्रम में व्यक्ति 25 वर्ष आयु तक, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वयं में अनेक सद्गुणों का विकास एवं चरित्र का निर्माण करता हुआ भावी जीवन अर्थात् गृहस्थ आश्रम के लिए स्वयं की तैयार करता था।

2. **गृहस्थ – आश्रम (Grhastha Ashrama)** – ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु व विधाध्ययन के बाद विवाह संस्कार सम्पन्न होने व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है जहाँ वह गृहस्थ के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करता हुआ 50 वर्ष की आयु तक रहता है। यह आश्रम ही वह महान कर्म स्थल है जहाँ व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त शिक्षा को साकार रूप देता है। इस आश्रम में व्यक्ति धार्मिक एवं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ व्यक्ति गृहस्थ मर्यादाओं का पालन करता हुआ काम, अर्थ, धर्म आदि पुरूषार्थो को प्राप्त करता है और समाज एवं परिवार के प्रति अपने कर्त्तव्यों को पूरा करता हुआ सन्तान

उत्पन्न कर पितृ ऋण से मुक्त होकर जीवन के अगले आश्रम योग्य बनता है।

गोखले के शब्दों में – "गृहस्थ आश्रम में एक गृहस्थ का धर्म है कि वह जीव हत्या, असंयम तथा असत्य से दूर रहे, पक्षपात, शत्रु, निर्वुद्धिता तथा डर को पास न आने दे। मादक द्रव्यों का सेवन, कुसंग, अकर्मव्यता और चाटुकारों पर धन व्यय न करे, माता-पिता, आचार्यों और वृद्धों का आदर करे, पत्नी के प्रति उसका व्यवहार धर्म, अर्थ एवं काम की मर्यादाओं के अनुसार हो।"

महाभारत में इन्द्र कहते हैं- "गृहस्थ का जीवन अत्यन्त उच्च तथा पवित्र है इसी के द्वारा जीवन की सफलता सम्भव है जो सुख, शान्ति, स्वर्ग, तथा कीर्ति का अभिलाषी हैं उसे गृहस्थाश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए।"

गृहस्थ के समस्त दायित्वों को देखते हुए कहा जा सकता है कि गृहस्थ आश्रम व्यक्ति के लिए भोग एवं विलास का काल न होकर त्यागमय जीवन कर्म एवं साधना का महान स्थल है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सभी अन्य आश्रमों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 25 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य आश्रम त्यागकर विवाह संस्कार के द्वारा अपनी पत्नी के साथ व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम की मर्यादाओं का पालन करता रहता है। इसके बाद वह जीवन के तीसरे आश्रम (वानप्रस्थ) में प्रवेश करने की तैयारी भी कर लेता है।

3. **वानप्रस्थ आश्रम (Vanprastha Ashrama)** - हिन्दू शास्त्रों के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् गृहस्थ आश्रम त्यागकर व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए।

1. मनुस्मृति में बताया गया है कि – "जब गृहस्थ व्यक्ति यह देखे कि उसके शरीर की त्वचा शिथिल हो गई है उसमें झुर्रिया पड़ गई हैं, बाल पक गये हैं, पुत्र के भी पुत्र हो गये हैं, तब विषयों से मुक्त होकर वह वन का आश्रम ग्रहण करे।"

2. डॉ. काणे लिखते हैं- "50 वर्ष की व्यवस्था हो जाने पर व्यक्ति संसार के सुख एवं वासनाओं की भूख से ऊब उठता था और बन की राह लेता था, जहाँ वह आत्म निग्रही, तपस्वी एवं निरापराध जीवन व्यतीत करता था।"

शाब्दिक दृष्टि से वानप्रस्थ का अर्थ है- "वन की ओर प्रस्थान करना।"

अतः 50 वर्ष की आयु व्यतीत हो जाने के पश्चात् व्यक्ति अपने परिवार, सम्बन्धियों एवं समाज को छोड़कर वन में प्रस्थान कर जाता है और ईश्वर की उपासना एवं मानव मात्र की सेवा करते हुए अपना समय 75 वर्ष की आयु तक व्यतीत करता है। वानप्रस्थी को ग्राम से दूर बन में एक कुटिया बनाकर रहना चाहिए। वह वहाँ अकेला या केवल अपनी पत्नी के सत्य रह सकता है। गृहस्थी त्याग कर वन में निवास कर वह त्याग और तपस्यामय जीवन व्यतीत करता है। व विषय भोग पर नियन्त्रण पाने का प्रयत्न करता है। वन में वह सरल, त्यागमंय एवं सेवामय जीवन व्यतीत करता है और स्वयं को ईश्वर चिन्तन में रत कर देता है। वानप्रस्थी

निष्काम भाव से कर्म करता है। वह विद्यार्थियों को निःशुलक शिक्षा ही नहीं प्रदान करता वरन् उनके चरित्र निर्माण व व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वानप्रस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के अन्तिम आश्रम संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार करना है। व्यक्ति 75 वर्ष की अवस्था तक वानप्रस्थ आश्रम में रहता है।

कूल्लक भट्ट ने इन्द्रिय संयम, सांसरिकता से विरक्ति, समता का भाव, जीवों के प्रति दया और भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह वानप्रस्थी के मुख्य धर्म बताये हैं।

4. **सन्यास आश्रम (Sanyas Ashrama)** – मनुस्मृति के अनुसार आयु के तीसरे भाग को वन में व्यतीत करने के पश्चात् आयु के चतुर्थ भाग अर्थात् 75 वर्ष की आयु के पश्चात् वानप्रस्थी संसार को त्याग कर संनयास आश्रम में प्रवेश करता था। उसका संसार से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता था, उसे ही सन्यासी माना जाता था जो संसार का पूर्णतः त्याग कर चुका हो। सन्यासी इस आश्रम में विभिन्न कर्मकाण्डों को करते हुए मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करता था ये प्रयास उसकी मृत्यु तक चलता था। 75 वर्ष की अवस्था से मृत्यु तक सन्यासी ब्रह्म व आत्मज्ञान बोध और मोक्ष प्राप्ति हेतु शेष आयु व्यतीत करता था। सन्यासी आश्रम में प्रवेश के समय अपना पुराना नाम त्यागकर नवीन नाम धारण करता था। इस आश्रम में सन्यासी केवल एक ही पुरूषार्थ मोक्ष की प्राप्ति करवाया। इसके लिए उसे सब कुछ त्यागना पड़ता था वह एक स्थान पर स्थायी यप से नहीं रहता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए लोगों को उपदेश देता था। वह हर प्रकार की चिन्ता से दूर रहकर जीने के लिए भिक्षान्न माँगता था। भिक्षा में जो कुछ भी प्राप्त होता उसी में सन्तोष करता था। वह न तो अधिक शिक्षा प्राप्ति से प्रसन्न होता था आौर न ही कम या बिल्कुल न मिलने पर दुखी होता था।

वायु पुराण में सन्यासी के 10 प्रमुख कर्त्तव्य बताये हैं-

1. भिक्षावृत्ति से भोजन प्राप्त करना 2. चोरी न करना

3. वाह्य एवं आन्तरिक पवित्रता बनाये रखना 4. प्रभाररी न होना

5. ब्रह्मचर्य पालन करना 6. प्राणियों पर दया करना

7. क्षमाशील होना 8. क्रोध न करना

9. गुरु की सेवा करना 10. सत्य बोलना

मनुस्मृति के अनुसार एक सन्यासी व्यक्ति को अपने पर पूर्ण संयम रखना चाहिए उसे नीची दृष्टि करके चलना चाहिए मन को पूर्ण पवित्र रखकर आचरण करना चाहिए। उसे दुख सुख में समान रहना चाहिए और सब प्रकार की आशक्ति त्याग देनी चाहिए।"

सन्यासी संसार में रहता हुआ भी पारलौकिक जीवन में प्रवेश कर जाता था। यह निष्काम भाव से प्राणी मात्र के कल्याण में अपने को लगा देता है। इस आश्रम में वह ब्रहम एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु उद्योग करता था।

आश्रम व्यवस्था वे शैक्षिक महत्व एवं समाज शास्त्रीय महत्व दो प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है–

आश्रमों का शैक्षिक एवं समाजशास्त्रीय महत्व (Educational & Socialogical Importance of Asharama):-

1. **ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व** (Importance of Bhramacharya Asharama) – ब्रह्मचर्य आश्रम का बालक के शारीरिक, मानसिक, एवं आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व है। क्योंकि इसी आश्रम में बालक के जीवन की नींव सुदृढ़ व मजबूत बनाकर उसे भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता था। इस आश्रम की अपनी परम्परायें, सामाजिक, मूल्य, आदर्श, व जीवन दर्शन की सहायता से भारतीय संस्कृति की अपनी मर्यादाओं को अनेक शताब्दियों तक बनाये रखा था। विद्यार्थी सरल व सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए उचित धर्म का पालन कर सीखता था कि जीवन में भौतिक आवश्यकतायें ही सब कुछ नहीं बल्कि वे तो आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक मात्र हैं।

डॉ. कपाड़िया ने लिखा है – "छात्रत्व जीवन का वह समय है जिसमें वेग होता है यह तूफान और तनाव, आतुरता, शारीरिक शक्तिवर्द्धन, भावनात्मक अस्थिरता, यौनवृत्ति विकास, यौनिक उत्तेजना और आत्म प्रदर्शन करने का काल होता है। हिन्दू विद्वानों ने विद्यार्थी जीवन को नियन्त्रित कर उसकी युवावस्था का विकास सन्तुलित रूप से करने का प्रयास किया है। उन्होंने मस्तिष्क एवं शरीर के लिए उचित विषय निर्धारित किए हैं वास्तव में ब्रह्मचर्य जीवन अत्यन्त कठोर था। परन्तु जीवन का यह ढंग यौवनावस्था के प्रबल वेग को नियन्त्रित करता था। लेकिन जब सम्पूर्ण दैनिक जीवन नियमबद्ध हो जाता है तब इससे दमन का प्रश्न ही नहीं उठता है।"

ब्रह्मचार्य आश्रम बालक को सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श की प्रेरणा प्रदान करता है।

2. **गृहस्थ आश्रम का महत्त्व** (Importance of Grhastha Asharam) – हिन्दू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि गृहस्थाश्रम में जीवन व्यतीत किये बिना व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है।

मनु के अनुसार – "जिस प्रकार वायु का सहारा लेकर सब जीव जन्तु जीते हैं उसी प्रकार ग्रहस्थ का अश्रम लेकर व्यक्ति अन्य सब आश्रमों में जीवन व्यतीत करते हैं।"

सभी आश्रमों में रहने वाले व्यक्तियों को गृहस्थ से ही भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तु में प्राप्त होती हैं जिस प्रकार सभी छोटी बड़ी नदियाँ अन्त में समुद्र में ही स्थायी रूप से विश्राम पाती है उसी प्रकार अन्य तीनों आश्रमों के व्यक्ति गृहस्थ के हाथों में ही सुरक्षा और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। इस आश्रम को अन्य आश्रमों की तुलना में निम्न कारणों से अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है–

(i) **समस्त पुरूषार्थी की पूर्ति का स्थल** – गृहस्थ आश्रम ही एक मात्र ऐसा आश्रम है जहाँ व्यक्ति धर्म, अर्थ एवं काम तीनों पुरूषार्थों की पूर्ति करता है और आगे के जीवन हेतु स्वयं को तैयार करता है। इन तीनों पुरूषार्थो को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति अपने को चौथे पुरूषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार करता है।

(ii) **यज्ञों का सम्पादन** – सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति के लिए यज्ञों की पूर्ति आवश्यक बतायी गयी है। ये

यज्ञ 5 प्रकार के बताये गये है- ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ तथा नृयज्ञ (अतिथि यज्ञ)। हिन्दू जीवन दर्शन के अनुसार व्यक्ति समाज के लिए जीकर विभिन्न यज्ञों को गृहस्थाश्रम में सम्पादित करता है।

(iii) **समाज कल्याण में योगदान** – अन्य आश्रमों की अपेक्षा गृहस्थाश्रम का समाज के सामान्य कल्याण की दृष्टि से अत्यधिक महत्व होता है। एक गृहस्थ व्यक्ति ही अन्य तीनों आश्रम के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सामूहिक कल्याण में योगदान दे सकता है। अत: गृहस्थाश्रम ही वह धुरी है जिस पर सम्पूर्ण आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व लिया हुआ है।"

3. **वानप्रस्थ आश्रम का महत्व (Importance of Vamprastha of Ashrama)** – वानप्रस्थ आश्रम का व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व रहा है क्योंकि इसके माध्यम से वैयक्तिक शुद्धि तथा सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति में बहुत सहायता मिली है। 50 वर्ष की आयु में गृहस्थाश्रम त्यागकर वानप्रस्थी वन जाने से युवा पीढ़ी के लोगों को परिवार में सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते थे। इससे परिवार में संघर्ष व तनाव की सम्भावना कम हो जाती थी। वानप्रस्थी अपने जीवन के लम्बे अनुभवों व त्यागमय आदर्शों के आधार पर ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान करता, उनक मार्ग दर्शन करता और उनके चरित्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान करता था। वानप्रस्थ आश्रम एक और वानप्रस्थी के मानसिक विकास में योग देता, उनके जीवन को धार्मिक और पवित्र बनाता है दूसरी ओर उसे सब प्रकार की सांसारिक, चिन्ताओं से मुक्त करता, संसार के पति उसमें विरक्ति भाव उत्पन्न करता और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार करता है।

4. **सन्यास आश्रम का महत्व (Importance of Sanyas Asharam)** – कुछ लोगों का कथन है कि सन्यास आश्रम आत्मिक विकास की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है परन्तु सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयोगी नहीं है। वे इसका कारण ये बताते हैं कि अन्य सभी आश्रमों में व्यक्ति समाज की कुछ न कुछ सेवा करता है, परन्तु सन्यास आश्रम में वह स्वयं के लिए ही सब कुछ करता है। सन्यासी मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न में ही लीन रहता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करता रहता है और अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर लोगों का मार्ग दर्शन करता है।

आश्रम व्यवस्था का सामान्य शैक्षिक एवं समाजशास्त्रीय महत्व (General Educational & Sociological Importance Asharam System) – समस्त आश्रमों के अपने अलग-अलग महत्व दर्शाने के बाद शैक्षिक एवं समाजशास्त्रीय महत्व को हम इन बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं-

1. **जीवन के समुचित विकास की व्यवस्था** – आयु के विकास के साथ-साथ व्यक्ति की शारीरिक शक्ति कार्य क्षमता, अनुभव तथा मानसिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता रहता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर भारतीय विद्वानों ने जीवन को न केवल बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में बाँटा अपितु प्रत्येक अवस्था हेतु एक विशेष आश्रम की व्यवस्था भी की जिससे कि व्यक्ति के जीवन का समुचित विकास हो सके।

2. **मानवीय गुणों का विकास** – आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति में मानवीय गुणों के विकास पर विशेष बल प्रदान किया जाता है। चारों आश्रमों में व्यक्ति के कर्त्तव्य का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है कि उसमें त्याग, परोपकार, सहिष्णुता सामाजिकता, उदारता, आध्यात्मिकता इत्यादि मानवीय गुणों का विकास हो सके। इन्हीं

सद्‌गुणों के विकास के फलस्वरूप समाज में ऐसे व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने मानवतावादी समाज की स्थापना में विशेष योगदान किया है।

3. **व्यक्ति एवं समाज की पारस्परिक निर्भरता पर बल** – व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है। इन दोनों का विकास सन्तुलित रूप से पारस्परिक निर्भरता को बनाये रखने पर ही निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति आश्रम में अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए यह भली–भांति समझ लेता है वह केवल स्वयं और अपने परिवार के लिए ही जीवित नहीं रहता है। उसे पता रहता है कि उसके विकास में समाज ने पग–पग पर सहयोग दिया है। अत: उसमें समाज के प्रति उचित रीति से अपने दायित्वों को निभाने की भावना उत्पन्न हो जाती है।

4. **सामाजिक नियन्त्रण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भूमिका** – आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति का चरित्र निर्माण इस ढ़ग से होता था कि वह समाज विरोधी या अनुचित समझे जाने वाले कार्य नहीं कर पाता था। अत: अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति सामाजिक नियन्त्रण में रहता था।

5. **व्यक्तिवादिता के दोषों से मुक्ति एवं समाज कल्याण में सहायक** – व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहित और समाज कल्याण की अवहेलना कर कोई भी समाज अधिक समय तक सुसंगठित एवं सुरक्षित नहीं हर सकता। अत: भारतीय विचारकों ने आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति के कर्त्तव्यों का निर्धारण इस प्रकार से किया कि समाज व्यक्ति वादिता के दोषों से मुक्त रहे। यहाँ मानव मात्र की सेवा के अलावा समस्त प्राणियों पशु पक्षी, कीड़ों–मकोड़ो आदि तक के भरण पोषण का दायित्व व्यक्ति पर डाला गया है।

6. **बौद्धिक विकास, ज्ञान के संग्रह एवं सांस्कृतिक परम्पराओं को पीढ़ी, दर पीढ़ी हस्तांतरण करना** – आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के प्रारम्भ से अन्त तक किसी न किसी रूप में ज्ञानार्जन और बौद्धिक विकास करता रहा है। गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी व्यक्तिगत सम्पर्क से बहुत कुछ सीखता था। वेदों व अन्य धर्मग्रन्थों के अध्ययन से ज्ञान संग्रह कर समाज की सांस्कृतिक परम्पराओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरण होता रहा।

7. **व्यावहारिक उपयोगितावादी** – आश्रम व्यवस्था में व्यावहारिक एवं उपयोगितावादी पक्ष पर विशेष ध्यान दिया गया है। व्यक्ति के कार्यो को समाज के हित होना चाहिए। धर्म में भी कर्त्तव्य पक्ष पर विशेष बल दिया गया है। गृहस्थाश्रम में सम्पन्न किये जाने वाले पंच महायज्ञों की बहुत उपयोगिता थी। गृहस्थ के लिए धनोपार्जन करना आवश्यक, बताया गया किन्तु धन का उपयोग स्वयं व अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज के हित में उपयोग करने पर बल दिया गया। वानप्रस्थ व सन्यास आश्रम के माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक कार्य करने एवं स्वयं में त्याग की भावना विकसित करने का अवसर भी प्रदान किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. गुप्ता मोहन लाल – आर्यो की आश्रम व्यवस्था एवं विकास – भारत का इतिहास
2. आचार्य पं० श्रीराम शर्मा – गृहस्थ एक तपोवन है– आश्रम व्यवस्था पर एक दृष्टि

3. राम सुखदास स्वामी – गृहस्थ में कैसे रहें
4. सम्पूर्ण जीवन बडोदरा – आश्रम व्यवस्था
5. मनु महर्षि – मनुस्मृति
6. जवाली उपनिषद्

भोजपुरी कविता में लोक

डॉ. संतोष पटेल
सहायक कुलसचिव, (प्रशासन व सर्तकता)
दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, सेक्टर 9, द्वारका, नई दिल्ली।

भोजपुरी कविता का विकास अन्य भाषाओं की कविताओं की तरह ही हुआ। हमेशा से भोजपुरी में गीतों की जमीन उर्वर रही है। संस्कार गीत, ऋतु गीत, व्रत गीत, श्रम गीत, श्रृंगार गीत, निर्गुण, झूमर, लचारी पूर्वी, निर्गुण व जाति आदि गीत के रूप भोजपुरी लोक साहित्य के अहाते में रहे हैं और इसलिए गेयता भोजपुरी का प्राण तत्व मना जाता है। भोजपुरी कविता में लोक, लोकसाहित्य और लोकसंस्कृति के अध्ययन अनुशीलन का प्रारंभिक श्रेय यूरोपियन विद्वानों को है।

सबसे पहले सन 1687 ई. में जॉन ऑब्रे की 'रिमेन्स ऑफ जेंटलिज्म एंड जुड़ाइज्म' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उसके बाद जे.ब्रैंड विलियम, जॉन टॉमस, डॉ फ्रेजर, ई.बी. टायलर, विलियम ग्रीम, जेकब ग्रीम प्रभृति विद्वानों के कार्य इस क्षेत्र में उल्लेखीनय है।[1]

श्री ब्रजेन्द्र भगत 'मधुकर' ने अपनी पुस्तक मधुकलश (कविता संग्रह) में बड़े गर्व के साथ लिखते हैं-

'सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोगों ने एक शताब्दी के बाद भी धार्मिक आस्था, आचार विचार, वेशभूषा, संस्कृति, सभ्यता तथा कला- कौशल आदि भारतीयों जैसा ही ज्यों का त्यों बनाए रखा है।' इसका श्रेय भोजपुरी भाषा को है। सामाजिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह भाषा कम महत्व नहीं रखती है।

कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक 'संस्कृति की रूपरेखा' में लिखा –

आप्टे कोश में 'संस्कृति' शब्द उपलब्ध नहीं होता। इससे सहज अनुमान किया जा सकता है कि आजकल जिस अर्थ में संस्कृति शब्द का व्यवहार किया जा रहा है, प्राचीन काल में इस शब्द का यह अर्थ नहीं था। संस्कृत साहित्य में संस्कृति शब्द के प्रयोग के स्थान पर 'संस्कार' और 'संस्क्रिया' शब्दों का ही व्यवहार पाया जाता है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारतीय साहित्य में संस्कृति शब्द के प्रयोग को खीजने का अथक प्रयास किया है परंतु प्राचीन ग्रन्थों में जो संस्कृति शब्द उपलब्ध होता है वह वर्तमान अभिप्राय को प्रकाशित करने मेम नितांत असमर्थ है।

आजकल जिस प्रकार संस्कृति के लिए कल्चर (culture) शब्द का प्रयोग हो रहा है, उसी प्रकार सभ्यता के लिए सिविलाइजेशन (civiization) शब्द का प्रयोग हो रहा है। इन दोनों का अंतर समझना आवश्यक है।

सुप्रसिद्ध मानव विज्ञानी शास्त्री डॉ डी एन मजुमदार के अनुसार संस्कृति के अंतर्गत मनुष्यों की रीति-नीति, लोक विश्वास, आदर्श, कलायें, तथा मानव द्वारा उपलब्ध समस्त कौशल एवं योग्यताओं को लिया जा सकता है।[2]

भोजपुरी में एक कहावत प्रचलित है :

चार कोस पर पानी बदले,
आठ कोस पर बानी।
बीस कोस पर पगड़ी बदले
तीस कोस पर छानी।।

मतलब चार कोस या आठ मील पर पानी का स्वाद बदल जाता है। आठ कोस या सोलह मील पर भाषा बदल जाती है। बीस कोस या चालीस मील पर भेषभूषा विशेषत: पगड़ी बांधने का ढंग बदल जाता है और तीस कोस या साठ मील पर छप्पर बनाने की शैली बदल जाती है।

अमेरिकन दार्शनिक जोहाना हाना आरेंट कहती हैं-"संस्कृति चीजों पर निर्भर करती है और यह दुनिया में दिखाई देती है।"

अब जब यह तमाम चीजें दुनिया को दिखनी बन्द हो जाए तो समझिए कि लोक संस्कृति पर गहरा संकट है।

लोक का सामूहिक उत्पाद संस्कृति है जिसमें दर्ज हैं सदियों से अर्जित ज्ञान व अनुभव। जिसके परिधि में अनगिनत चीजें समाहित हैं लोकभाषा, लोकगाथा, लोक पर्व, लोक साहित्य और लोकाचार।

भोजपुरी कविताओं में लोक की बात किया जाए तो हम पाते हैं कि यहां लोक में सब कुछ हैं, यहां सबका आश्रय है। जाति है, बिरादरी है, धर्म है, संप्रदाय है, किसान है, खेती है, बेगारी है, गिरमिटिया हैं, थारू हैं टी ट्राइबल हैं, अमीरी और गरीबी के साथ भेदभाव हैं जो लोक से ही जीवन शक्ति पाते हैं और अंत में लोक में ही समा जाते हैं।

वाचिक परंपरा : भोजपुरी के संपादक विद्यानिवास मिश्र इसकी भूमिका में लिखते हैं कि "..लोक साहित्य पर व्यक्ति की छाप न होकर समग्र व्यक्ति-लोक की छाप होती है।"

भोजपुरी कविता का क्षेत्र बहुत विस्तार लिए हुए है इसमें मूलत: गीतों का बाहुल्य है जैसा कि हम फ्रांस की एक भाषा ओसीटान (Occitan) में संदर्भ में देखते हैं।

भोजपुरी वरिष्ठ कवि डॉ. गोरख प्रसाद की मस्ताना के गीतों को देखना जैसे भोजपुरी लोक से साक्षात्कार करना है लेकिन प्रकृति का लालित्य देखना नहीं बल्कि प्रकृति को बचाने की चिंता है जो इको पोएट्री आजकल कर रही है -

"बरखा गीत सुनाई कइसे
गाछ बिरीछ के आँख लोराइल
हरिहर पात-गात पिअराइल

रिसियाइल सूरज अइसन कि
होते भोर किरन अगिआइल
बकुला नियर उड़त बा धूरा
मन के धीर बन्हाई कइसे...
बरखा गीत सुनाई कइसे।"[3]

डॉ. मस्ताना की आंखों से भोजपुरी गांव को देखना भारत की एकता और अखंडता को समझना है। कैसे यहां लोग धर्म के नाम पर कटुता नहीं पालते हैं। उदाहरण देखें,

नन्ही चुकी गाँव बाटे, घरवो बा नन्हकी चुकी मुकी अँगना दुआर बा इहाँ रचे बसे, जियेवाला कुल्ही लोगवा के हियवा में बड़का विचार बा।

होली में रसूल मियाँ, पुआ पूड़ी खालें

ईद में कन्हाई, खाई सेवई अघालें अइसन एकता के देश ना भूगोल में ना, अइसन परब त्योहार बा।

भोला मियाँ काका जी, रसूलन हई काकी झगरु के मउसा जी कहेलें बुलाकी जाति–पाति के ना बीज इहँवा रोपाइल बाबा जी के कोइरी ईयार बा।"[4]

यही नहीं डॉ. मस्ताना एक गीत "पइसा" उनके काव्य संकलन "अंजुरी में अंजोर" (2017) में शामिल है जहां उन्होंने बतलाया है कि पैसे के कारण परिवार में, नाते रिश्ते में, गांव समाज में और संबंधों में क्षरण हो रहा है और इसी पैसा कमाने के लिए भोजपुरी क्षेत्र से मास माइग्रेशन हुआ, बहरहाल इस रचना को देखना आवश्यक है,

"ना जानी केतना, बेमार करी पइसा
का तोपी, काथी उघार करी पइसा

नाता खोता उहवे वा जँहवा वा चानी केहू निहारे नाहीं टूटही पलानी अँखिया के अंगना से नेहिया पराइल देहिया में केतना दरार करी पइसा।

कहियो ना चान आइल हमरी अँगनवा विहँसल नाहीं तनिको हमरी सपनवा दुनो पख अमावस भइल हमरे ला काहे केतना अंजोरिया अन्हार करी पइसा।"[6]

अजित वडनेरकर कहते हैं कि लोककला, लोक संस्कृति, लोकाचार जैसे तमाम प्रचलित शब्दों में शामिल लोक शब्द वस्तुतः क्या है? इसकी अर्थवत्ता व्यापक है। विभिन्न समुदायों के संदर्भ में जब संस्कृति शब्द का प्रयोग होता है तो उसके साथ काल का उल्लेख महत्वपूर्ण हो जाता है। संस्कृति के साथ पुरातनता अनिवार्य तत्व नहीं है। यह प्राचीन भी हो सकती है आधुनिक भी हो सकती है।

संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील है। मगर इसके साथ जब लोक शब्द जुड़ता है तो स्वतः ही परंपरा का स्मरण होता है। लोक संस्कृति में पुरातनता और परंपरा दोनों का होना जरूरी है। भोजपुरी के श्याम बिहारी

तिवारी लोक जीवन के कवि हैं इसलिए उनकी कविताओं में लोक आस्था की प्रतिनिधि रचनाएं मानी जाती है। 'देहाती दर्पण' में उनकी एक रचना, 'नाच गुजरिया कजरी गावे' से कुछ पक्तियां उद्धृत हैं,

"रिमझिम रिमझिम बदरा बरसत
मँह मँह धरती मँहके लागल
पायल झाझ झमक सुन सुन के ढ़ाबुस बन गइले सन पागल
ठुमुक ठुमुक के पातर गोरया
घर में माँस अषाढ़ मनावे।
नाच गुँजरिया कजरी गावे।।"[6]

इस रचना में कजरी के परंपरा है और पुरातन काल से अब भी लोक में उपस्थित है जब भी सावन में काले बादल छाते हैं कजरी का गायन स्त्रियों द्वारा होने लगता है।

लोकभाषा-लोकगीत-लोकगाथा-लोकपर्व-लोकाचार-लोकसाहित्य आदि लोकसंस्कृति के परिधि में आते हैं। आज ये सभी संकट के घेरे में हैं। इसे हम लोक-संकट कह सकते है परन्तु लोक संस्कृति को सहेजने का काम सबाल्टर्न समाज करता रहा है बेशक आज उसको कुछ लोग बढ़िया से बेच रहे हैं उसके भी कारण है कि पूरा तंत्र उनका है पर जो कल्चरल क्राइसिस है वह कम नहीं हो जाता क्योंकि उत्पादक जब चीजों का मौलिक उत्पादन बन्द कर देगा तो नयापन कहाँ से आएगा और इस स्थिति में जो नक्काल है यानि कॉपीकेट वे उसी घिसी पीटी चीजों को रेघियाते रहेंगे।

जैसा कि हम जानते हैं कि भोजपुरी क्षेत्र के गोंड़ जाति के लोग जमींदारों के घरों में पानी भरते थे और सेवा टहल का काम करते थे। भोजपुरी क्षेत्र के गोंड़ अपने गीत और नाच के लिए जाने जाते हैं। उनके गीत को 'गोंड़ऊ गीत' कहा जाता है। उनका नृत्य 'गोंड़ का नाच' के नाम से विख्यात है। उनके गीत हास्य रस से सरोबार होते हैं।

गोंड़ऊ गीत
हलबल दलबल धुनिया धुने,
सूत काते हलुवाई।
फुफती तर के झुलनी झूले,
बुटवलि के कमाई।
झुलनी मन के ना बनी।।

खुर- खुर खुर- खुर टाटी बोले,
हम जानि पियवा मोर।
पियवा के भेसे भेसे अइले,
कँगना ले गइले चोर।

झुलनी मन के ना बनी।।

दियवा बारू रे छोटी नंनदी, महलिया में पइठल चोर
झारि झूरि के सब धन हरले,
झुलनी के बनवइहें मोर?
कलकता के बजरिया,
झुलनी मन के ना बनी।। [7]

(कोई नायिका कहती है कि धुनिया जोरों से रुई धुनता है। हलुवाई उसका सूत काटता है। मेरे नीवीबंध की झुलनी झूल रही है। बाँस की फट्टीयों का बना दरवाजा खुर–खुर की आवाज कर रहा है। मुझे भ्रम हुआ कि दरवाजे पर मेरे पति आ गए हैं। पर पति के वेश में वह चोर था। वह मेरा कंगन चुरा ले गया। नायिका अपनी ननद को जगाती है। वह ननद से कहती है कि घर में दीपक जलाओ। कारण कि घर में चोर घुस आए हैं और वे मेरे धन को चुराकर ले जा रहे हैं। नायिका को पछतावा है कि अब उसकी झुलनी को कौन बनवाएगा? ऐसी झुलनी तो कलकत्ता बाजार में भी बनना मुश्किल है।)

फिर भी संकट के इस दौर में भोजपुरी भाषा–संस्कृति और परम्पराएं बहुत तेजी से विश्व पटल पर दिखने लगी है जैसे कि हम देख रहे है कि साल 2016 में यूनेस्को द्वारा मॉरीशस के गीत गवाई रिवाज को "मानवता के बोधगम्य सांस्कृतिक धरोहर के लिस्ट" (लिस्ट ऑफ दि इनटैलेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमनिटी) में शामिल किया गया है। मॉरीशस में प्रचलित भोजपुरी गीत है "सुन कहानी गिरमिटियन के" उसमें भोजपुरी प्रदेश से 1834 से 1920 में बीच शर्तबंध मजदूर के रूप में ले जाए गए भोजपुरी भाषी लोगों की करुण कथा है,

सुन कहानी गरीमिटीयन के
काटे कलजन सुन सुन के
भईल मोहताज मुजुरिया जब देसवा में
फैसैलन मीठी बतीया दलालवा के सोनवा खातिर माई बाप छोड़ लन
छोड़लन सब कुछ सागर पारकर के पहुँचलन मिरीचीया जहाजी भाई बन के
गुलाम बन लन साहेब बोरवन के
मिलल झोपड़ीया, हंसवा पियोसवा
ओड़ावन बिछावन, पहनावा गोनीयाँ के
न सीक लिव, न लोकल लिव, न पर्व कोई।
बीत समैया बांच चौपेया रामायण के प्पू बचौलन धरमवा, पूजा पाठ करके छ्व दिन के
काम पर कटलक पेतवा खाके - एतबोर के।
मील जुल बचावे डेढ़ सौ साल के कमैया,
गाव गुण गान बाप दादा के[8]

भोजपुरी भाषा–साहित्य–संस्कृति का फलक वैश्विक पटल पर विस्तार पाया हुआ है परिणामतः यह दुनिया में दिख रहा है।

नेपाल से प्रकाशित 'जनता के गीत गावत रहेम' भोजपुरी जन गीत– माला के पढ़ने से बाद इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि नेपाल के भाषाविद और साहित्यकार डॉ. गोपाल ठाकुर की दृष्टि कविता के दृष्टि है। उनकी चिंता में गरीब गुरबा, मेहनतकश, किसान, मजूर, महिला, आजादी और मधेश की चिंता है। लोक का चितेरा किसान की चिंता में लिखते है कि

"बड़ा दुःखी भईले किसान हमरा देशवा में।
देवी–देवता पूजा माङे, भक्ता मिआँ मूर्गा माङे
पंडित कहे करिहऽ गइआ दान हमरा देशवा में बड़ा०।

जौले रहे धान घरे, पबनी सब दम ना धरे
अगिए भउआ बिके सब सामान हमरा देशवा में।बड़ा०।"

'भोजपुरी लोक–संस्कृति और परम्पराएं' पुस्तक प्रकाशन विभाग, भारत सरकार भुनेश्वर भास्कर की कृति है। यूँ तो लोक–संस्कृति पर डॉ कृष्णदेव उपाध्याय की लोक संस्कृति की रूपरेखा, राजेश्वरी शांडिल्य की –भोजपुरी लोक संस्कृति, श्याम परमार की भारतीय लोक साहित्य, श्री हंस कुमार तिवारी व श्री राधा वल्लभ शर्मा द्वारा रचित भोजपुरी संस्कार गीत व प्रो चन्द्रदेव यादव लिखित लोक–समाज और संस्कृति नामक पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिला पर भास्कर की इस महत्वपूर्ण पुस्तक को पढ़ने पर 'छतीसगढ़ी लोकगीत परिचय' में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी भूमिका की एक अंश उधृत करना प्रांसगिक है कि – "ग्राम गीतों का समस्त महत्व उनके काव्य सौंदर्य तक ही सीमित नहीं है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।" एक विशाल सभ्यता का उद्घाटन जो अब तक या तो विस्मृति के समुद्र में डूबी हुई या गलत समझ ली गई है। आर्यो के आगमन के पूर्व बहुत ही समृद्ध आर्य सभ्यता भारतवर्ष में फैली हुई थी और बीसियों छोटी–मोटी सभ्यताएं इस विशाल भूभाग में फैली हुई थी।

"लोक– साहित्य संस्कृति की समग्र चेतना का दिग्दर्शन कराता है केवल कथा तथाकथित सुसंस्कृत लोगों की चेतना ही संस्कृति नहीं है समग्र मानवीय चेतना मिलकर ही एक संपूर्ण संस्कृति बनती है और यह संपूर्णता आंखों से ओझल हो जाए तो मनुष्य खंडित और वीरु हो जाता है।"

भुनेश्वर भास्कर के लिखित इस पुस्तक में भोजपुरी लोक संस्कृति के विविध पक्षों को इन बिंदुओं के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे –

लोक जीवन का आराध्य जिसमें करमा–धरमा, नाग–पूजा, गंगा, शीतला माई, लोकपर्व छठ, छठी मइया, रामलीला, राहु पूजा आदि हैं। वही लोक पर्व में चउक–चंदा, पचाइठ, फगुआ, चौता, गायदाढ़ आदि सम्मिलित किये गए हैं।

वही लोक–जीवन व प्रकृति के अंतर्गत रोपनी के गीतों में नारी–त्रासदी का मार्मिक वर्णन किया है। एक नवविवाहिता के माँ–बाप नहीं रहने के कारण उसकी शादी बेमेल हो जाती है तिस पर उसका पति परदेश जाकर दूसरी शादी कर लेता है और घर में सौतन ले आता है। इस त्रासद स्थिति को भास्कर जिस संजीदगी से उल्लेखित करते हैं वह लोकरंग के चितेरा भिखारी ठाकुर के बिदेसिया व नाटक के क्रक्स से मिलता है –

बाबा मोर रहित त निक बर खोजिते
भइया खोजले बर गदेलवा हो राम..।
सेही रे गदेलवा देखि धइली धीरजवा
कुछ दिन में उ गइल परदेसवा हो राम
बाट के बटोहिया तुहुँ मोर भइया
एही बाटे देखिह मोर गदेलवा हो राम।[9]

सच में, रोपनी के गीत में यह गीत सुनकर मन में एक हुक सी उठती है।

विद्यानिवास मिश्र ने 'लोक काव्य का मर्म' शीर्षक लेख में लिखा था कि लोककाव्य अलंकरण नहीं है, ना फैशन है, वह 'भारतीय संस्कृति का मर्म स्थल है।'

लोक–जीवन और प्रकृति के हिस्से में कोठिला, कपडों का खिलौना, पान का पत्ते के भोजपुरी समाज में महत्व, ढोल, गवई रंगमंच, रामलीला, बांस–कला, ओड़िया–डलिया को सम्मिलित किया है। भास्कर साधारण से लगने वाले चीजों का भोजपुरिया सँस्कृति में कितना योगदान है उसको उल्लेखित कर असाधारण बना देते हैं। इस बात को पंडित बलदेव उपाध्याय के शब्दों में कहते है– –'लोक संस्कृति शिष्ट संस्कृति की सहायक होती है। किसी देश के धार्मिक, विश्वासों अनुष्ठानों तथा क्रिया कलापों के पूर्ण परिचय के लिए दोनों संस्कृतियों में परस्पर सहयोग अपेक्षित रहती है।'

भोजपुरी लोक संस्कृति व परम्पराओं का विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छतीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है वरन भारत के हरेक महानगर और औद्योगिक नगरों में विस्तार ले चुका है। यह आज वोकल या लोकल नहीं है यह अब वैश्विक (ग्लोबल) है और भुनेश्वर ने इस पुस्तक को लिख कर पूरे oratory को एक मूर्त रूप दे दिया है। अब फगुआ और चौता का महत्व देखे तो भोजपुरी की यह परम्परा भारत ही नहीं मॉरीशस से लेकर समस्त केरिबियन देशों में बड़े चाव और उल्लास से गाया जाता है–

सुमरो मन आदि भावनी, सुमरो मन आदि भवानी
पटना के पटन देवी के सुमरो, कलकत्ता काली माई..।

फिर ढोलक, झाल और झांझ पर गाते हैं– गोरिया करि के सिंगार आंगना में पिसेली हरदिया ... जैसी चर्चित फाग गाते हैं मजेदार बात यह है कि ऐसे ही फाग कैरिबियन देशों में भी गए भोजपुरी क्षेत्र के गिरिमिटिया के संताने जो आजकल वहां वे शासक प्रशासक हैं, गाते है और उल्लास मनाते हैं।

कहना ना होगा लोकधारा भले ही जीवन से कितनी विलक्षण तथा अद्‌भुत क्यों न हो, कितनी ही अविश्वासनीय तथा मिथिकल क्यों न हो तो भी वह जाति की मानसिकता पर आधारित यथार्थ ही होती है जो मन–मानस की प्रवृतियों से शक्ति प्राप्त करती है।

भोजपुरी क्षेत्र में छठ लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। राहु पूजा के दुसाध जाति से जुड़ा है वे अपने–आपको राहु का वंशज मानते हैं। ऐसे ही मुसहरों की परम्परा में समाज के अंतिम पायदान की जाति को शबरी से जोड़ कर जिसका जूठे बेर को भगवान श्री राम ने खाया था, उन्हें सम्मान प्रदान किया है।

पंजाबी लोकधारा के चिंतक बणजारा बेदी ने लिखा है कि 'हम अब तक अपनी लोकधारा के प्रति उदासीन बने रहे है। हम इसे फोकट, काल्पनिक तथा अवैज्ञानिक मान कर चलते रहे हैं, शायद इसीलिए हमने इसकी सामग्री को ढंग से नहीं देखा।'

समकालीन भोजपुरी कविताओं ने लोक को बचाए रखा है युवा कवियों ने बहुत कोशिश की है इसको संरक्षित रखने का ताकि यह अगली पीढ़ी में भी जीवित रहे।

'भोजपुरी के श्रृंगार गीत' नाम पुस्तक की भूमिका में दिनेश्वर प्रसाद सिंह दिनेश लिखते हैं

"गीत–काव्य साहित्य के एक सशक्त विधा है। आदमी के मन की टीस, कसक और वेदना के व्यक्त करने में जहाँ कविता असमर्थ हो जाती है वहाँ गीत समर्थ हो जाता है।' स्वर, ताल, लय, आरोह–अवरोह वगैरह के संयोग से गीतकार अपने भाव मुखरित करता है।

इस संदर्भ में भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गीतकार भोला नाथ गमहरी की रचना देखा जा सकता है,

"कीचड़ से नील कमल दियना से कजरा
चिटुकी भर नेह से सँवरि जाला जियरा !
जब जब किरिनिया अगिन बरिसावे धरती के तप से सागर उठि धावे
बूँद बूँद बनि के बरसि जाला बदरा। चिटुकी भर नेह से सँवरि जाला जियरा!"[10]

भोजपुरी लोकगीतों की लय और तुक सम्बंधी विशेषताओं की तरफ ध्यान दिलाते हुए विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है– "लय और ताल की परख जितनी इन गीतों में है, उतनी हमें संस्कृत साहित्य के बिरले शब्दों में ही मिल सकी है। वैसे यह संगीत – शास्त्र की दृष्टि से भी गहन अन्वेषण का विषय है और इस पर विशद–प्रकाश यहां डाला भी नहीं जा सकता, पर मात्रा निदर्शन के रूप में कुछ चीजों की ओर इशारा किया जा सकता है। सोहर की लय बहुत परिचित लय है। इस लय की विशेषता यह है कि यह मानों प्रसव वेदना की गहनता लिए चलती है और अंत में एकदम उत्कर्ष में चढ़कर उल्लास की अभिव्यक्ति करती है। कजली जैसे झूले के गीत में लय पेंग के साथ उतरती–चढ़ती है। जाँते के गीत में जाँते के चक्कर पूरे होने के साथ–साथ 'हे राम' के गीत की कड़ी आकर एक झटके में मोड़ लेती है। विवाह के गीत में शुरू से ही लय उल्लसित रहती है। निराई या रोपनी के गीतों में एक पहटा (पंक्ति) कार्य समाप्त होते ही गीत की कड़ी बदल जाती है और गीत में लय की खींच अपरिमित– सी लक्षित होती है।

समकालिन भोजपुरी कवियों की रचनाओं में लोक में विद्यमान संकट को देखा जा सकता है। जिस प्रकृति हम निरखते थे उस पर संकट है। भोजपुरी कविता में प्रकृति की सुंदरता को जितनी शिद्दत से विषय बनाया जाता है उसी प्रकार से मौसम के विभिन्न रूप रंग और उसकी विशेषता का वर्णन देखने लायक होता है परंतु आज जब प्रकृति, वातावरण और पर्यावरण की चिंता मनुष्य के चिंतन के केंद्र में तो भला साहित्य अपने को कैसे दूर रख सकता है। इको कवि राकेश कबीर की रचना में लोक की चिंता साफ–साफ देखी जा सकती है,

बेचारी नदी
कल–कल बहत गंदा नाला
नदि सूखल जात बाड़ी सन,
सूख रहल बाड़े सन ताल–तलैया कईगो
दरियाव के सांसो टूटल जात बा

भर गइल इनार कूड़ा–करकट से
पोखरो के दुर्गति भइल जात बा
अब त शहर के गंदा नाला से
थोर बचल बा नदियन में मामूली हरकत।

इसी कनक किशोर के भोजपुरी ‘धधकत सुरुज पियासल धरती (2023) नामक संग्रह में संकलित कविता’ ‘धरती के दुख’ को इस परिपेक्ष्य में देखना जरूरी है।

साधो ! धरती दुख बखाने
माटी माई के रूप है, ना बुझल तू भाई
जंगल, पहाड़ मोर सपूत है, ई समझ तू भाई
नदी नारी हमरे ह बेटी, पानी सभकर परान
लूटे जनि तू ई तीनों के, तबहीं बाची परान।[11]

प्रो लाल बहादुर वर्मा ‘धरोहर’ नामक लोकगीत के संकलन में लिखते हैं

“सभ्यता के प्रारम्भ में सारा समाज सृजनशील था, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से ही एक सांस्कृतिक प्राणी है। इसीलिए लोक जीवन ही समाज के सांस्कृतिक जीवन की आधारशिला है। पर धीरे–धीरे समाज के भद्र जन, सभ्य जन और सशक्त जन, सामान्य जन को अपने अधीन करते गये और लोक जीवन से सम्बन्धित हर चीज को निम्नतर करार दिया। लोक गीत, लोक संगीत, लोक कथाएँ, यहाँ तक कि लोक भाषाएँ भी निम्न्तर करार दी गयीं। परन्तु असहाय होते लोक जीवन में उद्य जिजीविषा बनी रही है और उसकी अभिव्यक्तियाँ सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध करती रहीं, भद्र जन उसे माने न माने। आज ‘एथनिक’ चीजों का भी बाजरीकरण हो रहा है। लोक जीवन की चीजें संग्रहालयों और बाजारों में जगह पा रही हैं, क्योंकि संस्कृति का एक भारी बाजार विकसित हो गया है।”[12]

भोजपुरी कविता में लोक की तासीर अभी भी व्याप्त है लेकिन बाजारवाद का प्रभाव से बच नहीं पाया है। पुरातन या परंपरा से आए विद्रूपताओं का प्रतिकार भी कविता में देखने को मिल जाता है जैसा कि

रामपति रसिया जी उर्फ नथुनी प्रसाद कुशवाहा मनुवाद पर जबर्दस्त प्रहार करते हुए लिखते है:

"मनु के मान बढ़ाव मति
जाति पाति के भेद–भाव ही सबका के छितरवले बा
सोना अइसन नगरी में सदियन से आगि लगलवे बा
कर्मकांड का रसरी से कसि कसि के बोझा बान्हल बा
स्वर्ग नर्क के छान लगा के भारतवासी छानल बा
कब ले रहब छानल तू अब आगे छान लगवा मति
मनु के मान बढ़ाव मति।[13]

संचार क्रांति के युग में जहां दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई इस दौर में भोजपुरी की कविता को विस्तार मिला है। विभिन्न देशों को आपस में जुड़ने का अवसर मिला है जिसके कारण भोजपुरी लोक का विस्तार हुआ है ही उसमें अनेक देशों में भोजपुरी के लोक विविधता भी देखने को मिल रहा है जो सुखद है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भोजपुरी संस्कार गीत, श्री हंस कुमार तिवारी, श्री राधाबल्लभ शर्मा द्वारा लिखित प्रस्तावना से उधृत, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, अगस्त, 2011
2. डॉ मजूमदार तथा टी एन मदान– एन इंट्रोडक्शन टु सोशल एंथ्रोपोलाजी, पृष्ठ 14, प्रथम संस्करण, 1960
3. बरखा गीत सुनाई कइसे, जिगनी पहाड़ हो गइल, डॉ. गोरख प्रसाद मस्ताना, पृष्ठ 33 इंद्रप्रस्थ भोजपुरी परिषद, नई दिल्ली, 2008
4. तथैव, पृष्ठ 42
5. अंजुरी में अंजोर, पृष्ठ 40, जेबीएस पब्लिकेशंस इंडिया, नई दिल्ली,2017
6. देहाती दरपन, कला निकेतन बेतिया, 2004, संपादक : डॉ. ज्योत्सना प्रसाद, पृष्ठ 40
7. आधुनिक भोजपुरी के दलित कवि और काव्य, डॉ राजेंद्र प्रसाद सिंह, गौतम बुक सेंटर, नई दिल्ली, 2010 पृष्ठ 86
8. मॉरीशस का सृजनात्मक साहित्य से उद्धृत, संपादक: विमलेश कांति वर्मा, साहित्य अकादेमी, 2016 पृष्ठ 444
9. रोपनी के गीतों में नारी त्रासदी, भोजपुरी लोक संस्कृति और परपराएं, भुनेश्वर भास्कर, प्रकाशन विभाग, 2007, पृष्ठ 44
10. भोजपुरी के श्रृंगार गीत, जमशेदपुर भोजपुरी साहित्य परिषद, 2015, पृष्ठ 48
11. धधकत सुरुज, पियासल धरती, (पर्यावरणीय कविता संग्रह), कनक किशोर सर्वभाषा प्रकाशन, दिल्ली, 2023 पृष्ठ 56
12. धोरहर लोकगीत संग्रह, संपादन: अमित कुमार व उमेश कुमार पटेल श्रीश, अमूल्य प्रकाशन, गोरखपुर, 2015, पृष्ठ 20–21
13 घेरले बा बदरी, रामपति रसिया, सुधा संस्कृति संस्थान, गोरखपुर, 2008, पृष्ठ 37

संस्कृत वाङ्मय और राष्ट्र का सामाजिक अभ्युदय

श्री रामरेखा कुमार
विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग,
बी.आर.एम. कालेज, मुंगेर, बिहार

देववाणी संस्कृत विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम भाषाओं में सुप्रतिष्ठित है। भाषा की वैज्ञानिकता, मौलिकता एवं शाब्दिक समूह की दृष्टि से संस्कृत वाङ्मय का स्थान अन्यतम है। संस्कृत वाङ्मय सदियों से समाज के भव्य विचारों का दर्पण रहा है। संस्कृत के द्विधा रूप हैं – वैदिक संस्कृत वाङ्मय एवं लौकिक संस्कृत वांङ्मय।" वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में एक महान अंतर है। वैदिक संस्कृत जनभाषा का साहित्य है, दैवीय साहित्य है, ग्राम-संस्कृति का साहित्य है जबकि लौकिक संस्कृत उच्च वर्ग की साहित्यिक भाषा का साहित्य है, मानवीय साहित्य है, नागरिक-संस्कृति का साहित्य है।" संस्कृत के वैदिक स्वरूप में चारों वेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषद साहित्य इत्यादि परिगणित है। जबकि वाल्मीकि रामायण महाभारत पुराण से प्रारंभ होकर संस्कृत के अधुनातन स्वरूप लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत वाङ्मय का साहित्यिक, वैयाकरणिक, दार्शनिक एवं भाषा वैज्ञानिक महत्व तो है ही साथ ही इसका धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक महत्व भी भूरिशः है। इसके विपुल साहित्य में राष्ट्र मंगल की संकल्पना सन्निहित है। इस शोध आलेख के माध्यम से राष्ट्र के सामाजिक अभ्युदय की पड़ताल प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाषा की संस्कृति और संस्कृति की भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। संस्कृति की वहिका रीति-रिवाज-परंपरा से अधिक महत्वपूर्ण भाषा रही है। भाषा के बगैर संस्कृति गूंगी और राष्ट्र अंधा होता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति की आधारशिला माने जाने वाले दर्शनों जिनमें बौद्ध ध र्म को पाली भाषा में, जैन धर्म को प्राकृत भाषा में और वैदिक दर्शन को संस्कृत से अलग कर हम न ही दर्शन की कल्पना कर सकते हैं और न ही राष्ट्र की सामाजिक-सांस्कृतिक स्थितियों को। इसीलिए राष्ट्र की सामाजिक-सांस्कृतिक सुदृढ़ता को स्थापित करने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जहां तक भाषा के रूप में संस्कृत की बात की जाए तो समूची की समूची वैदिक-ब्राह्मण-संस्कृति-संस्कृति की नींव संस्कृत भाषा पर टिकी है। मेरा मानना है कि राष्ट्र और भाषा का न केवल अन्योंन्याश्रय संबंध है बल्कि भाषा के बिना राष्ट्र की कल्पना भी संभव नहीं है। भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य में संस्कृत, संस्कृति की अजस्र धारा है जिसमें देवता हो या मनुष्य, ऋषि हो या महर्षि सभी को अमरता प्रदान किए हुए हैं।

मानव और समाज में अन्योन्याश्रय संबंध है। इन दोनों के बीच के अंतःसंबंधों को सुदृढ़ करने में भाषा की माहती भूमिका होती है। भाषा व्यक्ति को शब्द प्रदान करती है और व्यक्ति शब्द प्रयोग के द्वारा व्यक्ति या समाज से भावात्मक एवं विचारात्मक संबंध स्थापित करता है, और यही संबंध समाज को

जीवंत बनाता है। अंततः जीवंत समाज की नींव पर राष्ट्र की इमारत सुशोभित होता है। इससे समाज में गति, मति और शक्ति का संचार होता है। संस्कृत वाङ्मय ने यह दायित्व सदियों से निभाया है। वैदिक साहित्य से प्रारंभ होकर वर्तमान के अनेकानेक पद्यकाव्यों, गद्यकाव्यों, कथा–साहित्यों एवं नाट्यकाव्यों में राष्ट्र की सामाजिक उन्नतियों- अवनतियों की विशद विवेचना उल्लिखित है। समाज एवं राष्ट्र अभ्युदय के विविध प्रतिमानों जैसे सामाजिक मर्यादा, रीति–रिवाज, पर्व–त्यौहार, विवाहादि संस्कारों का विवरण संस्कृत वाङ्मय में सर्वतोभावेन दृष्टिगोचर होता है। समाज की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सरोकारों का जितना वर्णन संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है।

राष्ट्र निर्माण की अवधारणा संस्कृत वाङ्मय में ही प्राप्त होता है। यद्यपि ऋग्वेद को सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है लेकिन राष्ट्र शब्द का प्रयोग बहुत बाद के विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण लगभग 200 ई. पूर्व तक का है। इसमें राष्ट्र को एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत लिया गया है।

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चौव दक्षिणम्।
वर्ष तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः।।

(अर्थ : समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और उसके संतों (नागरिकों) को भारती कहते हैं।)

ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के साथ–साथ तत्कालीन समाज में सामाजिक वर्गीकरण की स्थिति को भी स्पष्ट किया गया है विषय है। "ऋग्वेद में सर्वप्रथम समाज के दो वर्ग - आर्य एवं अनार्य की चर्चा की गई है। आर्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और अनार्य जातियों में दस्युओं, दासों और व्रात्यों का नाम मुख्य है।" हालांकि आर्य अनार्यों के प्रति भेदभाव करते हैं। यह नास्तिक है, चोरी करते हैं, आदि। परंतु राष्ट्र के अभ्युदय में अनार्यो का स्थान महत्वपूर्ण है। इसकी कर्म–कुशलता एवं शिल्पकारिता प्रसिद्ध है। यह श्रम के बल पर अडिग रहते हैं। कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था की संकल्पना वैदिक समाज की देन है। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन प्राप्त होता है:

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासिद् बाहू राजन्यकृत।
ऊरू तदस्य यव्दैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत।।

(अर्थ : उस परमपुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य एवं पाद से शूद्र की उत्पत्ति हुई है।)

यह चारों वर्ण सर्वतोभावेन समाज एवं राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य करते हैं। इन चारों वर्णों में उत्तरोत्तर वर्ण अपेक्षाकृत श्रमशील होते हैं और समाज के चतुर्मुखी विकास में योगदान करते हैं। ब्राह्मण समाज में विद्या एवं ज्ञान की व्यवस्था करते थे, क्षत्रियों का दायित्व राष्ट्रीय एवं समाज की रक्षा करना तथा प्राजाओं में सुव्यवस्था कायम करना, वैश्य अपने कृषि एवं वाणिज्य व्यापार से समाज को समृद्ध बनाता था शूद्र सेवा के अलावा कृषि एवं पशुपालन में भी दक्ष होते थे। समस्त सामाजिक क्रियाकलाप जिस पर राष्ट्र की समृद्धि निर्भर करती है, शूद्र संपादित करते थे। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है की शूद्र श्रम का मूर्तिमान रूप है। इस पर यह समग्र

राष्ट्र टिका हुआ है। यह चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक एवं सहायक थे। किसी प्रकार का विरोध वैमनस्य इसमें नहीं था। वैदिक कालीन समाज में समरसता थी। यह सभी अपनी-अपनी रुचि एवं प्रकृति के हिसाब से व्यवसाय का चयन कर सामाजिक उत्थान में सहयोग प्रदान करते थे। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्मानुसार थी जन्मानुसार नहीं। कर्म के आधार पर वर्ण परिवर्तन भी हो जाते थे। सामाजिक सद्भावना, सहयोग, प्रेम एवं समरसता की दृष्टि से ऋग्वेद का श्रद्धा सूक्त एवं सौमनस्य (संज्ञान सूक्त) अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा मानव जीवन का सर्वाधिक मूल्यवान भाव है। श्रद्धाभाव से युक्त मानव सभी प्राप्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं:

श्रध्दां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते।
श्रध्दां हृदय्य याकुत्या श्रध्दया विन्दते वसु।।

वैदिक वाङ्मय में समाज को मिलकर रहने की प्रेरणा देते हैं। 'एकता में बल है' यह हमें बतलाता है कि जब तक हम एकता के सूत्र में बंधेंगे नहीं तब तक समाज एवं राष्ट्र के अभ्युदय की संकल्पना धरी की धरी रह जाएगी। वेद हमें छोटे-बड़े, छूत-अछूत, अगड़ी-पिछड़ी, काले-गोरे इत्यादि के भेदभाव परित्याग कर मिलकर चलने की प्रेरणा देते हैं:

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं नो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते।।

(अर्थ : हे मनुष्य मिलकर चलो मिलकर बोलो तुम्हारे मां समान विचार वाले हैं जैसे प्राचीन देवों या विद्वानों ने एक मत होकर अपना भाग स्वीकार किया।)

संगठन में शक्ति होती है। चाहे परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो सर्वत्र संगठन की महत्ता है। हमें एक दूसरे के महत्व को जानना चाहिए, समझना चाहिए। चलना प्रतीक है - गति का, उन्नति का और बोलना आपसी संवाद का द्योतक है। प्रगति के लिए हमें मिलकर चलने की जरूरत है। परस्पर समझ विकसित होने से बड़ी-से-बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। वर्णित मंत्र सामाजिक दृष्टि से संगठन की शक्ति को रेखांकित करती है। मंगलमय विचार राष्ट्राभ्युदय की उत्प्रेरक-शक्ति है।

यजुर्वेद में यद्यपि यज्ञपरक एवं कर्मकांडों से संबंधित मंत्रों की प्रचुरता है, तथापि इसमें यज्ञ के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र में शांति व उन्नति की उद्भावना का सन्निवेश प्रचुरता से किया गया है। यजुर्वेद के 34 वे अध्याय में वर्णित शिवसंकल्प सूक्त के माध्यम से व्यक्ति के सुषुप्तावस्था से जाग्रतावस्था में प्रेरित करने की बात कही गई है। व्यक्ति जब सोकर जगता है तब वह नित्य क्रिया में लगकर आत्म कल्याण, जनकल्याण एवं राष्ट्रकल्याण में प्रवृत होता है। व्यक्ति का मन निश्चय ही मंगलमय संकल्प एवं विचारों से युक्त होना चाहिए-

यज्जाग्रतो दूरमुदेंति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति।
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।।

राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसे केवल मनुष्य ही नहीं वरन् देवता भी नमन करते हैं। राष्ट्र निर्माण में परिवार मूल इकाई के रूप में कार्य करते हैं। अगर परिवार में शांति और प्रेम होगी तो समाज में भी शांति विराजेंगे। यदि समाज में परस्पर कलह, द्वेष, वैमनस्य, ईर्ष्या नहीं है तो राष्ट्र में सर्वत्र शांति का साम्राज्य स्थापित होगा।

फलतः राष्ट्र की प्रगति सामाजिक व्यवस्था पर टिकी है। राष्ट्र के सामाजिक अभ्युदय की दृष्टि से अथर्ववेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक वाङ्मय में राष्ट्र के पांच अंगों का वर्णन मिलता है। यह पांच अंग थे – कुल (परिवार), ग्राम, विश (कबीला) जनपद और राष्ट्र। इन पांचो रूपों में सामाजिक संरचना की व्यवस्था एवं राष्ट्र के सामरिक महत्व को दर्शाया गया है। राष्ट्र की धार्मिक, न्यायिक, राजनीतिक व्यवस्था संबंधी जो अनेक परिषदें स्थापित हुई उनका गठन राष्ट्र के पांच अंगों के आधार पर किया गया है। निसंदेह वैदिक राष्ट्र की इस संकल्पना ने वर्तमान जनतंत्र को जन्म दिया है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जगाने में अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त अपने क्षेत्र का अकेला काव्यमय में सूक्त है। पृथ्वी सूक्त में ही सर्वप्रथम मातृभूमि की संकल्पना की गई है–

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः।

सर्वगुणसंपन्न संतान राष्ट्र की प्रगति में सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदान करते हैं। वही राष्ट्र उत्तम है जिसमें विविध जातियां, उपजातियां एवं विविध धर्म के लोग परस्पर एकता के बंधन में बंध कर रहते हैं। राजा और प्रजा दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही राष्ट्र का सामाजिक अभ्युदय संभव है। समाज और राष्ट्र की श्रीसंपन्नता वहां रहने वाले व्यक्तियों की गतिशीलता एवं क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। प्रगति के लिए जागना जरूरी है, वासनाओं से भागना जरूरी है और त्याग एवं बलिदान की बलिबेदी पर मर–मिटना जरूरी है। मनुष्यों के मध्य परस्पर सामंजस तथा एक्यभाव विकासशील समाज एवं राष्ट्र की रीढ़ हैः

अंसवाधं मध्यतो मानवानां यस्मा उव्दत प्रवतः समंबहु।
नानावीर्या औषधीयां बिभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः।।

(अर्थ : गुण, कर्म और प्रकृति की भिन्नता होने पर भी हमारी जिस भूमि के मनुष्यों के मध्य परस्पर सामंजस्य तथा ऐक्यभाव है तथा जो भूमि रोगनाशक औषधीय को धारण करती है, वह हमारी कामनापूर्ति करने वाली हो।)

वैदिक वाङ्मय में राष्ट्र के सामाजिक अभ्युदय पर विशद विवेचन प्राप्त होता है। जब समाज में रहने वाले सभी वर्ण के लोग एक दूसरे के सुख–दुख में सहयोगी होते हैं तब हम और हमारा समाज आगे बढ़ता है। यह तभी संभव है जब हम अंतिम पायदान पर आसीन व्यक्ति पर अहैतुक प्रेम की सुधावृष्टि करते हैं। सामाजिक संदर्भों में सहयोग की भावना एवं व्यक्ति के हृदय में उसकी उद्भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उदात्त भावना के अभाव में सामाजिक एवं सामरिक ताना–बाना बिखरता है। व्यक्ति, व्यक्ति से टूट कर मृतप्राय हो जाता है। राष्ट्र भी उसी तरह खंड–खंड हो जाता है जिस तरह संतरा का फल बाहर से दिखता तो एक है परंतु अंदर से वह कई टुकड़ों पर बिखरा हुआ–सा रहता है। यह सच है कि वैदिक वांग्मय में चार वर्णों की सृष्टि का वर्णन वर्णित है। हमारे प्राचीन मंत्रद्रष्टा ऋषियों, मनीषियों ने सामाजिक समरसता की जो स्त्रोतस्विनी प्रवाहित की है, उसे संरक्षित और संवर्धित करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

भोलाशंकर व्यास : संस्कृत–कवि–दर्शन : चौखंबा विद्या भवन प्रकाशन, वाराणसी

विष्णु पुराण

वर्चस्वपति गैरोला : वैदिक साहित्य और संस्कृति चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान प्रकाशन, नई दिल्ली, ऋग्भाष्यसंग्रह : संपादक – डॉ. देवराज चानना, मुंशीराम मनोहरलाल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

शतपथ ब्राह्मण

ऋग्वेद

यजुर्वेद – प्रस्तुति आचार्य वेदांत्रित, मनोज पब्लिकेशन

अथर्ववेद संहिता : मनोज पब्लिकेशन, दिल्ली

डॉ. प्रवेश सक्सेना : वेदों में क्या है?, हिंदूलाजी बुक्स प्रकाशन, नई दिल्ली

अनामिका के काव्यों में स्त्री संवदेना

डॉ0 अरुण कुमार मिश्र
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी
एम.डी.पी.जी कॉलेज, प्रतापगढ़

मानवीय संवेदना के चित्र उकेरने में अनेक कवियों एवं कवयित्रियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जिनमें अनामिका महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बनकर उभरी। उनकी संवेदना मानवीय सरोकारों में स्त्री की दुनिया से सर्वाधिक जुड़ती है, इसी कारण स्त्री संवेदना के चित्रा उकेरने में वे अग्रगामी हैं। उनकी संवेदनाओं में पतीली में भात पकाती औरतों से लेकर घर की चौखट पर बर्तन साफ करती युवतियों, झाड़ू लगाती कन्याओं तक के चित्र उपस्थित हैं। जो वर्तमान मानव समाज को एक चित्र बनाते दिखायी पड़ते हैं।

जीवन की स्थितियों का अंतिम चरण वृद्धावस्था होती है। परिवार के भीतर वृद्ध लोगों की अजीब स्थिति बन जाती है। जब घर के सारे लोग अपने-अपने कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं तब घर के किसी कोने में कोई वृद्धा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वृद्धावस्था में अनेकों व्याधियों से शरीर रुग्ण भी हो जाती है जिसके कारण शरीर दर्द से तड़पता रहता है। शरीर के दर्द के साथ-साथ उसे मानसिक दर्द से भी गुजरना पड़ता है। वृद्धावस्था में आँखों से भी कम दिखाई देता है क्योंकि आँखों में मोतियाबिंद की धमक होती है। पेट भरने के लिए सिर्फ दो वक्त की रोटी से वास्ता रहता है। घर में रखा हुआ अखबार भी सबसे बाद पढ़ने के लिए मिल पाता है। अनामिका के शब्दों में-

"आज का समाचार देखा?
बच्चों के इम्तिहान हैं, टीवी खुली नहीं।'
'अखबार भी नहीं मिला?'
'जिनको दफ़्तर जाना है' उन सबके पढ़ने के बाद दोपहर में पढ़ती है
चैन से मैं अख़बार।"[1]

कभी-कभी उसके अपने बच्चे भी रोजी-रोटी की तलाश में घर से दूर चले गए रहते हैं। बूढ़ी आँखों से अपने अरमानों को मन में दबाए अपने बच्चों के आने की राह निहारती रहती है। यदि पति जीवित है तो कुछ सहारा और संबल बना रहता है। ऐसे दंपतियों के मन में भावनाओं का ज्वार चढ़ता उतरता रहता है। घर के आस-पास बने पार्क में जाकर अपना समय बिताते हैं। पार्क की हरी फर्श और ऊपर नीली छत उनके लिए घर बार जैसी बन जाती है। अनामिका के मन में ऐसे लोगों के प्रति गहरी संवेदना है। ऐसे वृद्ध जनों के मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करती हुई अनामिका की कविता 'पार्क में बुढ़ापा' वृद्ध जनों के जीवन का वास्तविक चित्र खींचती है।

"जब तक हम दोनों ज़िन्दा हैं–
ज़िन्दा है हम दोनों के बीच
हरियाली का यह एहसास
बच्चों की मुँहतक्की क्या?
जैसे ग़रीब आदमी
बचा–बचा रखता है
अपनी खुद्दारी –
मैं तुमको रखूँगी,
तुम भी मुझे रखना –
इस बैंगनी छाया में
कम से कम इस जीवन–भर।"[2]

घर में रहने वाली वृद्धा के मन में हमेशा एक संकोच की भावना बसी रहती है। अपने बुढ़ापे को लेकर एक अनजानी सी अशांति हृदय में बसी रहती है। घर में किसी मेहमान के आ जाने पर वह बैठक से उठकर कहीं दुबक जाती हैं। वे घर में ऐसे रहती हैं जैसे स्वयं के होने के खातिर सबसे क्षमा प्रार्थी हों। जीवन का एक–एक कतरा परिवार को देने के बाद भी वृद्धावस्था में उनका खुद का घर भी उनके लिए पराया लगने लगता है। कभी–कभी तो अपने बुढ़ापे की आशंका से मानसिक रूप से असुरक्षित और असंतुलित होकर विक्षिप्त अवस्था तक पहुँच जाती है। परिस्थिति का वास्तविक चित्र खींचते हुए अनामिका लिखती हैं–

"रहती हैं वृद्धाएँ, घर में रहती हैं
लेकिन ऐसे जैसे अपने होने की खातिर हों क्षमाप्रार्थी–
लोगों के आते ही बैठक से उठ जाती,
छुप–छुपकर रहती हैं छाया–सी, माया–सी।"[3]

बहू को सास की और बेटों को माँ की आवश्यकता सिर्फ इसलिए होती है की कहीं बाहर जाने पर उनके बच्चों की देखरेख कौन करेगा? इस भाव में वह घर की मालकिन नहीं बल्कि सेविका बनकर रह जाती है। जब कभी बहू बेटों में लड़ाई होती है तो इस बात पर बहस छिड़ती है कि तुम्हारी माँ ने आखिर दिया ही क्या है? अचंभित नेत्रों से वृद्ध सास सब कुछ निहारती है। कुछ देर अनसुना करने के बाद परिस्थिति को पढ़ने और बहुत कुछ समझने की कोशिश करती है। इन सारी बातों से उनका मन बेचैन हो जाता है और वह गाँव चली जाने के बारे में सोचने लगती है।

"पति–पत्नी जब भी लड़ते हैं उनको लेकर
कि तुम्हारी माँ ने दिया क्या, किया क्या–
कुछ देर वे करती हैं अनसुना,
कोशिश करती हैं कुछ पढ़ने की,
बाद में टहलने लगती हैं,
और सोचती हैं बेचौनी से–
गाँव गए बहुत दिन हुए।"[4]

स्त्री जीवन की सबसे बड़ी विडंबना वैधव्य है। एक स्त्री विवाह के उपरांत जब सज-धज कर अपने ससुराल आती है तब उसके मन में अनोखे अनोखे सपने लहरा रहे होते हैं, किन्तु अचानक पति की मृत्यु हो जाने पर उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसे भयानक यंत्रणाओं से रोजाना जूझना पड़ता है। प्राचीन काल में विधवा स्त्री को अपने मृत पति के साथ सती होना पड़ता था किन्तु राजा राममोहन राय तथा अन्य महापुरुषों के प्रयासों से इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लग सका। ऐसे महापुरुषों ने विधवा पुनर्विवाह को भी समाज में मान्यता प्रदान करायी। यद्यपि आज भी विधवा विवाह परिस्थितियों पर ही निर्भर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बने कानून में पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार होने के कारण अमीर परिवारों से सम्बन्ध रखने वाली विधवाओं की स्थिति तो कुछ हद तक ठीक है, किन्तु गरीब परिवार से सम्बन्ध रखने वाली महिलाओं की स्थिति आज भी सोचनीय है। आज भी रूढ़िवादी समाज में विधवा स्त्री की उपेक्षा होती है और उसे अमंगल का प्रतीक माना जाता है। एक विधवा स्त्री की स्थिति स्पष्ट करते हुए अनामिका लिखती है-

"मंगल सूत्र किसी का टूटा,
बिखरे मन को- से तोर।
क्षितिज-माँग से उसके फिर
सिंदूर पुँछ गया।"[5]

अनामिका की कविताओं में कामकाजी महिलाओं की परेशानियों का भी चित्रण दिखाई देता है। कामकाजी महिलाओं को घर परिवार के साथ-साथ बाहर की भी जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ती है। इसलिए उनकी दिक्कतें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। सुबह से शाम तक ऑफिस का काम करने के बाद जब वह घर लौटती है तो घर के कामकाज में भी मशीन की तरह लग जाती है। जब परिवार के अन्य सदस्य सो जाते हैं तब स्त्री को अपना काम पूरा करना होता है, क्योंकि काम पूरा किये बिना भला वह केसे सो सकती है? काम के पीछे पूजा पाठ का भी समय नहीं मिल पाता। पूजा करते-करते काम की ही फिक्र रहती है। जिम्मेदारियाँ का बोझ इतना होता है की मिली हुई तनख्वाह की एक-एक पाई का हिसाब रखना पड़ता है।

या देवी सर्वभूतेषु... सविता, देखो बेटी, जल तो नहीं रही सब्जी?
'निद्रारूपेण संस्थिता'... जागा पिंटू, उसे जगाओ, स्कूल-बस छूटेगी।
'नमस्तस्यै नमस्तस्यै'... फ़ोन बज रहा है, उठाओ तो।
मेरा होगा तो कह देना-सी.एल. पर हूँ आज।
सिर दुःख रहा है!
'ॐ जयन्ती काली-महाकाली' - अख़बारवाले भैया, रुक लो।
आती हूँ, कर लूँ हिसाब, कल मिल गयी मुझे तनख्वाह।"[6]

शिक्षित स्त्री के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपनी शिक्षा के उपयोग करने की कामना होती है जो उसे घर नहीं बैठने देती। साथ ही आर्थिक दबाव तथा बढ़ती हुई महंगाई के कारण केवल पति के ऊपर निर्भर रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने खुद के परिश्रम से घर चलाने में सहभागी बनी रहती है। इस प्रकार घर और बाहर उसकी भूमिका बढ़ जाती है। इस बढ़ती हुई भूमिका में उसे घर और बाहर दोनों जगह संतुलन स्थापित करना पड़ता है। स्त्री जीवन की एक और सबसे बड़ी समस्या पति और पत्नी के बीच उठने

वाला विवाद है। वैसे तो दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं, किन्तु फिर भी पुरुष का वर्चस्ववादी रवैया स्त्री को आहत करता है। पति–पत्नी का सखा न होकर प्रशासक बन बैठता है। परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट का समावेश हो जाता है। इस दुस्थिति का चित्रण अनामिका निम्न पंक्तियों में करती हैं–

"हाँ, तुम्हारा पिन–कुशन हूँ–
हर नुकीली बात तुम मेरे हृदय में भोंककर
फ़ासलों की फ़ाइलें बढ़ाते हुए
अर्दली से माँगते हो एक ठंडा ग्लास।
कान में घण्टी तुम्हारी चीखती है–
रेत में प्यासे पड़े बच्चे की तरह ज़ोर से।
फिर तुम्हारे भी हृदय से एक पेपरवेट–सा जब
खिसकता है–
चिड़ियाघर की चिड़ियों की तरह उड़ जाते हैं कितने पन्ने
कमरे की जालियों के भीतर ही–
इधर–उधर।
रोज़ मरी मौतों के दस्तखत के नाम
सम्बन्धों का पूरा त्याग–पत्र
जेब में भिंचा करता है कभी तुम्हारी,
कभी मेरी मुठ्यिों में कैद होता है।"[7]

अनामिका का हृदय परित्यक्ता महिलाओं के लिए भी तड़पता है। तुलसी का झोला नामक कविता में एक तिरस्कृत स्त्री के जीवन का चित्रण है जिसका पति उससे बहुत ही प्रेम करता है, किन्तु बिना पति की अनुमति के नैहर चले जाने के कारण वह पत्नी का परित्याग कर देता है। पति के सामने अनुनय विनय करने के बाद भी पति उसे पुनः स्वीकार नहीं करता और वैराग्य ग्रहण कर लेता है। यह स्त्री लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता महाकवि तुलसी की प्राण वल्लभा रत्नावली है। अनामिका ने ऐतिहासिक प्रसंगों तथा लोक कथाओं के माध्यम से आधुनिक स्त्री के मन को अभिव्यक्त किया है। उनकी कविताओं में गंभीर काव्यार्थ भरा पड़ा है और सदियों से न्याय के लिए तरस रहे लोगों को जीवन प्राण मिला है। उनकी कल्पना के स्थाई नागरिक वही बने हैं, जो हमेशा लोगों की गलतफहमी का शिकार हुए। रत्नावली उन तमाम नारियों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें किसी कारण से पति से विरत होना पड़ा। अनामिका ने पुरुष उपेक्षा की शिकार बनी उन समस्त नारियों की ओर अपना दृष्टिपात किया है और नारी मन की पीड़ा को पूरे सांस्कृतिक संदर्भों के साथ प्रस्तुत किया है। रत्नावली तुलसी के सामने अनुनय विनय करती रह जाती है किन्तु तुलसी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रत्ना उन्हें घन घमंड वाली चौपाई की याद दिलाती है और उनके सामने अपनी भी एक विनय पत्रिका रखती है। लेकिन उसकी विनय पत्रिका तो अब तक नहीं बाँची गई। पुरुष वर्चस्व वाले समाज में भला कौन एक स्त्री की विनय पत्रिका बाँचता? रत्नावली तुलसी को इसी बात की उलाहना देती है। वह कहती है–

"एक 'विनय पत्रिका' मेरी भी तो है,
लिखी गयी थी वो समानान्तर
लेकिन बाँची नहीं गयी अब तलक।"[8]

यह केवल किसी रत्नावली का प्रसंग नहीं है अपितु उसके सैकड़ो बरसों बाद भी आज स्त्रियों के दु:ख नहीं बदले हैं। स्त्री के सुख-दु:ख पर बात करने के लिए किसी को समय नहीं है। समस्या यदि पुरुष की हो तो उस पर विचार किया जा सकता है किन्तु स्त्री के सरोकारों पर बात करने के लिए कम लोग ही तैयार होते हैं। वैदिक युग से लेकर आज तक प्राय: सभी प्रसंगों में स्त्री की उपस्थिति सिर्फ पीड़िता के तौर पर ही हुई है। वर्तमान युग का सच तो यह है की पति से दूर होकर स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति के गहरे कूप में गिर जाती है। फिर वही पुरुष समाज उसका शारीरिक शोषण करने लगता है और उसे अपनी यौन दासी बना लेता है। अनामिका की निम्न कविता इस ओर संकेत करती है-

"एक गुफा है
मेरी नाभि के नीचे
अपनी ही खूंखारिता से थके
शेर-चीते-अजगर
आते हैं कुछ देर सोने यहाँ पर।"[9]

वैश्यालयों में चलने वाले गोरख धंधे किसी से अनजान नहीं है जहां छोटी-छोटी बालिकाओं को भी वेश्यावृत्ति में उतार दिया जाता है। उन्हें पैरों में बिन घुँघरू बाँधे ही नाच के आँगन में उतार दिया जाता है। बेटी की उम्र से भी कम उम्र की बालिकाओं के साथ दरिंदे अपना मुँह काला करते हैं। पैसे की लालच में उसे कहीं भी बुलाया जा सकता है। अनामिका ऐसी स्थिति से आहत होती है और एक बाल वेश्या का चित्रण करते हुए लिखती है-

"एक मैं हूँ-हरदम तैयार-
मुझको तो सुदिन-कुदिन नहीं सूझता।
पीली आँधी हूँ मैं
मीराँ के गाँव से चली हूँ-
घुँघरू बिना बाँधे
नाच रही हूँ गोलम-गोल-
जहाँ-तहाँ।
आ जाऊँ अभी, इसी दम-
बोलो-किधर? कहाँ?"[10]

जीवन में नाना प्रकार की विसंगतियों से जूझते हुए भी स्त्री को खुश रहने का दिखावा करना ही पड़ता है। उसके चेहरे पर पसरी झूठी हँसी उसके घूँघट का काम करती है। अपने ऊपर किए गए अत्याचारों को भी वह प्रकट नहीं कर सकती। वह यह मान कर चलती है कि उसके जीवन की यही कहानी है। उसका यह मौन पुरुष सत्ता के प्रति उसके आक्रोश की दास्तान लिखने को पर्याप्त है। पुरुष सत्ता द्वारा उसके ऊपर ऐसा

जाल फेंका गया है जिसकी गिरफ्त में आकर वह कभी उड़ नहीं सकती और यदि उड़ना चाहे तो उसे जाल सहित ही उड़ना पड़ता है। इन सबके बावजूद भी उसे खुश रहना पड़ता है। अनामिका ने स्त्री समस्याओं के समाधान को अपने ही शब्दों में प्रस्तुत किया है–

"हाँ, हम हमेशा खुश रहती हैं।
हँसती हुई दीखती हैं हम हर ओर–
टीबी में, सारे मुखपृष्ठों/चौराहों पर।
पिटकर या खटकर या छँटकर भी
निकली हों कहीं किसी घर से तो
ज़ाहिर नहीं होने देतीं।
नये ज़माने का तो घूँघट हँसी ही है।
आज औरतों के मुँह पर यही पड़ी है–
एक नये ड्रेसकोड की तरह।
कहती हैं नीलो दी, कहती हैं ठीक ही–
'अबला–जीवन'? लो, तुम्हारी यही कहानी,
'मुख पर डारै' छोटी–सी मुस्कान
सुनो सब आनी–बानी,
लेकिन जो करना है वो ही तुम करो हमेशा,
मन जब फरहर हो तो बाहर का कौन अँदेसा,
फँस गयी हो जाल में तो भी उड़ सकती हो–
एक जाल पर तुम हो सात चिरैया,
जाल–सहित ही उड़ो।"[11]

अनामिका के मन में पुरुष सत्ता के प्रति इतना आक्रोश उत्पन्न होता है कि वे अपने अंतिम पायदान पर उतर आती हैं और खत्म होने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक स्त्री के मन में उत्पन्न होने वाली निराशा का यह भाव परिस्थितियों को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। उनके गृह लक्ष्मी कविता श्रृंखला में उनके मन के उद्गारों को देखा जा सकता है–

"बिना स्याही की क़लम
लिखती रही, लिखती रही
जिस पेज पर – वो पेज हूँ बेचौन।
मुझको ख़त्म होना है,
मुझे तुम ख़त्म ही कर दो–
किसी अरेबियन नाइट, किसी किस्साए तोता और मैना की तरह
मैं ख़त्म जो होती नहीं
तो मोड़ दो मेरा ये रुख तुम
एक उत्तर–आधुनिक बेअन्त दरिया में।"[12]

किन्तु एक स्त्री को तो मरने की भी फुर्सत नहीं होती। पुरुष उसे मरने तक नहीं देता और मरते दम तक उसका उपभोग करना चाहता है। इतिहास साक्षी है की सीता जैसी चरित्रमयी नारी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले पति के साथ रहने पर भी अंततः अग्नि समाधि लेनी पड़ी। उनके शब्दों में-

"मरने की फुर्सत भी
कहाँ मिली सीता को
लव कुश के
तीरों के
लक्ष्य भेद तक?"[13]

इस प्रकार अनामिका की कविताओं में नारी के संघर्ष तथा उसकी शोषण गाथा का चित्रण है। इसके अतिरिक्त नारी मन का विद्रोह तथा अंतर्द्वंद भी चित्रित हुआ है।

संदर्भ

1. अनामिका, कविता में औरत- पार्क में बुढ़ापा, पृष्ठ-70, प्रथम संस्करण-2019, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
2. अनामिका, कविता में औरत- पार्क में बुढ़ापा, पृष्ठ-70, प्रथम संस्करण-2019, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
3. अनामिका, खुरदुरी हथेलियाँ- वृद्धाएं धरती का नमक है, पृष्ठ-49, तीसरा संस्करण-2019, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
4. वही, पृष्ठ-49
5. अनामिका, शीतल स्पर्श एक धूप को, पृष्ठ-64, संस्करण-1975, अमिताभ प्रकाशन, मुजफ्फरपुर बिहार
6. अनामिका, दूब धान : खण्डिता, पृष्ठ-48, प्रथम संस्करण-2019, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
7. अनामिका, दूब धान : गृहलक्ष्मी-9, पृष्ठ-76, प्रथम संस्करण-2019, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
8. अनामिका, दूब धान- तुलसी का झोला, पृष्ठ-21, प्रथम संस्करण-2019, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
9. अनामिका, दूब धान- यौन दासी, पृष्ठ-55, प्रथम संस्करण-2019, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
10. अनामिका, दूब धान- चौदह बरस की कुछ सेक्स वर्कर्स, पृष्ठ-55, प्रथम संस्करण-2019, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
11. वही, पृष्ठ-57
12. अनामिका, दूब धान- गृह लक्ष्मी 5, पृष्ठ-71, प्रथम संस्करण-2019, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
13. अनामिका, दूब धान- मरने की फुर्सत, पृष्ठ-30, प्रथम संस्करण-2019, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

हिंदी उपन्यासों में आपातकाल का वर्णन

शशिकला सिंह पटेल
शोध छात्रा, हिन्दी विभाग
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

साहित्य का विकास भी समाज के विकास के साथ जुड़ा हुआ प्रत्यय है। इसलिए साहित्य की संरचना सामाजिक संरचना के साथ गहराई से सम्बन्धित होती है। विभिन्न कालखंडों में आवश्यकता के अनुरूप साहित्य के विभिन्न स्वरूप स्वयं ही प्रगट होते रहते हैं। साहित्य का प्रत्येक स्वरूप एक विशिष्ट प्रकार की विचारधारा से अनुगुंजित होता है और यह विचारधारा सामाजिक विकास की विशेष अवस्था से ही प्रेरित तथा प्रभावित होती है। इसीलिए तो साहित्य को समाज के विचारों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम माना गया है। समाज जैसा होगा साहित्य की विषय वस्तु भी उसी तरह बनती चली जाती है। उदाहरण के लिए महाकाव्यों को लिया जा सकता है। जिनका जन्म तो सामंती दौर से पहले जनपदीय समाजों में हुआ; किन्तु विकास सामंती समाजों के दौरान हुआ। इसीलिए उनकी संरचना में एक तरफ जहाँ जनपदीय समाजों का खुलापन विद्यमान है तो दूसरी तरफ इनमें सामंती समाज की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी हुई है। सामंती समाज व्यवस्था के अंत के साथ ही दुनिया भर में महाकाव्यों के युग का समापन होता दिखाई देता है। बाद के महाकाव्यों में पुराने महाकाव्यों की ही स्मृतियाँ अधिक दिखाई पड़ती है। महाकाव्य के द्वारा एक स्तर पर तात्कालिक समय और समाज के मनुष्य की स्थिति और नियति की झलक दिखाई देती है। वर्तमान संदर्भ में यही कार्य उपन्यास के द्वारा संभव हो पा रहा है, इसलिए कई विद्वान उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहकर सम्बोधित करते हैं। प्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडेय उपन्यास को साहित्य का केवल एक स्वरूप न मानकर जीवन जगत को देखने की विशेष दृष्टि के रूप में ग्रहण करते हैं। उनके शब्दों में– "उपन्यास केवल एक साहित्यिक रूप नहीं है, वह जीवन जगत को देखने की एक विशेष दृष्टि है और मानव जीवन तथा समाज का एक विशिष्ट बोध भी। उपन्यास का इतिहास इस दृष्टि और बोध के परिवर्तन का इतिहास भी है, वह केवल उपन्यास के बदलते रूपों का इतिहास नहीं है।"[1]

प्रसिद्ध रूसी विद्वान मिखाइल बख्तिन यह मानते हैं की उपन्यास में दृष्टियों और स्वरों की अनेकता होती है और इसी कारण उपन्यास की संरचना लोकतांत्रिक बन पाती है। उनके शब्दों में– "दृष्टियों और स्वरों की अनेकता से उपन्यास की संरचना में लोकतंत्र आता है। उपन्यास में केवल रचनाकार की दृष्टि और स्वर की निर्णायक भूमिका नहीं होती। अच्छे उपन्यास में प्रत्येक पात्र की दृष्टि और स्वर की स्वतंत्र सत्ता होती है जिससे उसकी मानवीय गरिमा और अर्थवत्ता का निर्माण भी होता है। उपन्यास की औपन्यासिकता उसकी संवाद धर्मिता में निहित होती है। यही संवाद धर्मिता उपन्यास से पाठक के विशेष प्रकार के सम्बन्ध का निर्माण करती है और भाषा को उसकी सम्पूर्ण अर्थवत्ता में सामने लाती है।"[2]

उपन्यास मानव चरित्र और जीवन की व्याख्या करने का एक सशक्त माध्यम है। इसका चित्र फलक अत्यंत व्यापक होने के कारण यह किसी युग की प्रवृत्ति और जीवन के विविध पक्षों को बड़ी ही निष्पक्षता के साथ चित्रित करने में समर्थ होता है। साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा इस विधा में वस्तु तथ्य को स्पष्ट करने की अधिक शक्ति विद्यमान होती है। पाश्चात्य विचारक राल फॉक्स के शब्दों में– "उपन्यास वह कला रूप है जो समग्र मनुष्य को समझने और अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। यह मात्र कथात्मक गद्य नहीं अपितु जीवन का गद्य है। यही एक ऐसी कला है जिसमें मनुष्य अपनी सम्पूर्णता से प्रतिष्ठित हुआ है और उसे पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त हुई।"[3]

उपन्यास साहित्य का सबसे बड़ा गुण यथार्थ की खोज करना तथा उसकी गति की पहचान करके संभावनाओं की तलाश करना है। इसमें वर्तमान की सीमाओं के बोध के पार जाने की क्षमता विद्यमान होने के कारण यह संभावित संसार की रचना करने में समर्थ होता है। एक उपन्यासकार अपने उपन्यास के माध्यम से एक ऐसी दुनिया निर्मित करने का प्रयास करता है, जो पाठकों को वास्तविक प्रतीत होने लगता है। उपरोक्त तर्क से यह बात सिद्ध होती है की देश, काल तथा परिस्थितियों को सम्यक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए साहित्य की आवश्यकता है और साहित्य का स्वरूप भी इन्हीं तथ्यों पर आधारित है। अत: यह कहना न्याय संगत होगा कि प्रत्येक युग के साहित्य में तात्कालिक परिस्थितियों को अभिव्यक्त करने की कुशलता विद्यमान होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की परिस्थितियों को भी साहित्य का आवरण प्राप्त हुआ और इसके विभिन्न स्वरूपों यथा– कविता, कथा, नाटक तथा उपन्यासों में इन परिस्थितियों का व्यापक चित्र उपलब्ध होता है। जून 1975 में घोषित आपातकाल ने देश में विषम स्थिति का निर्माण किया था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पारंपरिक मूल्यों के स्थान पर नए जीवन मूल्यों में जीने को विवश था। मनुष्य की यह जीवनचर्या तत्कालीन साहित्य में भी अभिव्यक्त हुई। आपातकालीन साहित्य में रचनाकारों ने तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का अपने ढंग से चिंतन मनन और विश्लेषण किया है। साहित्य के माध्यम से उन्होंने समकालीन राजनीति और सिद्धांत विहीन राजनेताओं के आचरण का चित्रण किया है, साथ ही भ्रष्ट से भ्रष्टतर होते अधिकारियों की कार्यशैली के कारण जनता की शोचनीय स्थिति को भी दर्शाया है। इस काल के रचनाकारों ने आपातकाल, लोकतंत्र, समाजवाद आदि की विसंगतियों को भी बड़ी बेबाकी के साथ उभारा है और उसके सभी उचित अनुचित पक्षों का सम्यक विश्लेषण करते हुए जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति की प्रतिक्रिया उपन्यास साहित्य के माध्यम से भी देखी जा सकती है। इन उपन्यासों में राजनीति के प्रदूषण, बेईमान सरकारी तंत्र तथा प्रशासनिक व्यवस्था के असहिष्णु एवं अमानवीय रवैये के कारण अधोगति को प्राप्त होती संवैधानिक व्यवस्था तथा उसके कारण उत्पन्न जीवन गतिरोधों का चित्रण किया गया है। समकालीन उपन्यासों में वर्णित विषय वस्तु आपातकाल की भयावह स्थितियों–परिस्थितियों का मूल्यांकन करते दिखाई देते हैं।

राज्य का प्रमुख दायित्व अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। परिस्थितियाँ चाहे शांति काल की हों अथवा युद्ध काल की, नागरिक अधिकारों का संरक्षण राज्य का प्रमुख दायित्व है। मानव की गरिमा तथा उसके अस्तित्व की रक्षा करना भी राज्य का ही दायित्व है। तभी तो लार्ड बेवरेज लिखते हैं– "चाहे युद्ध हो या शांति, शासन को अथवा उसके वर्ग को गौरवान्वित करना नहीं अपितु सामान्य जनता को सुखी करना है। मनुष्य में पूर्ण मानव की प्रतिष्ठा करना ही राज्य का लक्ष्य होता है।"[4]

लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि वह अपने नागरिकों की आंतरिक स्वतंत्रता को अक्षुण्य रखे। लोकतंत्र के उदय और उसकी सफलता का मूल कारण भी यही था। वास्तव में देखा जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार एवं मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्वबोध लोकतंत्र की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही शुरू हुआ। सन 1749 की फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की विधिवत शुरुआत मानी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि इसके पहले लोकतंत्र का कोई स्वरूप ही नहीं था। प्राचीन भारत में राजतंत्र भले ही रहा हो, किन्तु लोकतंत्र के पुट सदैव विद्यमान अवश्य थे। बौद्ध धर्म में विहारों का गठन लोकतंत्र का उत्तम उदाहरण है। इस प्रकरण पर विस्तृत चर्चा अध्याय एक में की जा चुकी है। लोकतंत्र ही मनुष्य को अपने अधिकारों के प्रति जूझने का साहस प्रदान करता है। लोकतंत्र ने ही समाज के सबसे शोषित तबके– दलित, आदिवासी तथा स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया और उसे पाने का प्रयत्न करने की प्रेरणा दी। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं अपितु जीवन का अधिकार प्रदान करता है। रघुवीर सहाय के शब्दों में– “लोकतंत्र सिर्फ वोट देने के अधिकार से नहीं बनता। सबसे पहले वह अपने अधिकार के लिए लड़ने से बनता है।”[5]

लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के प्रत्येक नागरिक को अपने स्वयं के जीवन दर्शन का निर्माण करने की स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति के जीवन दर्शन को प्रभावित करने का अधिकार किसी को नहीं, जब तक कि वह राष्ट्र विरोधी न हो। देश के नागरिकों को अपने अधिकारों को अपने तरीके से उपयोग करने की शक्ति लोकतंत्र ने ही प्रदान किया है। इसीलिए समाज संचालन की समस्त व्यवस्थाओं में इस व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त है, क्योंकि अन्य सभी व्यवस्थाओं की तुलना में यह अधिक सफल और पारदर्शी व्यवस्था है। समय-समय पर देश में ऐसी शक्तियाँ भी उपस्थित रही जिन्होंने लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुँचाई और अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु सम्पूर्ण लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे मौकों पर ही साहित्य समाज का प्रखर प्रहरी बनकर सामने आता है और लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारकों का कड़ा प्रतिरोध करता है। ऐसी ही दुर्दांत परिस्थितियाँ भारतीय लोकतंत्र के समक्ष 25 जून 1975 को उपस्थित हुई जब सम्पूण ा देश में राजनेताओं की आपसी नूरा कुश्ती के चलते तत्कालीन सरकार को आपातकाल घोषित करना पड़ा जिसमें बड़ी ही निर्ममता के साथ लोकतंत्र का गला घोट गया और नागरिक अभिव्यक्ति पर नाना प्रकार के प्रतिबंध प्रत्यारोपित कर दिए गए। यह आपातकाल न केवल सत्ता पक्ष की उच्च आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति का माध्यम बना अपितु विपक्ष की महत्वाकांक्षाएं भी खुलकर प्रकट हुई। सत्ता के संघर्ष में नागरिकों को अपने बहुमूल्य जीवन के नाना प्रकार के सुखों की आहुति देनी पड़ी। सत्ता का खेल तो अनादि काल से चलता आया है किन्तु इस खेल के पीछे लोक आकांक्षाओं की जो हत्या हुई, वह देश के इतिहास में काले अक्षरों से ही अंकित की जा सकती है। आजादी प्राप्ति के बाद जनता के बुने हुए सपने राजनेताओं के कुचक्र में ऐसे फँसे की उनका अस्तित्व ही समाप्त होता चला गया। एक समय तो ऐसा आया जब लगने लगा कि इस स्वतंत्रता से तो परतंत्रता ही भली थी क्योंकि दूसरों का अत्याचार तो सहन किया जा सकता है किन्तु जब अपने अपनों पर अत्याचार करते हैं तो यह पीड़ा और भी गहरी हो जाती है। देश का जनमानस कुछ इसी प्रकार के निराशा पूर्ण भावनाओं के अनंत सागर में गोते लगा रहा था। उसे अपनी मुक्ति का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। देश के राजनेताओं ने देश की ऐसी दुर्गति की थी कि जनता की आशाएं आकांक्षाएं धूल धूसरित हो गई थी। देश में संसाधनों की कमी ने जहाँ एक तरफ तबाही मचा रखी थी वही देश की राजनीतिक व्यवस्था इस स्थिति

को और भी जटिलतर बनाती जा रही थी। पक्ष विपक्ष के मध्य सत्ता का ऐसा द्वंद्व प्रारंभ हुआ की जनता देखती ही रह गई। एक तरफ लोक तंत्र की आड़ लेकर स्थापित वंशानुगत प्राप्त सत्ता का स्वाद चखने वाले लोग थे तो दूसरी तरफ सत्ता की मलाई से दूर रहकर उसे चखने का अरमान पाले विपक्ष था। ऐसे लोगों की अंतरात्मा में नागरिकों की भलाई का उददे्श्य तो शेष बचा ही नहीं था। सबके अपने–अपने स्वार्थ थे और सभी उसकी प्रतिपूर्ति में संलग्न थे। ऐसी परिस्थितियों में साहित्य का उत्तरदायित्व और भी गुरुतर होता चला जाता है। साहित्य ही जन आकांक्षाओं एवं भावनाओं के प्रकटीकरण का माध्यम बनता है। साहित्य से हमेशा यह अपेक्षा बनी रहती है कि वह भयावह समय में समाज के मूल्यों की रक्षा करें और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करने में अपना सार्थक योगदान प्रस्तुत करे। किन्तु यदि ऐसे विषम अवसर पर भी साहित्य मौन धारण करता है तो उसकी सार्थकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद साहित्यकार के इसी दायित्व बोध को उजागर करते हुए लिखते हैं– "साहित्यकार बहुधा अपने देशकाल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए उससे अविचलित होना असंभव हो जाता है। उसकी विशाल आत्मा अपने देश बंधुओं के कष्टों से विकल हो उठती है और इस तीव्र विकलता में वह रो उठता है पर उसके रुदन में व्यापकता होती है। वह स्वदेश का होकर भी सार्वभौमिक होता है।"[6]

आपातकाल के दौरान विभिन्न विधाओं में साहित्य निर्माण तो हुआ किन्तु बहुत सारे लेखक ऐसे भी थे जिन्होंने इस विषय पर मौन धारण करना ही ठीक समझा। ऐसे लोगों पर सवाल उठाने का कार्य भी उपन्यास ही करता है। जब आवश्यकता के अनुरूप लेखक अपना मुँह नहीं खोलता तब समाज की दृष्टि में वह संदिग्ध हो जाता है। गहरे अर्थो में कोई भी लेखक समाज द्वारा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता और ऐसी स्थिति में वह समाज से कटकर भी नहीं रह सकता। इसीलिए बहुतेरे उपन्यासकार ऐसे थे जो सरकारी पहरे के कारण सीधी बात कह पाने से डर रहे थे इसलिए उन्होंने उपन्यास के शिल्प को बदलकर अपनी बात को प्रस्तुत किया। ऐसे रचनाकारों ने उपन्यास की प्रतीक शैली का आधार ग्रहण करते हुए अपनी बात रखी जो उनके रचित उपन्यासों से प्रस्तुत होती है। आपातकाल की घटना के बाद साहित्य ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सभी घटनाओं का युक्ति युक्त वर्णन किया है। आपातकाल के समय जो लेखक सत्ता के भय से चुप रहे, आगे चलकर उन्होंने भी अपनी भूल सुधारी और आपातकाल को गलत साबित किया। ऐसे लेखकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लेखकों को शामिल किया जा सकता है जिन्होंने 'भीष्म को क्षमा नहीं किया गया' नामक निबंध का लेखन कर अपनी आपातकालीन चुप्पी तोड़ दी। देश में होने वाले किसी भी आकस्मिक राजनीतिक परिवर्तन पर विकल्प प्रस्तुत करने का कार्य तो साहित्य ही करता है। आपातकालीन उपन्यास इस तरह की परिस्थितियों पर भी अपने विचार रखते हैं। उपन्यास मनुष्य को जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं। जीवन की विधा में विक्षेप आने से सर्वाधिक प्रभाव उपन्यासों पर ही पड़ता है। स्वतंत्रता के पश्चात हमने मतदान करना तो सीख लिया किन्तु सरकार चलाना सीखना अभी शेष रह गया था। जब तक देश की जनता सरकार चलाने के तौर तरीकों से अवगत नहीं होगी तब तक शासन सत्ता भी ठीक प्रकार से नहीं चल सकती। उपन्यास साहित्य में देश के नागरिकों को सचेत किया गया है और उन्हें यह समझाया गया है कि अब राजनेताओं का आश्रय त्याग कर उन्हें ही कुछ करना होगा। भाग्य के भरोसे अब कुछ भी संभव नहीं। लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हुए जनता को सत्ता में साझेदार होना पड़ेगा। परिस्थितियों में परिवर्तन तभी संभव हो सकता है। सन 1947 के बाद की

राजनीति, गाँधी, नेहरू तथा टैगोर के सिद्धांतों से सर्वथा दूर होती चली गई और उनके आदर्शवादी राजनीति के स्थान पर स्वार्थवादी तथा प्रतिक्रियावादी हो गई। देश की जनता ने इसके काफी मूल्य चुकाए। आपातकालीन उपन्यासों में इन्हीं गाँधीवादी मूल्यों को पुनः स्थापित करने का कार्य किया गया है। जिस प्रकार गाँधी ने क्रूर ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष सत्य तथा अहिंसा का अस्त्र लेकर सत्याग्रह किया था, उसी तरह आपातकालीन साहित्य भी गाँधीवादी तरीके से ही सत्ता के खिलाफ सत्याग्रह करता है। तत्कालीन सरकार द्वारा प्रेस तथा अन्य संचार माध्यमों एवं लेखन पर प्रतिबंध लगाने के बाद साहित्यकारों ने नई भाषा तथा शिल्प गढ़कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। कला के अन्य माध्यमों से भी इस साहित्यिक सत्याग्रह को सहयोग प्राप्त होता रहा और साहित्यकार अपनी विशिष्ट शैली में ही सरकार के खिलाफ जनता के पक्ष में खड़े दिखाई दिए।

आपातकाल देश के लिए एक काले अध्याय के समान था। सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच उत्पन्न अंतर्द्वंद्व ने सामान्य मानवी के जीवन को बर्बाद करके रख दिया था। एक तरफ नेता अपने लिए सत्ता की मलाई का जुगाड़ कर रहे थे तो दूसरी तरफ जनता भूख और हिंसा से तड़प रही थी। आपातकालीन उपन्यासों में देश के तत्कालीन वातावरण की पड़ताल की गई है।

संदर्भ संकेत :

1. मैनेजर पांडेय, उपन्यास और लोकतंत्र, पृष्ठ–15, प्रथम संस्करण–2018, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
2. मैनेजर पांडेय, उपन्यास और लोकतंत्र, पृष्ठ–15, प्रथम संस्करण–2018, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
3. डॉ0 सविता जोशी, आपातकालीन हिंदी साहित्य, पृष्ठ–226, संस्करण–2019 पुष्पांजलि प्रकाशन, दिल्ली
4. डॉ0 सविता जोशी, आपातकालीन हिंदी साहित्य, पृष्ठ–226, संस्करण–2019, पुष्पांजलि प्रकाशन, दिल्ली
5. रघुवीर सहाय, अर्थात्, पृष्ठ–45, प्रथम संस्करण–1994, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
6. मुंशी प्रेमचंद, साहित्य का उद्देश्य, पृष्ठ–24, 25

समाजः मनुष्य के विस्थापन का अर्थशास्त्र

दुर्गेश कुमार
लेखक
सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर स्वतंत्र रूप से नियमित लेखन करते हैं

दुनिया भर में आर्थिक विस्थापन एक गंभीर मुदद्ा रहा है। आर्थिक विस्थापन को लेकर कई देश एक दूसरे से झगड़ते रहे है। कई मानव समूह भी दूसरे समूह पर धर्म, नस्ल एवं भाषा के नाम पर टकराते रहे हैं। बिहार में महाराष्ट्र में दक्षिण भारतीयों और फिर उतर भारतीयों के खिलाफ हिंसक अभियान तो सर्वविदित है, किन्तु गुजरात में भी उतर भारतीयों के खिलाफ हिंसा हो चुकी है। जबकि गुजरात से बड़ी संख्या में विस्थापन विदेशों में हुआ है। इसी तरह पंजाब के युवाओं से कनाडा भरा पड़ा है, किन्तु पंजाब में भी उत्तर भारत के राज्यों बिहार, झारखंड और उतर प्रदेश के प्रवासी बड़ी संख्या में है। भारत के विकसित राज्यों में एक केरल से भी बड़ी संख्या में आर्थिक विस्थापन हुआ है। वास्तव में विस्थापित किए हुए व्यक्ति को विभिन्न कारणों से अपना जमीन छोड़ना पड़ता है। गहन अध्ययन हो तो दुनिया का हर एक व्यक्ति कभी न कभी विस्थापित ही होता है, किन्तु हैरत है कि वह अपने बाद विस्थापित हो कर आने वाले प्रवासी को हेय और घृणा की नजर से देखता है। इस लेख में हमने मनुष्य के विस्थापन के कारणों की पड़ताल करने की कोशिश की है।

Key Word: Migration, Remittance Economy, Bihar.

बिहार में जाति आधारित गणना के प्रकाशित होने के बाद कई सवाल उठे है। यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि बिहार की एक बड़ी आबादी आर्थिक रूप से विस्थापित हो चुकी है। किन्तु ये आंकड़े वास्तविकता से मेल नहीं खाते है। कई गैरसरकारी संस्थानों द्वारा पूर्व में हुए सर्वेक्षण में विस्थापित आबादी के आंकड़े बिहार सरकार के आंकड़े से बिलकुल अलग तस्वीर पेश करते है। जाति आधारित गणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है। बिहार से अन्य प्रदेशों में विस्थापित हुई आबादी 45,78,669 (कुल आबादी का 3.50%) है। जबकि विदेशों में विस्थापित हुई आबादी 2,17, 449 (कुल आबादी का 0.17%) है। बहरहाल, यदि बिहार सरकार के आंकड़ों को ही प्रमाणिक माने तो भी कई सवाल स्वतः पैदा होते है। अमूमन ये सवाल देश–दुनिया के कई हिस्सों में रहते है। विस्थापन के बाद मनुष्य को कई समस्याओं, प्रतिरोध को झेलना पड़ता है। किन्तु सवाल उठता है कि क्या बिहार से होने वाला आर्थिक विस्थापन और प्रवासन क्या अनूठा है? क्या यह बिहार के लिए शर्मनाक है? आइए, इन्हीं की पड़ताल करने की कोशिश करते है:–

आनुवांशिकीविदों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से लगभग 70,000 साल पहले भारतभूमि पर होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव के पूर्वजों का आगमन हुआ था। लगभग 60,000 साल पहले दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण मार्ग होते हुए अरब से दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक स्थानान्तरण हुआ। अफ्रीका और एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचना होमो सेपियंस की साहसिकता का प्रमाण है। वरना शायद ही कोई ऐसी मजबूरी रही होगी कि समुंदर पार करने करना जरुरी रहा हो।

मानवीय प्रागैतिहासिकता का अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि 9,000 साल पहले पश्चिम एशिया से आधुनिक मानवों की एक बड़ी आबादी सामूहिक रुप से विस्थापन कर यूरोप में जा बसी थी, जो वहां के पूर्व से बसी आबादी में घुल–मिल गई। फिर लगभग 5000 साल पहले यूरेशियाई घास के मैदानों से यूरोप महाद्वीप में दूसरी बार एक बड़ी आबादी का आगमन हुआ। इसी तरह अमेरिका में मूल आबादी में एशिया से जाकर लोग मिश्रित हो गए। चीन में कृषि के विस्तार की परिणति में पूर्वी एशियाई देशों में एक बड़ी आबादी का फैलाव हुआ। अर्थात अनेकों शोध के आधार पर एक मान्यता है कि 70 हजार साल से 60 हजार साल पूर्व के बीच की अवधि में ही एशिया आबाद हुआ है। भूभाग के प्रत्येक क्षेत्र पलायित मनुष्यों या प्रवासियों से आबाद है।

मानव इतिहास में विस्थापन और प्रवासन मनुष्य की स्थायी प्रवृतियाँ है। मूल निवास और देश छोड़ कर अन्यत्र स्थान अथवा अन्य देश में रहना प्रवासन है। प्रवासन के पीछे कई कारण होते है, यथा देश निकाला होने और युद्ध जैसी विभीषिकाओं से उत्पन्न परिस्थियों से मजबूर होकर भी मनुष्य को अन्यत्र जगह प्रवास करना पड़ा है। कई बार प्रवासन के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण होते है। मनुष्य की प्रवृति ही ऐसी है कि कभी नई दुनिया की खोज तो कभी खुद के लिए बेहतर अवसर की तलाश के लिए तो कभी प्रकृतिजन्य आपदाओं और आपसी संघर्ष की वजह से पलायन करता रहा है। यूं कह सकते है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर बसेरा बना लेना मनुष्य का स्वभाव है। प्रवासन नई संभावनाओं की तलाश हेतु मनुष्य की साहसिक क्रिया है। किंतु अपने मूल भूमि पर कुव्यवस्थाओं की परिणति में प्रवासन के लिए जनसंख्या का विस्थापन शर्मनाक स्थिति है। वर्तमान विमर्श में ऐसी अवस्था को पलायन कहा जाता है। पलायन शब्द को हिंदी भाषा में कायरपन, मजबूरी में हुए जनसँख्या के स्थानान्तरण के द्योतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किंतु ऐसी व्याख्या से इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि विस्थापन मनुष्य की स्थायी प्रवृति है। हजारों सालों में कई विपदाओं को झेल कर यदि मनुष्य अपने अस्तित्व को बरकरार रखने और धरती की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल हो सका है तो इसका वजह परिस्थियों के अनुसार विस्थापन करना भी है।

विस्थापन सिर्फ त्रासदी या अवसर नहीं है बल्कि संस्कृति का विस्तार भी है। दुनिया को एक करने का माध्यम है। पूरब और पश्चिम का मेल खान–पान, रहन–सहन, नस्लीय बाध्यताओं को तोड़ कर रिश्ते–रिवाज, तकनीक का विकास, मानवीय मूल्यों का संवर्द्धन इत्यादि मनुष्य के विस्थापन की देन है। न्यूयार्क और दुबई में गुजराती खाना, नई दिल्ली में चाइनीज फूड, भारत में कोट–पैंट और टाई जैसे परिधान विस्थापन की ही परिण ाति है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि गोवा में पुर्तगाली संस्कृति की झलक, सिंगापुर में पश्चिम और पूरब की साझा संस्कृति की तस्वीर की जड़ में भी विस्थापन ही है। विश्व के कई भूभागों में उपनिवेशवाद का आरम्भ भी विस्थापन से ही शुरू होता है। पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश भारत में कदम रखते समय विस्थापित लोग ही थे। आगे चल कर उन्होंने व्यापार, अधिकार और युद्ध जैसे कई प्रपंच से भारत को अपना उपनिवेश बना लिया।

युद्ध, आपदाओं, यातनाओं को झेलकर बेवतन हुए चेचेन्या और तिब्बत के शरणार्थी हो या अमेरिका की आईटी कंपनियों में रोजगार के बेहतर विकल्प के लिए जाने वाला भारतीय हो या रोजगार के लिए खाड़ी देशों

में आर्थिक प्रवासन करने वाला तीसरी दुनिया का कुशल मजदूर हो, या मुंबई की सड़कों पर अपमान झेलकर भी बड़ा पाव बेचने वाला उत्तर भारतीय हो, सब विस्थापित ही हैं। मनुष्य का विस्थापन शहरों के महानगर होने की वजह है। यदि विस्थापित हुई आबादी का सही से नियोजन न हो सका तो मुंबई की धारावी बस्ती आकार ले लेती है। आधुनिक युग में आर्थिक प्रवासन करना किसी व्यक्ति के शर्म का विषय नहीं बल्कि सरकारों की असफलता है। हालाँकि विस्थापन कोई नई परिघटना नहीं है। संभवत: मानव सभ्यता के विकास का रास्ता विस्थापन ही है.. विस्थापन न यानी नई संभावनाओं की तलाश... जो विभिन्न कारणों से हर युग में होता रहा है।

दुनिया भर के अनेक हिस्सों में मनुष्य का विस्थापन साम्राज्यवाद की त्रासदी के रूप में हुआ है। दुनिया के शक्तिशाली देश अपनी ताकत के विस्तार के लिए मानवीय मूल्यों की ठेंगे पर रख कर जनसँख्या के स्थानांतरण के कारण बने। किन्तु आगे चल कर इस त्रासदी का अंजाम अलग-अलग कई संस्कृतियों के मिलाप के रूप में हुआ।

- 16वीं शताब्दी में दास प्रथा के कारण बड़े पैमाने पर जनसंख्या का स्थानान्तरण हुआ। अनुमानों के मुताबिक एक करोड़ से अधिक गुलामों को दक्षिण अफ्ररीका से अमेरिका और केरिबियाई द्वीपों पर जबरन ले जाया गया। जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि वहां ब्रिटिश व्यापारियों को सस्ता श्रमशक्ति की आपूर्ति हो सके। दास प्रथा पर साल 1834 में पूर्णत: रोक लग गया, किन्तु इसकी निशानी अमिट रह गई। वर्त्तमान में अमेरिका और केरिबियाई देशों में लगभग 4 करोड़ लोग अफ्ररीकी अश्वेत गुलामों के वंशज हैं।

- सन 1834 में दास प्रथा खत्म होने के पहले से ही अंदेशा था कि वैश्विक आलोचना के प्रभाव में इसे खत्म करना होगा। इसके मद्देनजर पहले से ही ब्रिटिश व्यापारियों ने एग्रीमेंट के तहत भारत और चीन से मजदूरों की आपूर्ति का रास्ता तलाश लिया। भारत से पहला जहाज केरिबियन द्वीपों की ओर साल 1826 में बढ़ा था। तब से लेकर साल 1917 तक भारत से लगभग 2 करोड़ भारतीयों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत मजदूरी करने के लिए दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, केरिबियाई देशों त्रिनिदाद, गुयाना, फिजी समेत कुल 19 द्वीपों पर ले जाया गया. जिन्हें "गिरमिटिया मजदूर" के रूप में जाना जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन से भी बड़ी संख्या में मजदूरों को फिलीपींस और केरेबियन द्वीपों पर ले जाया गया था। इस प्रथा के खत्म होने के बाद दो तिहाई से अधिक मजदूर इन द्वीपों पर ही रह गए, वे अपने मूल वतन वापस नहीं लौट सकें। पलायन की इस त्रासदी गाथा से पैदा हुई चेतना ने इन प्रवासियों को मॉरीशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद जैसे द्वीपों के शासक वर्ग के रूप में तब्दील कर दिया। इन द्वीपों पर भारतीय संस्कृति की झलक की जड़ में उपनिवेशवाद का क्रूर चेहरा भी है।

- 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड समेत यूरोप के कई देशों ने अपने नागरिकों को दूसरे देशों बने उपनिवेशों में बसने का मौका दिया। कई देशों के मूल आबादी के लिए यह प्रवासन खतरनाक साबित हुआ। जबकि यूरोपीय देशों के लिए अपना प्रभाव दुनिया में बढ़ाने के लिए सुनहरा मौका रहा।

- द्वितीय विश्वयुद्ध खत्म होने के बाद साल 1950 तक दुनिया से ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों का उपनिवेशवाद समाप्ति की ओर था। विश्व में औद्योगिकीरण का प्रभाव दिख रहा था और दूसरी तरफ गरीब देशों में भी

आर्थिक उदय के लिए छटपटाहट तेज हो रही थी। नतीजतन आर्थिक कारणों से जनसंख्या का स्थानान्तरण तब से अभी तक अंत्यंत ही तेजी से हो रहा है। यूनाईटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक एंड सोशल अफेयर्स के अनुसार आज दुनिया में अन्तराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 281 मिलियन से अधिक है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 3.5 प्रतिशत है।

- 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में लगभग 6 करोड़ आबादी यूरोपीय देशों के औपनिवेशिक नीति के कारण स्थानांतरित हुई थी।

दो देशों के बीच युद्ध और सरहदों पर टकराव के परिणाम में भी बड़े पैमाने पर पलायन देखा गया है। धर्म के आधार पर हुए नरसंहार, राष्ट्र निर्माण के लिए हुए हिंसक संघर्ष के नतीजे में आबादी का पलायन भी समकालीन इतिहास में देखा गया है। शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की ग्लोबल रिपोर्ट 2022 के अनुसार युद्ध, आपदा जैसी विभीषिकाओं के कारण कुल 112.6 मिलियन लोग शरणार्थी की जिंदगी जी रहे है। यह पलायन मानव सभ्यता के लिए कोई नई घटना नहीं है।

- द्वितीय विश्वयुद्ध में सोवियत रूस के शासक जोसेफ स्टालिन ने चेचेन्या के लोगों पर जर्मनी का साथ देने का आरोप लगाकर अत्याचार शुरू किया तो चेचेन्याके लगभग 4,00,000 नागरिक मध्य एशिया के कई देशों में प्रवासन के लिए मजबूर हुए थे।
- भारत–पाकिस्तान विभाजन के कारण सन 1947 से 1950 की अवधि में 1,50,00000 लोगों ने दोनों देशों के सरहदों को पार कर विस्थापित होना पड़ा। इस विभाजन के विवाद में 10,00,000 लोग दंगे में मारे गए थे।
- इजरायल के निर्माण के बाद लाखों यहूदी नागरिक यूरोप के विभिन्न देशों से आकर इजरायल में बस गए। सन 1948 से पहले इजरायल की मुख्यभूमि पर यहूदियों की आबादी 4 लाख 93 हजार थी। इजरायल के निर्माण की घोषणा के बाद यह आबादी 6 लाख 87 हजार हो गई। तदोपरांत दुनिया भर में बसे यहूदियों की आबादी इजरायल में जाकर बस गई। सोवियत रूस के विघटन के कारण साल 1989 से 2000 के बीच लगभग 8,00,000 यहूदियों ने इजरायल में प्रवेश किया। मौजूदा समय में इजरायल में यहूदी नागरिकों की संख्या लगभग 70,00,000 है।
- लगभग 22,00,000 अफगानी नागरिक अफगानिस्तान में युद्ध और यातनाओं के कारण ईरान, पाकिस्तान, भारत जैसे कई देशों में शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर हैं।
- सीरिया में गृहयुद्ध के कारण लगभग 67,00,000 सीरियाई नागरिक तुर्की समेत कई देशों में विस्थापित हो गए हैं।
- म्यांमार के लगभग 10,00,000 रोहिंगिया शरणार्थी बांग्लादेश, भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं।

आर्थिक प्रवासन का तंत्र-मंत्र

भारतीय अमीरों का अमेरिका में विस्थापित होना हो या मैक्सिको के नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश करना हो, भारत के गुजरातियों और पंजाबियों का कनाडा जाना हो, पाकिस्तानियों का ब्रिटेन जाना, केरल के निवासियों का खाड़ी देशों में जाना हो यह मुंबई के अमीरों का आबुधाबी में घर बना कर बस जाना हो। नई दुनिया की तासीर में आर्थिक प्रवासन के लिए विस्थापित होना कूट-कूट कर भरा हैं। यह विस्थापन अवसर देता है; विरोध में उपजे टकराव से गुजर कर आगे बढ़ता है। विस्थापित हुई आबादी के द्वारा शहरों का विस्तार होता है साथ ही साथ देश की जीडीपी का भी आकार बढ़ता है। दुनिया के एक हिस्से के लोग दूसरे हिस्से के लोगों की संस्कृति से परिचित हुए है तो उसके कई वजहों में से एक आर्थिक प्रवासन और विस्थापन भी है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा भूभाग होगा जो प्रवासियों से गुलजार नहीं होगा। अमेरिका से लेकर भारत तक, दक्षिण अफ्रीका से लेकर यूरोप तक तमाम देशों की आबादी में मिश्रित नस्ल वाले समूह की जनसंख्या अच्छी-खासी है। भारत और चीन के आईटी पेशेवरों ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएई, फ्रांस, कनाडा जैसे देशों में पलायन कर विश्व में सूचना और तकनीक की क्रांति लाने में मदद ही किया है। दुनिया के अधि कांश शहर मनुष्यों के विस्थापन और आर्थिक प्रवासन की विकासात्मक परिणति है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आर्थिक प्रवासन के लिए विस्थापित हुए लोगों से अटा पड़ा है। दुनिया के जितने भी विकसित मुल्क है, सबकी जड़ में विस्थापन है। चाहे बाहरी हो या आंतरिक, श्रमशक्ति का आपूर्ति के लिए एक आबादी का विस्थापन और आर्थिक प्रवासन अनिवार्य शर्त है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि विस्थापन और आर्थिक प्रवासन के बिना आर्थिक विकास असंभव सा है।

मूल निवासियों और प्रवासियों का टकराव मनुष्य की स्थायी प्रवृति

यूरोप में निएंडरथल के कंकाल मिलने के बाद से जीवाश्म वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लगभग 20 से 30 हजार वर्ष पूर्व धरती पर निएंडरथलकी मौजदूगी थी। निश्चित रूप से होमो सेपियंस से उनका संबंध भी था। निएंडरथल के विलुप्त होने का कारण अभी तक तलाशा नहीं जा सका है किन्तु संभव है कि दोनों मानव की ही प्रजाति होने होने के बावजूद लगभग 60 हजार साल पहले होमो सेपियंस से निएंडरथल का टकराव हुआ होगा। जब होमो सेपियंस ने निएंडरथल को समाप्त करजब आधिपत्य जमा लिया होगा तोभी इनका टकराव अलग-अलग द्वीपों के कई प्रजातियों से हुआ होगा। उसके बाद आधुनिक मानव सभ्यता के विकास होने के बाद भी नस्लीय आधार पर एक दूसरे से टकराने की प्रवृति मनुष्य का मूल स्वभाव है। ध रती के सबसे ज्यादा चालाक प्राणी होमोसेपियंस के मूल स्वभाव में टकराव और पलायन दोनों है। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता से युक्त आधुनिक मनुष्यों का मूल चरित्र वर्चस्व के लिए एक-दूसरे से टकराना है तो मौका देख का विस्थापित हो जाना भी है। आधुनिक सभ्यता के विकास के बाद भी यह स्वभाव नहीं बदला है तो हैरत नहीं होनी चाहिए। युगोस्लाविया का संकट, फिजी में संघर्षनस्लीय हिंसा, उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों के साथ मुंबई में हुई हिंसा, शिया-सुन्नी संघर्ष, आईएएसआईएएस और कुर्द

लड़ाकों के बीच संघर्ष समेत श्वेत–अश्वेत का रंगभेद मनुष्य के मूल स्वभाव को ही परिलक्षित करता है। मनुष्य के विस्थापन से उपजे विवाद का उतर मानव सभ्यता के इतिहास में छिपा हुआ है। सिर्फ शासकों या राज्य के नीति नियंताओं की असफलता को जिम्मेवार ठहराना सही नहीं होगा।

चीन का विकास और आर्थिक प्रवासन

चीन के आर्थिक उन्नति और कायाकल्प होने के पीछे चीन के आंतरिक हिस्से में एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त आर्थिक प्रवासन करने वाले मजदूरों का श्रम लगा है। वाशिगटन विश्वविद्यालय के क विंग चांग द्वारा किए गए शोध Migration and Development in China: Trends Geography and Current Issues के मुताबिक साल 1990 से 2005 की अवधि के बीच 8 करोड़ चीनी नागरिकों ने अपनी मुख्यभूमि से पलायन किया है। प्रति वर्ष लगभग 23 करोड़ चीनी नागरिक अपने ही देश में प्रवासी की जिंदगी बिताते हैं, जिनमें 16 करोड़ ग्रामीण हैं। देशों के अन्दर होने आर्थिक प्रवासन के मामले में यह वैश्विक प्रवासियों के कुल संख्या का एक तिहाई सिर्फ चीन का हिस्सा है।

भारत और बिहार का आर्थिक प्रवासन

भारत में विकास की ऊंचाईयों को छूने वाले राज्य तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा के पुनर्निर्माण की कहानी प्रवासियों के बगैर नहीं लिखी जा सकती है। मुंबई, नई दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, चंडीगढ़ और नोएडा जैसे शहरों के विकास के पीछे सिर्फ पूंजी प्रवाह ही नहीं बल्कि प्रवासियों की श्रम पूंजी भी है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादीके 4.7% लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में और 0.44% लोग विदेशों में रहने वालेप्रवासी है।

सन 1991 से 2000 के बीच गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों ने अन्य राज्य के लोगों को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया है। इन प्रदेशों की श्रम शक्ति मुख्यत: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छतीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों से आर्थिक प्रवासन के लिए विस्थापित हुई आबादी ही हैं। किन्तु यह इन पिछड़े राज्यों की सरकारों के लिए असफलता का द्योतक है कि अपने राज्य की "डेमोग्राफिक डिविडेंड" अर्थात जनसांख्यिकी लाभांश का इस्तेमाल अपने राज्य के विकास के लिए नहीं कर सकें। नतीजतन अन्य राज्य "डेमोग्राफिक डिविडेंड" का लाभ उठा रहे हैं। देश में विकास के असंतुलन की जिम्मेदारी से न तो केंद्र सरकार भाग सकती है और न ही कोई भी राज्य सरकार अपना पिंड छुड़ा सकती हैं। किन्तु यह असफलता न तो आश्चर्य की बात है न ही भारत के लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है।

दुनिया के किसी भी देश में क्षेत्रीय विषमता सामान्य बात है। उदाहरण के तौर पर रूस का तुवा, अमेरिका का मिसिसिपी, कनाडा का क्यूबेक और ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया प्रान्त अन्य प्रदेशों के अपेक्षा काफी पिछड़ा हुआ है। यूरोप के भी कई राज्यों में मानव संसाधन के अभाव में विकास कार्य धीमा होने के कारण श्रमशक्ति की आपूर्ति के लिए दक्षिण एशिया का मुंह देखा जा रहा है।

हालाँकि यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बिहार आर्थिक प्रवासन के लिए विस्थापन का दंश झेल रहा है या प्रवासियों द्वारा भेजी हुई राशि से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहा है। मानव संसाधन पूंजी के मामले में बिहार एक मॉडल हो सकता है, बशर्ते कि राज्य की सरकार अपने नागरिकों को कुशल बनाने पर ध्यान दें। बिहार की समस्या सिर्फ कृत्रिम नहीं है, यह प्राकृतिक भी है। बिहार का दो तिहाई हिस्सा बाढ़ की चपेट में लगभग प्रति वर्ष रहता है। जनसंख्या घनत्व के कारण पंजाब के मुकाबले प्रति व्यक्ति एक तिहाई जमीन है। ऐसे में अपनी घनी आबादी को "डेमोग्राफिक डिविडेंड" में बदलने के प्रति उदासीनता भी कम जिम्मेवार नहीं है। बिहार जैसी स्थिति वाले किसी भी राज्य से पलायन होना तय है ।

बिहार से होने वाला आर्थिक विस्थापन कोई नई घटना नहीं है। दस्तावेजों के मुताबिक बिहार से विदेशों में हुआ सबसे पहला आर्थिक विस्थापन ब्रिटिश शासनकाल में सन् 1826 में हुआ था। यह आर्थिक विस्थापन केरेबियाई द्वीपों पर ब्रिटिश व्यापारियों के ईख की खेती, चीनी मीलों में काम करने के लिए हुआ था। चूंकि उन निर्जन द्वीपों के विकास के लिए पूर्व से चली आ रही "दास प्रथा" के तहत गुलामों को ले जाने पर रोक लगाने की मांग तेज हो रही थी। ऐसे में दास प्रथा के खिलाफ उठ रही मांग को भांप कर ब्रिटिश व्यापारियों ने श्रमशक्ति को पूरा करने के लिए भारत और चीन का रुख किया था। सन् 1834 में दास प्रथा पर रोक लगने के बाद भारतीय मजदूरों का आर्थिक विस्थापन और तेज हो गया।

हालाँकि बिहार से इंटर-स्टेट-माइग्रेशन की दास्ताँ इससे भी पहले की है। जमींदारों के द्वारा लगान वसूली में क्रूर व्यवहार के कारण भोजपुर इलाके से बंगाल क्षेत्र में आर्थिक विस्थापन 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ही होने का प्रमाण मिलता है। 18वीं सदी का बिहार के हवाले से अजय कुमार पुस्तक 'अंग्रेजी राज में कुशवाहा खेतिहर' में लिखते हैं कि राज जमींदार अथवा मालगुजार अपने रैयतों से तीज त्योहार, शादी विवाह, मरनी हरनी इत्यादि अवसरों पर अववाब वसूलते थे। अववाब रुपए पैसे तथा भोज्य सामग्री के रुप में वसूले जाते थे। अंग्रेज कंपनी सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगाई। फिर भी इस मामले में कमी नहीं आई तो भोजपुर (डुमरांव) के जमींदार विक्रमजीत सिंह को 1792 में जमींदारी से बेदखल कर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। अजय कुमार अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि दरभंगा राज जो वैश्या का नाच देखना होता तो भी जनता पर पुनाही टैक्स लगा दिया जाता। सब्जी उगाने वाले कोयरी लोगों से खपता की वसूली होती तो मवेशी चराने वाले ग्वालों से खर चराई और भैंसदहा टैक्स के रुप में वसूला जाता था। गिद्धौर राज ऊंची जाति के रैयतों से 51% और पिछड़ी जातियों के रैयतों से 57% उपज टैक्स के रुप में वसूला जाता था। अपनी पुस्तक 'मास्टर साहब' में महाश्वेता देवी एक पात्र के हवाले से लिखती हैं कि डुमरांव के महाराजा विक्रमजीत सिंह ने उपज का दो तिहाई लगान वसूलना शुरू किया.. मजबूरन बड़ी संख्या में लोग बंगाल की तरफ पलायन कर गए।

बिहार की श्रम शक्ति के लिए आर्थिक विस्थापन न सिर्फ मजबूरी बल्कि एक परंपरा की तरह भी बन गया है। किन्तु त्रासदी यह है कि आर्थिक विस्थापन करने वाले लोगों में अर्द्धकुशल और अकुशल लोगों की तादाद ज्यादा है। बिहार से आर्थिक विस्थापन करने वाले 85 प्रतिशत लोग अपने परिवार को घर पर छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि उनकी आय कम होती है। आईआईटी, हैदराबाद के असिस्टेंट प्रोफेसर अमृता दत्ता अपनी पुस्तक Migration and Development in India में लिखती हैं कि प्रवासन के लिए मजबूर परिवार का

पहला सदस्य अपने परिवार के लिए गाइड के तौर पर भी होता है, जो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए करियर बनाने में मदद करता है, आर्थिक सहयोग करता है। रेमिटेंस का एक बड़ा हिस्सा परिवार के अन्य सदस्यों की पढ़ाई पर खर्च होता है। इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के सर्वे के अनुसार बिहार से 74 प्रतिशत लोग अच्छी आय के लिए विस्थापित होते है। आर्थिक प्रवासन को लेकर व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरुरत है। बिहार के कई लोगों के लिए आर्थिक प्रवासन शर्म का विषय नहीं बल्कि रोजगार प्राप्ति समाज में प्रतिष्ठा की वजह बनता है।

बिहार के गाँव–गाँव में आर्थिक प्रवासन के लिए शहर गए अनेक लोगों की सफलताओं की अनगिनत कहानियाँ है। शहर संभावनाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराता है। मनुष्य को अपने लिए बेहतर अवसर की तलाश भीआर्थिक प्रवासन करने पर मजबूर करती है, किन्तु जब उसी खोज में वह सफल होता है तो लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगते है। आर्थिक प्रवासन आत्मनिर्भरता के लिए भी होता है, निजी काम–धंधा, कंपनी खड़ा करने के लिए अनगिनत कहानियां है, जो आर्थिक प्रवासन से ही संभव हुई है। कारपोरेट जगत में झंडे गाड़ने वाले सम्प्रदा सिंह, किंग महेंद्र, अनिल अग्रवाल विस्थापित बिहारी है। ऐसे ही हजारों सफल लोगों की दास्ताँ विस्थापन का जिक्र किए बगैर पूरी नहीं हो सकती है।

यह अलग बात है कि शहरों में पूर्व से स्थापित आबादी के लिए विस्थापित ग्रामीण नागरिक दोयम दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार करते है, उनकी संस्कृति, रहन–सहन में भिन्नता होने की वजह से उनके लिए हेय होते है। किन्तु सच यह है कि शहरों का निर्माण विस्थापन और आर्थिक प्रवासन से पैदा हुई परिघटना ही है। शहरों में आर्थिक उन्नति तो है लेकिन विस्थापित लोगों के लिए सामाजिक स्वीकार्यता के हालात ठीक नहीं है। शहरों में लोग गाँव–जवार, रिश्तेदारों का नेटर्क बना लेते है। आर्थिक प्रवासन का साहसिक पहलू यह भी है कि गाँव से विस्थापित हर आदमी शहरों की चकाचौंध में अकेला होता है, किन्तु उसे साथ उसके घर की भावनाएं होती है, परिवार जी जिम्मेदारी होती है। किसी की शादी का खर्च उठाना होता है तो किसी को उच्च शिक्षा दिलाने का खर्च उठाना होता है। आर्थिक प्रवासन सिर्फ पेट में अन्न डालने के लिए नहीं होता है। आर्थिक प्रवासन से प्राप्त आमदनी अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी खर्च हो रहा है। अच्छी शिक्षा के लिए पलायन करने वाले लाखों में हैं। मानवीय इतिहास में तेजी से हो रहे परिवर्तन में खुद को पीछे छूट जाने के भय से भी विस्थापन और आर्थिक प्रवासन हो रहा है।

अमेरिका–कनाडा सीमा पर जान गंवाने वाले प्रवासी भारतीय

वर्तमान में 3 करोड़ 10 लाख से अधिक भारतीय नागरिक विदेशों में प्रवासी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार साल 2011 से 2023 में कुल 17.50 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। अधिकतर नागरिकों ने अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके इटली जैसे देशों की नागरिकता हासिल किया है। लाखों अरबपतियों के भारत छोड़ने की वजह देश कास्किल वर्क फोर्स की कमी, ट्रेवलिंग में कठिनाई, सोशल सिक्योरिटी का भाव, आंतरिक माहौल, खराब शिक्षा प्रणाली वगैरह है। अमेरिका में अवैध ढंग से प्रवेश करने की कोशिश में गिरफ्तार भारतीयों में सबसे अधिक गुजरात के निवासी है। अमेरिका–कनाडा सीमा

के पास अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश के लिए इंतजार करते 4 भारतीय नागरिकों के एक परिवार के सदस्यों जगदीश बलदेवभाई पटेल उम्र 39 वर्ष, वैशालीबेन जगदीशकुमार पटेल उम्र 37 वर्ष, विहांगी जगदीश कुमार पटेल उम्र 11 वर्ष और धर्मिक जगदीश कुमार पटेल उम्र 3 वर्ष ने कनाडा–अमेरिका के सीमावर्ती शहर एमर्शन में –35 डिग्री सेंटिग्रेड की ठंढ में सिकुड़ कर जान गंवाने की मार्मिक कहानी गुजरात के लिए शर्म की वजह नहीं बनती है। ईदी अमीन के अत्याचारों से युगांडा से वापस लौटने वाले 80,000 भारतीयों में अधिकांश गुजराती हो या कुवैत संकट के समय लौटने वाले भारत के किसी भी हिस्से के नागरिक हो, उनका किसी राज्य से होना उनके राज्य के लिए शर्म का विषय नहीं होता है तो सिर्फ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छतीसगढ़ जैसे राज्य ही क्यों आलोचना का शिकार होते है? समय–समय पर नेताओं, विश्लेषकों के बयानों से आर्थिक प्रवासन के लिए विस्थापित हुई आबादी के सम्मान पर ठेस पहुँचती है। कोई यह बताए कि दुनिया भर के लिए विस्थापन और आर्थिक प्रवासन अपरिहार्य घटना है किन्तु उत्तर भारतीयों का आर्थिक प्रवासन शर्म की बात केसे है? यह दोहरा मापदंड है। आर्थिक विस्थापन शर्म नहीं बल्कि खोजी स्वाभाव वाले मनुष्य के लिए बेहतर अवसर की तलाश है। यदि यह शर्म की बात है भी तो यह सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पंजाब, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र समेत पूरे भारत के लिए भी शर्मनाक स्थिति है?

रेमिटेंसः आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक

विदेशों में होने वाले पलायन हो यह देशों के अन्दर ही पलायन हो, यह दुनिया भर में हो रहा है। कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। किन्तु दुनिया के कई ऐसे देश है जिनके सकल घरेलु उत्पाद में पलायन किए हुए नागरिकों द्वारा भेजे गए राशि (रेमिटेंस) का बड़ा योगदान है। IHD Bihar Surveys, Household sample, 2011 के अनुसार बिहार नागरिकों की कुल आय में भी रेमिटेंस का योगदान 49.5 प्रतिशत है, औसतन अधिक जोत वाली जातियाँ, कम जोत वाली जातियाँ और भूमिहीन जातियों में आर्थिक विस्थापन का अनुपात लगभग बराबर है। ओबीसी से अधिक आर्थिक विस्थापन अगड़ी जातियों में है, जो आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम है। अति पिछड़े, भूमिहीन परिवारों में आर्थिक विस्थापन ज्यादा है।

Caste/community	% of Household with Migrant
Upper Caste	69.8
OBC II	54.2
OBC 1	67.4
SC & ST	58.8
Muslim	77.4
Landless	66.1

Source: IHD Bihar Surveys, Household sample 2016.

यह प्रमाणित करता है कि विस्थापन सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि बेहतर विकल्प की तलाश की परिणति है। बिहार के दो तिहाई परिवारों के पास प्रवासी सदस्य है; प्रत्येक पांच सदस्यों पर एक सदस्य विस्थापित है। IHD Bihar Survey, 2016 के मुताबिक विस्थापित करने वाले 78.4 प्रतिशत लोगों का रोजगार जबानी कॉन्ट्रैक्ट पर है और 18.4 प्रतिशत लोगों का लिखित कॉन्ट्रैक्ट है। केंद्र और राज्य सरकारों को नियोजन नीति को बेहतर बनाना चाहिए। किन्तु आश्चर्य है कि श्रम सुधारों के प्रश्न को दबा कर श्रमिक बहुल राज्यों को पूरी तरह असफल बताकर कोसने की प्रवृति शोषक मानसिकता का प्रतीक है, जो भारत में लगातार जारी है।

उत्तर भारत से होने वाला आर्थिक विस्थापन भी कई प्रकार का है। इसे शार्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में विभाजित किया जा सकता है। कई बार अच्छी जोत वाले परिवार के सदस्य भी शार्ट टर्म के लिए पलायन करते हैं। कोई घुमने, दूसरे प्रदेशों का अनुभव लेने तो कोई आत्मनिर्भरता के लिए तो पेट पालने की मजबूरी में भी आर्थिक विस्थापन के लिए अन्य प्रदेशों में चला जाता है। कई लोग तो इसलिए विस्थापन कर जाते है क्योंकि उनकी सामाजिक श्रेष्टता की अवस्था उन्हें अपने आस-पास में निम्नस्तरीय और मध्यम स्तर का कार्य कर जीविकोपार्जन की इजाजत नहीं देती।

रेमिटेंस से आय का बड़ा भाग प्राप्त करने में बिहार का उदाहरण अकेला नहीं है। दुनिया के कई देश ऐसे है। आंकड़े बता रहे है कि कम आय वाले परिवारों में आर्थिक विस्थापन कम है; अधिक आय वाले परिवारों में आर्थिक विस्थापन ज्यादा है। यानी दूसरे शब्दों में आर्थिक विस्थापन आय बढ़ाने का जरिया हो गया है। भारत के आंतरिक हिस्से में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात बिहारियों के आर्थिकविस्थापन के लिए अनुकूल है। आर्थिक विस्थापन से प्रगति के पथ पर जाने की कोशिश बिहारी बखूबी कर रहे है। इन राज्यों में कार्यरत बिहारी नागरिक द्वारा भेजी गई कमाईका अधिकतर भाग जमीन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है।

पलायन के बारे में प्रमाणिक सत्य यह है कि दुनिया भर में आर्थिकविस्थापन से प्राप्त आय का जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2023 के अनुसार कम और मध्यम आय वाले देशों में रेमिटेंस में 3.8 प्रतिशत का वृद्धि दर दर्ज किया गया है। दुनिया भर में रहने वाले प्रवासियों ने कुल 669 बिलियन डॉलर अपने देश में भेजा है। रेमिटेंस सिर्फ विशेष क्षेत्र के लिए लाभ का कारक नहीं रहा है। लैटिन अमेरिका में 8 प्रतिशत, दक्षिण एशिया में 7.2 प्रतिशत, पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र में 3 प्रतिशत, उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में 1.9 प्रतिशत प्राप्त हुआ है। रेमिटेंस का दुनिया की जीडीपी में 0.8 प्रतिशत का योगदान है, किन्तु कम और मध्यम आय वाले देशों में 1.7 प्रतिशत हिस्सेदारी है। भारत की जीडीपी में रेमिटेंस का योगदान 3.4 प्रतिशत है। विदेशों से रेमिटेंस पाने वाले देशों की वैश्विक सूची में भारत, मेक्सिको और चीन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है।

Remittance Inflows (US$ million)	**2023**	**% of GDP in 2023**
India	125,000	3.4
Mexico	67,000	3.7
China	49,500	0.3
Philippines	40,000	9.2
France	34,000	1.1
Egypt, Arab Rep.	24,200	6.1
Pakistan	24,000	7.0
Bangladesh	23,000	5.2
Nigeria	20,500	5.3
Guatemala	19,855	19.3
Germany	19,000	0.4
Uzbekistan	16,100	17.8
Ukraine	15,700	9.1
Vietnam	14,000	3.2
Belgium	13,185	2.1
Morocco	12,130	8.3
Portugal (revising old numbers with BOP estimates)	11,179	4.1
Indonesia	11,000	0.8
Nepal	11,000	26.6
Italy	10,706	0.5
Dominican Republic	10,500	8.7
Colombia	10,160	2.8

Source: KNOMAD/World Bank, 2023.

इसी तरह से कई ऐसे देश है जो पलायित लोगों के कार ही विकास के पथ पर अग्रसर है। किर्ग रिपब्लिक, कुवैत, मकाउ, लेबनान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और बहरीन जैसे 14 देशों से उनके जीडीपी का 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक अन्य देशों में भेज दिया जाता है। यह बाहर जाने वाली राशि उस देश में रह रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में भेजा जाता है।

Remittance outflows (US$ million)	2022	% of GDP in 2022
United States	81,636	0.3
United Arab Emirates*	39,673	7.8
Saudi Arabia	39,349	3.6
Switzerland*	33,550	4.1
China	18,256	0.1
Kuwait	17,744	10.1
Germany	17,104	0.4
Luxembourg*	16,232	19.9
Netherlands*	15,386	1.5
France	15,267	0.5
Qatar	12,286	5.2
Italy	11,586	0.6
Poland	10,940	1.6
United Kingdom	10,918	0.4
India	10,089	0.3

Source: KNOMAD/World Bank, 2023.

चूँकि औद्योगिक क्रांति से पहले अर्थव्यवस्था कृषि, बागवानी आधारित थी। औद्योगिकीरण के बाद उद्योगों और सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान रहा। किन्तु अब इन्टरनेट क्रांति होने के बाद आईटी सेक्टर, एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े कई सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ गया है और कृषि का का कम हो गया है। किन्तु सूचना क्रांति के बाद विश्व एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गया है. एक देशों से दूसरे देशों में आवागमन बढ़ा है। ऐसे में रेमिटेंस अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक बन कर उभर रहा है। यह करोड़ों परिवारों की जीवनयापन का साधन ही नहीं वरन दर्जनों देशों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी बन गया है। अब यह कहने का कोई औचित्य नहीं है कि आर्थिक विस्थापन बुरा है, इसे रोका जाना चाहिए। मनुष्य की यह प्रवृति न रुका है न रुकेगा। हाँ, आर्थिक विस्थापन के कारण जिन राज्यों पर सवाल उठ रहे है उन राज्यों का यह दायित्व जरुर है कि नागरिकों को कुशल बना कर अपने राज्य की जीडीपी में रेमिटेंस की भागीदारी बढाने पर ध्यान दे।

वैश्विक संतुलन के लिए जरुरी आर्थिक विस्थापन

यदि आर्थिक विस्थापन नहीं हो तो यूरोप के कई देशों का विकास रुक जायेगा। सऊदी अरब जैसे कई देशों के विकास का पहिया आगे नहीं बढ़ेगा। कई देशों ने जरुरत के अनुसार आर्थिक विस्थापन का अपने

देशों में स्वागत किया है। पिछले साल स्थायी विस्थापन वाले कनाडा में 526360, यूके में 672000 विदेशी नागरिकों का आगमन दर्ज किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अनेकों देशों में जनसंख्या की कमी के कारण अन्य देशों से वर्कफोर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। यदि ऐसा नहीं हो तो तो कई देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो जायेगी। भारत में भी चीन की तरह ही आर्थिक विस्थापन हुआ है। चीन ने अपनी विस्थापित आबादी के श्रम के दम पर खुद को अमेरिका के समक्ष खड़ा कर लिया है। भारत में जनसँख्या की अधिकता होने के कारण नियोजन और प्रबंधन जैसी मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पर हिंसा देखा जाता है। कभी दक्षिण भारतीयों तो कभी उत्तर भारतीयों के विरुद्ध महाराष्ट्र में हिंसा शुरू हो जाता है, तो कभी दिल्ली में बिहारियों और नॉर्थ ईस्टके नागरिकों के के प्रति हीन भावना देखा जाता है। मानव की प्रवृति ऐसी है कि आर्थिक विस्थापन को रोका नहीं जा सकता है। नि:संदेह इससे उत्तर भारत के राज्यों बिहार, उत्तरप्रदेश और झारखंड को छूट नहीं मिल जाती है कि वे अपने राज्यों में रोजगार सृजन न करे और न ही यह अकेले सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार से लेकर इन राज्यों के नागरिकों को भी रोजगार सृजन के अनुकूल माहौल में रहना सीखना होगा ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से में उसे हेय नजर से न देखा जाए। साथ ही साथ विस्थापित लोगों से अन्य राज्यों समेत दुनिया भर का भला हो, इस दिशा में समाधान ढूंढने होंगे; नियोजन, प्रशिक्षण, कुशल, कामगार तैयार करने ही होंगे।

References

1. अतिक्रमण की अंतर्यात्रा
2. सेपियंस
3. Migration and Development in India: The Bihar Experience
4. Migration and development in China: Trends Geography and Current Issue
5. IHD Bihar Surveys, Household sample, 2011
6. KNOMAD/World Bank, 2023.

हिंदी सिनेमा में दलित चित्रण का वर्तमान और भविष्य

डॉ0 सुरेन्द्र पाण्डेय
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (हिन्दी)
कूबा पी0जी0 कॉलेज, दरियापुर,
नेवादा, आजमगढ़

शोध-सार

सिनेमा के सौ साल के संसार में दलितों से संबंधित ज्यादा फिल्में नहीं हैं। दलित चित्रण एवं चेतना का आभाव सिनेमा के आरम्भिक चरण से ही परिलक्षित किया जा सकता है। शुरू में ऐसा प्रतीत हुआ कि महात्मा गाँधी और अन्य सुधारकों के प्रभाव से यह विषय लोकप्रिय होगा, लेकिन जल्दी ही दलित चेतना से लैस फिल्में मुख्यधारा के विषय से बाहर चली गयी। जब हम दलित चेतना की दृष्टि से बॉलीवुड फिल्मों की संख्या पर नजर डालेंगे तो हमे निराशा ही हाथ लगेगी। 130 करोड़ से उपर की जनसंख्या वाले इस देश के सबसे बड़े सिनेमा उद्योग बॉलीवुड में बहुजन-जीवन के स्वाभाविक-चित्रण का अभाव चिंताजनक है और इसका एक बड़ा कारण यह है कि बहुजनों का पक्ष सिनेमा में हमेशा एक समस्या के रूप में चित्रित हुआ है। अगर हम सिर्फ दलित-समस्या पर ही केन्द्रित रहेंगे और सुधार के बदौलत समस्या का निदान चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि समानता, संघर्ष और क्रांति की चेतना से परिपूर्ण दलित-चित्रण नहीं हो पायेगा। दलित चिंतन, दलित समस्या तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्या के अलावा उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक संदर्भ आदि भी इसमें समाहित है।

बीज-शब्द: दलित, चेतना, इतिहास, अनुभूति, संघर्ष, मुख्यधारा, व्यवसायिकता।

भूमिका

आज का आधुनिक दौर विमर्शों का दौर है। आज जब इतिहास के पुनर्लेखन की बात कही जा रही है वैसे में सशक्त संचार माध्यम माने-जाने वाले सिनेमा में देश की आधी आबादी की उपस्थिति का ब्यौरा रखना भी बेहद जरुरी हो जाता है। हिंदी सिनेमा आज जितना लोकप्रिय है, उतना ही दलितों से दूर है। हिंदी सिनेमा के लम्बे इतिहास में दलित विषय वाली फिल्में दलित विमर्श के अधूरे एजेंडे को लेकर चली है। फिल्में दलितों की सामाजिक यथास्थिति को बनाये रखने में कामयाब साबित हुई है। दलित विचारक कांचा इल्लैया ने कहा है- “मुख्यधारा के इतिहास लेखन ने डाली बहुजन सन्दर्भ को भारतीय इतिहास में शामिल करने के लिए कुछ नहीं किया।”[1] मुख्यधारा सिनेमा के लिए भी यह सही है। गांधीवाद की गिरफ्त में छटपटाते दलित विमर्श को मुक्ति की पहली किरण तब दिखाई पड़ी थी जब वह फुले, अम्बेडकर तथा नायकर के विचारों से

रुबरू हुआ। लेकिन हिंदी सिनेमा ने दलित चेतना को अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रतिरूप समझा। यह हिंदी सिनेमा के दृष्टिकोण की सबसे बड़ी कमजोरी है। यही कारण है की वर्तमान में हालात यह है कि हिंदी सिनेमा बुरी तरह संकीर्ण राष्ट्रवाद से ग्रसित है। हिन्दू अलगाव और दर्शकों की उपेक्षा का भय ने सिनेमा उद्योग को ऐसी फिल्म बनाने पर विवश किया है कि जिसमें छद्म राष्ट्रवाद और फौरी करवाई के मसाले से लबालब हो। वरना फिल्में वहिष्कार गैंग के हत्थे चढ़ जाने का डर है।

शोध-विस्तार

आज भी ज्यादातर फिल्मों में दलितों को फिल्म का अंगी न मानकर बतौर अंग भर मान लिया जाता है, उनका उपयोग केवल मुख्य कथा को आगे बढ़ाने वाले पात्र, साइड केरेक्टर, कोरस गाने वाले या भीड़ के रूप में चित्रित किया गया है। वर्तमान हिंदी सिनेमा कुछ हद तक कोशिश कर रहा है कि ऐसी फिल्में बनाई जाये जिससे तत्कालीन समाज में परिवर्तन की चेतना आये। यह कोशिश बहुत ही कमतर है। वर्तमान और भविष्य में हिंदी सिनेमा को अपेक्षित बदलाव का माध्यम बनना होगा।

व्यावसायिक फिल्मों के ज्यादातर नायक ऊँची जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह परिस्थिति आज इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में भी मौजूद है। फिल्मों में मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग छाया रहता है और ज्यादातर फिल्में इन्हीं को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं। हर साल सैकड़ों फिल्में बनती है लेकिन पिछड़े और दलित तबकों के नायकों की कहानी इक्का-दुक्का फिल्मों में होती है। बाकि सारी फिल्मों के किरदार सवर्ण कपूर, शर्मा, चतुर्वेदी आदि रहते हैं। फिल्मों के नाम से ही पता चलता है कि सवर्ण मानसिकता की गुलामी से हिंदी सिनेमा बाहर नहीं निकल पाया है; 'मंगल पांडे', 'भाई ठाकुर', 'अर्जुन पंडित', 'क्षत्रिय', 'राजपूत', 'जस्टिस चौधरी', 'पंडित और पठान', 'सूर्यवंशम' आदि। फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में सलमान के किरदार का नाम पवन कुमार चतुर्वेदी है जो एक दृश्य में बाल कलाकार के गोरी होने के चलते उसे उच्च जाति का कहता है कि गोरी है, ब्राह्मण होगी। यह संवाद हिंदी सिनेमा में जातिगत भेदभाव, संभ्रांत वर्गों की दलित और पिछड़ों के प्रति नस्लीय विचारधारा को उजागर करने के लिए काफी है। सलमान खान अभिनीत फिल्म 'दबंग' (2010) में खुलकर जातिवाद को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म का नायक चुलबुल पांडे है और नायिका के रूप में कुम्भकार समाज की महिला। फिल्म में यह दिखाया गया है कि केसे एक ऊँची जाति का नायक गरीब व निम्न जाति की सुंदर महिला की किस्मत बदल देता है। एक फिल्म है 'सूर्यवंशम' (1999) नायक है अमिताभ बच्चन। इस फिल्म में पितृसत्ता को बनाए रखने के तमाम हथकंडे दिखाए गए थे। इसके अलावा पूरी फिल्म जातिगत श्रेष्ठता के बोध से ओत-प्रोत थी। फिर प्रकाश झा की फिल्म 'गंगाजल' (2003) को केसे भुलाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने साधू यादव नामक पात्र को प्रस्तुत कर एक पूरी जाति को भागलपुर के आंखफोड़वा कांड के लिए जिम्मेदार साबित किया था। अक्सर फिल्मों के नायकों की जाति उच्च-वर्ण की होती है। कभी सचिन गुप्ता, कभी संजय सिंघानिया तो कभी चुलबुल पाण्डेय। समकालीन हिंदी सिनेमा में किसी बड़े दलित अभिनेता या किरदार का नाम याद नहीं आता।

21वीं सदी का हिंदी सिनेमा जाति–व्यवस्था से जुड़े सवालों को उठाना एक जोखिम के रूप में लेता है और उससे भागने की कोशिश करता है। वह सत्य एवं तथ्य को दिखाने के बजाय परंपरा और फैंटेसी को ज्यादा तरजीह देता है। यह जाति, जेंडर और सामाजिक अंतर्विरोध के सवालों पर नहीं है, जिसकी समस्या भारत में बहुत है। लेकिन चूँकि ये विषय वैश्विक विमर्श का हिस्सा हैं, इसलिए हिंदी सिनेमा में इन मुद्दों पर विदेशी फिल्मों का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जाति का सवाल पर कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर हिंदी फिल्मकार परंपरागत रवैया ही अपनाते हैं।

आज सिनेमा का प्रतिरूप बदल रहा है। इस उद्योग के तकनीकी में बदलाव तेजी से आ रही है। फिल्मों के डिजीटल प्रिंट तेजी से रिलीज हो रहे हैं। नए मल्टीप्लेक्स भी तेजी से खुल रहे हैं। सिनेमा में बदलाव जारी है लेकिन एक चीज जो नहीं बदल रही है वह है फिल्मकारों की सोच इसलिए सिनेमा का जातिगत स्वरुप में कोई वैचारिक परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। तथाकथित प्रगतिशील हिंदी फिल्म उद्योग हमेशा सवर्णों की पूँजी पर मेहरबान रहा है। वर्तमान में पिक्चर हाल बंद होने और मल्टीप्लेक्स संस्कृति के विकास से अब निर्माताओं का मुख्य ध्यान शहरी मध्यवर्ग पर रहता है। 1990–2000 के दशक में बनी फिल्में भारत के बाहर भी काफी लोकप्रिय रहीं। प्रवासी भारतीयों की बढती संख्या भी इसका प्रमुख कारण थी। हिंदी फिल्मों में प्रवासी भारतीयों के विषय लोकप्रिय रहें। कोरोनाकाल के बाद ओ.टी.टी. पर फिल्म और वेब सीरिज का चलन बढ़ा है। अब ओ.टी.टी. के फिल्मों में तेजी से एक अलग प्रकार की दलित चेतना देखने को मिल रही है। सिनेमा में हालिया दलित प्रतिनिधित्व सूक्ष्म विशेषताओं के साथ आया है, जो पहले के सिनेमाई चित्रण से अलग है, जिसमें ज्यादातर उन्हें जातिगत अत्याचार और हिंसा के शिकार के रूप में दर्शाया गया है। इसके कारण एक नयी संभावना का विकास हुआ है कि सिनेमा के भीतर मौजूद वर्ग, जाति, जेंडर, यौनिकता और विभिन्न तरह की असमानताओं की परतें एक के बाद एक खुलती जाती हैं। जहां एक ओर 'ओवर द टॉप' (ओटीटी) प्लेटफार्म ने दुनियाभर की फिल्मों, वेब सीरीज आदि के माध्यम से भारतीयों को वैश्विक दृष्टिकोण दिया, वहीं दूसरी और भारतीय सवर्ण निर्माताओं ने इसे भी अपनी दकियानूसी और संकुचित दृष्टिकोण के जाल में बांध लिया। जबकि ओ.टी.टी. प्लेटफार्म पर जाति–विरोधी पृष्ठभूमि से आनेवाले प्रगतिशील निर्माताओं, निर्देशकों और कलाकारों ने ऐसी फिल्में पेश कीं, जो पहले जितनी भी जाति–व्यवस्था और इससे जुड़े पहलुओं पर बनी फिल्में हैं, उन सबको आईना दिखाया है। पहले के इस तरह के सामाजिक मुदद्ों पर फिल्म बनाने के कसौटी को ही बदल दिया है। उन्होंने दिखाया है कि एक दलित गरीब है, अपमानित है लेकिन मगर लाचार नहीं, वह अपनी आवाज खुद उठाना जानता है। उसे किसी सवर्ण मसीहा की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दक्षिण भारत की फिल्में हैं– 'सरपट्टा परम्बाई', 'कर्नन', 'असुरन', 'काला', 'कबाली', 'जय भीम' आदि। इस तरह की फिल्मों की सूची अब लंबी हो चुकी है और इसमें वृद्धि अनवरत जारी है। ओटीटी माध्यम प्रगतिशील, बहुलवादी और सत्ता–विरोधी है और मुख्यधारा सिनेमा की व्यावसायिक चमक–दमक से दूर है। इसमें परिवार के साथ देखने का कोई दबाव नहीं है जो कई विचारों और सामग्री के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। निर्देशक आधुनिक और क्रांतिकारी कहानियां बनाने के लिए ओटीटी माध्यम का उपयोग कर रहे हैं जो पारंपरिक कथाओं को चुनौती देती हैं। जबकि जातिगत अत्याचार वास्तविकता में जारी हैं, ये ऑनस्क्रीन प्रस्तुतियाँ रूढ़िवादिता को तोड़ रही हैं और दलित महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। दलित केंद्रित फिल्मों

ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। ओ.टी.टी. उसका धरातल तैयार कर रहे हैं। हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज 'दहाड़' और नेटफिल्क्स पर रिलीज 'कटहल' से यह साफ होता है। इन दोनों फिल्मों में मुख्य पात्र दलित महिला है। दोनों अपनी ही बिरादरी की लापता लड़कियों की तलाश कर रही हैं। आरोपी तथाकथित बड़ी जाति का है। इस कहानी के बीच जातिगत गैर–बराबरी की परतें उधड़ती जाती हैं। काम की जगहों पर रोजमर्रा होने वाला भेदभाव दिखाई देता है। दहाड़ की अंजली भाटी (सोनाक्षी), और कटहल की महिमा बसोर (सान्या) पढ़ी–लिखी हैं, और पुलिस की आला अफसर, लेकिन फिर भी जातीय श्रेष्ठता और उसके अधिकार के अहंकार की शिकार हैं। ओ.टी.टी. भारतीय सिनेमा में दलित महिलाओं की उपस्थिति बढ़ रही है, हाल के चित्रणों में उन्हें पीड़ितों के बजाय मजबूत, सशक्त पात्रों के रूप में दिखाया गया है। अब फिल्मों में दीन–हीन नहीं। न ही किसी रक्षक या मसीहा की तलाश में है। जैसा कि दहाड़ की अंजली कहती है कि 'किसी मर्द की आस में रहना, हमारी जाति की लड़कियों के लिए सबसे बड़ी भूल है। उनके परिवारों की भी। उन्हें मेरी तरह अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी।' ओटीटी सीरीज 'मेड इन हेवन 2' में एक दलित शिक्षाविद् पल्लवी मेनके और उनके मंगेतर विक्रम के बीच उनके अंतरजातीय विवाह और भारत में जाति की अदृश्य उपस्थिति को दर्शाता है। पहले फिल्मों की अंतर्वस्तु में इतनी स्पष्टा नहीं थी कि दलित चेतना को मुख्यधारा में लाती।

दूसरी तरफ ओ.टी.टी. पर कुछ सवर्ण निर्माताओं एवं निर्देशकों के द्वारा ऐसी फिल्में भी बनायीं गयी हैं जिसमें दलित तबकों पर सवर्ण रक्षक थोपने पर जोर दिया गया है। ऐसी फिल्में दलित चेतना, समानता, क्रांति के निर्माण में हानिकारक साबित होती है। हालांकि निर्माताओं के संकीर्ण मानसिकता से दलितों का चित्रण भारतीय सिनेमा की शुरूआत होने के साथ ही शुरू हो गया था। मसलन, दादा साहेब फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, ने वर्ष 1913 में पहली फिल्म बनायी 'राजा हरिश्चंद्र', जिसमें चांडाल (दलित) समुदाय से आने वाले परिवार का चित्रण और राजा की महानता को दर्शाया गया है। फिर पौराणिक कथाओं से एक दौर शुरू हुआ। बाद में कुछ विषय भी बदले जैसे 'अछूत कन्या' (1936), 'नीचा नगर' (1946), 'सुजाता' (1959), 'सद्गति' (1981), 'निशांत' (1975), 'मंथन' (1976) आदि फिल्में। वर्तमान दौर में फिल्में 'लगान' (2001), 'आरक्षण' (2011), 'राजनीति' (2010), 'सीरियस मेन' (2020), 'आर्टिकल 15' (2019) और 'शमशेरा' (2022) आदि फिल्मों ने जाति के सवालों को नये रूप में प्रस्तुत किया है। इन फिल्मों की खासियत यह है कि ये सभी फिल्में उन विशिष्ट पृष्ठभूमि से आनेवाले लोगों ने बनायी, जिन्होंने दलितों को एक दबे–कुचले, भोले–भाले, अज्ञानी, अनैतिक, भ्रष्ट एवं उसके उद्धार के लिए एक उच्च जाति के मसीहे की बाट जोहता हुआ दिखाया गया है। ऐसे निर्माता–निर्देशकों द्वारा बनायी गयी फिल्में दलित समस्या से शुरू होते हुए फिर मुदद् से भटकर कभी अमीरी–गरीबी के भेद में ढ़ाला तो कभी निजीकरण की समस्या को केंद्र में रख दिया जो कि क्रमशः 'धड़क' और 'आरक्षण' में देखने को मिलता है। आज जब सवर्ण निर्माता भी ओ.टी.टी. पर फिल्म बना रहे हैं तो दलित के लिए उच्च तबके के नायक को रक्षक या मसीहा के रूप में पेश करते हैं। उदहारण के तौर पर हाल ही में आयी अनेक वेब सीरीज में शामिल है दीपक कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित 'पंचायत' जो कि ब्राह्मण निर्माताओं द्वारा बनायी गयी है और इसकी केन्द्रीय कहानी उनके अपने बिरादरी की कहानी है, जिसमें खुद को श्रेष्ठ एवं उपकारी जातने के लिए दलित किरदारों को जबरदस्ती शामिल करके रूढ़िवादी धारणा में पेश किया गया है। दूसरी सीरीज है प्रकाश झा द्वारा निर्देशित एवं निर्मित

'आश्रम', जो एक ढोंगी बाबा की कहानी है, जो स्वयं को भगवान के रूप में स्थापित कर चुका है। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि लोग इस बाबा के अंधभक्त हैं। काफी दलित भी इनसे प्रभावित एवं प्रेरित हैं। एक दलित स्त्री जो बाबा का सम्मान करती है और आश्रम में सेवा भी करती है उसका बाबा द्वारा दुष्कर्म किया जाता है। वो संघर्ष करती है और उसके मोहजाल से बाहर निकलती है। फिर वह उच्च जाति के लोगों के साथ मिलकर और उसके साहयता से बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। इस सन्दर्भ में नेटफ्लिक्स की फिल्म 'थार' (2022) के चरित्र भूरे का जिक्र करना जरूरी है। सतीश कौशिक ने भूरे का किरदार निभाया है। एक सीन में भूरे अपने सीनियर अफसर से कहता है कि यूनिफॉर्म कम से कम मेरी जाति को तो ढंक लेती है। 'आर्टिकल 15' में आईपीएस अयान मुखर्जी रक्षक की भांति नजर आते हैं। इससे अलग हैं, 'मसान' और 'झुंड' जैसी फिल्में जिसमे उच्च जाति वाले रक्षक के क्षत्रछाया से नहीं, दलित चेतना का निर्माण दलित फिल्मकारों की नुमाइंदगी से होता है। यहाँ कोई उच्च जाति किरदार मसीहा नहीं बनता।

राहुल पांडेय और सतीश नायर द्वारा निर्देशित एक वेब सीरीज रिलीज हुई है– 'निर्मल पाठक की घर वापसी' (2022)। 'पंचायत' की भांति यह भी ब्राह्मण निर्माता–निर्देशकों द्वारा बनायी गयी सीरीज है, जिसमें ज्यादातर ब्राह्मण कलाकारों को लिया गया है। यह कहानी की पृष्ठभूमि भी एक ब्राह्मण परिवार के इर्द–गिर्द है, जिसमें इस परिवार के एक सदस्य के मन में दलितों के प्रति दया–भाव जाग जाता है। एक परिश्रमी दलित व्यक्ति दुखु जो नाली साफ करते समय थकान से अचेत हो जाता है तो वो ब्राह्मण व्यक्ति निर्मल पाठक उसे अपने कुएं से पानी पिला देता है। यह बात उस परिवार के अन्य सदस्यों को अखर जाती है क्योंकि उनके अनुसार वह कुआं अशुद्ध हो गया। निर्मल पाठक को घर से निकाल दिया जाता है। यहाँ तक अपना जनेऊ भी उतार कर फेंक देता है। अब पृष्ठभूमि 24 साल बाद का है कि दुखु, जो 24 साल बाद भी नाली साफ कर रहा है। वह आज भी मजदूर है। वह पहले की तरह फटे हुए मैले कपड़े पहनता है। एक झोपड़ी है में वह और उसका परिवार रहता है। उसकी बस्ती में कई झोपड़ियां भी हैं, जिसमें उसकी ही जाति–बिरादरी के लोग रहते है। निर्मल पाठक दुखु के घर जाता है और खाना भी खाता है क्योंकि उसे लगता है कि 24 साल पहले जो उसके पिताजी ने खाना खाकर इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया, शायद इस बार काम बन जाए। और दुखु दूसरी तरफ निर्मल पाठक को देखकर भावविभोर हो रहा है। निर्मल पाठक दुखु को बतलाता है कि सामाजिक बदलाव कितना जरूरी है, वरना यह सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। इसके जवाब में दुखु कहता है कि 'हमारे को इस व्यवस्था से कोई भी समस्या नहीं है। यह दलितों के घर खाना खाकर, किस प्रकार की समानता ईजाद की जा रही है, मालूम नहीं। वर्तमान की भारतीय राजनीति में भी ये खाना खाकर बड़प्पन दिखाने की परंपरा है। निर्देशक ने इसी परम्परा को जारी रखा है।

निर्मल पाठक जैसे लोग, जो शहरी परिवेश में पले–बढ़े, जिसे जाति के बारे में कुछ मालूम नहीं जैसे कि 'आर्टिकल 15' फिल्म के मुख्य पात्र आईपीएस अयान मुखर्जी को कुछ मालूम नहीं होता है। मगर उसे यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। शुरुआत के दिनों में वह गौर करता है और बाद में बोलता भी है। धीरे–धीरे वह गांव की सारी समस्याओं, जिसमें शिक्षा का सवाल हो, बाल–मजदूरी, छूआछूत, किसानी, बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, गुंडागर्दी आदि पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देता है। कथानक का उददेश्य क्या है, स्पष्ट नहीं है कि दलितों के ऊपर बनाई है या इनके खुद के ब्राह्मण परिवार के पारिवारिक ढांचे को उजागर करने के लिए।

निष्कर्ष

इस तरह हम हिंदी सिनेमा के वर्तमान स्वरूप में दलित चित्रण की दो सामानांतर धाराओं को परिलक्षित कर सकते हैं। बहरहाल, भविष्य में निर्माताओं-निर्देशकों को दलित चेतना से लैस ऐसी युगांतकारी फिल्में बनानी चाहिए जो महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर ठोस बयान देती हो, जिसमें दलित चरित्र को मनुष्य के रूप में एक निष्पक्ष और आत्मविश्वास से भरपूर नायक बनने के लिए अग्रसर हो। वर्तमान के समाज और साहित्य में दलित चरित्र समय के साथ बदल गया है, क्योंकि समाज में उसका उत्थान एक गरीब कमजोर व्यक्ति से एक शिक्षित स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में, एक उत्पीड़ित से एक वास्तविक विजेता के रूप में चुका है। भविष्य के सिनेमा में भी इसी का प्रतिरूप दिखना चाहिए।

संदर्भ

1. इल्लैया, कांचा, प्रोडक्टिव लेबर, कांशसनेस एंड हिस्ट्री: द दलित बहियन अल्टरनेटिव्ज, शाहिद अमिन और दीपेश चक्रवर्ती (सं.), सबाल्टर्न स्टडीज IX संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1996, पृष्ठ- 165

दलित लेखन साहित्य के आईने में

डॉ0 विकास कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़, उ0प्र0

शब्द की व्यंजकता उसकी ध्वनि में सन्निहित होती है। ध्वनियाँ हमारे अचेतन में अवस्थित शब्द की व्यवहारिक अर्थ छवियाँ प्रस्तुत करती हैं। शब्द की चिरन्तनता लोक में व्याप्त होती है और उसकी कसौटी सामाजिक अनुक्रियायें होती हैं। दलित शब्द की व्याख्या अगर उपरिलिखित मानकों के आधार पर की जाये तो यह शब्द स्वयं में एक विशिष्ट संवेदना और इतिहासगत अनुभव समेटे हुए है। दलित, अर्थात् दबाया, कुचला हुआ, पीड़ित, वंचितं और अभिशप्त। ऐसे अनुभवों से ख्रश्य जगत में प्रायः अधिकांश जन समूह गुजर रहा होता है पर जब यह किसी ठोस नियम सा एक समूह या समुदाय के साथ निरन्तर घटित हो रहा हो तो दलित शब्द का रूढ़ हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक है। वर्ण और कर्म के आधार पर यह विभाजन रेखा भले ही प्राचीन काल में न रही हो पर विकास और बौद्धिकता के विभिन्नता चरणों में यह कथित सभ्य समाज की नियति बन गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अब तक गतिमान है। पीड़ा और दमन के इस सन्त्रस को आवरण प्रदान करने के लिए भारत और विश्व के अन्य भागों में ज्ञान का घृणित छद्म धारण किया गया। इसे शास्त्र का नाम देकर पापाचार को मण्डित किया गया। परिवर्तन जीवन–जगत की अवश्यम्भावी नियति है और काल–चक्र को तोड़ते हुए जब विशाल दलित समुदाय ने अपनी पीड़ा को स्वर और शब्द रूप प्रदान किया तो उसे 'दलित साहित्य' की संज्ञा प्रदान की गई।

दलित लेखन कहीं भी प्रतिकार के रूप में हमारे समक्ष नहीं प्रकट हुआ। उसने अनुभवों को चेतना का स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा की है ताकि समाज वर्ग और व्यवस्था के दायरे से इतर होकर एक सार्वभौम और मानवीय स्वरूप प्राप्त करे। 'दलित शब्द के साथ जब साहित्य जुड़ जाता है तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। वह नकार का साहित्य बन जाता है, किन्तु उसका नकार, व्यवस्था अर्थात् उन मूल्यों, विश्वासों और मान्यताओं के प्रति है जो समाज और राष्ट्र के हित में अनौचित्यपूर्ण और अनुपयोगी है। चूँकि वे अनुपयोगी हैं और अशुभ हैं, इसलिए उनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य केवल वही शुभ हैं जो समाज में समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व को बढ़ावा देते हैं। यह मूल्य राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है। दलित साहित्य इन्हीं शुभ मूल्यों का समर्थक है।[1]

परम्परागत और रूढ़ मानदण्डों के आधार पर दलित साहित्य की आलोचना के विरूद्ध प्रायः दलित–साहित्यकार दिखाई पड़ते हैं। वह यथार्थ को ही सौन्दर्य विश्लेषण का यंत्र मानते हैं।

ओमप्रकाश वाल्मीकि अपनी पुस्तक 'दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र' में लिखते हैं– 'परम्परागत मान्यताओं और आदर्शों से भिन्न दलित साहित्य ने अपना रास्ता चुना है। इसलिए प्रतीकों और बिम्ब में भिन्नता अनिवार्य है। कोई दलित लेखक पौराणिक आदर्शवाद को नहीं स्वीकार कर सकता।'[2]

दलित साहित्य को समानान्तर साहित्य इसलिए माना जा सकता है क्योंकि प्राय यह साहित्य सम्पदाओं की तरह अपनी संवेदनाओं को अनेक विधाओं के माध्यम से जन-जन तक पहुँचा रही है। कहानी, आत्मकथा, कविता, एकांकी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं में दलित लेखन जारी है। हालांकि आदिवासी चिन्तन और लेखन बहुत कुछ दलित लेखन से भिन्न नहीं है परन्तु उसका स्वरूप अलग कोटि का होने के कारण दलित आन्दोलन से समान होते हुए भी इतर दिखाई देता है और उसका भिन्नार्थक आन्दोलन चल रहा है।[3]

'हिन्दी दलित लेखन' दलित जीवन को विभिन्न कोणों से गति प्रदान करता है। प्रायः सभी विधाओं में अपनी अकथ कहानियों को दलित लेखकों ने स्वर प्रदान किया है। कविता, कहानी, उपन्यास और आत्मकथा तक। 'सरस्वती' पत्रिका में हीरा डोम की कविता 'अछूत की शिकायत दलित जीवन की महागाथा' के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होती है–

हमनी के रात-दिन दुखवा भोगत बानी;
हमनी के सहेबे से मिनती सुनाइब।
हमनी के दुःख भगवनओं न देखत जे;
हमनी के कब ले कलेसवा उठाइब।
पदरी साहेब के कचहरी में जाइबिजां;
बेधरम होके रंगरेज बनि जाइब।
हाय राम! धरमे न छोड़त बनत बा जे;
बे-धरम होके केसे मुहवाँ दिखाइब।'[4]

कितनी करुण गाथा है उपर्युक्त पंक्तियाँ। कथित सभ्य हिन्दू समाज के दमन-घक्र से पीड़ित, असहाय। जिसकी सुनने के लिए कोई ईश्वर नहीं। मर्यादा और धर्म न छोड़ने का मोह। जिल्लत बर्दाश्त न करने की स्थिति में इसाई बनने को अभिशप्त। आखिरकार दलित की पहचान कहाँ है?

अछूतानन्द की कवितायें हिन्दू समाज में व्याप्त अनाचार और सामन्तवादी व्यवस्था के विरूद्ध मार्मिक आह्वान करती हैं। विषमता के विरुद्ध आक्रोश का स्वर कितना मार्मिक और आहत करने वाला है–

मनुजी तुमने वर्ण बना दिये चार।
जा दिन तुमने वर्ण बनाये, न्यारे रंग बनाये क्यों ना?
गोरे ब्राह्मण, लाल क्षत्री बनिया पीले बनाये क्यों ना?
शूद्र बनाते काले वर्ण के, पीछे को पैर लगाये क्यों ना?[5]

यह स्वयं को स्वयंभू समझने वाली व्यवस्था से ज्वलन्त प्रश्न था जो आज भी प्रासंगिक है। और यह दुःख बाद की कविताओं में आक्रोश के रूप में परिवर्तित हो गया। देवेश कुमार चौधरी 'देव' अपनी कविता मेरे पुरखों मुझे क्षमा करना में लिखते हैं–

"अब मैं अपने कंधों पर उनकी
अय्याशी का जुआ उठाने को तैयार नहीं
मेरे पुरखों! मुझे क्षमा करना

मैंने तुम्हारी तरह समर्पण की बजाय
प्रतिशोध लेने की कसम खाई है।"[6]

कविताओं के अतिरिक्त दलित लेखन आत्मकथा के रूप में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। वस्तुत: आत्मकथायें ही दलित लेखन की वास्तविक पहचान है। क्योंकि व्यक्ति का समाजसत्य। यहाँ अपने मूल और अनावृत्त रूप में हमारे समक्ष आता है और हाशिये के लोगों की ओर से हमारे नैतिक और आदर्शात्मक समाज से कुछ यक्ष प्रश्न करता है।[7] 1969 में हिन्दी की पहली दलित आत्मकथा 'जूठन' प्रकाश में आई। इसके लेखक ओमप्रकाश वाल्मीकि हैं। यह आत्मकथा यंत्रणाजनक मनोविश्लेषण का परिणाम है जिसने हिन्दी पटी में दलितों, अस्पृश्यों के जीवन के अनदेखे पन्नों को छुआ है। शीर्षक ही अत्यन्त ध्वन्यात्मक है। तिरस्कार और अपमान की विभीषिका पूरी आत्मकथा में व्याप्त है-

"त्यागियों के बच्चे 'चूहड़े का' कहकर चिढ़ाते थे। कभी-कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। एक अजीब सी यातनापूर्ण जिन्दगी थी, जिसने मुझे अन्तर्मुखी और चिड़चिड़ा तुनकमिजाजी बना दिया था। स्कूल में प्यास लगे तो हैंडपम्प के पास खड़े रहकर किसी के आने का इन्तजार करना पड़ता था। हैंडपम्प छूने पर बावेला हो जाता था। लड़के तो पीटते ही थे, मास्टर लोग भी सजा देते थे। तरह-तरह के हथकंडे अपनाये जाते थे, ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊँ और उन्हीं कामों में लग जाऊँ, जिनके लिए उनके अनुसार मेरा जन्म हुआ था। स्कूल आना मेरी अनाधिकार चेष्टा थी।"[8]

मोहनदास नैमिशराय की आत्मकथा 'अपने-अपने पिंजरे' तथा सूरजपाल चौहान की आत्मकथा 'तिरस्कृत' में भी दलित जीवन के सुलगते प्रश्न हमसे रू-ब-रू होते हैं। हाल के दिनों में आई तुलसीराम की आत्मकथा 'मुर्दहिया' भी अनुभव जगत के कटु यथार्थ से हमारा साबिका कराती हैं। वे आत्मकथा की बजाये इसे आत्मवृत्त कहने का आग्रह करते हैं। "मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। यह दोनों को मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिण्ड पर जूझते सैकड़ों गियों है माथ कुत्ते और सियार मुर्दहिया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के सामय इन्ही सियारों की 'हुआँ-हुआँ' वाली आवाज उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दु:ख-दर्द अपने अन्दर लिये मुर्दहिया में दफ्न हो गये थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती, उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होता। मुर्दहिया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिन्दगी थी।"[9] दलित आत्मकथाओं में जिन्दगी का सत्य अपने सम्पूर्ण स्वरूप में हमारे समक्ष दिखाई देता है। यहाँ हर दलित बस्ती 'मुर्दहिया' है।

हिन्दी दलित महिला लेखिकाओं में कौशल्या बैसंती की आत्मकथा श्दोहरा अभिशाप पहली आत्मकथा है। 'अभिशाप' शब्द पर काफी बवाल भी हुआ। पर कौशल्या जी का मानना था कि यह शब्द दलित स्त्रियों के शोषण को कई कोणों से उभारने में सार्थक हुआ है। आत्मकथा में दलित स्त्रियों के विकट जीवन पर प्रकाश डाला गया है।

समग्र रूप से देखा जाये तो हिन्दी और इतर भाषा का दलित लेखन अपने संघर्षों और लक्ष्यों की ओर सम्यक् गति से बढ़ रहा है। सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में दलित चेतना काम कर रही है। "जब हमने सब कुछ

नकारा है तो पूछा जा सकता है कि हमने स्वीकारा क्या है? इसका यही उत्तर दिया जा सकता है कि हमने सिर्फ मनुष्य, ज्ञान-विज्ञान और अपने समय को स्वीकारा है। आज का युग बड़ा ही विलक्षण है। इस युग का उदय होने के साथ ही अनेक सन्त मसीहा, परमेश्वर मृत हो गये हैं। इस युग ने अनेक प्रथाओं घारणाओं, परम्पराओं, सत्ताओं को धूलि-ध्वस्त किया है। यह इस युग का वामत्व है। यह वामत्व और नवनिर्माणत्व हमने स्वीकारा है। जो कि समांतर को भी स्वीकारता है। इस स्वीकार से दलित साहित्य स्वतः ही युग-समांतर बन गया है। वह हमारे क्रान्तिकारी युग की विशेषताओं का प्रतिबिम्ब बन गया है। वह विशेषता है- मनुष्य की शोषण-उत्पीड़न दुःख-दैन्य से मुक्ति! उसका स्वभाव-सिद्ध-माहात्म्य और विश्व-बंधुत्व!"[10]

उपर्युक्त चिंतन के आलोक में यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आज का दलित लेखन समानान्तर साहित्य बन चुका है। उसकी एक विशिष्ट स्थिति है और सामाजिक अपरिहार्यता भी।

संदर्भ ग्रन्थ

1. दलित विमर्श, साहित्य के आइने में, लेखक- डॉ० जयप्रकाश कर्दम, पृ० 1978
2. 'अतिथि सम्पादक की ओर से'- पुन्नीसिंह, भारतीय दलित साहित्य : परिप्रेक्ष्य, पृ० 13
3. 'मार्क्स' शीर्षक की कवितायें, शरण कुमार लिम्बाले
4. 'दलित साहित्य की परिभाषा : समग्रता और पूर्णता की ओर, दलित चिंतन का विकास'- डॉ० धर्मवीर
5. दलित विमर्श, साहित्य के आइने में'- डॉ० जयप्रकाश कर्दम, पृ० 16
6. दलित साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र- ओमप्रकाश वाल्मीकि
7. अछूत की शिकायत हीरा डोम, सरस्वती पत्रिका, सितम्बर, 1914, सम्पादक- महावीर प्रसाद द्विवेदी
8. जूठन ओमप्रकाश वाल्मीकि, (आत्मकथा), हरिजन से दलित, सम्पादक- राजकिशोर
9. मुर्दहिया- (आत्मकथा) तुलसीराम, पृ० 5
10. बाबूराव बागुल, सारिका / मई- 1975

समकालीन हिन्दी कहानी में वैयक्तिक बोध

पंकज
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, (हिन्दी)
कूबा पी0जी0 कालेज, दरियापुर, नेवादा, आजमगढ़

समकालीन हिन्दी कहानी एक नया वेग, नयी वेशभूषा और नई तकनीक एवं संयोजन के साथ आगे बढ़ती है। समकालीन कहानी में पुराने और नये सभी कहानीकार अविरल गति से कहानी का सृजन करते रहते है। जटिल और व्यापक यथार्थ की विशिष्टता और बेबाक विश्लेषण ही समकालीन जीवन की विशेषता है। जहाँ शिल्प की नवीनता में भाव बोध वैयक्तिक बोध के साथ–साथ उद्देश्य की नवीनता है। वही इसमें भाषागत नवीनता का भी उद्भव दिखाई देता है। समकालीन हिन्दी कहानी बदली हुयी वास्तविकता की कहानी है। समकालीन कहानीकार अनुभूत सत्य के प्रति अधिक आग्रह करता है। समकालीन हिन्दी कहानियाँ पुनः अपने सहज और स्थापित रूप को प्राप्त कर रही है। कथाकारों से सीधे साक्षात्कार किये गये समकालीन कहानियों में भोगे हुये सत्यों को गम्भीरता व उदारता के साथ अभिव्यक्ति ने उसे प्रगति पथ पर अग्रसर किया है। मनुष्य की जय यात्रा के साथ–साथ उसकी सभ्यता और संस्कृति के विकास की कहानी भी विकसित हुयी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह एक साक्ष्य कथा है और श्रवण इसकी आदि प्रथा है। वह अपनी सामाजिकता की ही एक प्रेरक अभिव्यक्ति है। कहानी मनुष्य की अभिव्यक्ति का आदि रूप है या नहीं इस विवाद में पड़े बगैर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि अपने अनुभव को दूसरे से कहना मनुष्य की आदिम सभ्यता से ही शुरू हो गया होगा।

आदिम सभ्यता से लेकर अब तक मानव विकास यात्रा का इतिहास जिन कलारूपों में मिलता है कहानी उनमें से एक प्रमुख रूप है। मानव सभ्यता की इस विकास यात्रा के समान कहानी की वैयक्तिक यात्रा को देखने के लिए भारतीय कथा साहित्य के युग के इतिहास को समझा जा सकता है। वेदो के संवादो व सूक्तो में, पुराण ग्रंथो में, रामायण व महाभारत में बोध और ज्ञान नीति एवं धर्म की जो कहानियां है वे मनुष्य व उसके आदिम युग से लेकर संस्कृति व समृद्धि तक की यात्रा के वृतान्त दिखाई देते हैं। बौद्ध एवं जैन कथाये पंचतंत्र और हितोपदेश इस कथा यात्रा का अवलोकन है।

ऐसी कहानियाँ ही वैयक्तिक बोध के रूप में भिन्न और विकसित परस्परा की माँद है। इतनी समृद्ध और विविधता भरी कथा परम्परा के अलावा आधुनिक व समकालीन हिन्दी कहानी का अधिकांश हिस्सा पश्चिम के सम्पर्क से ही विकसित हुआ। समकालीन हिन्दी कहानी शहरी सभ्यता, स्त्री पुरूष की नयी विचार धारा औद्योगीकरण के अवशेषों के अवशेष यौन कुष्ठा, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार के प्रतिरोध के भाव के भार को ढोती प्रतीत हो रही है। आज की हिन्दी कहानी इससे सम्बन्धित शिल्प और भाषा दोनो ही रूपों को तराज़ती हुयी नई पीढ़ी के लिए प्रयत्नशील दिखाई दे रही है।

समकालीन हिन्दी कहानी जिसमें पीछे के कई दशक शामिल है, निश्चित रूप से वैयक्तिक भावबोध में

यह नये युग की रचना है। इसकी संरचना में हर क्लासिक की संरचना प्रयोगात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विविधता के साथ युगीन संदर्भो को अनुभव के रूप में झेलने की क्षमता भी है। स्पष्ट है कि समकालीन हिन्दी कहानी जीवन की हासोन्मुखी प्रक्रिया एवं विखण्डन के प्रति अपनी गति भी प्रकट कर रही है। स्वतन्त्रता के बाद परिवर्तन के जिस सत्य को तत्कालीन लेखक की अभिव्यक्ति की इच्छा थी संवेदना की समकालीन हिन्दी कहानी अधिक सफलता से प्रकट कर रही है और वह इसलिए थी कि आज की तस्वीरों में घटनाओं पात्रों की झलक जहाँ तक है वहाँ तक किसी मन: स्थिति का विचारगत सुविधा को उद्‌घाटित करने में सहायक हो।

सवाल यह है कि समकालीन हिन्दी कहानी के वैयक्तिक बोध प्रारम्भ से लेकर आज तक की कहानी धारा आधुनिक भावबोध को कितनी सफलता से प्रकाशित कर रही है जिसे संशोधित करना आवश्यक है। समकालीन हिन्दी कहानी ने वैयक्तिक भाव बोध के स्तर पर व्यवस्था के प्रति जो प्रचंड वामपंथी विचारधारा व्यक्त किया है उस स्तर पर अत्यन्त तल्ख एवं बेलाग हुआ है। समकालीन हिन्दी कहानी की दुर्लभतायें कथ्य के सम्बन्ध में समकालीन कहानी परम्परामुक्ति के सफल प्रयास कर रही है। आज का कहानीकार किसी भी कथा पर अवलेखित नहीं है। सामान्य कथात्मकता से आज की कहानी मुक्त हो रही है। समकालीन हिन्दी कहानियों में वैयक्तिक स्तर पर जीवन यथार्थ की अभिव्यक्ति हुयी है। यह जीवन के हर पहलू को वास्तविकता के साथ अभिव्यक्त करती है। देश में बदलती सामाजिक परिस्थितियों ने अनेक वैयक्तिक जीवन मूल्यों में भी परिवर्तन किया। यही परिवर्तित मूल्य दृष्टि समकालीन कहानी में भी अभिव्यक्त हो रही है। समकालीन हिन्दी कहानीकार अपने जीवन के अनुभवों को कहानी में लाकर उन्हें काल तथा परिवेश के बृहत्तर प्रश्नों से जोड़ रहे हैं। पहले के लेखक की एक अतिरिक्त सत्ता थी इसलिए वह रचना करता था। आज का लेखक रचना को झेलता है क्योंकि हर जगह भागीदरी की हैसियत से वह विद्यमान रहता है। समकालीन हिन्दी कहानी में परिवेश अधिक सशक्तता से प्रस्तुत हुआ है। नये जीवन और मूल्यगत संकट के परिप्रेक्ष्य में कहानीकार ने बदली हुयी जीवन स्थितियों और सम्बन्धों में व्याप्त तनाव, विघ्टन और जटिलता को पहचानकर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। समकालीन हिन्दी कहानी में जो नयी पीढ़ी दिखायी दे रही है उनके जीवन मूल्यों में पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा अत्यधिक तेजी से बदलाव हो रहा है। वैयक्तिक जीवन मूल्यों का प्रयोजन व्यक्ति के जीवन की सार्थकता के लिए अनिवार्य है क्योंकि जीवन मूल्यो को अपनाये बगैर इस राष्ट्र की उन्नति ही नहीं हो सकती। वस्तुत: जीवन मूल्यों का प्रयोजन ही समाज में नयी व्यवस्था का संचार करता हैं वह मनुष्ठय को उसके व्यक्तिगत स्वार्थ से बाहर निकालकर समाज के मानवीय कल्याण के लिए और लोकमंगल की भावना से प्रेरित कर उन्हें मानवतावादी धारातल पर प्रतिष्ठित करता है। इस समाज में रहने के कारण मनुष्य को सामाजिक नीति नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। व्यक्तिक बोध के स्तर पर समकालीन समाज में एक व्यक्ति के लिए पारिवारिक सम्बन्धों से कहीं अधिक धन का महत्व बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण हमारे समाज में बुजुर्गो के प्रति जो आदर भाव रहता था वह भी धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। 'छप्पन तोते की करधन' में कहानीकार उदय प्रकाश की एक ऐसी कहानी है जिसमें धन की लालसा में पारिवारिक सम्बनध बिखरते से नजर आते है। यह कहानी एक निर्धन परिवार की है जो बड़े ही कठिनाई से अपना जीवन यापन करता है। इसी परिवार की दादी के पास एक ऐसी करधन है जो परिवार के अन्य सदस्यों को पता चलती है तो उन्हें लगता है कि इसके द्वारा उनकी गरीबी दूर हो सकती है किन्तु दादी इस पर हमेशा

ही चुप्पी साधे रहती है। इसलिए परिवार द्वारा दादी को द्वेष तथा तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। इस कहानी में लेखक ने पारिवारिक तथा वैयक्तिक बोध को तार-तार होते दिखाया है। आज हमारे वैयक्तिक बोध व पारिवारिक सम्बन्ध खोखले होते जा रहे हैं समकालीन भारतीय समाज में धन ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना किया है। समकालीन हिन्दी कहानियाँ में बदलते वैयक्तिक जीवन मूल्यों से यह पता चलता है कि आज का समाज अपनी पहचान बनाने में अपने पूर्वजों तथा बुर्जुगो का अपमान ही नहीं उन्हें बेसहारा भी बना देता है। समकालीन ने कहानीकारों ने अपने समय को पूरी सत्यता से चित्रित करते हुए मानव मन में चलने वाले अन्तर्द्व न्द एवं परिवर्तित जीवन मूल्यों के साथ-साथ सामाजिक जीवन की विकट समस्याओं को विषयवस्तु बनाया।

आज की हमारी युवा पीढ़ी पुराने मूल्यों से ऊब गयी है। वह उन वैयक्तिक मूल्यों को अपने समाज में उपयोग नहीं करना चाहते हैं बल्कि वे पुराने मूल्यों को त्यागकर नवीन मूल्यों का सर्जन करने में लगे है। इसका सीधा असर परिवार में भी दिखाई देता है जो समाज से कटता जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी खुद को सबसे अलग रखना चाहती है। वह संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती। वस्तुतः परिवार भी संयुक्त न होकर एकल होते चले जा रहे हैं। सूर्यबाला के संग्रह निर्वासित की एक कहानी 'मानसी और मुंडेर' समाज के भावात्मक कायालोक की सच्चाई अंकित करती है। कहानीकार संजीव की 'लोडशेडिंग' वर्तमान सम्बन्धों की सच्चाई को बयां करती है। दरअसल हम संबंधो को जी नहीं रहे हैं बल्कि उनका सिर्फ बोझ ढो रहे हैं। समकालीन हिन्दी कहानीकारों ने वैयक्तिक बोध के स्तर पर दाम्पत्य सम्बन्धों पर भी अपनी लेखनी चलायी है। केसे-केसे दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। केसे-केसे वे एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इन सारी बातो को समकालीन हिन्दी कहानीकारों ने बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी लेखनी में केद किया है।

समकालीन हिन्दी कहानियों में स्त्री के प्रति बढ़ती हिंसा, शोषण, बलात्कार हत्या, अपमान आदि का यथार्थ चित्रण किया गया है। आज की नीति ने खुद को अंधेरी काल कोठरी से निकालकर शिक्षा के क्षेत्र में ला खड़ा कर दिया है। आज स्त्री पुरूष के साथ कंधे-कंधे मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। किंतु वर्तमान में नारी खुद को स्वतन्त्र नहीं मान रही है। वह समाज में व्याप्त बुराइयों का आज भी सामना कर रही है। ज्ञान रंजन की कहानी 'संबंध और शेष रहते हुये' 'अमरूद का पेड़', उषा प्रियंवदा की 'मछलियाँ' मन्नू भण्डारी की 'क्षय' आदि कहानियों में नारी स्वतन्त्रता और संस्कृति मूल्यों के संकट को चित्रित करने का सफल प्रयास किया है।

समकालीन हिन्दी कहानी साहित्य का वह विकसित कलात्मक रूप है जिसमें लेखक अपनी कलात्मक शक्ति के माध्यम से कम पात्रों या चरित्रों के द्वारा कम से कम घटनाओं व प्रसंगो की सहायता से मनोवांछित कथानक, चरित्र, वातावरण दृश्य के सहारे अथवा प्रभाव की सृष्टि करता है। आज सामाजिक हिन्दी कहानियों में आदर्श का रूप बदल गया है। आज हम जिस समाज या जिस काल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वह वस्तुतः ऐसा समाज है जहां मध्यवर्ग ही हर समाज की समस्या बना हुआ है। कहानीकार ज्ञानरंजन की कहानियाँ अपने ही देश के मध्यवर्गीय घर, परिवार पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-बहन आदि रिश्तो के बीच घटित होती कहानियां है। स्पष्ट है कि हमारे समय में जहाँ एक ओर बदलाव की आकांक्षा एवं प्रक्रिया तीव्र हुयी है वही दूसरी ओर अपनी सुख-सुविधाओं एवं वैयक्तिक उपब्धियों के लिए खुशामद करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। जो बदलाव के विरोधी है

वे इस प्रवृत्ति को बढावा देते रहे हैं। मनोज रूपड़ा की कहानी 'प्यास' मानवीय तथा वैयक्तिक बोध की दृष्टि से समकालीन हिन्दी कहानी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। इस कहानी में एक लड़का गाय के सीधे धन से मुंह लगाकर दूध पी रहा है उसकी अनुभूति का वर्णन करते हुये कहानीकार ने बताया है कि पहली बार उस लड़के को आनन्द की अनुभूति हुयी। वस्तुत: वह एक मातृहीन बालक है जिसे कभी मां के स्तन से दूध पीने का मौका नहीं मिला था। क्रिश्चियन मिशन द्वारा संचालित बच्चों की संस्था में रहते हुये उसे सब कुछ मिला। किंतु वहाँ भी उसे मां की कमी खलती रहती है। चर्च के बाहर की दुनिया में अपनी क्षमता तथा मेहनत के बल पर स़ल होने के बावजूद उसके जीवन में मां की कमी के एहसास के रूप में जो प्यास रह गयी थी वह कालान्तर में प्रेम की तलाज़ के रूप में प्रकट होती है जिसमें वह अंतत: सफल नहीं हो पाता है। इस तरह वह अकेलेपन की पीड़ा को भोगता है। यह कहानी अपनी परम्परा को समृद्ध करने के साथ वैयक्तिक बोध, भावना, चरित्र व जीवन प्रसंग के यथार्थ की दृष्टि से भी अलग है। समकालीन हिन्दी कहानी में इसके वैयक्तिक पक्षों का यथार्थ चित्रण खुलकर हुआ है। समकालीन, जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि अब संबंधो में पहले जैसी गरमाहट नहीं रही। संबंध बनावटी हो गये है। संबंधो में छल–कपट ने घर कर लिया है। आधुनिकता की ऐसी आँधी में रिश्ते–नातो की सारी दीवारे गिर गयी और हमारा हृदय भी इस आधुनिकता की चपेट में आ गया। आज के रिश्ते लाभ–हानि देखकर बनते है। आगे बढ़ने की चाह में हमने अपनी सारी संवेदनायें खो दी है। वर्तमान की स्थिति जैसी भयावह स्थिति शायद पहले कभी भी नहीं देखी गयी। ईज़्वर ने इस धरती पर एक अनमोल रिश्ते को जन्म दिया। यह रिश्ता है स्त्री और पुरूष का परन्तु अब ऐसा विकट समय आ गया है कि इस रिश्ते का अस्तित्व ही खतरे में नजर आ रहा है। कल तक हमारे समाज में पुरूषों का ही वर्चस्व नजर आता था किन्तु अब दोनो की भागीदारी समान रूप से देखी जा सकती है। स्त्री अब स्वतंत्र है हर क्षेत्र में वह बढ़–चढ़ कर भाग ले रही है और अपनी भूमिका का निर्वाह भी कर रही है। अपने अस्तित्व की तलाश में अब स्त्रियां भी सजग हो चुकी है।

वैयक्तिक बोध के अभाव में कभी–कभी कथागत संवेदनायें नितात काल्पनिक प्रतीत होने लगती है और किसी महत्वपूर्ण बात की कमी से कहानी का समस्त रूपाकार ज़िल्प चमत्कार होकर रह जाता है। प्रकाशचन्द गुप्त के शब्दों में "किसी बड़ी आस्था अथवा विश्वास के अभाव में कला के तत्वों का विघ्टन होने लगता है।"

समकालीन हिन्दी कहानी की वैयक्तिक उपलब्धियों के सिलसिले में सामान्य रूप से प्राय: यह स्वीकार किया गया है कि वह पहले से कही ज्यादा संवेदनापूर्ण और नाना स्तर की अनुभूतियों से भरी हुयी है। लेकिन संवेदनाओ व अनुभूतियों का चित्रण हवा में नहीं होता है। संवेदनायें किसी मूर्त मानव या व्यक्ति का आध ार लेकर खड़ी होती है और एक निश्चित संदर्भ में पैदा होती है। यह संदर्भ चाहे सामाजिक हो या प्राकृतिक सामाजिक संघर्ष के सिलसिले में ही व्यक्ति की संवेदनायें छिटकती है। संवेदनाओं के ढांचे में भी परिवर्तन आता है। नयी संवेदनायें व्यक्ति व उसके समाज के नये संघर्ष की सूचना देती है। समकालीन हिन्दी कहानियों में चित्रित संघर्ष चाहे नैतिक हो या आर्थिक पारिवारिक हो चाहे राजनैतिक आज की परिस्थितियों का वैयक्तिक संघर्ष उसमें विद्यमान है। सदियों पुरानी समस्याओं को भी आज की कहानियों का किसान या निम्नमध्यवर्गीय कोई व्यक्ति नये स्तर पर तथा नये रूपों में उसे झेलता आ रहा है।

आज की हिन्दी कहानी के चरित्र हमारे जीवन की वास्तविकता के ऐतिहासिक विकास के प्रतीक है। इन कहानियों में चित्रित पुरानी पीढ़ी के चरित्र भी परिस्थितियों में परिवर्तन का अनुभव करते है। फलस्वरूप वे इनके साथ अपने मन की संगत बैठाने की कोशिश करते है और कभी उत्साह में भरकर नयी पीढ़ी का साथ देने अथवा उससे दो कदम आगे बढ़ जाने का प्रयत्न करते दिखाई देते हैं।"

सन्दर्भ

1. कहानी नयी कहानी – नामवर सिंह
2. समकालीन हिन्दी कहानी का इतिहास – डा0 अशोक भाटिया
3. कहानी आन्दोलन और प्रवृत्तियां – डा0 राजेन्द्र मिश्र
4. हिन्दी कहानी : परम्परा और प्रगति – डा0 हरदयाल
5. नयी कहानी और मध्यम वर्गीय चेतना – डा0 कामेश्वर प्रसाद सिंह
6. समकालीन कहानी : युगबोध का सन्दर्भ – पुष्पपाल सिंह
7. नारी शोषण : आइने और आयाम – आशा रानी
8. साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासो में नारी – डा0 सुधा अरोड़ा

पुस्तक समीक्षा

सुरसेन बहादुर
एम. ए. तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरुर

पुस्तक – 'अछरंग'
लेखक – संतोष पटेल
प्रकाशक – भोजपुरी प्रकाशन
मूल्य – 220 रुपये

संतोष पटेल जी भोजपुरी के अतिरिक्त कई अन्य भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले विद्वान हैं। उनको भोजपुरी में पढ़ना भोजपुरी के पाठकों के लिए सौभाग्य की बात है। उनका अध्ययन और सामाजिक अनुभव इतना गहरा है, जिससे कहा जा सकता है कि वे गहरे समुद्र के गहराई में उतर कर, उसके तल से मोती निकाल लाने में माहिर हैं। 'अछरंग' की एक-एक कविताएँ गहरे समुन्द्र से निकाले गए अनमोल मोती के समान हैं जिससे भोजपुरी साहित्य का खजाना तो समृद्ध होता ही है, लेकिन पाठकों के ज्ञान का जो परिमार्जन होता है वह अतुलनीय है। लेखक भोजपुरी साहित्य को समृद्ध करने में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं और उसके लिए अथक लिखे जा रहे हैं। तब हम पाठकों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि हम लेखक की कितबों को पढ़ें और अपनी पसंदगी और नापसंदगी को, लेखक को बताएँ, अन्य पाठकों से साझा करें। उसी क्रम में...

बात किताब के नाम की करें तो 'अछरंग' शब्द का सामान्य अर्थ होता है कलंक, जिसका तात्पर्य लांछन, छींटाकशी और दोषारोपण आदि से समझा जा सकता है। इस संग्रह के सभी कविताओं में अछरंग की छटा देखी जा सकती है। जिससे कविताएँ न केवल पाठक के हृदय को छू लेती हैं बल्की उसके मन-मस्तिष्क में एक कुतूहल को जन्म देती हैं, एक जिज्ञासा को जन्म देती हैं। इस संग्रह की कविताओं को पढ़ने के बाद पाठक की चेतना किताब से निकलकर समाज के वास्तविक परिदृश्य के बीच भ्रमण करने लगती है। कल्पना की परिधि के पीछे का परिदृश्य साफ-साफ नजर आने लगता है। साहित्य और समाज के बीच एक संबंध होता है जो एक दूसरे को प्रभावित किये बगैर नहीं रहता। साहित्य समाज के लिए आईना के साथ-साथ दीपक का भी काम करता है जो समाज की गलतियों को दिखाता तो है, साथ हीं भविष्य में सुधार की चेतना का विकास भी करता है। इस संग्रह की कविताएँ भी कुछ ऐसी ही हैं। यह लेखक के अथक परिश्रम और गहरे सोच-समझ का परिणाम है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संतोष पटेल जी समाज के प्रति सजग व प्रबुद्ध लेखक हैं। इनकी कविताएँ पाठकों को पाठक से लेखक बनने के लिए प्रेरित करती हैं।

बात कविताओं की करें तो इस संग्रह में तेईस से अधिक कविताएँ हैं। पहली कविता का शीर्षक है 'गीत गजल : भोजपुरी गीत' इस कविता में कवि उन लोगों की अपनी चेतना को जागृत करने की बात कर रहे हैं जिन्हें सदियों से उनके सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया। आज भी उन्हें संवैधानिक अधिकार भले ही मिल गया है, लेकिन समाज में उनके साथ वैसा हीं बर्ताव किया जाता है जैसा हजारों साल पहले किया जाता था। आज भी समाज में सामाजिक वंचितों को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। कवि उन वंचितों के लिए लिखते हैं–

"कबले मुड़ी झुकवले चलबअ तन के चलअ भाई
बनबअ तलवार तअ अन्यायी के धड़ कट जाई
मन में आगि भरीं आ भारी धधोर होखे दीं
छपले बाटे जहाँ अनहरिया उहवों भोर होखे दीं
हमरो अँगना में तनिका अँजोर होखे दीं ।"

लगातार बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी के बोझ से दबता इंसान खुद को खाई से निकाल नहीं पा रहा है। बर्बाद होती युवा-शक्ति और चरमरा चुकी शिक्षा व्यवस्था, और सत्ता के लिए होता उसका दुरुपयोग देख, लेखक चिंतित हैं और अपनी कविता में इन पहलुओं को स्थान देते हैं जिसमें शिक्षा के प्रति सरकार की निष्ठुरता को स्पष्ट देखा जा सकता है। कवि लिखते हैं–

"अब गरीब के बचवा लागत बा कि ना पढ़ पाई
भइल निठूर सरकार बनवलस महँगा बड़ा पढ़ाई"
***
"भरम जाल में विश्वगुरु भइला के सभे फँसल बा
जनता के भरमावे में माहिर आज ऊ सरकार बा"

आज शिक्षा व्यापार बन चुकी है। सरकारी स्तर पर भले हीं इस भ्रम को खुब फैलाने का काम किया जा रहा हो कि हम विश्वगुरु बन गए हैं या बनने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि दिन-प्रतिदिन शिक्षा का स्तर गिरता हीं जा रहा है। सरकारी वादे रोते हुए बच्चे को लेमनचूस पकड़ा कर चुप कराने जैसे साधन मात्र बनकर रह हए हैं। झूठ की भारमार मची हुई है। समाचार-पत्र सरकार की महिमा मंडन और गाथा गान में लगे हुए हैं। तब साहित्यकारों का दायित्व बनता है कि सामाजिक समस्याओं को अपनी रचनाओं मे स्थान दें, उसे बताएँ, और कवि ने यहाँ वही किया है। कवि का यह कविकर्म सराहनीय है।

'गाँव' कविता पढ़कर गाँव की सोंधी सुगंध का अनुभव होता है। बचपन के दिन याद आ जाते हैं फूस की मड़ई और दिपावली आने के पहले मिट्टी के घरों को लेवरना याद आ जाता है। बचपन में हम बच्चे तालाब किनारे से मिट्टी लाने के लिए बड़े उत्सुक हुआ करते थे और कभी-कभी उस उत्सुकता के वजह से डाँट भी पड़ती थी। गाँव के उस परिदृश्य का जो यथार्थ चित्रण कवि ने किया है– चीउरा, ठेकुआ, खाजा, मकई की रोटी आदि का नाम सुनते हीं मुँह में पानी तो आ जाता है, लेकिन जो बचपन की यादें उभर कर सामने आती हैं वह यह अहसास करा देती हैं कि वास्तविक जीवन वही था। अभी हम जो जीवन जी रहे हैं

वह तो महज भाग–दौड़ है। हम शहर और शहरी ताम–झाम में खो से गए हैं। हमारा असली जीवन तो गाँव में हीं था और है। यादों में सँजोया हुआ गाँव का बनता बिगड़ता रूप, कुछ देर के लिए हीं सही हमें झकझोर कर रख देता है।

"केहू केतनो दबाई हम दबइबे ना करब
केहू कत्तो डेरवाई हम डेरइबे ना करब"

इस गीत में विद्रोह का स्वर है। जनचेतना की झलक है। एक क्रांति है। इसमें विद्रोह है शोषित समाज का शोषक समाज के प्रति। अपने हक और अधिकारों के प्रति जनचेतना है तो, देश के प्रति प्रेम और दोस्तों के प्रति मुहब्बत, हमदर्दी भी है। वहीं प्राकृतिक संपदाओं और लोगों की उदारता के लिए गर्व भी है।

नेल्सन मंडेला जी को समर्पित कविता 'नेल्सन मंडेला', उनके सराहनीय कार्यों और समाजिक सुधार तथा उत्थान को समर्पित उनके जीवन को याद करते हुए, प्रेरणा देने का काम करती है, तो 'देश प्रेम' कविता देश के प्रति अनन्य प्रेम भाव को जगाने के साथ–साथ प्रमुख बिन्दुओं को भी सामने रखती है।

"दुश्मन घर में घुसल जाता, रउरा सूतल बानी
सगरे उ आतंकवाद के बाँटे कथा कहानी
आई ओकरा सपना के पुअरा नियन जराई ना"

'भोजपुरी गजल' शिर्षक कविता में, वर्तमान की बिगड़ी हुई भाषा, खासकर तथाकथित राजनीतिज्ञों की भाषा पर विशेष चिंता दिखती है। कवि पाठकों से भाषा में मुहब्बत और प्यार भरकर लुटाने की गुजारिश करते हैं। 'स्वच्छता अभियान' कविता में, कवि स्वच्छता अभियान के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हैं। बताते हैं कि किस तरह यह अभियान केवल तस्वीरों और इंटरव्यू तक ही सिमट कर रह गया। स्वच्छता अभियान के आड़ में केवल अपना प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। तारीफे लुटने की कोशिश की जा रही है लेकिन जमीन पर इसका कोई खास असर नहीं दिखता। यह देश के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए खतरनाक है। ऐसी बातों से कवि चिंतित हैं, जिसको उनकी कविता में स्पष्ट देखा जा सकता है।

"अमरित काल में भाखा बिखिआइल
बिखधरन के निपटावल जरूरी बा ।
नफरत पे भारी बा मोहब्बत के दुकान
आपस में प्यार लुटावल जरूरी बा।"

साहित्य में भेदभाव और पक्षपात, साहित्य और समाज दोनों के लिए दीमक के समान है। जैसे दीमक किताबों को चाटकर खत्म कर देती हैं, पक्षपात भी साहित्य के सामाजिक महत्व को समाप्त कर देता है। 'साहित्य के मेला' कविता में साहित्यकारों के साथ भाषायी आधार पर हो रहे भेदभाव तथा पक्षपात पर करारा व्यंग दिखता है और वक्त के हिसाब से यह जरूरी भी है। कवि लिखते हैं-

"ई साहित्य के बहुते बड़हन मेला ह
प्रयोजन के बड़का बड़का खेला ह।"

'खदेरन के मंच' कविता एक लंबी चौड़ी कविता ना होते हुए भी साहित्य के तमाम गंभीरता को समेटे हुए है। खास कर यह कविता उन कवियों के पक्ष को रखती है जिन्हें पक्षपात का शिकार होना पड़ता है और वे योग्य होते हुए भी वंचित रह जाते हैं। उनकी रचना की गंभीरता को जानबूझकर नजर-अंदाज किया जाता है जिससे उनकी बातों को पाठकों तक पहुँचने से रोका जा सके। जिसके लिए उन्हें हँसी का पात्र बना दिया जाता है।

"तोहरा ईहां खदेरन मंच कहाँ कबो पावेलन
कुछ लो खाली खदेरन के हँसी के पात्र बनावेलन।"

किस तरह कवि को उसके मंच के प्रभाव से वंचित कर दिया जाता है और किस तरह उसके शब्दों को महज मजाक का रूप दे दिया जाता है, उसके प्रभावी बातों को हल्का बना दिया जाता है और इस तरह कविता के मंच पर कुछ खास लोगों का ही प्रभाव बरकरार रहता है। यह एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ऐसे पक्षो पर कवि संतोष पटेल खुलकर लिखते हैं, जो बहुत कम रचनाकारों के पास हीं देखने को मिलता है। कवि अपनी कविता में केवल खदेरन के दुःख को हीं व्यक्त नहीं करते हैं बल्कि उन लोगों को चुनौती भी देते हैं जो खदेरन को मंच से दूर रखना चाहते हैं।

"होई खदेरन के जीत एक दिन इयाद रखिहा हो भाई
बात ऐलानिया बा सबके सोझा ई बात समझावेलन।"

समाज के कई सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पक्षो को उजागर करती यह किताब ('अछरंग' कविता संग्रह) भोजपुरी के पाठकों के साथ-साथ अन्य भाषा के पाठकों को भी आकर्षित करने में सक्षम है। यह किताब साहित्य के लक्ष्यों को प्राप्त करती है तथा पाठकों को वर्तमान समाज से रूबरू कराने के साथ ही, सुधार के लिए भी प्रेरित करती है। इस पुस्तक में नयी चेतना के प्रवाह के साथ-साथ विद्रोह के तेवर भी देखने को मिलते हैं। साथ ही इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह पाठकों को लिखने के लिए प्रेरित करती है।

लोक' एवं 'लोकसाहित्य' का अन्तर्सम्बन्ध

वीरेन्द्र साहू
शोधार्थी (हिंदी)
जयप्रकाश विवि, छपरा, बिहार

शोध-सार

लोक मानव की सहज स्वाभाविक जीवनशैली का सबसे सशक्त वाहक है। यह हर तरह की कृत्रिमता का निषेध करता है और मानवीय राग-विराग की अभिव्यक्ति को बहुव्यापी रूप से सूत्रबद्ध करता है। इसमें भावना, संवेदना और साहचर्य की अद्वितीय गतिशीलता अंतर्निहित रहती है। लोक की इन्हीं गतिमान स्थितियों का प्रतिचित्रण लोकसहित्य के अनन्य भंडार में अपनी अद्वितीयता के साथ दृष्टिगत होता हैं।

बीज शब्द -लोक, शास्त्र निषेध, सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक परिवेश, लोक साहित्य।

'लोक' मानव समाज की उस अविच्छिन्न एवं बहुव्यापी धारा का प्रतीक है, जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना और अहंकार से मुक्त होता है। 'लोक' वास्तव में वैविध्यपूर्ण परम्परा के प्रवाह का जीवंत प्रतिबिम्बन है। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संस्कृत के 'लोक्' धातु में 'धज्' प्रत्यय जोड़ने से 'लोक' शब्द प्राप्त होता है। जिसका अर्थ है-दुनिया, संसार, विश् का एक प्रभाग तथा संसार का सामान्य व्यवहार।"[1] वैसे लोक शब्द का लम्बा इतिहास है, आदिम मानव के सभ्यतागत विकास के साथ ही यह शब्द अपने अर्थ की प्राप्ति करने लगा था। यह अंग्रेजी शब्द FOLK और जर्मन शब्द VOLK का पर्याय है। अंग्रेजी में FOLK की व्याख्या करते हुए लिखा गया है- सम्भवतः इन सभी शब्दों के मूल में कोई एक अर्थ रहा हो-देखना- क्योंकि ये भाषाएँ एक ही कुल की हैं। वेबस्टर अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार -"FOLK का अर्थ है, लोग, जातीय समूह या जाति।"2

शास्त्रों में इसकी उत्पत्ति वेदों में प्राप्त होती है और युगों की यात्रा से इसका अर्थ और रूप परिवर्तन हुआ है। नालन्दा विशाल शब्द सागर के अनुसार- "लोक (संज्ञा पु.) ऐसा स्थान है, जिसका बोध प्राणी को हो अथवा जिसकी उसने कल्पना की हो।"[3] इसके अतिरिक्त संसार, जगत, स्थान-निवास, प्रदेश, दिशा, लोग, समाज, तथा प्राणी आदि अर्थ भी दिये गये हैं।

प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में 'लोक' शब्द का अर्थ जीवन व स्थान दिया गया है-

"नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शीणों द्यौः समवर्तत।
पदभ्याम् भूमिः दिशः श्रोनात्, तथा लोकानकल्पयत्।"[3]

वैसे यह तो स्पष्ट है कि 'लोक' शब्द सस्कृत की श्लोकश धातु से ही निष्पन्न है, जिसका अर्थ है-देखना स भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र के चौदहवें अध्याय में अनेक नाट्यधर्मी तथा लोकधर्मी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। महर्षि व्यास ने अपनी श्शतसाहस्त्री संहिता' की विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि "यह ग्रंथ (महाभारत) अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे होकर व्यथित लोक (साधारण जनता) की आँखों को ज्ञान रूपी अंजन की श्लाका लगाकर खोल देता है-

"अज्ञानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु विधेष्टत: ज्ञानांजन शलाकाभिनेत्रोन्मीमलनकारम्।"[5]

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक के संबंध में अपने विचार को प्रकट करते हुए लिखा है कि- "लोक" शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है, बल्कि नगरों और गाँवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं हैं। ये लोग नगर में परिष्कृत, संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं और परिष्कृत रूचिवाले लोगों की समूचि विलासिता और सुकुमारिता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएँ आवश्यक होती हैं उनको उत्पन्न करते हैं।"[6] इसी सैद्धांतिकी को विस्तृत करते हुए डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक को प्राकृतिक संरचना और सामाजिक अवस्थिति के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है -"आधुनिक सम्यता से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली, तथाकथित अशिक्षित जनता एवं असंस्कृत जनता को 'लोक' कहते है जिनका आचार-विचार एवं जीवन परंपरायुक्त नियमों से नियंत्रित होता है।"[7] इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग संस्कृत तथा परिष्कृत लोगों से या लोगों के प्रभाव से बाहर रहते हैं या रहते हुए अपनी पुरातन स्थिति में वर्तमान हैं, उन्हें 'लोक' की संज्ञा प्राप्त है। इन्हीं लोगों के साहित्य को 'लोक-साहित्य' कहा जाता है। यह साहित्य प्राय: मौखिक और लिखित दोनों रूपों में मिलता है। परंतु अधिकांश लोक-साहित्य मौखिक ही होता है। तभी इसमें ताजगी एवं जीवंतता पायी जाती है, लिपि की कारा में केद करते ही इसकी संजीवनी नष्ट हो जाती है अर्थात 'लोक' मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो आभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता से रहित हो, जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। लोक स्वाभाविक है, जितना जंगल में खिलने वाला फूल स्वच्छंद है, लोक-साहित्य उतना ही स्वतंत्र है जितना आकाश में उड़ने वाला पक्षी स्वतंत्र होता है। उतना ही सरल तथा पवित्र है जितनी गंगा की धारा। जीवन के विविध पक्षों के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक विविध पक्षों के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन में लोक-साहित्य का अत्यधिक महत्व है, इस लोक साहित्य में धार्मिक सदाचार तथा समाज संबंधी अमूल्य सामग्री भरी पड़ी हैं, इसी के साथ-साथ स्थान (भूगोल) संबंधी जानकारी भी उपलब्ध होती है। भाषाशास्त्री के लिए तो यह साहित्येतर रत्नाकर के समान है जिसमें गोता लगाने पर उसे अनेक अनमोल मोती प्राप्त होते हैं, जिस देश का लोक नहीं होता, वह अपने लोक साहित्य पर गर्व करने से वंचित रह जाते हैं। भारतीय संस्कृति का सच्चा तथा स्वाभाविक चित्र लोक-साहित्य में ही देखा जा सकता है। लोक-साहित्य में लोगों के जीवन के विविध पक्षों के साथ-साथ अर्थात् जन-जीवन के सभी पहलुओं का चित्रण होता है। लोक-साहित्य संपूर्ण परिवेश का सात्विक तथा संपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति है। यहाँ लोगों का रहन-सहन, तीज-त्यौहार, मेले-ठेले, बोली-बानी, भाईचारा और आपस में सहअस्तित्व व एक-दूसरे के सम्मान की भावना लोक-साहित्य में ही विद्यमान हैं, भारतीय संस्कृति का जितना सच्चा तथा सात्विक रूप लोक-साहित्य में मिलता है, उतना अन्य कहीं नहीं मिलता। लोक-साहित्य संस्कृति की अभिव्यक्ति

भी है और उसकी आत्मा भी। संस्कृति के केवल क्लासिक रूप का दर्शन करके हम उसके अर्थात् मानव जीवन का रागात्मक साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। सही अर्थों में तो मानव जीवन के स्वाभाविक और उसके शुरु के तत्वों को तो लोक–साहित्य में ही देखा जा सकता है। जब साहित्य को सांस्कृतिक प्रक्रिया माना जाता है तो इस प्रक्रिया के अध्ययन में 'लोक' साहित्य को ओझल नहीं किया जा सकता, साहित्य की दुनिया में केवल लिखित ग्रंथ ही नहीं हैं, समूहगत आकांक्षाओं और भावनाओं ने मिलकर भी साहित्य का सृजन किया। मानवता की इसी साझी विरासत का नाम लोक–साहित्य है, जिसके केंद्र में आद्योपांत लोक है। जिसकी रचना की कोई तिथि नहीं है पर वह लोक के साथ अंतर्क्रिया के पश्चात् सृजित हुआ है स लोक की परिधि को सैद्धांतिक पहचान देने के क्रम में डॉ नीरज खरे ने लिखा है– "आधुनिक सभ्यता से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाला स इस अर्थ में लोक विशुद्ध मानवीय भावना, संवेदना और साहचर्य का अर्थ प्रतिध्वनित करता है और यह जानना जरुरी है कि इस आधार पर रचा गया साहित्य पूर्णरुपेण लोकमंगल की भावना को विकसित करता है तभी तो लोक साहित्य को कालजयी माना गया है।"[8]

भारतीय लोक–साहित्य में लोक रंग एवं विभिन्न संस्कारों की सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। समाज में जितनी जातियाँ हैं, सभी के अपने–अपने सांस्कृतिक उत्सव होते हैं और इन जातियों की अलग–अलग आस्थाएँ होती हैं। जाति एवं धर्म के अपने–अपने लोक रंग होते हैं परंतु ये सभी लोक रंग एवं आस्थाएँ कहीं–ना–कहीं आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस विशिष्टता को रेखांकित करते हुए डॉ. रेखा अवस्थी ने लिखा है –"लोक–साहित्य जनता जनार्दन की संपत्ति है। यह भगवान के विराट स्वरूप की भांति विराट और अनंत हैं।"[9] विराट इस रूप में है कि इसमें भारतीय जीवन की समग्रता के साथ अभिव्यक्ति होती है शायद ही ऐसा कोई अंग भारतीय संस्कृति का हो जिसकी उद्‌भावना लोक साहित्य में नहीं होती, आम जन का जहाँ यह मनोरंजन का साधन है तो दूसरी ओर उनकी निर्मलता और स्पष्टवादिता का द्योतक है, उनकी तो यह अमूल्य निधि है। आम लोगों के सुख–दु:ख की कहानी है। लोक साहित्य अर्थात् इसके माध्यम से इनके जीवन की अभिव्यक्ति होती है। लोक–साहित्य भारतीय जीवन की अमूल्य धरोहर है जो विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। लोक–साहित्य भारतीय समाज की अभिव्यक्ति है।

लोक पर केन्द्रित लोक–साहित्य अनाम होता है, किसी लोक गीत या कथा का रचविता कौन है यह बहुत कम ज्ञात होता है। यह संभव हो सकता है कि किसी लोक गीत या कथा की रचना किसी एक व्यक्ति ने की हो और आगे चलकर अनेक पीढ़ियों के लोगों द्वारा उसने परिवर्तन होता रहा हो। भारतीय जनता का अधि कतम अंश ग्रामों में निवास करता है। ग्रामीण समाज जिन शब्दों में अपने निजी लक्षणों का उद्‌गार करता है अर्थात् साधारण जनता जिन शब्दों में गाती है अपना मनोरंजन करती है इन सभी विशेषताओं को लोक–साहित्य कहा जाता है। लोक–साहित्य की अपनी ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं जो उसे परिनिष्ठित या लिखित साहित्य से अलग करती है। लोक–साहित्य प्राय: मौखिक होता है, उसका श्रवण किया जाता है, पठन–पाठन नहीं। मौखिक आदान–प्रदान की निरंतर गतिशील प्रक्रिया को समर्पित हुए बिना साहित्य का कोई अंश लोक–साहित्य नहीं कहला सकता। मौखिक आदान–प्रदान, लोक–साहित्य के संरक्षण का आधार ही नहीं है, प्रत्युत् वह उसके निर्माण और विकास का द्योतक है। मौखिक आदान–प्रदान के द्वारा लोक गीतकार तथा कथाकार उनमें निरंतर

समय के अनुसार परिवर्तन करते हुए उन्हें सुरक्षित एवं उसमें जीवंतता बनाए रखते हैं। यही कारण है कि गीत एवं कथा के हमें अनेक रूप मिलते हैं।

लोक गीत 'लोक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। लोक के पास जीवन को अधिकाधिक प्रेरण ाा प्रदान करने वाला साधन लोक गीत है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक तथा संस्कार से संबंधित गीत जुड़े हुए हैं जो हमें नैतिकता से जोड़े रखने के साथ-साथ हमें संस्कारों के प्रति जुड़े रहने के लिए बाध्य करते हैं। मनुष्य का संपूर्ण जीवन संस्कारमय है जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में कोई ना कोई संस्कार होते रहते हैं। इन अवसरों पर स्त्रियाँ कोकिल कण्ठ से गीतों को गा-गाकर अपने हार्दिक उल्लास और आनंद को प्रकट करती हैं। जो हमें हमारे समाज से जोड़े रखते हैं। लोक गीत वह गीत है जिससे जन-मन का अनुरंजन सदा होता रहता है। इन गीतों को स्त्री-पुरुष समान रूप से गाते हैं। इन गीतों में कुछ ऐसे गीत- भी होते हैं जो केवल स्त्रियों द्वारा गाये जाते हैं, जैसे-संस्कार विषयक गीत। इसके ठीक विपरीत कुछ ऐसे गीत भी होते हैं जो केवल पुरुषों की ही संपत्ति है। जैसे होली के गीत। लोक गाथाएँ तो केवल पुरुष वर्ग के द्वारा ही गाई जाती हैं, वैसे ये लोक गीत दो भागों में विभक्त किए जाते हैं एकल और सामूहिक। एकल वह गीत होते हैं जिसे केवल एक ही व्यक्ति गाता है जैसे शीतला माता के गीत। इस गीत को शीतला देवी को प्रसन्न करने के लिए उस बालक की माता गाती है जिसका पुत्र चेचक के रोग से पीड़ित रहता है। इसी प्रकार से आल्हा, लोरकी और विजयमल की लोकगाथाओं को केवल एक ही लोक गायक गाता है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी गीत हैं जो सामूहिक रूप से गाये जाते हैं जैसे झूमर। इस गीत को अनेक स्त्रियाँ गोलाकार रूप में एकत्रित होकर बड़े प्रेम से गाती है। इसी प्रकार होली के गीतों को पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं। इस तरह एकल और सामूहिक रूप से लोक गीतों के गाने की प्रथा प्रचलित हैं।

लोकोक्ति और मुहावरों के लिए भी यही बात कही जा सकती है, यह भी लोक का एक अनिवार्य अंश है। इसके विभिन्न परिवर्तित रूपों में किसी एक रूप को ही मौलिक स्वीकार करना उचित नहीं है। इसके कारण ों पर प्रकाश डालते हुए रेखा अवस्थी ने इसे स्थायी संरक्षण के अभाव से जोड़ा है- "लोक-साहित्य में यह परिवर्तन कभी विस्मृति के कारण और कभी जानबूझ कर भी होता है।"[10] विस्मृति के कारण कभी-कभी शब्द या पंक्ति तथा कमी-कभी गीतांश ही लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार कथाओं में भी घटनाएँ छूट जाती हैं। इन रिक्त स्थानों को अन्य कथाकार या लोक गीतकार कभी तो अन्य लोक गीतों की पंक्तियों या अन्य कथाओं की घटना को जोड़कर पूर्ण कर देते हैं। और कभी प्रस्तुतकर्ता अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा नए गीत या कथा को जन्म देकर उसे पूरा कर देते हैं गायक तथा कथाकार जानबूझकर भी परिवर्तन करते रहते हैं। मौखिक आदान-प्रदान से प्राप्त वस्तु-विषय को ग्रहण करने की उन्हें छूट रहती है। आदान-प्रदान की वास्तविक प्रक्रिया कभी भी संपूर्ण गीत को न तो ज्यों-का-त्यों स्मरण रखती है और न उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत करती है वरन् उसका सार और टेकनीक ही इस आदान-प्रदान की प्रक्रिया में अपनाया जाता है। यह कथन छोटे-छोटे गीतों, कहावतों, लोकोक्तियों आदि पर लागू नहीं होता जितना कि प्रबंध गीतों एवं कथाओं पर लागू होता है।

वास्तव में 'लोक' से उद्भूत लोक साहित्य हमारे जीवन का महासमुद्र है, उसमें भूत, वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है और यह ज्ञान के सम्पूर्ण अध्ययन का अनन्य स्रोत भी है।

संदर्भ

1. शास्त्री, वासुदेव लक्ष्मण, सिद्धांत कौमुदी, चौखम्बा संस्कृत प्रकाशन, वाराणसी, पृ 126
2. संपादित, वेबस्टर अंग्रेजी शब्दकोश, ब्लिट्ज पब्लिकेशन, लन्दन, पृ, 247
3. पाठक, मृत्युंजय, नालंदा विशाल शब्दसागर, लेखनी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ .131
4. पाठक, निर्मल, ऋग्वेद टीका, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 179
5. दुबे, अनुरंजन, शतसाहिस्त्री ग्रन्थ, चौखम्बा संस्कृत प्रकाशन, वाराणसी, पृ, 149
6. द्विवेदी, हजारी प्रसाद, विचार प्रवाह, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ 82
7. उपाध्याय, कृष्णदेव, लोक की संवेदना का पाठ, आधार प्रकाशन, पंचकुला, पृ 97
8. खरे, डॉ नीरज, लोक बनाम शास्त्र, अंतिका प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ 129
9. अवस्थी, रेखा, लोक का आख्यान, अनन्य प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ 94
10. अवस्थी, रेखा, लोक का आख्यान, अनन्य प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ 102

एक राष्ट्र एक चुनाव : संभावनाएँ और चुनौतियाँ

अमिताभ भट्ट
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
एम.पी.जी. कॉलेज, मसूरी, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सारांश

चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, खासकर भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश में आजादी के बाद से चुनावी प्रक्रिया में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, पिछले 07 दशक में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शिक, निष्पक्ष और सुचारू बनाने हेतु अनेक प्रवास और संशोधन हुये हैं।

एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है?

वर्तमान में चुनावी प्रक्रिया में संशोधन कर एक नई चुनावी व्यवस्था का निर्माण करने से सम्बन्धित बात पूरे देश में हो रही है। भारत में चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनने कि व्यवस्था इस देश मैं पिछले सात दशकों से चली आ रही है। इस पद्धति में अनेक कमियां हैं, इन कमियों को दूर एक नई चुनावी व्यवस्था का संचालन और निर्माण करने का प्रयास एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से हो सकता है ऐसा विचार करने वाला एक वर्ग इस देश में है। वर्तमान चुनावी व्यवस्था में राजनीतिक दल, चुनाव आयोग अपना समय, धन आदि की अधिक मात्रा में खर्च करते हैं, साथ ही हमेशा होने वाले चुनाव में शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था ठप्प हो जाती है इन्हीं सब को देखते हुए 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को स्वीकारा जा रहा है। जिसके माध्यम से इन सब खर्चों से बचा जा सकता है ONOE से मतलब है कि पूरे भारत में स्थित सभी राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराना यानि यह सभी चुनाव पहले 05 साल में एक बार ही होते थे या यूं कहे कि भारत में हर साल 05 साल में होने वाले चुनावों से मुक्त करना। इसी विचार का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक दल के राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं, जबकि 1967 में भी इस अवधारणा के माध्यम से आयोजित किये गये परन्तु कार्यकाल समाप्त होने से पहले विधान भंग होने दल-बदल जैसे विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था डगमगा गई। वर्तमान में अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ आयोजित किये जाते हैं।

हमारा देश सांस्कृतिक रूप से विभिन्न प्रकार की विविधताओं एवं परम्पराओं को समेटे हुए अपने यश की प्राप्ति के शिखर पर है। भारत जैसे देश में अलग–अलग संस्कृतियों एवं परस्पराओं को मानने वाले लोग है। यहां की सांस्कृतिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। भारत के अलग–अलग राज्य मे अलग सांस्कृतिक विरासत है। जैसे कश्मीर की अपनी एक अलग खूबसूरत वादियों की पहचान है वह दुनिया में एक अलग पहचान दिलाती है तथा वहां का रहन–सहन एवं परम्परा तथा वहां के लोगो का पोषाक, हस्तशिल्प तथा हाथ के कढ़ाई की ही हुयी कारीगरी की अपनी अलग पहचान है उसी प्रकार उत्तराखण्ड मे भी पहाड़ी भाषा एवं पहाड़ी संस्कृति अपनी विरासत को लेकर आज आगे है उत्तराखण्ड देवभूमि के रूप में जानी जाती है जिसकी अपनी पहचान है हिमालय की गोद से निकली गंगा समस्त धार्मिक परम्पराओं को लिए हुए निचली मैदान हरिद्वार में आती है तथा बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, आदि धार्मिक जगह हैं जहाँ परम्परा सदियों से चली आ रही है तथा आज भी उत्तराखण्ड के निवासियों का रहन–सहन पहनावा खान–पान आदि आपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जानी जाती है।

इसी प्रकार भारत के अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तथा पूर्वोत्तर के राज्य असम, मणिपुर, मेघालय त्रिपुरा, आदि अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में अपनी पहचान बनाये हैं। अलग अलग प्रान्तो की अपनी भाषा जैसे बिहार में भोजपुरी, मैथली उसी तरह बंगाल में बंगाली तथा पंजाब में पंजाबी भाषा, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती केरल में मलयालम आन्ध्रप्रदेश में तेलगू तथा उत्तर प्रदेश में अवधी, बुन्देली, ब्रज भाषाओं का प्रयोग किया जाता है फिर भी सभी भारत के लोग अपने आप कों हिन्दुस्तानी गर्व से कहते हैं। यही हमारी एकता के लिए जानी जाती है हम भारतवासी है यह हमारी सबसे बड़ी परम्परा है। भारत प्राचीन काल से शिक्षा का बहुत बडा केन्द्र रहा जैसे नालन्दा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय आदि ऐसे शिक्षा के केन्द्र थे जहां न केवल भारतीय बल्कि चीन आदि देश, विदेशों से भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहां चीनी यात्री फाहयान, इत्सिंग, हवेनसांग आदि आये जिन्होंने भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का वर्णन किया है। आज वर्तमान समय में हम क्षेत्रवाद की बात करें तो सभी क्षेत्रों के लोग अपनी क्षेत्रवाद एवं भाषावाद की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।

आज वर्तमान समय में एक राष्ट्र व एक चुनाव की बात हो रही है परन्तु यह कहीं न कहीं उतना आसान नहीं होगा जितना आज अलग अलग राज्यों के चुनाव अपने समय पर होते है। क्योंकि लोक सभा का चुनाव पूरे देश में एक साथ होता है और वह भी सुरक्षा एवं संसाधन की दृष्टि सें कई चरणों में होता है तो सभी राज्यों के विधान सभाओं का चुनाव एक साथ हो तो देश और राज्यों के उपर काफी खर्च एवं बोझ पडेगा। इसका बोझ जनता के उपर पड़ता है इसलिए वर्तमान परिदृश्य में जहाँ तक सम्भव है एक साथ चुनाव सभी राज्यों एवं लोक सभा का होना संभव नहीं होगा अभी इसके लिए और आगे की रणनीति बनानी होगी। आज वर्तमान समय मे हम तकनीक की दुनिया में काफी आगे बढ़ चुके हैं तथा यात्रएं आसान हुई है।

एक राष्ट्र एक चुनाव की चुनौतियाँ

- अनुच्छेद 83 (2) लोकसभा का कार्यकाल तथा अनुच्छेद 172 विधानसभा का कार्यकाल संबंधी उल्लघंन
- अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के दुरूपयोग की संभावना
- निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन उपकरणों में संदेह
- संघात्मक शासन प्रणाली का उल्लघंन
- राज्यों की स्वतंत्रता का हनन
- नागरिक अधिकारों का उल्लघंन
- कार्यकाल सामान करना व्यावहारिक
- क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय मुदद्ों में भिन्नता
- क्षेत्रीय हितों का अतिक्रमण
- चुनावी व्यय की चुनौती

चुनाव किसी भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनाव के द्वारा ही जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भागीदार बनती है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा एक ही समय पर चुनाव कराने के प्रयास के समक्ष सबसे पहले चुनौती के रूप में हमें संसद के अंग के रूप में लोकसभा के कार्यकाल संबंधी संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 83 (2) तथा विधानसभा के कार्यकाल संबंधी संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 172 के उल्लंघन होने की समस्या या चुनौती का सामना करना पडेगा, लेकिन इस समस्या का समाधान भारतीय संसद द्वारा ही निकाला जा सकता है क्योंकि भारतीय संसद में व्यापक शक्तियाँ विद्यमान है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारतीय संसद लोकतांत्रिक प्रणाली का केंद्र बिंदु है तथा एक राष्ट्र एक चुनाव से पूर्व भारत में आपालकाल के दौरान 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 42 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष किया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव के समक्ष दूसरी व्यावहारिक समस्य राज्यों के कार्यकाल को केंद्र के कार्यकाल के समान करने से जुड़ी हैं इसमें अनुच्छेद 356 के दुरूपयोग होने की संभावना है, अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्य किसी भी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपलब्ध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उसे राज्य के संबंध में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की स्थिति में राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के समान करने के लिए या तो विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा या कम करना होगा इससे अनुच्छेद 356 दुरूपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है यह एक राष्ट्र एक चुनाव के समक्ष बड़ी चुनौती है।

वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्पादकों के साथ दीवाली मिलन समारोह के दौरान लोकसभा व राज्य विधानसभा चुनाव संयुक्त रूप से कराण जाने का प्रस्ताव रखा। एक साथ चुनाव न होने की वजह से होने वाली तमाम समस्याओं की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री का आग्रह था कि मीडिया 'एक देश, एक चुनाव' विषय पर देशव्यापी चर्चा चलाए, जिससे इस पर स्पष्ट जनमत बन सके। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने यूपीए शासनकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह व तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर संयुक्त रूप से चुनाव कराने पर विचार का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'एक देश, एक चुनाव' प्रस्ताव का तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने समर्थन किया था। सार्वजनिक नीतियों के शोध-आधारित विश्लेषक एन भास्कर राव के अनुसार, केवल 2024 के लोकसभा चुनाव पर 1.20 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान हैं। राव की स्टडी में कहा गया है कि 2024 चुनाव में खर्च होने वाले कुल रुपये में चुनाव आयोग द्वारा 20 प्रतिशत खर्च बैठ सकता है। वहीं अगर सभी विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाए तो इस पर 3 लाख करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। बता दें देश में कुल 4500 विधानसभा का सीट है।

लाभकारी है एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली?

केंद्रित शासन यह सरकार को चुनाव समाप्त होने के बाद शासन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। आज देश के किसी न किसी हिस्से में कम से कम हर तीन महीने में कोई न कोई चुनाव होता ही रहता है। देश का पूरा ध्यान इन चुनावों पर केंद्रित हो जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक, मुख्यमंत्रियों से लेकर मंत्रियों तक, सांसदों, विधायकों और पंचायत सदस्यों तक हर कोई इन चुनावों में गहराई से शामिल होता है, क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता है। विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग स्तर पर प्रशासन लगभग पंगु हो गया है। यह भारत की विकास सम्भावनाओं पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। नीतिगत निर्णयों में निरंतरता चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो जाती है। एमसीसी के कारण चुनाव के दौरान कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाता है। इसलिए, केंद्र और राज्यों व स्थानीय निकायों दोनों में प्रमुख नीतिगत निर्णयों में देरी होती है। यहाँ तक कि जब कोई नया नीतिगत निर्णय आवश्यक नहीं होता है, तब भी चुनावी अवधि के दौरान चल रही परियोजनाओं का कार्यान्वयन पटरी से उतर जाता है क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका के साथ-साथ सरकारी अधिकारी भी नियमित प्रशासन की उपेक्षा करते हुए चुनाव कर्तव्यों में व्यस्त हो जाते हैं। प्रत्येक चुनाव में भारी मात्रा में धन जुटाना पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च काफी कम हो सकता है। धन उगाही का कोई दोहराव नहीं होगा। इससे जनता और व्यापारिक समुदाय को चुनावी चंदे के लिए कई बार दबाव बनाने से बचाया जा सकेगा। यदि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ होने लगें तो सरकारी खजाने के घन की भी बचत होगी और राजनीतिक दलों के धन की भी। राजनीति की शह से होने वाले भ्रष्टाचार में भी कमी आ सकती है। एक लाभ यह भी होगा कि राजनीतिक दलों को रह-रहकर चुनाव की मुद्रा में आने की जरूरत नहीं रहेगी और वे सारा ध्यान अपने एजेंडे पर केंद्रित कर सकेंगे।

क्या है चुनाव व्यय सीमा?

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं कराए जाने से देश को खासी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, आम चुनाव कराने में लगभग 45,000 करोड़ खर्च होते हैं। इसके अलावा, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार कितना खर्च करते हैं, आंकलन नहीं लगाया जा सकता। हालांकि निर्वाचन संबंधी कानून में उम्मीदवारों के खर्च की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन इस कानून की अनदेखी होती है। चुनाव आयोग ने संसदीय स्थायी समिति के समक्ष कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा वोटर वेरिफियेबल पेपर ऑडिट ट्रायल (वी.वी. पी.ए.टी.) मशीनें खरीदनी होंगी। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव संयुक्त रूप से कराने के लिए ई.वी.एम. और वी.वी. पी.ए.टी. मशीनें खरीदने के लिए लगभग 9,284.15 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। संसदीय समिति ने चुनाव आयोग के हवाले से कहा 'मशीनों को हर 15 वर्ष में बदलने की जरूरत होगी जिस पर फिर बड़ा खर्च आयेगा। इसके अलावा इन मशीनों के रखरखाव पर भी भारी भरकम राशि खर्च होगी।' निर्वाचन संबंधी कानून के अनुसार, सदन का कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पूर्व चुनाव कराए जा सकते हैं और सदन का कार्यकाल आपातकाल की अधिसूचना को छोड़कर अन्य मामलों में नहीं बढ़ाया जा सकता। लोकसभा के कार्यकाल के अनुरूप लाने के लिए राज्य विधानसभाओं के सदनों में अवधि या तो बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद तीन और चार में संशोधन की जरूरत होगी। ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो या सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार को यह देखना होगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के संयुक्त चुनाव कराने के लिए ऐसी स्थिति से केसे निपटा जाए।

संवैधानिक और कानूनी चुनौतियाँ

यद्यपि चुनाव सुधार के कई लाभ हो सकते हैं, अर्थात् एक साथ चुनाव, वास्तव में इसे संभव बनाने के लिए विभिन्न संवैधानिक और कानूनी सुधारों की आवश्यकता होती है।

- विधि आयोग ने कहा है कि संविधान का मौजूदा ढांचा एक साथ चुनाव कराने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संविधान में विभिन्न संशोधनों और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी।
- विधि आयोग के अनुसार, संवैधानिक संशोधनों की पुष्टि के लिए राज्य विधान सभाओं के 50: की आवश्यकता होगी।
- क्योंकि विभिन्न विधान सभाओं के चुनाव बेतरतीब होते हैं, इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी क्योंकि इन विधान सभाओं का कार्यकाल या तो बढ़ाया या घटाया जाना होगा।

- यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो यह लोक सभा या राज्य विधान सभा के कार्यकाल को कम कर सकता है। यही कारण है कि कानून आयोग अविश्वास के रचनात्मक वोट के साथ अविश्वास के वोट को बदलने का सुझाव देता है जिसके लिए उपयुक्त संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। इस मामले में, सरकार को तभी हटाया जा सकता है जब कोई वैकल्पिक सरकार संभव हो।
- त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में फिर से चुनाव होने की भी संभावना है जो कार्यकाल को बदल देगा और एक साथ चुनाव कराने में समस्या पैदा करेगा। विधि आयोग का सुझाव है कि संविधान में इस तरह संशोधन करना होगा कि कोई भी ऐसी नई लोकसभा या विधान सभा जो बीच में बनी हो, केवल पिछले कार्यकाल के शेष के लिए गठित की जाएगी।

भारत में स्थानीय सरकार के चुनावों के संबंध में कई अन्य चुनौतियाँ हैं-

- ये चुनाव राज्य के विषय हैं और इसलिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
- वर्तमान में, इन चुनावों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और उन्हें एक साथ चुनावों के तहत लाने के लिए एक और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।

इसलिए वास्तव में एक साथ चुनाव संभव बनाने के लिए अनुच्छेद 83 (जो संसद के सदन की अवधि से संबंधित है), अनुच्छेद 85 (जो लोकसभा के विघटन से संबंधित है) और अनुच्छेद 172 (जो राज्य में विधान सभा की अवधि से संबंधित है) जैसे विभिन्न अनुच्छेदों में संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

"एक राष्ट्र एक चुनाव" के गुण

1. **पैसे की बचत :** लोग चाहते हैं कि सभी चुनाव एक ही समय पर हों, इसका मुख्य कारण यह है कि इससे सरकार का बहुत सारा पैसा बचेगा। अभी देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। अगर सभी चुनाव एक साथ होते तो बहुत कम खर्च होता। उदाहरण के लिए, देश में कई राज्य और क्षेत्र हैं, और प्रत्येक में कुछ निश्चित संख्या में लोग चुने जाते हैं जिन्हें विधायक कहा जाता है जो निर्णय लेने में मदद करते हैं। अगर हम इन सभी जगहों पर चुनाव कराने की लागत को अलग-अलग जोड़ दें तो यह वास्तव में एक बड़ी संख्या होगी। लेकिन अगर सभी चुनाव एक साथ हो तो यह काफी सस्ता होगा।' इससे सरकार को बहुत सारा पैसा बचाने में मदद मिलेगी, जिसका इस्तेमाल अन्य महत्वपूर्ण चीजों के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर, एक साल में लगभग 5 राज्यों में ही चुनाव होते हैं।
2. **तेजी से विकास कार्य :** जब चुनाव के नियमों का पालन किया जाता है, तो नई योजनाएँ और परियोजनाएं शुरू नहीं की जाती हैं। इसलिए, यदि हमारे यहां केवल एक बार चुनाव होते हैं, तो इससे सरकार को वही चीजें करते रहने में मदद मिलेगी और उन्हें अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों में बदलाव नहीं करना पड़ेगा।
3. **काले धन पर लगाम :** कभी-कभी लोग चुनाव जीतने के लिए अवैध धन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में चुनावों के दौरान बहुत सारा अवैध धन वैध धन में बदल दिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर

हमारे यहाँ हर समय चुनाव होंगे, तो संभावना है कि एक अलग अर्थव्यवस्था का विकास शुरू हो सकता है। जो हमारी सामान्य अर्थव्यवस्था के साथ-साथ बढ़ती है।

4. **सरकारी मशीनरी का सुचारू कामकाज :** सरकार के पास विशाल जनशक्ति और उपकरण हैं जो यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से काम कर रहा है। वे इन संसाधनों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हों और सभी को वोट का अधिकार मिले। इससे हर किसी का जीवन आसान हो जाता है।

5. **शासन की दक्षता :** यदि हमारे यहाँ हर साल चुनाव नहीं होते, तो सरकार को लोगों को प्रलोभन देने या उनके मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करके उनका पक्ष जीतने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वे ऐसे निर्णय लेने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हों, भले ही वे कठिन हों।

"एक राष्ट्र एक चुनाव" अवधारणा के दोष

1. **स्थानीय मुददे् खत्म हो जाएंगे :** जब लोग अपनी स्थानीय सरकार और राष्ट्रीय सरकार के लिए वोट करते हैं, तो वे अलग-अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय पार्टियाँ उन मुदद्ों की परवाह करती हैं जो हमारे पड़ोस को प्रभावित करते हैं, जबकि राष्ट्रीय पार्टियाँ उन मुदद्ों की परवाह करती हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं।

2. **क्षेत्रीय दलों के लिए संकट :** क्षेत्रीय दल चुनावों के दौरान उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं या राष्ट्रीय दलों के समान रणनीतियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। स्थानीय चुनाव उन सभी मुदद्ों के बारे में होते हैं जो उस क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए क्षेत्रीय दलों को मतदाताओं का दिल जीतने के लिए एक से अधिक मौके की आवश्यकता होती है।

3. **चुनाव नतीजों में देरी :** वर्तमान में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दल मतपत्र का उपयोग करके चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, इसलिए यह अत्यधिक संभावना है कि यदि एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, तो चुनाव परिणामों की घोषणा में काफी देरी हो सकती है।

4. **संवैधानिक समस्याएँ :** देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण एक वार का चुनाव लगभग असंभव लगता है। मान लीजिए कि चुनाव एक साथ कराए जाएँ लेकिन यह निश्चित नहीं है कि सभी राज्यों और केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। यह भी संभव है कि कुछ दल गठबंधन सरकार बनाएं जो 5 वर्ष से पहले कभी भी गिर सकती है। इसलिए पूरे देश में दोबारा चुनाव होने की संभावना है। देश के भीतर मौजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप, एक बार चुनाव की संभावना अत्यधिक असंभव प्रतीत होती है। एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि सभी राज्यों और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसके अलावा कुछ दलों द्वारा गठबंधन सरकार बनाने की संभावना मौजूद है, जो संभावित रूप से पूरे पाँच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो सकती है। परिणामस्वरूप,

राष्ट्रव्यापी पुनः चुनाव की संभावना उत्पन्न होती है।

एक देश एक चुनाव के पक्ष में तर्क

- इस प्रक्रिया से चुनावों में होने वाले भारी खर्च में कमी आयेगी। भ्रष्टाचार में कमी आयेगी, समय की बचत होगी।
- एक देश एक चुनाव राजनीतिक स्थिति में स्थिरता ला सकता है। जिससे शासन में आपेक्षित सुधार हो सकता है।
- राजनीतिक दलों का सुप्रेषण कम हो सकता है जिससे स्थिरता बनी रह सकती है। सरकार को समर्थन मिलता रहेगा।
- एक देश एक चुनाव से अधिकारिक संरचना में सुधार हो सकता है, जिससे राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आ सकती है।
- एक देश एक चुनाव से राजनीति में राजनीतिक स्थायिता आ सकती है, जिससे नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में आत्म-प्रभावित बनाए रखने में सहायता मिल सकती है।
- स्थानीय स्तर पर सुधार हो सकता है।
- एक देश एक चुनाव से राजनीति में राजनीतिक स्थायिता आ सकती है, जिससे नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में आत्म-प्रभावित बनाए रखने में सहायता मिल सकती है।
- स्थानीय स्तर पर सुधार हो सकता है।

एक देश एक चुनाव के विपक्ष में तर्क

अनेक राजनीतिक दलों ने इस विचार का विरोध किया। यह कदम संसदीय लोकतंत्रिक प्रणाली के लिए घातक होगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने पर कुछ विधानसभाओं से बिना पूछे उनके कार्यकाल को घटाया व बढ़ाया जायेगा। केन्द्र ज्यादा शक्तिशाली बन जायेगा।

प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं का सामना करने से राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ती है और वे सतर्क रहते हैं। अंततः चुनावों के दौरान बहुत सारी रोजगार भी सृजित होता हैं। जिससे जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़वा मिलता है।

एक देश एक चुनाव के लिए लगभग 30 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की आवश्यकता होगी, यह व्यवस्था कर पाना सरकार के लिए जटिल होगा।

निष्कर्ष

भारतीय समाज की सांस्कृति विविधताओं में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिस्थापन सर्वागीण उत्थान की प्रक्रियाओं का सूत्रपात करता है। स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व हमारी आवश्यकताओं का उच्चतम लक्ष्य है। आजादी के आरम्भिक दशकों में हमने संवैधानिक उद्देश्य को हासिल किया भी और लगातार प्रयासरत है। किन्तु संसदीय लोकतंत्र की प्रतिनिधियात्मक प्रक्रियाओं में बहु–दलीय प्रणाली, निम्न स्तरीय जागरूकता, मतदाता निष्क्रियता और प्रलोभनों ने राजनीति के स्तर को न केवल नीचे गिराया, अपितु उसे इतना महंगा बना दिया कि आम आदमी के चयन की संभावनाएं धूमिल हो गयी। लोकतंत्र में चुनाव उत्सव की तरह होते है, अगर वे एक निश्चित और निर्धारित समय पर आते रहे, शुरूआती दिनों में भारत के चुनाव एक देश एक चुनाव पर होते रहे, किन्तु बाद परिस्थितियों और आपातकालीन प्रावधानों के प्रयोगों ने चुनाव प्रक्रियाओं के स्वरूपों को बदल दिया। आज देश के हालात यह है कि हर महीने देश के किसी राज्य, हिस्से में आम चुनाव, उपचुनाव होते रहते है। इससे देश में विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य चुनावी प्रतियोगिता नहीं अपितु गला काट प्रतिस्पर्धा हो रही है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, स्थानीय, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जल, धन, बाहुबल के घालमाल ने संकीर्ण एवं युद्ध पूर्ण राजनीति ने समाज–राज्य के वास्तविक उददेश्यों का नष्ट कर दिया है। एक राज्य की चुनावी जीत को अन्य राज्यों में उद्घोष बनाया जाता है। केन्द्र व राज्यों के मध्य अति–अशांति एवं अति संघर्ष देखने को मिला है। सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों को चुनावी पराजित नहीं करना चाहती अपितु विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं का अनैतिक प्रयोग करके नष्ट करना चाहती है।

आम जन भी राजनीतिक व्यवस्थाओं में संघर्ष का शिकार हो रहे हैं, अति बहस, संवाद, अंधभक्ति समाज में विभाजन रेखाओं के आकार को बढ़ा रही है। ऐसे में 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' का विचार भारतीय वर्तमान परिस्थितियों के समाधान की दिशा में प्रासंगिक हो चला है। यह कदम देश में मीडिया, नागरिक, समाज और सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में आम मतदाताओं को समय अन्तराल (5 वर्ष) उपरान्त ही सक्रिय होने में मदद करके शेष समय वह अपने स्वयं के विकास को देगा। राजनीतिक दलों के मध्य भी आलोचनाओं और प्रतिलोचनाओं का दौर कम होगा और विकास एवं रचनाशीलता को घोषणा पत्रों पर अधिक काम करेंगे। सरकारों का मूल्यांकन भी उनके पूर्ण कार्यकाल के आधार पर होगा। साथ ही उपलब्धियों ही चुनावी जीत और हार को तय करेगी। साथ ही राष्ट्रीय संसाधनों के अपव्यय को कम कर सकेंगे। चुनाव की यह प्रणाली मतदाताओं को मुद्दों पर व्यवहार करने का अवसर प्रदान करेगी न कि भावनाओं पर।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. हुसेन, एस. आबिद, भारत की राष्ट्रीय संस्कृति राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, वंसत कुंज, नई दिल्ली–110070 संस्करण, 2014।
2. टैगोर, रविन्द्रनाथ, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय पुस्तक व्यास, भारत बंसत कुंज, नई दिल्ली–110070, संस्करण, 2016।
3. शर्मा, महेशचन्द्र, अखण्ड भारत, वसुधा पब्लिकशन्स प्रा.लि., 810 अरूणाचल, 19वां खम्भा मार्ग, नई दिल्ली–110001, संस्करण 1995।

4. ओम प्रकाश गाबा, 'भारतीय राजनीतिक विचारक', मयूर पेपरबैक्स, नोएडा, 2009।
5. डॉ. ए.पी. अवस्थी, 'भारतीय राजनीतिक विचारक', लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2021।
6. डक्क. आर.पी. पाण्डेय, डॉ. सर्वेश कुमार मिश्र एवं डॉ. अंशु पाण्डेय, 'आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक', नवराज प्रकाशन, दिल्ली, 2006।
7. सिंहल, डॉक्टर एस.सी. (2019). समकालीन राजनीतिक मुद्दे, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा, पृष्ठ संख्या, 105
8. सिंहल, डॉक्टर एस.सी. (2017) भारतीय शासन एवं राजनीति, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा, पृष्ठ संख्या, 39
9. सिंहल, डॉक्टर एस.सी. (2017) भारतीय शासन एवं राजनीति. लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा पृष्ठ संख्या, 111
10. सिंहल, डॉक्टर एस.सी, (2017) भारतीय शासन एवं राजनीति, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा पृष्ठ संख्या. 77
11. प्रधान रामचंद्र (2020) राज्य से स्वराज भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद का इतिहास, प्रभात प्रकाशन दिल्ली पृष्ठ संख्या, 33
12. सिंहल, डॉक्टर एस. सी. (2017) भारत की विदेश नीति, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा, पृष्ठ संख्या, 471
13. फडिया, प्रोफेसर बी.एल. डॉक्टर कुलदीप (2022) भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा पृष्ठ संख्या, 644
14. माहेश्वरी, आर.सी. (2017) भारत में स्थानीय स्वशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा पृष्ठ संख्या, 79
15. सिंहल डॉक्टर एस.सी. (2018) राजनीतिक समाजशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा पृष्ठ संख्या, 259
16. जैन, पुखराज (2013) लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा पृष्ठ संख्या, 135
17. जैन, पुखराज (2013) लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा पृष्ठ संख्या, 139
18. http://.i.m.wikipedia.org

हिन्दी साहित्यकार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों में चित्रित नारी यथार्थ

राखी पचौरी
शोधार्थिनी, हिन्दी विभाग
आगरा कॉलेज, आगरा

शोधा सार

आधुनिक महिला साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखने वाली उषा प्रियंवदा हिन्दी साहित्य जगत का एक ऐसा नाम है जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति अर्जित की। उन्होंने विदेशी भूमि पर रहते हुए भी हिन्दी साहित्य को गरिमा पूर्ण स्थान प्रदान किया है। यूँ तो उषा जी का सहित्य जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रस्तुत करता है किन्तु उनके साहित्य में सर्वप्रमुख स्थान नारी जीवन के कटु यथार्थ की अभिव्यक्ति का है। उषा जी के कथा साहित्य, विशेषत: उपन्यासों को नारी जीवन का प्रमुख हस्ताक्षर कहा जा सकता है। उनके उपन्यासों में पारिवारिक और समाजिक जीवन में संघर्ष करती हुई नारी समय के साथ-साथ अत्यंत समृद्ध और विकसित व्यक्तित्व को प्राप्त करती हुई दृष्टिगोचर होती है।

मुख्य शब्द:- संत्रस, अन्तर्द्वन्द्व, छटपटाहट, विसंगति बोधा, संघर्षशील, हतप्रभ।

वर्तमान हिन्दी साहित्य जगत में उषा प्रियंवदा एक ऐसा नाम है जिन्होंने नारी जीवन को सशक्तता प्रदान की है। आधुनिक भारत में जन्मी उषा जी ने केवल भारत की नारी को ही नहीं देखा अपितु विदेशी धरती पर जाकर वहाँ की नारी के अस्तित्व को भी गहराई से समझा और अनुभूत किया। चूँकि उषा जी स्वयं एक स्त्री है इसलिए स्त्री जीवन की वेदना, संत्रस के कटु यर्थात को वे बहुत सूक्ष्मता से उजागर कर पायी है। उषा जी आधुनिक साहित्यकार है और आधुनिक साहित्य का मूल बिन्दु कल्पना अथवा अयथार्थ के स्थान पर 'यथार्थ' को स्वीकार किया गया है। यही यथार्थ उषा जी के साहित्य का भी प्रमुख बिन्दु है। उनके साहित्य में परिवार और समाज के परिप्रेक्ष्य में नारी प्रमुख तत्व बनकर उभरी है। उषा जी का उपन्यास सहित्य नारी जीवन की कटुता का जीवंत यथार्थ चित्रण कहा जा सकता है। युगीन चेतना का प्रभाव उषा जी के साहित्य पर स्पष्ट देखा जा सकता है। वे आधुनिक समाज में नारी स्वातंत्र्य की पक्षधर रही हैं। आज 21 वीं सदी में भी भारतीय नारी पुरूषोचित सोच के कारण कमतर आंकी जाती है उसके अस्तित्व को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है- **"नव चेतना से युक्त शिक्षित नारी जीवन में पुरूषोचित बोझ उठाती है।"**[1]

यह बात उषा जी को सर्वथा असहनीय है। प्राचीन भारतीय सहित्य में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया

था। शास्त्रों के अनुसार नारी सुकुमारता, स लावण्प, प्रेम, त्याग, स्नेह, करूणा, दया, वात्सल्य और ममता की साकार प्रतिमा है, किन्तु बदलते समय और परिवेश के साथ नारी की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया। मध्यकालीन सामंती परिवेश एवं रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं में आबद्ध सामंतवादी समाज में नारी पुरूष की सहचारी अथवा सहधर्मिणी न होकर मात्र अनुगामिनी बन कर रह गई। प्राचीन समय में जो नारी सामाजिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती थी मध्यकालीन समय में उसे घर की चहारदीवरी में समीति कर दिया गया, उसकी भूमिका एक पत्नी, माँ और बहन के रूप में परिवार का संचालन करने में थी इसके अतिरिक्त समाज में उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, किन्तु आधुनिक युग में एक बार पुनः स्त्री की स्थिति में परिवर्तन आया। आधुनिक समाज सुधारकों ने नारी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोंण में परिवर्तन किया और नारी शिक्षा पर जोर देते हुए उसे समाज के विकास का आधार तत्व माना **"प्रत्येक युग परिवर्तन के साथ-साथ नारी की स्थिति में भी परिवर्तन होता रहा है।"**[2]

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय नारी के जीवन में पर्याप्त परिवर्तन आया है। उषा प्रियंवदा का साहित्य नारी चेतना का साहित्य है एक ओर जहाँ उनके नारी पात्र घुटन, संत्रस, उदासी और अकेलेपन से जूझ रहे हैं वही दूसरी ओर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी खोजते हुए दिखाई देते हैं। उषा जी ने आज के जटिल सामाजिक एवं पारिवारिक संघर्ष में उलझी नारी की विभिन्न मनः स्थितियों का यथार्थ अंकन किया है। उषा जी की नारी पात्र पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य जीवन की असफलता, धनाभाव विसंगति बोध, अवसाद, घुटन पीड़ा, दर्द, संत्रस तथा तनावों के यथार्थ का सामना करते हुए स्वाबलंबी बनी है, वैचारिक दृष्टि से मजबूत हुई है तथा शिक्षित होने के साथ अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हुई है।

उषा जी ने न केवल नारी जीवन से जुड़े बाह्य परिवेश एवं संघर्ष को अभिव्यक्ति दी अपितु उसकी आंतरिक उथल-पुथल को भी उजागर किया है। आधुनिक युग भौतिकवादी युग है इन युग में मानव जाति ज्यों-ज्यों प्रगति कर रही है त्यों-त्यों नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है। ऊब, छटपटहाट, घृणा, अनास्था, वैमनस्य का भाव मनुष्य के ह्वदय में प्रतिष्ठित होता जा रहा था जिस कारण पूरा वातावरण अनैतिक हो गया इस कृत्रिम वातावरण से नारी भी स्वयं को मुक्त नहीं कर पायी है। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव परिवार, समाज और संस्कृति तीनों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उषा जी की रचनाओं का मूल विषय नारी चेतना के साथ मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन की समस्याओं के यथार्थ का अंकन करना है, वे नारी जीवन के यथार्थ को बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ अपने उपन्यासों में उजागर करने में सफल हुई है। उनके उपन्यासों में नारी जीवन का कटु यथार्थ निराशा, घुटन, ऊब आदि के रूप में प्रकट हुआ है परन्तु उषा जी की नारी पात्र इन विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को नष्ट नहीं करती बल्कि इनका विरोध करके अपने स्वतंत्र अस्तित्व को खड़ा करते हुए नारी समाज को जाग्रत करती हैं। पचपन खंभे लाल दीवारें' उपन्यास की 'सुषमा' आर्थिक समस्याओं के दंश को झेलते हुए भी स्वयं को मजबूत रखती है। सेवानिवृत पिता के घर में जीविका का कोई और साधन न होने के कारण वह स्वयं अपने पिता की जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। जिसके लिए उसे अपने प्रेम, अपनी खुशियों और इच्छाओं का दमन करना पड़ता है- **"यह कॉलेज यह खंभे मेरी डेस्टिनी है मुझे यहीं छोड़ दो"**[3]

भले ही सुषमा आधुनिक समाज की शिक्षित और आत्मनिर्भर नारी है किन्तु फिर भी अपनी भारतीय संस्कृति

और परम्पराओं को सहजकर चलने वाली है, वह कभी भी अपने सांस्कृतिक मूल्यों का हनन नहीं करती। नील से उसका प्रेम संबंध पवित्र है वह नील से विवाह भी करना चाहती है, किन्तु परिवार की आर्थिक स्थिति और भाई बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के कारण अपने प्रेम का गला घोंट देती है। अन्दर से टूटकर भी वह बाहर से मुस्कुराती है। सुषमा के माध्यम से उषा जी ने भारतीय नारी का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। एक ओर जहाँ सुषमा जैसी स्त्री अपरे परिवार की खुशियों और जीविकोपार्जन हेतु स्वयं की आकांक्षाओं का बलिदान करती है वहीं दूसरी ओर रूकेगी नहीं राधिका की नायिका अपने पिता दूसरे विवाह की बात अस्वीकार करके अपनी खुशियों को महत्व देती है और विदेश चली जाती है। राधिका अपने पिता के लाड़-प्यार की छाया में पली-बढ़ी इकलौती पुत्री है, वह अपने पिता पर अपना एकाधिकार समझती है। जब वह अपने पिता के, अपने से 20 वर्ष छोटी विद्या के साथ विवाह की बात सुनती है तो वह क्रोधित हो जाती है। वह नहीं चाहती कि उसके पिता दूसरा विवाह करें, वह अपने पिता का विरोध करते हुए कहती है– **"जो आप चाहते हैं, वही हमेशा क्यों हो? मैं आपकी बेटी हूँ, ठीक है, पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, जो चाहूँगी वही करूँगी"**[4] राधिका अपने पिता से नाराज होकर डैन के साथ अमेरिका चली जाती है और वहाँ अपने स्वतन्त्र अस्तित्व की तलाश करती है। राधिका के रूप में उषा जी ने किसी और की विचार-धारा को स्वयं पर न थोपकर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व खोजने वाली स्त्री को प्रस्तुत किया है। राधिका द्वारा अपने पिता के दूसरे विवाह को अस्वीकार करना और उनसे दूर चले जाने का कारण भारतीय समाज की उस पुरूषवादी सोच को अस्वीकार करना है जहाँ पुरूष समझता है कि वह जो करेगा वही सही है। ऐसी ही पुरूषवादी सोच का विरोधा 'नदी' उपन्यास की नायिका 'आकाश गंगा' ने भी किया है। जब उसके पुत्र भविष्य की ल्यूकीमिया से मृत्यु हो जाती है तो डॉ0 सिन्हा पूर्ण रूप से गंगा को ही दोषी मानते हैं। गंगा अपने मन को शान्त करने के लिए कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर जाती है और जब वापस लौटती है तो हतप्रभ रह जाती है उसका घर बिक चुका है डॉ0 सिन्हा उसे धोखा देकर उसकी बेटियों को लेकर हमेशा के लिए भारत लौट गए हैं। कोई पुरूष इतना निष्ठुर केसे हो सकता है? लेकिन डॉ0 सिन्हा गंगा को पराये देश में अनाश्रित और एकदम अकेला छोड़ गए थे। गंगा का जब इस यथार्थ से सामना होता है तो वह बुरी तरह टूट जाती है परन्तु फिर भी वह हार नहीं मानती और अपने टूट कर बिखरे आत्मविश्वास को एकत्रित कर फिर से खड़ी होती है वह बता देना चाहती है कि भविष्य के जाने में उसका कोई दोष नहीं था। वह अपने परिवार के पास भारत लौटती है सभी उसे प्यार करते हैं पर डॉ0 सिन्हा उसे स्वीकार नहीं करते तभी उसे 'स्तव्य' का आभास होता है– **"यह बच्चा तो उसे चाहिए ही चाहिए-चाहे जैसे भी जीवन निर्वाह करना पड़े।"**[5] जब गंगा अपने अन्दर एक पुष्प के पल्लवित होने का आभास करती है तो वापस अमेरिका लौट आती है। वह स्त्रीत्व पर लगी उस चोट को भरना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है उस पुरूषवादी सोच से जो जीवन की हर समस्या का दोषी स्त्री को समझते हैं। पुत्र प्राप्ति और डॉ0 सिन्हा से अलगाव के बाद गंगा ने अपना सर्वस्व प्राप्त कर लिया ल्यूकीमिया को हरा कर जब स्तव्य गंगा से मिलने आता है तो गंगा का हृदय अपने पुत्र को देखकर पुलक उठता है। गंगा का मातृत्व, उसका त्याग और स्तत्य का स्वस्थ रहना डॉ0 सिन्हा की सोच और विचार को गलत सिद्ध करता है।

सुषमा, राधिका और गंगा के रूप में उषा जी ने जिस यथार्थ को उद्घाटित किया है उसका चरम रूप 'शेत्र यात्रा' की 'अनुका' और 'अन्तर्वशी' की नायिका 'वाना' के चरित्र के रूप में प्रकट हुआ है। शेषयात्रा

की अनुका पूर्ण रूपेण भारतीय संस्कारों में लिपटी भारतीय नारी है, जो अपने पति प्रणव को ही अपना सब कुछ मानती है। प्रणव पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली अनुका जब पति द्वारा तलाक देने की बात सुनती है। तो स्तब्ध रह जाती है। "छोड़ दो मुझे," प्रणव ने दो टूक उत्तर दिया।

"छोड़ दूँ ? केसे!"

"अलग हो जाओ। मुझसे अब तुम्हें कुछ भी सन्तोष नहीं मिलता......"[6]

प्रणव से अलग वह अपने जीवन की कल्पना मात्र से भी काँप उठती है, वह प्रणव को हर प्रकार से खुश रखने का प्रयास करती है किन्तु अन्त में असफ़ल हो जाती है वह सोचती है कि पति से अलग होने से अच्छा है कि उसे मृत्यु ही आ जाए, किन्तु ऐसी विषम परिस्थिति में अनुका की सहेली दिव्या उसे सांत्वना देती है और जीने की नई दिशा दिखाती है। डरी, दबी और घरेलू जीवन जीने की अभ्यस्त अनुका धीरे–धीरे स्वयं को मजबूत करते हुए अपने वजूद को तराशने लगती है। अपनी सहेली दिव्या का साथ पाकर, परदेश में अकेली रहकर वह अपनी पढ़ाई पूरी करती है और एक स़फल डॉक्टर के रूप में स्वयं को स्थापित करती है। प्रणव की कटु स्मृतियों से बाहर निकलकर वह दिव्या के भाई दीपांकर से विवाह कर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। अनुका के व्यक्तित्व का यह बदलाव वर्तमान नारी जाति के लिए एक प्रेरणा बनता है। अनुका के माध्यम से उषा जी यह स्पष्ट करने में पूर्णतः सफल हुई है कि स्त्री किसी भी पुरूष के लिए खिलोना मात्र नहीं है। स्त्री यदि चाहे तो वह स्वयं अपनी अलग पहचान बना सकती है उसके लिए उसे पुरूष की आवश्यकता नहीं है। अनुका जैसी स्त्रियाँ पुरूषों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। शोषयात्रा की अनुका की चरम परिणति अन्तर्वशी की वाना में दिखाई देती है। भारतीय परिवेश में पली वाना और अनुका ऐसी स्त्रियाँ है जिनके लिए उनका पति, परिवार और बच्चे ही सब कुछ हैं, किन्तु पुरूष अपने अहंकार और स्वच्छन्दवादी सोच के कारण उनके समर्पण को अनदेखा करता है। वाना का पति 'शिवेश' भी प्रणव की भाँति पुरूषवादी अंह भाव से युक्त है। वह एक आत्मकेन्द्रित और स्वार्थी व्यक्ति है, वह वको अपनी और अपने बच्चों की देखभाल करने वाली परिचारिका समझता है और उसे मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देना स्वाभाविक बात समझता है परन्तु वाना भी अनुका की भाँति अपने पति के इस मिथ्या अभियान को चूर–चूर कर देती है। "वह स्त्री है, पत्नी है, अब तक बिना शिकायत उनकी जिद, उनके आग्रह के सामने झुकती आई है। पर अब नहीं। उसे शिवेश के बदन की महक से वितृष्णा हो गई है। वह अब उसे नहीं झेल पायेगी।"[7] वाना भारतीय सोच को स्वयं पर हावी नहीं होने देती। शिवेश की बेकाई के कारण वह शिवेश और अपने रिश्तों को जन्म–जन्मान्तर का रिश्ता मानने से इंकार कर देती है। शिवेश के विश्वासघात और मानसिक यातना को वह सिर झुकाकर स्वीकार नहीं करती।

अनुका और वाना के चरित्र में अन्तर केवल इतना है कि जहाँ अनुका पति द्वारा छोड़ी जाती है, वहीं शिवेश की बेकाई देखकर वाना अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना स्वयं स्वीकार नहीं करती। पुरूषों के दोहरे चरित्र की मानसिकता को झेल रहीं स्त्रियाँ उनके झुठे प्रलोभन और छलावे में आकर कभी–कभी अपने जीवन के लिए कठोर निर्णय भी कर डालती है फ़िर वह स्त्री के प्रति सम्मान और मृदु भाव रखने वाले पुरूषों पर भी विश्वास नहीं कर पातीं। पुरूषों की दृष्टि में सदैव हीन समझी जाने वाली नारी पुरूषों के बदलते

व्यवहार पर उनकी सोच व सहसा ही विश्वास नहीं कर पाती– "मैं नॉर्मल नहीं हूँ– यह तुम जान गए हो, मैं आक्रान्त हूँ, रोग के विचार से दारूण रूप से ग्रस्त हूँ।"

"हम इस बिन्दु पर आकर ठहर नहीं सकते यमन। चलो तुम एक साड़ी खरीद लो और आज शाम को ही शत्रुहन हमारा विवाह कर देंगे।"[8] केसर जैसी घातक बीमारी से जूझने के बाद यमन (लिली)अपने अपूण र्ा शरीर से आहत थी और उससे भी कहीं ज्यादा आहत थी वह उस यथार्थ थे जहाँ पुरूषों की दृष्टि में स्त्री को केवल प्रेम की वस्तु समझा जाता है। शेषेन्द्र और अपूर्व जैसे पुरूषों ने उसकी सोच पर मुहर लगा दी थी कि स्त्री शरीर की अपूर्णता पुरूषों की विमुखता का कारण है जैसे वह स्त्री न होकर कोई खेल की वस्तु हों जिनके टूट जाने पर उसे अपने से अलग कर दिया जाता है। मार्कस जैसे अमानवीय सोच वाले व्यक्ति भी स्त्री मन को आतंकित करते हैं। इसका एक और उदाहरण उषा जी के उपन्यास अर्कदीप्त की सौदामिनी है। अतीत की यातनाओं के ज़ख्म नारी मन को इतना छलनी कर देते हैं कि उसका आहत मन उसे भविष्य के प्रति निराशवादी बना देता है। वह खुशियों का दामन थामने से पहले ही सहम जाती है और अपने सुनहरे भविष्य से पलायन कर जाती है– "न जाने क्यों अपने सुख पर, भाग्य पर विश्वास नहीं होता। डरती रहती हूँ कि कहीं कोई आकर स्वप्न भंग न कर दे। तुमसे प्यार करती हूँ अर्को। मगर न जाने क्यों इतनी असुरक्षा, इतनी इनसिक्योरिटी मन में भिंद गई हैं। मेरी जिंदगी अब तक दु:ख भरी रही है जिसे प्यार किया उसी ने ध ोखा दिया"[9] अर्कदीप्त जब पहली बार सौदामिनी से मिलता है तभी उसे सौदामिनी से प्रेम हो जाता है और वह उससे विवाह भी करना चाहता है वह सौदामिनी के समक्ष विवाह प्रस्ताव भी रख देता है। सौदमिनी भी अर्कदीप्त से प्रेम करती है पर विवाह की बात पर विचलित हो जाती है और इस बात को टाल देती है। मगर अर्कदीप्त विवाह की ठान लेता है तब सौदामिनी को अपने अतीत का यथार्थ स्पष्ट हो आता है कि किस प्रकार उसने अपने परिवार का विरोध कर पिनाक भट्टाचार्य से प्रेम विवाह किया था, परन्तु विवाहोपरान्त उसकी एक भूल पर भट्टाचार्य ने उसके साथ कितना अमानवीय व्यवहार कर उसे भाँति–भाँति की यातनाएँ दी। सौदामिनी का अजन्मा शिशु भी इस यातना की बलि चढ़ गया, यह दर्द वह कभी भुला नहीं पाई। प्रेम में धोखा खाने वाली स्त्री सहर्ष ही किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। वह अर्कदीप्त से प्रेम तो करती है पर डरती है कि कहीं फिर से धोखा ना खा जाए अपने डर के कारण वह उस पर विश्वास नहीं कर पाती और उसे छोड़कर बिना बताए ही उसके जीवन से दूर चली जाती है। स्त्री जीवन के कटु यथार्थ को उषा जी ने बड़ी मार्मिकमा के साथ व्यक्त किया है उन्होंने स्त्री के साथ समाज में हो रहे दोगले व्यवहार को उजागर किया है। पुरूष प्रधान समाज में पुरूषों की वर्चश्ववादी सोच स्त्री के लिए सदैव ही घातक रही है। समाज में स्त्री का भी उतना ही महत्व है जितना कि पुरूष का परन्तु फिर भी नारी को हीन ही समझा जाता है। समाज द्व ारा बनाए गए नियम केवल स्त्री पर ही लागू होते हैं। उषा जी ने अपने उपन्यास अल्पविराम में स्त्री–पुरूष समानता वाले खोखले यथार्थ को उद्घाटित किया है– "हमारे परिवार में एक और परिपाटी थी–वह यह थी कि घर की लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देना पर लड़को पर यह लागू नहीं होता।"[10] कहने को तो समाज में स्त्री और पुरूष को समान स्थान प्राप्त है पर व्यवहार में ऐसा नहीं है। नए–नए नियम बनाकर स्त्री पर अंकुश लगा दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार सभी के लिए समान है पर नायिका शिंजनी के पिता ने अपने परिवार की पुरानी परम्परानुसार बेटे की पढ़ाई को जारी रखा और बेटी का छोटी उम्र में ही विवाह कर

दिया। जिसका दंश शिंजनी ने छोटी उम्र में ही झेला। सामाजिक मर्यादाओं और परिवार की रीति–रिवाजों के नाम पर नारी को हमेशा छला गया है। समाज की इस दबी–कुचली रिवाज़ ने महिलाओं के पैरो मे बेड़ियों का काम किया है, परन्तु संघर्षशील स्त्री इन बेड़ियों को तोड़ने में स्फल ही नहीं हुई बल्कि शिंजनी की तरह अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले भी स्वयं लेने में समक्ष हुई है।

उषा जी ने अपनी नारी पात्रों को परिस्थितियों के सामने निस्सहाय या विवश नहीं होने दिया अपितु उनकी नारी पात्र मानसिक अन्तर्द्वन्द्व को झेलने के पश्चात् सामाजिक रूढ़ियों और बंधनों को तोड़कर पुरूषवादी सोच पर कुठाराघात करते हुए, आधुनिक सोच के साथ अपने अस्तित्व को खड़ा करने में सफल हुई है।

निष्कर्ष

उषा जी का साहित्य विशेषतः नारी जीवन के दाम्पत्य सम्बंधों के कटु यथार्थ का विशेष रूप से उल्लेख करता है। नारी परिवार और समाज के विकास की धुरी है किन्तु बदलते समय में आज भी वह सामंती पुरूषवादी मानसिकता का शिकार है। भारतीय परिवेश में पली–बढ़ी उषा जी ने भारतीय नारी जीवन के कटु यथार्थ बड़ी गहराई से देखा और समझा है, नारी की दारूण स्थिति से वे भली–भाँति परिचित हैं अतः उसके जीवन की वेदना, तड़प, घुटन, पीड़ा, दर्द और मानसिक छटपटहाट को बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ अपने उपन्यासों के माध्यम से उद्घाटित करने में स्फल हो सकी है। बदलते सामाजिक परिवेश में लेखिका ने भारतीय नारी की बदलती हुई मान्यताओं, विश्वासों और परिस्थितियों को चित्रित किया है। उषा जी के नारी पात्र परिस्थितियों के आगे झुकते नहीं अपितु उनसे संघर्ष करते हुए समाज में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित करते हैं। तथा भारतीय रूढ़िवादी परम्पराओं में जकड़कर स्वयं को असहाय नहीं बनाते, बल्कि जीवन के कटु सत्य को स्वीकार करते हुए अपने स्वतन्त्र अस्तित्व के नवनिर्माणकर्ता के रूप में उभरते हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि नारी जीवन यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में उषा जी के उपन्यास वर्तमान जीवन का सारगर्भित अंश है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ0 एन0के0 जोसेफ, हिन्दी उपन्यासों में व्यक्तिवादी चेतना, पृ0सं0–160
2. नयना, समकालीन उपन्यास, पृ0सं0–206
3. उषा प्रियंवदा, पचपन खंभे लाल दीवारें, पृ0सं0–135
4. उषा प्रियंवदा, रूकोगी नहीं राधिका, पृ0सं0–49
5. उषा प्रियंवदा, नदी, पृ0सं0–85
6. उषा प्रियंवदा, शेषयात्रा, पृ0सं0–56
7. उषा प्रियंवदा, अन्तर्वंशी, पृ0सं0–101–102

8. उषा प्रियंवदा, भया कबीर उदास, पृ0सं0–175
9. उषा प्रियंवदा, अर्कदीप्त, पृ0सं0–113
10. उषा प्रियंवदा, अल्पविराम, पृ0सं0–22

Vol. XXI Issue No. I, Jan.–April. 2024, ISSN: 0970-1745 **Impact Factor 5.875**

भारत में महिला सशक्तिकरण एवं संवैधानिक प्रावधान

प्रो. सुधा राजपूत
प्रोफेसर- शिक्षक- शिक्षा विभाग
श्री वार्ष्णेय महाविधयालय, अलीगढ़

सारांश

यह शोध पत्र भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का विश्लेषण करने का प्रयास करता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से विकास के समान अवसर प्रदान करने एवं उन्हें विकास के मार्गो में प्रशस्त करने के लिये भारतीय संविधान के अंतर्गत सरकार ने कई ऐसे प्रावधानों का समावेश किया है जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है व उनका सर्वांगीण विकास संभव हो पाया है जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक ओर सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर सामाजिक कुप्रथाएं जैसे बाल- विवाह,बेमेल विवाह, पर्दाप्रथा आज के उन्मूलन कार्य भी बहुत तीव्रता से बढ़ेए नीतिनिर्धारण करने वालों का मुख्य उद्देश्य लिंग समानता के सिद्धांत का पालन करना व महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना था लेकिन देश की अधिकांश महिलाओं को सही मायनों में उनके मौलिक अधिकारों अथवा संवैधानिक अधिकारों की जानकारी न के बराबर है यह अध्ययन विशुद्ध रूप से द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है इस अध्ययन द्वारा महिलाओं को उनके संवैधानिक प्रावधान व अधिनियम की जानकारी द्वारा उनकी सशक्तिकरण की तरफ एक सार्थक प्रयास है।

शब्द कुंजी- महिला सशक्तिकरण, असमानता, स्वतंत्रता, अधिनियम, संविधान, भारतीय कानून।

परिचय

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य स्त्री को शक्ति प्रदान करने से है परन्तु यहाँ शक्ति का अभिप्राय दूसरे पर आधिपत्य स्थापित करना नहीं है बल्कि स्त्रियों में जीवन का सामना करने के लिए आंतरिक सुदृढ़ता एवं विश्वास की भावना के विकास से है महिला सशक्तिकरण महिलाओं के अधिकारों एवं योग्यताओं का विस्तार है, जिससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकें, विभिन्न संस्थानों में अपना स्थान बना सकें जो उनके जीवन को प्रभावित करती है।

यह महिलाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने विकल्प एवं निर्णय लेने व संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंचाने में सक्षम बनाने से संबंधित हैं इसका उद्देश्य एक ऐसी दुनिया बनाना है जहाँ महिलाओं के पास लिंग के आधार पर भेदभाव या सीमाओं के बिना अपना जीवन जीने की शक्ति और स्वतंत्रता हो अर्थात जहाँ महिलाएँ समाज तथा अर्थव्यवस्था में पुरुषों के साथ समान स्तर पर भाग ले सकती है, और जहाँ उनकी

आवाज सुनी जाती है और उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता, अधिकार, स्वतंत्रता सम्मान आदि अनेक क्षेत्रों में वृद्धि की जाती है ताकि उनका बहुमुखी विकास संभव हो सके महिला सशक्तिकरण शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहित कई रूप ले सकता है। इस प्रकार सार रूप में महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है जिससे उन्हें रोजगार शिक्षा आर्थिक उन्नति के समान अवसर मिल सके ताकि वह सामाजिक स्वतंत्रता व तरक्की प्राप्त कर सकें यह वह तरीका है, जिसके द्वारा महिलाएँ भी पुरुषों के समान अपनी सभी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है।

महिलाओं के लिए बने भारतीय संवैधानिक प्रावधान

यह विशेष रूप से लिंग समानता को सुरक्षित करने का प्रावधान प्रदान करता है। संविधान के विभिन्न लेख सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकारों की रक्षा करते है। महिलाओं के मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्दशक तत्व और अन्य संवैधानिक। प्रावधान कई तरह विशेष सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून समानता

अनुच्छेद- 15(3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आज के आधार पर भेदभाव न करना।

अनुच्छेद- 16(1) में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अफसर की समानता।

अनुच्छेद- 19(1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद- 21 में स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना।

अनुच्छेद- 23-24 में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है।

अनुच्छेद- 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता दोनों को समान रूप से प्राप्त है।

अनुच्छेद-29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का आधार अधिकार।

अनुच्छेद- 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

अनुच्छेद- 39(घ) पुरुषों एवं स्त्रियाँ दोनों को समान कार्यों के लिए समान वेतन का अधिकार।

अनुच्छेद- 42 में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता की व्यवस्था।

अनुच्छेद- 51(क) भारत में सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें व स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।

अनुच्छेद- 243 (घ)(3) में प्रस्तावित 73 में संविधान संशोधन के जरिए ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था।

अनुच्छेद-243 (न)(3) में प्रस्तावित 74 में संविधान संशोधन के जरिए नगर पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह संवैधानिक प्रावधान महिलाओं के लिए बहुत सशक्त है और राज्य का नीतिगत फैसला लेने के साथ साथ कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना कर्तव्य है।

भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के लिए कानून-महिलाओं के प्रति बढते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण हेतु राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किये गये हैं। ताकि महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हो सके तथा सामाजिक भेदभाव से उनकी सुरक्षा हो सके। भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावध ान के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरूद व्यवस्था की गई हैं ।

दहेज से जुड़ी कानूनी प्रावधान- इसके अंतर्गत धारा 304(ब), 306 एवं 498 (ए)

यौन अपराध एवं बलात्कार संबंधित कानून

देश में बलात्कार के लगभग 80: मामलों में सबूतो के अभाव धीमी पुलिस जांच में अभियुक्ता को सजा नहीं मिल पाती। लेकिन नए कानून के अनुसार बलात्कार के मामलों में चिकित्सा सबूत अपर्याप्त होने के बाद भी महिला का बयान ही काफी समझा जाना चाहिए। अधिकतर औरतें ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने से भी डरती है, क्योंकि इससे उनका और उनके परिवार का सम्मान जुड़ा होता है।

बलात्कार की शिकार महिला को महिला वकील देने का प्रावधान किया जा रहा है। महिला ही एक महिला को सही तरह समझ सकती है। अगर कोई पीड़ित महिला चाहे तो अपनी पसंद का वकील चुन सकती है।

धारा 375: आईपीसी की धारा 375 के तहत जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद सम्भोग करता है, तो उसे बलात्कार कहते है। बलात्कार तब माना जाता है यदि कोई पुरुष स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना डरा धमका कर ली गई हो, उसकी सहमति नकली पति बनाकर ली गई हो जबकि वह उसका पति नहीं हो, उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो, उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश मे नहीं हो।

यदि वे 16 वर्ष से कम उम्र की है चाहे उसकी सहमति से हो या बिना सहमति के, 15 से कम वर्ष की उम्र की पत्नी के साथ।

धारा 376: भारतीय दंड संहिता या आई.पी.सी. मे बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत बलात्कार के आरोपियों को कम से कम सात वर्ष का कारावास या फिर आजीवन के लिए यानी 10 वर्ष की अवधि का हो सकता है किंतु वह स्त्री जिसके साथ बलात्कार हुआ हो, वह अपराधी की पत्नीं और

12 वर्ष से कम आयु की नही हें तो वह दोनों ही में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है।

धारा–376(ए) पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशीलता की दशा कारित करने के लिए दण्ड।

धारा–376(बी) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथून।

धारा –376(सी) प्रधिाकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथून।

धारा–376(डी) सामूहिक बलात्संग।

धारा– 376(ई) पुनरावृत्तिकरता अपराधियों के लिए दंड।

अन्य यौन अपराधों से संबंधित कानून

धारा 354: आईपीसी में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिये उस पर हमला या जबरदस्ती करता है तो उसे दो वर्ष तक की केद या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।

धारा –354(ए) लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड।

धारा –354(बी) विवसत्र करने के आशय से स्त्री पर हमला आपराधिक बल का प्रयोग।

धारा– 354(सी) से दृश्यरिकता।

धारा– 354(डी) पीछा करना।

छेड़खानी पर कानून

धारा 509 ,294: आईपीसी के अनुसार कोई भी शब्द, इशारा या मुद्रा जिसे महिला की मर्यादा का अपमान हो। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की मर्यादा का अपमान की नीयत से किसी शब्द का उच्चारण करता है या कोई ध्वनि निकालता है या कोई इशारा करता है या किसी वस्तु का प्रदर्शन करता है। तो उसे 1 साल की केद या जुर्माना या दोनों की सजा होगी।

महिला सशक्तिकरण और प्रमुख अधिनियम

हमारे देश में सदियों से चली आ रही कुरितियो एवं कुप्रथाओं से देश को मुक्त कराने हेतु बहुत से अधिनियम पारित किए गए हैं इसके साथ ही महिलाओं को सुरक्षा एवं अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियम पारित किए गए हैं। भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए पारित किये गए विभिन्न

अधिनियम निम्न हैं :-

अनैतिक व्यवहार अधिनियम 1956: महिलाओं से अनैतिक कार्य तथा बलपूर्वक देह व्यापार करना। इस अधिनियम के अनुच्छेद 3, 4, 5, 6, 10(क) अंतर्गत महिलाओं को विशेष संरक्षण दिया गया है अधिनियम द्वारा वेश्यागृह चलाने के लिए उत्प्रेरित करना अथवा वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961: दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के द्वारा दहेज लेने या देने या दुषप्रेरण को दंडनीय बनाया गया है 1996 में इस संबंध में संशोधित अधिनियम पारित किया गया। प्रसूति, सुविधा अधिनियम 1961: कामकाजी महिलाओं को प्रसूति की सुविधा देने के लिए पारित इस अधिनियम द्व ारा कामकाजी महिलाओं को संस्थान के द्वारा अवकाश तथा जरुरी चिकित्सा सुविधा दिलाने की व्यवस्था की गयी है। आजकल पुरुषों को भी विशेष अवकाश देने का प्रावधान किया गया है।

स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986: इस अधिनियम के द्वारा स्त्रियों को अशिष्ट रूपण वाले विज्ञापन को प्रकाशित करने एवं प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दृष्टि से अधिनियम की धारा 3, 4, 5 आदि महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम से महिला अपराध तलाशी जेल संबंधी कई महत्वपूर्ण प्रावध ान किए गए हैं।

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976: कामगार महिलाओं का समाज में आर्थिक समानता के आधार पर लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में लाया गया। इस अधिनियम में पारिश्रमिक में किसी प्रकार का भेदभाव अपराध माना गया है।

प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 : विकास तकनीकी के दुरुपयोग को रोकने की इस अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई है। गर्भावस्था में भ्रूण की पहचान नर या मादा के रूप में करना इस अधि नियम द्वारा दंडनीय माना गया है।

अन्य अधिनियमः

कुछ अन्य अधिनियम द्वारा भी महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास किया गया है। विवाह कानून अधि नियम 1976 में विशेष विवाह अधिनियम 1954 तथा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में तात्कालिकता अनुरूप संशोधन करके कन्या को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह बालिग होने से पूर्व किए गए विवाह को अमान्य करार दे सकती है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 द्वारा महिला को अधिकार दिया है कि वह अपना धर्म बदले बिना किसी भी धर्म के व्यक्ति से विवाह कर सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा महिलाओं को पैत्रिक संपत्ति में अधिकार कर दिया गया है। यह अधिकार कानूनी कार्रवाई के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है नए कानून में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के मामलों की रोकथाम में काफी प्रभावी माना जा सकता है। बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013 भी महिलाओं को सशक्त करने में अहम कानून है।

इसके साथ साथ महिलाओं की दशा सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा अन्य सराहनीय प्रयास भी किए गए हैं जिनमें भारत सरकार द्वारा 1985 में महिला एवं बाल विभाग की स्थापना तथा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना प्रमुख रूप से है। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष भी घोषित किया गया है। इसी के साथ भारत सरकार द्वारा महिलाओं के हित एवं विकास के लिये समय समय पर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता रहा है।

निष्कर्ष

इस प्रकार विभिन्न कानूनी व्यवस्थाओ का एकमात्र लक्ष्य महिला कल्याण एवं महिला विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अनेक अधिनियमों व संशोधनों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुध ार लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी सफलता इस बात से ज्ञात होती है कि अब शहरों में जहाँ एक ओर महिला संगठन दबाव समूह के रूप में उभरकर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामों की पंचायतों में भी महिला सहभागिता में वृद्धि हुई है। सरकार ने न केवल नारी सशक्तिकरण के लिए इन अधिनियमों को पारित किया वरन कई योजनाओं व महिला विकास कार्यक्रमों का भी आयोजन किया हैं। अनेक कल्याणकारी योजनाओं में भी सरकार अपना हाथ बंटा रही है ताकि महिलाओं की स्थिति में भी सुधार लाया जा सके। पिछले दशकों में महिलाओं का उत्पीड़न रोकने और उन्हें उनेक अधिकार दिलाने के विषय में बड़ी संख्या में कानून पारित हुए हैं परंतु इतने कानूनों का सचमुच पालन होता हो तो भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार अब तक समाप्त हो गया होता लेकिन पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते यह संभव नहीं हो सका है। आज परिस्थिति इस प्रकार की है, किसी भी कानून का पूरी तरह से पालन होने के स्थान पर कई नियमों का थोड़ा सा पालन हो रहा है। इसलिए आज भी भारत में महिलाएँ सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमें महिलाओं की समस्याओं के बारे में समाज के पुरुष वर्ग को शिक्षित और संवेदित करना है और उनके बीच एकजुटता और समानता की भावना पैदा करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने भेदभावपूर्ण व्यवहारों को कमजोर वर्ग की ओर रोक दे भारत शक्तिशाली राष्ट्र तभी बन सकता है जब यह वास्तव में अपने देश की महिलाओं को शक्ति देता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. पांडे: मधु महिलाएँ एवं अपराध: सेंट्रल लॉ एजेंसी (2012)
2. डॉ. पांडेय जय नारायण: भारत का संविधान: सेंट्रल लॉ एजेंसी (2015)
3. देवी उमा: वूमेंस इक्वलिटी इन इंडिया ए मित् और रियलिटी डिस्कवरी, पब्लिशिंग (2000)
4. सैयद, जे.: रीकंस्ट्रक्टिव जेंडर इम्पॉवरमेंट वुमेन स्टडीज इंटरनेशनल फोरम 33, 283–294।
5. प्रोफेसर मिश्र, सूर्यनारायण, : भारतीय दंड संहिता, सेंट्रल लॉ एजेंसी (2013)
6. आशा कौशिक, संपादित नारी शक्तिकरण विचार– विमर्श, पृष्ठ 267

7. लोकतंत्र समीक्षा, जनवरी दिसंबर 2006, खंड 38 अंक– 4 नई दिल्ली।
8. अंसारी एम.ए. महिला और मानवाधिकार ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2003
9. डॉ. रमेशी मीणा (2022) भारत में महिला सशक्तिकरण और कानून: जनरल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वॉल्यूम –12, पे

विदेसिया में अभिव्यक्त लोकजीवन

डॉ. राकेश कुमार रंजन
सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जब सांप्रदायिकता, धार्मिक आडंबर, शोषण भरे कर्मकाण्ड तथा जातीय विद्वेष के खिलाफ नवजागरण आया था। तब साहित्यिक आंदोलन का क्रांतिकारी नेतृत्व भोजपुरी भाशी क्षेत्र में कबीर ने किया था और वह धारा अनवरत चलती रही। इसके बाद राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि के नेतृत्व में धार्मिक कट्टरता, कर्मकाण्ड, वर्ण–व्यवस्था, अशिक्षा, पिछड़ापन, नारी–उत्पीड़न आदि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र की विसंगतियों एवं रूढ़ियों के विरुद्ध पुनर्जागरण का दौर आरंभ हुआ।

इस दौर ने भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता को जगाने के साथ–साथ सामाजिक मुद्दों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया। बाल–विवाह का विरोध, विधवा–विवाह को प्रोत्साहन, स्त्रियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध वातावरण का निर्माण आदि मुद्दे थे। इन सब मुद्दों से भोजपुरी समाज भी अछूता नहीं था तथा धीरे–धीरे भोजपुरी साहित्य पर भी इन सबका प्रभाव पड़ा। नवजागरण की शुरूआत बंगाल से हुआ था। भिखारी ठाकुर की कर्मस्थली बंगाल रही थी। इसलिए भिखारी ठाकुर पर भी इन सब आंदोलनों का सीधा प्रभाव दृश्टिगोचर होता है। भिखारी ठाकुर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया है।

लोककवि एवं नाटककार भिखारी ठाकुर भोजपुरी समाज, साहित्य और संस्कृति के संवाहक थे। भिखारी ठाककु के नाटक विदेसिया में सुन्दरी कहती है कि–

> "पिया मोर गइलन परदेस, ऐ बटोही भइया।
> रात नहीं नीन दिन तनी न चएनवा।।"[1]

रात–दिन व्याकुल रहनेवाली यह अनुभूति कबीर की विरहिणी आत्मा और जायसी की नागमती का स्मरण दिलाती है। प्राचीन काल से आती हुई लोक परंपरा और लोक आस्था का प्रतिनिधित्व भिखारी ठाकुर करते हुए दिखलाई पड़ते हैं।

भिखारी ठाकुर का जन्म 19वीं सदी के अन्तिम दौर में हुआ था। उस समय हमारा देश संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत की कृशि पर आधारित अर्थव्यवस्था अपनी अन्तिम साँसें गिन रही थी साथ ही साथ गृह एवं कुटीर उद्योग अंग्रेजों की पूँजीवादी व्यवस्था के चलते नष्ट–भ्रष्ट हो रहे थे। जनता के लिए रोजी–रोटी का मिलना दूभर हो गया था। अंग्रेजों की व्यापारिक नीति के कारण भारत का सारा कच्चा माल विदेश जाने लगा था और यहाँ के जनता की स्थिति बद् से बद्तर होती चली गयी थी। जनता अंग्रेजों की नीतियों का शिकार तो थी ही जमींदारों, महाजनों व प्रशासकीय अधिकारियों के शोषण ने

उनकी कमर तोड़ दी। ग्रामीण जनमानस की स्थिति और बुरी थी। वे पूर्णतः कृषि पर आधारित थे और कृषि अंग्रेजों की व्यापारिक व्यवस्था का शिकार हो चुकी थी। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले जमींदार, पूँजीपति आदि कृषि के बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे। बचे-खुचे हिस्से पर प्रकृति का प्रकोप अनवरत जारी था। कभी सूखा तो कभी बाढ़ की मार झेलते किसान की दशा लगातार बिगड़ती जा रही थी। संसाधनों की कमी के चलते किसान समय के हाथों की कठपुतली बनता जा रहा था। ऐसी स्थिति में किसान से मजदूर बनने के सिवाय उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था।

प्रेमचंद भी भिखारी ठाकुर के समय में ही गोदान जैसा उपन्यास लिख रहे थे, जिससे होरी को किसान से मजदूर होते हुए देखा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि रचनाकार अपने समय के समाज को ही रचता है। प्रेमचंद और भिखारी ठाकुर दोनों ने लोक को नजदीक से देखा था वही दोनों की रचनाओं में देखने को मिलता है।

जिस तरह से भिखारी ठाकुर के यहाँ विदेसिया नाटक में विदेशी अपने आजीविका के लिए बाहर जाता है उसी प्रकार प्रेमचंद के यहाँ गोबर भी जाता है, दोनों रचनाकारों ने प्रेम के औदात्य स्वरूप को दिखाने का काम किया है। भिखारी ठाकुर ने पहली पत्नी के होते हुए भी 'रखेलिन' जैसी स्त्री को 'प्यारी सुन्दरी' के साथ रहने की बात स्वीकार कराते हैं उसी प्रकार का प्रेम गोबर और झुनिया का भी गोदान में दिखता है।

अन्ततः जीविका की तलाश में पुरुष असहाय बूढ़े माँ-बाप, नवयौवन पत्नी, रिश्ते-नाते, गाँव-जवार आदि सभी का मोह त्यागकर हृदय में नये सपने लिए व परिवार वालों से तरह-तरह के वादे कर औद्योगिक नगरों जैसे-कलकत्ता, खड्गपुर, असम आदि तक चले गये। उस समय संदेशों के आदान-प्रदान की उचित सुविधा न रहने के कारण उनका, परिवार से दूरी की टीस दोनों ही पक्षों को खलती थी।

पलायन की इस त्रासदी को भिखारी ठाकुर ने भी झेला था। रोजी-रोटी की तलाश़ में उन्होंने भी खड्गपुर की शरण ली थी। इस पलायन से जो त्रस और संत्रास की उत्पति हुई और उससे जो भावात्मक उच्छवास पैदा हुआ उसका सांस्कृतिक रूपान्तरण ही बाद में 'विदेशिया' संस्कृति के रूप में सबके सामने आया।

'विदेसिया' भिखारी ठाकुर की सर्वोळाम कृति है। इसकी रचना सन् 1917 में हुई। इसमें लोकजीवन का सूक्ष्म अंकन मिलता है। भिखारी ठाकुर जाति के हजाम थे जिस कारण उनका सभी जातियों में आना-जाना था। तीज-त्यौहारों, धार्मिक पारिवारिक उत्सवों यहाँ तक कि किसी के मरने पर भी इस जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः भिखारी ठाकुर की पारखी नजरों ने सब कुछ बड़े नजदीक से देखा था। पारिवारिक पेशे की वजह से उनकी पहुँच चौकी से चौका तक थी। वे केवल पुरुषों के ही नहीं महिलाओं के भी सुख-दुःख के साझीदार थे। अतः उन्होंने बड़े सूक्ष्मता से सबकुछ देखा और अनुभव किया था। उनका यही अनुभव उनके नाटक 'विदेसिया' में उभरकर सामने आया। 'विदेसिया' के माध्यम से उन्होंने पति-पत्नी के सम्बन्ध के साथ ही अन्य सम्बन्धों को भी उजागर किया है।

इस नाटक में गाँव का एक युवक 'विदेसी' गौना कराकर पत्नी 'प्यारी सुन्दरी' को घर लाता है और अगले ही दिन पत्नी को बिना बताये अर्थोपार्जन के लिए परदेश (कलकत्ता) चला जाता है। वहाँ वहॣाहर की एक

वेश्या (रखेलिन) के मोह में फँस जाता है। यहाँ गाँव के घर में व्याहता पत्नी वियोग में रो-रोकर मर रही है-

"मदन सतावत बाटे, छतिया फाटत बाटे,
अनवा जहर लेखा लागत ब बलमुआँ।
जनितीं त ध के हाथ, छोड़ितीं न तनी साथ,
दिन-रात संगही में रहितीं बलमुआँ।
ताकत बानी चारू ओर, पिया आ के कर सोर,
मोरा लेखा दुखिया के मुखिया ना जग केहू,
भुखिया बा तोहरे दरस के बलमुआँ।"[2]

इधर प्यारी सुन्दरी के लिए अकेले में अपनी अस्मिता की रक्षा करना भी मुश्किल हो गया है। तभी उसकी भेंट कलकत्ता जा रहे एक बटोही से हो जाती है। वह बटोही से अपनी विरह व्यथा सुनाती है और उससे अपने पति को ढूँढ़कर घर भेजने की विनती करती है। बटोही उसकी विरह गाथा सुनकर द्रवित हो जाता है, उससे उसके पति का हुलिया पूछता है। वह पति का हुलिया बताते हुए कहती है-

"करिया ना गोर बाटे, लामा नहीं हउवन नाटे,
मझिला जवान साम सुन्दर बटोहिया।
घुठी प ले धोती कोर, नकिया सुगा के ठोर,
सिर पर टोपी, छाती चाकर बटोहिया।
पिया के सकल के तूँ मन में नकल लिख*,
हुलिया के पुलिया बनाई लऽ बटोहिया।"[3]

बटोही 'प्यारी सुन्दरी' के पति को ढूँढ़ निकालता है। साथ-ही-साथ उसे समझा-बुझाकर व 'प्यारी सुन्दरी' की विरह दशा से अवगत कराकर उसे वापस आने के लिए तैयार कर लेता है पर विदेसी की दूसरी पत्नी 'रखेलिन' प्यारी सुन्दरी की तरह रोने-धोने और छुटने को तैयार नहीं। वह अधिकारपूर्वक विदेसी के घर आ धमकती है और सौतें आपस में बहनों की तरह रहने लगती हैं।

'विदेसिया' के माध्यम से भिखारी ठाकुर ने समाज में खासतौर से ग्रामीण समाज में घटित होन वाले पलायन की समस्या को खोलकर सबके समक्ष रख दिया है। यह बिछड़ने का दु:ख केवल एक घर या एक व्यक्ति का नहीं है। इस बिछड़न के दु:ख को हर घर झेल रहा है। यहाँ पूरे भोजपुरिया समाज का दु:ख है। विदेसी कोई एक व्यक्ति विशेष न होकर वर्ग विशेष है। आज हर घर से एक व्यक्ति अर्थोपार्जन के लिए नगरों की ओर पलायन कर रहा है। हर घर में एक विदेसी विराजमान है। यह विदेसी ऐसे वर्ग विशेष का प्रतीक है। इसी प्रकार प्यारी सुन्दरी उन सभी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके पति धन कमाने के लिए बाहर चले गये हैं। यह कथा केवल पलायन की ही नहीं संघर्ष की भी कथा है। जीवन के लिए संघर्ष, परिवार के लिए संघर्ष, समाज के लिए संघर्ष, भविष्य के लिए संघर्ष, कदम-कदम पर संघर्षो का सामना करना है। भिखारी ठाकुर ने विदेसी, प्यारी सुन्दरी, बटोही व रखेलिन को प्रतीक बनाकर भोजपुरी समाज की संघर्ष कथा को उजागर किया है। 'विदेसिया' नाम से ही नाटक के कथानक का अंदाजा लग जाता है। इस नाटक के माध्यम

से विदेसिया शैली का प्रवर्तन हुआ। हिन्दी पत्रिका 'समयान्तर' में देवेन्द्र चौबे ने लिखा है– "इस नाटक में भिखारी ठाकुर अपनी भाव भंगिमाओं और सामाजिक संघर्षो के माध्यम से 'विदेसिया' कला शैली का प्रवर्तन करते हैं। 'विदेसिया' शब्द की व्युत्पत्ति में जाये तो पता चलता है कि यह 'विदेस' में 'इया' प्रत्यय लगाने से बना है। 'विदेस' का अर्थ है अपने देश के अतिरिक्त अन्य देश अर्थात् परदेश और 'विदेसी' का अर्थ है–वह व्यक्ति जो अब परदेश में रहता है अथवा अपना मूल स्थान (जन्मस्थान) छोड़कर अन्यत्र गमन कर चुका है।

भिखारी ठाकुर ने गाँव समाज में प्रचलित रूढ़ियों को भी उजागर किया है। भोजपुरी क्षेत्रों में कई कथाएँ प्रचलित है। लोगों का ऐसा मानना है कि बंगाल व आसाम की औरतें जादू-टोना जानती है। इस टोना के माध्यम से वे पुरुषों को भेड़ा बनाकर अपने पास रख लेती है और अपनी इच्छानुसार उससे कार्य करवाती है। प्यारी सुन्दरी को भी इस बात का डर है तभी तो वह अपने पति से कहती है–

"पिया मोर मति जा हो पुरुबवा।
पुरुब देश में टोना बेसी बा, पानी बहुत कमजोर।"[4]

पुरुशों को पूरब की स्त्रियों द्वारा भेड़ा बनाकर अपने वश में कर लेना मानसिक गुलामी का प्रतीक है। यह टोना सिर्फ जादुई शक्तियाँ ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार लिये हुए हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं किसी विशेष उद्देश्य से निवास करता है तो वह केवल अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए संघर्ष ही नहीं करता अपितु एक नयी संस्कृति का सामना भी करता है। उसकी अपनी संस्कृति जगह-जगह एक ऐसी संस्कृति से टकराती है जिसकी जड़ें काफी गहरी और मजबूत होती है, फलस्वरूप संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देवेन्द्र चौबे अपने एक लेख में लिखते हैं– "कई बार यह संघर्ष कड़ा होता है। वहाँ व्यक्ति नहीं बल्कि दो समाज की संस्कृति का संघर्ष होता है। उत्प्रवास का संघर्ष इसी प्रकार का एक बड़ा संघर्ष है जिसमें दो सभ्यताएँ अथवा संस्कृतियाँ ऐतिहासिक संघर्ष का रूप लेती है। 'मानव का स्थान परिवर्तन और हाशिये आदमी' (1928) में रॉबर्ट ई. पार्क ने लिखा है कि स्थान परिवर्तन और घटनात्मक संघर्ष लोगों तथा उनकी संस्कृतियों के संयोग से उत्पन्न होती है अर्थात् परदेश गमन का कारण केवल आर्थिक नहीं बल्कि संस्कृतियों के संयोग से उत्पन्न संघर्ष भी है। सुन्दरी विदेसी को परदेश जाने से इसलिए रोकती है कि वहाँ जाकर उसका पति एक दूसरी सभ्यता और संस्कृति का गुलाम हो जायेगा।"[5]

कभी-कभी तो यह संघर्ष सामान्य होता है परन्तु कई बार यह विराट रूप धारण कर लेता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में दो संस्कृतियाँ सामंजस्य की प्रक्रिया में कुछ नये तत्व विकसित कर नया व्यवस्थित जीवन पद्धति विकसित कर लेती है। भिखारी ठाकुर ने भी प्यारी सुन्दरी व रखेलिन के माध्यम से दो अलग-अलग संस्कृतियों का मेल कराकर एक नये ही समाज की रचना की है जिसमें प्यारी सुन्दरी सौत होते हुए भी रखेलिन को अपनी बहन का दर्जा देती है और उसे अपने साथ रखकर एक नया संसार रचती है। इस नाटक के माध्यम से वेश्यावृत्ति की समस्या को भी उजागर किया गया है। इसमें नारी के वेश्या रूप को दिखा कर वेश्यावृत्ति का समूल नाश करने व वेश्याओं को भी समाज में स्थान दिलाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है।

पति का विछोह कितना दुखदायी होता है इसका वर्णन भिखारी ठाकुर ने बारहमासा के माध्यम से किया है। विरहिणी के लिए प्रत्येक मास दुःखदायी होता है। वह हर मास में पति के वापस आने की उम्मीद करती है

परन्तु पति नहीं आता है। प्यारी सुन्दरी इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रही है। वह विरह में व्याकुल होकर कहती है–

"आवेला आसाढ़ मास, लगेला अधिक आस,
बरखा में पिया घरे रहितन बटोहिया।
पिया अइतन बुनिया में राखि लिहतन दुनिया में,
अखरेला अधिका सवनवाँ बटोहिया।
आई जब मास भादों, सभे खेली दही–कादो,
कृस्न के जनम बीती असहीं बटोहिया।
आसिन महिनवाँ के, कड़ा घाम दिनवा के,
लूकवा समनवाँ बुझाला हो बटोहिया।
चढ़ी बइसाख जब लगन पहुँची तब,
जेठबा हमें हेठवा बटोहिया।
× × × × ×× × ×
मंगल करी कलोल, घरे–घरे बाजी ढ़ोल,
कहत भिखारी खोजऽ पिया के बटोहिया।"[6]

भिखारी ठाकुर के बारहमासा वर्णन पर अपनी टिप्पणी देते हुए डॉ. जगलाल प्रसाद सिंह विद्यार्थी लिखते हैं कि– "विरह के वर्णन के लिए कवियों ने बारहमासा और षट्ऋतु वर्णन उपस्थित किया है। भिखारी ठाकुर ने भी उक्त परंपरा का पालन किया है। मीरा के बारहमासा, कालिदास के मेघदूत और तुलसीदास के विप्रलम्भ श्रृंगार से लोककवि भिखारी ठाकुर की तुलना करने पर हम पाते है कि अन्य की अपेक्षा भिखारी ठाकुर संदेश–प्रेषण के लिए पशु–पक्षी का नहीं बल्कि मानव का ही सहारा लेते हैं।"[7]

गलतियाँ इंसानों से होती ही रहती है परन्तु यदि कोई सुबह का भूला शाम को वापस आ जाये तो उसे भूला नहीं कहते हैं, और जब वह अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो वह क्षम्य हो जाती है। भिखारी ठाकुर ने विदेसिया में इस तथ्य की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित किया है। विदेसी, जो कि अपनी नवयौवना पत्नी को छोड़कर शहर में रखेलिन से दूसरा विवाह कर चुका है, बटोही के समझाने पर अपनी गलती स्वीकर कर लेता है। विदेसी की यह मानवीय भूल मानी जायेगी क्योंकि शहर में विदेसी जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था उन परिस्थितियों में विदेसी का दूसरा विवाह कर लेना बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जायेगा। इतने लम्बे प्रवासकाल के एकाकीपन से बचने के लिए ही उसने दूसरा विवाह किया। पति के विदेशगमन से स्त्री के भीतर कुछ टूटता है तो कहीं न कहीं पुरुष भी इस टूटन का शिकार होता है। घर–परिवार से दूर कई प्रकार की समस्याओं से गुजरते हुए रोजगार की तलाश में भटकता पुरुष मानसिक रूप से खुद को असहाय महसूस करता है। नयी भाषा ही नहीं नयी संस्कृति से संघर्ष करता हुआ अकेलेपन के संत्रस को भी झेलने के लिए ही वह पर–स्त्री का सहारा लेता है। विदेसी के सामने भी ऐसी ही परिस्थितियाँ थी। नयी भाषा से लेकर नयी संस्कृति के संघर्श को झेलता हुआ अन्ततः वह परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेता है।

बेरोजगारी समाज के लिए अभिशाप है। इसके चलते कितने घर या तो भूखों मरने के लिए अभिशप्त है या बेरोजगारी की मार झेल रहा पुरुष अर्थोपार्जन हेतु विदेशगमन के लिए विवश है। वह स्वयं तो चला जाता है पर अपने पीछे अपनी पत्नी को विरह की आग में जलने व अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझने के लिए अकेला छोड़ जाता है। जब विदेसी अर्थोपार्जन के लिए कलकत्ता चला जाता है तो प्यारी सुन्दरी को भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। विदेशी का एक मित्र प्यारी सुन्दरी को अकेला जानकर अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है और उसका सतीत्व भंग करने का प्रयास करता है–

"भउजी तू जइसन अलबेली कटीली बाडू,
तइसन हम तन के मस्ताना तइयारी हई।
जइसे तू चाह करबू तन–मन से हमरा के,
तइसे हम धन–जन से सबसे तुम्हारी हई।
जइसे तू छल–कपट अयगुन के त्याग देलू,
तइसे हम लोभ, मोह मद से निरधारी हई।
मन में विचारऽ कहत दियरा के भिखारी हई।"[8]

यह केवल एक प्यारी सुन्दरी की व्यथा नहीं है। आज हर घर में एक प्यारी सुन्दरी यह व्यथा झेल रही है जिसके लिए अपने सत् की रक्षा करना इस पुरुष प्रधान समाज में कठिन हो गया है। उससे हुई थोड़ी सी चूक उसे कुलटा साबित करने के लिए पर्याप्त है।

इस प्रकार भिखारी ठाकुर ने अपने नाटक 'विदेसिया' के माध्यम से जहाँ एक ओर समाज की ज्वलन्त समस्याओं को सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। वही प्यारी सुन्दरी और विदेसी के साथ रखेलिन को भी रहने की स्वीकृति दिलाकर एक नया संसार रच डाला है। इससे उनकी अभूतपूर्व सांस्कृतिक चेतना का पता चलता हैं इतना ही नहीं दो भिन्न–भिन्न संस्कृतियों की प्रतीक प्यारी सुन्दरी और रखेलिन का मिलन कराकर उन्होंने सांस्कृतिक धरातल पर संघर्ष को समाप्त कर शांति और सौहार्द के साथ एकजुट रहने का भी उपदेज़ दिया है।

संदर्भः–

1. यादव प्रो0 वीरेन्द्र नारायण– भिखारी ठाकुर रचनावली, द्वितीय संस्करण बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना–2011, पृ0 सं0–39
2. वही, पृ0 सं0–37
3. वही, पृ0 सं0–38
4. वही, पृ0 सं0–31
5. चौबे देवेन्द्र, समयान्तर, अक्टूबर–2006, पृ0 सं0–71

6. यादव प्रो0 वीरेन्द्र नारायण- भिखारी ठाकुर रचनावली, द्वितीय संस्करण बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना–2011, पृ0 सं0–37

7. सिंह डॉ0 जगलाल प्रसाद 'विद्यार्थी'- भिखारी ठाकुर व्यक्तित्व एवं कृतित्व, पृ0 सं0–58

8. यादव प्रो0 वीरेन्द्र नारायण- भिखारी ठाकुर रचनावली, द्वितीय संस्करण बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना–2011, पृ0 सं0–53

PART – II

Augmentation of English Language Teaching and Learning Through Digital Technology

***Mr. Himanshu Sharma**
**Assistant Professor, Department of English, J. S. Hindu P G College, Amroha*
(Affiliated to M J P Rohilkhand University, Bareilly, Uttar Pradesh)
sharmahimanshu3333@gmail.com, 8218302606
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0003-6832-3383
****Dr Sanjeev Kumar (Bansal)**
***Assistant Professor, Department of English, Shri Varshney College, Aligarh, Uttar Pradesh*
(Affiliated to Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh, U P)
skb0071979@gmail.com, 8826056878

Abstract

Considering the present post-Covid-19 Pandemic scenario, it is the right time to discuss and develop a positive attitude towards gradually mastering digital technology in the realm of education. Blending the traditional mode of education with the online mode is the need of the hour. The Government of India launched the Digital India Campaign in July 2015 with a view to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. Universal Digital Literacy, one of the three core components of this programme, cannot be achieved unless English language teaching and learning are augmented by integrating it with digital technology. English language (ESL/EFL) has always been regarded a bridge or linking language, especially in a linguistically diverse country like India. Under National Education Policy–2020 most of the students in UG programmes, be it Arts, Commerce, Science, or any other stream, are opting for the English Language, either as a major or minor subject. Since the number of teachers teaching the English language is still very less, the rapidly surging demand for English language learners can be met only by shifting to an online mode of teaching-learning through digital technology. Digital technology can yield unprecedented results in achieving LSRW skills in the English language in a techno-savvy world where there is a preference for learning multiple things in a quick time using digital technology. The present paper is an attempt to study the interdependence of English language teaching-learning and digital technology, the immense scope that lies ahead in the sphere of

integrating digital technology with English language teaching and learning, and also the challenges that are faced both by educators and learners in adapting to digital content, pedagogy and a new mode of delivery.

Keywords: Interdependence, Integration, Digital Technology, ESL/EFL, LSRW Skills, Pedagogy, etc.

Introduction

Before elaborating on the interdependence of Digital Technology and English language learning, one must be familiar with the difference between Digital Media and Digital Technology. The Digital Media refers to all the digital products and all the digital tools that are used to create them; the transfer and communication of information / message is also a part of Digital Media. Digital Technology, on the other hand, is an umbrella term which has within its ambit everything that comes under Digital Media. Digital Technology, therefore, comprises digital devices like Smart Phones, Tablets, PC, Laptops, Desktops, Notebooks, Notepads, Pager, IPods, CD Rom, DVD, LCD, LED, Projectors, and the digital resources which includes the Internet resources (LAN, WAN, Websites, Blogs, Forums/ Chat boxes, Emails, Search engines, Digital Libraries, Language Laboratories, and Databases) and the offline digital resources (Photos/ Images, Videos, Audio recordings).

English language, like digital technology, plays a vital role in today's world across almost all walks of life, be it education, business and trade or health and medicine. English is the most widely spoken and used language in the world. Currently it is spoken by around 1.35 billion people across the world. 360 million people use English as their native language while the rest use it either as a second language (ESL) or as a foreign language (EFL). As of 2020, English is the official language of 58 sovereign states and 28 non- sovereign entities. In India English is not the primary language, but it used widely for official, educational and business purpose. Considering the influence of English language in today's world, and particularly in a country like India, which is full of linguistic diversity along with other diversities, it is important that the youngsters equip themselves with it either as a second language (ESL) or as a foreign language (EFL). Without gaining mastery in English language, it would be quite difficult to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy and achieve the goal of Universal Digital Literacy, one of the three core components of the Digital India Campaign launched by the Government of India in July 2015. Randolph Quirk and Widdowson have rightly remarked, "English is the language on which the sun does not set, whose uses never sleep" (Le Ha 70). During the latter half of twentieth century, as a result of

** First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

scientific and technological advancement, digital technology began to be used to augment English language teaching and learning in the classrooms. The present paper attempts to study the interdependence of digital technology and English Language teaching and learning, i.e. the role of digital technology in promoting English Language teaching and learning and the role of English Language in promoting digital technology, and how the integration of the two can help India progress in various spheres by leaps and bounds.

Objectives:

- To understand the relationship between digital technology and English language teaching and learning.
- To explore the applications of digital technology in English language teaching and learning.
- To evaluate the success of English language teaching and learning through digital technology.

Research Questions:

The research questions guiding this study are:

- Is there any relationship between digital technology and English language teaching and learning?
- Are there any applications of digital technology that can aid teaching and learning of English language?
- Can English language teaching and learning be enhanced through digital technology?

Research Methodology:

Qualitative and Descriptive methodologies have been adopted during the research work. Textual analysis has been done. Primary and secondary sources have been consulted; books, newspapers magazines, journals and Internet resources have been explored during the course of the research. As regards referencing style, MLA Style 9th has been followed.

Digital Technology in English Language teaching and learning

There are so many digital resources at the disposal of English Language teacher which he/she can use to promote English Language learning. These digital resources not only make the process of English Language teaching and learning effective but also interesting

and entertaining. Digital tools, called "Technical Cultural Artefacts" by A. W. Bates in his *Technology, E- Learning and Distance Education* (2005) have been very useful in imparting essential skills in language learning. These tools are an indispensable part of the well- recognized area of Computer Assisted Language Learning (CALL). M. Levy in his *Computer- Assisted Language Learning* (1997) has defined CALL as "the search for and the study of applications of computer in language teaching and learning" (Levy 1997). Essential skills may vary from one area to another or may be depending on their expertise. No doubt, they must be reinvigorated to enhance their skills, such as attributes towards problem solving; self- management; and the ability to work as a team (Mishra 2020).

Digital Technology can be used for the following purposes in English language teaching and learning–

- Exposure to target language
- Acquiring information about English language
- Developing and improving listening, speaking, reading and writing skills
- Sharing content and material with learners
- Sharing tasks with learners
- Assessing and evaluating students' learning
- Sharing feedback with learners
- Communicating and interacting with other language learners/ users
- Effectively using different learning management systems for language learning
- Doing Assignments and making projects

The digital resources may be grouped under two categories— Online resources and Offline resources. Some of them are discussed below.

Mobile/ Smart Phones:

The advent of Mobile Assisted Language Learning (MALL) offers numerous possibilities for more inventive and creative methods of instruction (Sung et al., 2016). In fact, recent developments in mobile technologies have revolutionised the way teachers teach and students learn (Pavlik 2015) including language learning. Almost all students today possess mobile phones/ smart phones through which they can access abundant language content on the

internet in the forms of PDF, DOC, PPT, XL, audio and video files. Mobile phones can even serve as a platform for language teaching and learning, both inside and outside the classroom (Rao 2016). A variety of online and offline softwares and Apps like Whats App, Chat App, Hike, Instagram, Zoom, Google Meet, Facebook, Twitter, Blog etc., can be easily used on Smart Phones for enhancing English language teaching and learning.

Email:

E-mail or electronic-mail is a highly cost-effective and efficient digital technology for communication of messages between individuals, groups and organizations. One just has to have an access to internet services and the rest is free. No charges are incurred on getting an e-mail account created on Gmail, Yahoo, Rediffmail, Hotmail, etc., and then using it. One can have multiple email accounts created. A user can access his account from any device and from any location in the world, provided it has internet services. He need not carry even his device to access the messages communicated to or by him. He can retrieve the information stored in his e-mail account. Information can be shared via email in the form of written text, documents or multimedia like photos, images audios and videos. Using his email as user id, he can sign up accounts on different websites, for example a user can sign up for an account on college or University library or on Inflibnet or other educational websites. Since it is extremely user friendly, English language teachers can use it to send information about the topics to be taught in the coming days, study material related to various topics and its availability on online and offline platforms. He can share the information with a large number of learners at the instant, saving much of his time and other material that was used in traditional mail. Shared material can be organized logically and stored safely and reliably and retrieved as and when required.

Blogs:

Blog, which is actually a truncated form of 'Weblog', originated in the last decade of the 20th century. Jorn Barger is credited with coining the term "weblog" in 1997(Miller 2004). Later Peter Merholz coined the short form "blog" in 1999, breaking weblog into "we blog" and popularizing it. A blog is an informational website which is published on the World Wide Web. Blog may be created by single individual or by groups, publishing writings of multiple authors such as from newspapers, media houses and business organizations. Now-a-days blogs are used for commercial, entertainment, social, political and educational purposes. A blog chiefly comprises discrete text entries or posts often in informal diary style. A blog can be of immense help to an English language teacher not only in posting his content and

editing it but also in getting feedback from students in the form of comments. If the content of a topic happens to be too long, a teacher can post the content in a series on a regular basis. He can invite comments from students on any topic and then update the content as per the needs of the learners. To make the topic interesting and learning effective, he can post images, photographs, audios, videos, and even provide links to other blogs, web pages and other online sources whence content related to the topic can be accessed. Interaction with learners enables the teacher to build a strong and lasting relationship with students.

Facebook:

Millions of people, including students, round the world access Facebook daily in order to communicate with their friends and family members, for playing games and for other entertainment purposes. Mark Zuckerberg, along with his class fellows Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, and Chris Hughes founded Facebook in 2004 in Harvard University. Gradually it grew to be the most popular online social media and social networking service. As of Jan 2023, there are around 2.96 billion Facebook users in the world. Considering the frequency and convenience with which the students use Facebook for entertainment activities, the educators can profitably exploit this social media web tool for educational purposes. Facebook enables more instantaneous interaction between teacher and students as students are keener and quicker to respond on Facebook. When an English language teacher posts some content on Facebook – story, summary, explanatory notes, links, etc., the students not only receive it, but they are also engaged in active searches and sharing of related content. It can be used both in formal and informal settings of teaching-learning, providing space for discussions, and sharing videos and document links. By choosing the close group option, only the group members can have an access to using it making it quite safer. Facebook can serve as a channel for lifelong learning, as teacher and learners can stay connected even after the course has ended.

YouTube:

At present one of the subsidiaries of Google, YouTube was founded by Chad Hurley, Steve Chen, and Jawed Karim, the three former employees of PayPal, in February 2005. It has its headquarter in San Bruno, California, U.S.A. It is an online video-sharing platform on which users can upload videos, view them, share them, register likes or dislikes or make comments about videos. The users not only can subscribe to YouTube Channels but also can create their own individual Channels and operate it as a personal broadcasting station like television. Since a wide variety of content— corporate media videos, musical videos, TV shows, documentary

films, movie trailers, audio recordings and educational videos— is available on this user friendly platform, it is being used by English language teachers to live stream or share language content with the learners, who enjoy the convenience and liberty to view the content as and when required and as many times as they desire. They can give their feedback to the teacher as comments. A teacher can benefit the students by exposing them to audios and videos of native speakers, enabling them to speak English language with proper accent.

Twitter:

Twitter is an online social media and social networking service on which the users can post texts, images, videos, etc., known as "tweets" and also reply to them. It was created by Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone and Evan Williams in March 2006 as an idea of an individual using SMS service for communication with a small group. It was made available for public use from July the same year. Its ownership lies with an American company X Corp having its headquarter in San Francisco, California. As it is quite easy to create twitter accounts, teachers as well as students should make use of this platform for improving communication skills in English through real time messaging — text messages, audios or videos. A teacher can give examples in grammar lessons and ask questions while students can reply concisely and to the point as only a maximum of 140 characters are allowed per tweet. Students learn to organize and present their thoughts coherently and effectively. The teacher can provide feedback to students immediately. Teacher can assign students tasks in all four language skills, listening, speaking, reading and writing.

Skype:

Founded in August 2003 by Niklas Zennstrom, Janus Friis and four Estonian developers, Skype is a tele-communication software that enables people to communicate through voice calls or video-calls either one-on-one or in group. They can send text messages instantly or share files. It is available both on computers and mobiles. Students can hear different audio and video records of native speakers and try to improve their pronunciation and other communication skills in English language. An English language teacher can impart a variety of lessons on Skype platform, particularly in grammar and communication. For instance, he can use videos and podcasts for the students to listen to and watch in the class. He can also prepare PPT's in advance and share them with the students during class using Skype screen sharing feature.

WhatsApp:

WhatsApp or WhatsApp Messanger was founded by Brian Acton and Jan Koum, former employees of Yahoo, in February 2009. It is an instant messaging and voice-over-service which can be used for sending text and voice messages, images, documents, and even make video calls. Though it was made for smart phones, it is accessible on computers and laptops also. WhatsApp can be of immense use in English language teaching learning, especially outside classroom. A teacher can share on WhatsApp the relevant content which he might have created himself or accessed from net. First, a teacher needs to create a WhatsApp group of the students he intends to teach. Then he can use this platform in a variety of ways. He may post pictures or images on the WhatsApp group and ask students to write a paragraph on them. He may also ask students to answer questions based on the pictures. He may hold brainstorming sessions by dividing students into groups and asking them to present their ideas for and against, on some current burning issue, like, "should smoking be completely banned ?" Although use of translation in foreign language teaching and learning has been a subject of heated debate, translation could actually be helpful for foreign language learners when it is used appropriately (Hunt and Beglar 2002; Vermes 2010; Calis and Dikilitas 2012). A teacher may ask students to translate into their mother tongue the English words, phrases, and sentences posted by him. He may also give certain structures, expressions or even passages from mother tongue and get them translated into English. Similarly he may give them exercises and practice material on, jumbled words, sentence reordering, phrasal verbs, antonyms, synonyms, pronunciation, and a host of vocabulary building and grammar improving exercises. He can also post relevant audio and video files on WhatsApp, and and assign some task based on them. He may also post puzzles, riddles, quizzes and such other materials and ask students to solve them. All these features and usage of WhatsApp make the teaching-learning both delightful and effective.

Hike:

It is one of the most widely used messenger apps in India. It is also used by many college students for transferring data on large scale. English language teachers can use it to improve listening, speaking, reading, writing and communication skills students. It can be used to transfer large amount of data. For example, teachers can teach students parts of speech, types of sentences, themes of poems and prose etc., by sharing with them content related to these topics.

Podcast:

"Pod" is an abbreviated from of the expression "play on demand" (Indahsari 2020). Podcast can be used by teachers and students to record content related to English language, either in the classrooms of colleges or outside. The content like, types of sentences, letter, notice or report writing, and themes of poetry or novels can be shared live or in recorded form to be watched later on.

CD-ROM:

CD-ROM is a compact disc with read-only-memory. It is used for storing knowledge and information of permanent nature. Its chief advantage is that the knowledge and information stored in it remain intact even when power supply goes off suddenly or some other technical glitch occurs. It is cost effective and user friendly. But to use it students must have an access to computers. The teacher can display the content of CD-ROM to a large gathering of students by connecting computer with a projector and discuss it with students. CD-ROMs containing study material related to various topics of English language are available in the market and online as well.

Language Laboratory:

Language laboratory is used in the higher education. It gets started from 1991 in technical college. He can take them to language laboratory and tell them to hear the records of native speakers and then tape it on audio tape recorder of teacher. The audio activated headset thus provides immediate feedback to the student's .The milking machine has now thus the audio active laboratory.

Tele Conferencing:

In tele-conferencing learners across different parts of the world are connected using telephone lines or satellite. It is a form of live conversation having both audio and video modes. English language Teachers can make use it to organize discussions between target students and native speakers.

Whiteboard:

White Board is a tool of teaching-learning that uses computer, projector and White board. Computer must have interactive white board software installed in it. Projector is used to show images from computer screen on the white board screen .Teacher uses marker to explain the content on white boards. It can be also be used with a wireless P.C. White boards are available in various sizes, the most popular being 190cms (75 inches). It can be mounted anywhere. Teacher can give ample practice to students for solving the examples of grammar, vocabulary and other sections of English language on white board.

Advantages of Using Digital Technology in English language learning:

Based on the above discussion we may list the following advantages of using digital technology in English language learning–

- The use of digital technology enables multi-sensory learning by providing multi-sensory experience to learners.
- It gives access to large amount of information both to the teacher and learner.
- It stimulates the classroom environment making it more interactive.
- It makes teaching-learning process more focused and goal-oriented.
- It makes teaching-learning process more interesting and entertaining bringing the learners back to the classrooms.
- By using a variety of multimedia tools learners can prepare assignments, projects and presentations in a more effective and impressive manner.
- It is socially acceptable, user-friendly, cost-effective and time-saving both for the teachers and learners.

Thus, we see that the application of digital technology can pay rich dividends to English language teachers and learners in terms of better outcomes and greater achievements of language skills. It facilitates and promotes language learning by making the learning environment more interesting, entertaining and appealing; it lures the students back to hitherto dull and lifeless traditional classrooms. It makes them regular, punctual and attentive in classrooms. Being familiar with the technological developments, the students are eager to acquire knowledge and information from all corners of the globe. They are confident of their abilities to use all digital resources at their disposal. At the same time they want their schools and colleges to

have necessary infrastructure along with availability of computers and internet. Teachers are expected to be well-equipped with digital technology.

Suggestions for Teachers and Learners:

Based on the above observations, following suggestions can be made regarding augmentation of English language teaching and learning through digital technology:

- The government should ensure that all educational institutions from Elementary to higher stages have necessary infrastructure along with availability of computers and internet.
- English language teachers should be given training of using digital technology. They should be made aware of all relevant digital resources.
- English language teachers should choose appropriate digital tools and resources to impart English language teaching, keeping in view needs and interests of students coming from diverse backgrounds.
- Teachers should use interactive and participatory method so that students become more attentive and focused and feel themselves to be at the centre of the entire process.
- The use of digital technology should be made an integral part of English Language curriculum.

Therefore, by choosing and adopting suitable digital technology in our day to day teaching, i.e., in our teaching methods, in preparation of content or its procurement, in examination and evaluation of learners, and for providing feedback to the learners, the teachers can lure the new generation back to the classroom. It will facilitate the teaching- learning process, making it a more interesting, absorbing, meaningful and fruitful experience.

Conclusion:

Importance of English as a bridge language, link language or universal language has seen an unprecedented rise in the post-Covid-19 era, mainly because of wide use of digital technology in education and business. 'The vigour and capability of teaching and learning mainly rely on three basic factors— teacher, student, and mode of interaction i.e. learning medium' (Aggaral 34). Most of the digital tools, devices and apps use English as a medium of operation in linguistically diverse country like India. As such, knowledge of English as second or foreign language becomes all the more essential in making India digitally empowered, and achieving the goal of Universal Digital Literacy. A teacher can utilize students' growing interest in digital technology to equip them with LSRW skills in English language. Thus we see that

teaching-learning of English language is aided by digital technology and digital technology is bringing the educational and business world under its sway with the help of English language.

Works Consulted and Cited

1. Aggarwal, J. C. *Essentials of educational technology innovations in teaching learning.* Vikas Publishing House PVT Ltd, 2008, p. 34.
2. Allen, Christopher. "Marriages of Convenience? Teachers and course books in the Digital Age". A*n International Journal for Teachers of English to Speakers of Other Languages. ELT Journal,* vol. 69, Oxford University Press, July, 2015, pp. 249-263.
3. Bates, AW Tony. *Technology, e-learning and distance education.* Routledge, 2005.
4. Beglar, David, and Alan Hunt. "Implementing task-based language teaching." *Methodology in language teaching: An anthology of current practice.* 2002, pp. 96-106.
5. Büyükgöze, Hilal, and Lütfiye Cengizhan. "TECHNOLOGICALLY ENHANCED TEACHING: BLOGS IN ELT."
6. Chapelle, Carol A. "The relationship between second language acquisition theory and computerassisted language learning." *The modern language journal* 93, 2009, pp. 741-753.
7. Guemide, Boutkhil and Chellali, Benachaiba. "Using Multimedia to motivate Students". *Modern English Teacher,* vol. 23, no. 1, Pavillion Publishing and Media Ltd.

   January 2014, pp. 38-45.
8. Indahsari, Dyan. "Using podcast for EFL students in Language Learning." *JEES (Journal of English Educators Society),* vol.5, no. 2, 2020, pp. 103-108.
9. Le Ha, Phan. *Teaching English as an international language: Identity, resistance and negotiation.* vol. 7, Multilingual Matters. 2008, p. 70.
10. Levy, Michael. *Computer-assisted language learning: Context and conceptualization.* Oxford University Press, 1997.
11. Miller, Carolyn R., and Dawn Shepherd. "Blogging as social action: A genre analysis of the weblog." 2004.
12. Mishra, Sunil, and Parul Mishra. Exploring Communicative Skills as workforce for Dynamic Entrepreneurship. Pedagogical Research. vol. 5, no. 4, 2020. https://doi.org/10.29333/pr/8249
13. https://www.pedagogicalresearch.com/article/exploring-communicative-skills-as-workforce-for-dynamic-entrepreneurship-8249, Accessed on 29/04/2024
14. Pavlik, John V. "Fueling a third paradigm of education: The pedagogical implications of digital, social and mobile media." *Contemporary Educational Technology* vol. 6, no. 2, 2015, pp. 113-125.
15. Rao, B.S. "Mobile Phone– An Advance Tool for English Language Teaching and Learning in and Outside of the Classroom". *Imperial Journal of Interdisciplinary Research,* vol. 2, no. 9, 2016.
16. Seo, Kay Keyong Ju. Using Social Media Effectively in the Classroom, Blogs, Wikis Twitter and More 1st ed., Neyork: Routhledge Publisher, 2013.
17. Sung, Yao-Ting, Kuo-En Chang, and Tzu-Chien Liu. "The effects of integrating mobile devices with teaching and learning on students' learning performance: A meta-analysis and research synthesis." *Computers & Education* 94, 2016, pp. 252-275.
18. Vermes, Albert. "Translation in foreign language teaching: a brief overview of pros and cons." *Eger Journal of English Studies,* vol. 10, 2010, pp. 83-93.

Encouraging Consumer Rights in India: The Significance of Consumer Protection Act, 2019

Dr. Krishna Bajpai
Associate Professor, Dept. of Economics
Sri Tika Ram Kanya Mahavidyalaya, Aligarh

Abstract

The Digital Age has ushered in a new era of commerce and digital branding, as well as a new set of customer expectations. Digitisation has provided easy access, a large variety of choices, convenient payment mechanisms, improved services and shopping as per convenience. However, there are also associated challenges related to consumer protection. To help address the new set of challenges faced by consumers in the digital age, the Indian Parliament passed the landmark Consumer Protection Bill, 2019 which aims to provide timely and effective administration and settlement of consumer disputes. Consumer Protection Act, 2019 is a law to protect the interests of the consumers. This Act provides safety to consumers regarding defective products, dissatisfactory services, and unfair trade practices. The basic aim of the Consumer Protection Act, 2019 is to save the rights of the consumers by establishing authorities for timely and effective administration and settlement of consumers' disputes.

Keywords: consumer protection act, digitalisation\, consumer disputes

Introduction

The Consumer Protection Act, 1986 is a significant legislation in India aimed at protecting the interests of consumers in various aspects of goods and services. The primary objective of the Consumer Protection Act (CPA) is to provide consumers with effective safeguards against various types of exploitation and unfair trade practices.

Definition of Consumer:

The Act defines a consumer as any person who buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose.

Salient Features:

- The Act applies to all goods and services unless specifically exempted by the Central Government.
- It establishes consumer councils at the district, state, and national levels to promote and protect the rights of consumers.
- It provides for simple, speedy, and inexpensive redressal of consumer disputes through quasijudicial bodies known as Consumer Disputes Redressal Forums (CDRFs) or Consumer Courts.
- It recognizes six consumer rights: right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, and right to consumer education.

Consumer Disputes Redressal Forums (CDRFs):

- These forums are established at the district, state, and national levels to entertain consumer complaints.
- They have the authority to issue orders to remove defects in goods, replace defective goods, refund the price paid for the goods or services, and award compensation for any loss or injury suffered by the consumer.

Amendments

The Consumer Protection Act has been amended over the years to strengthen consumer rights and streamline the dispute resolution process. The latest amendment was in 2019, which introduced provisions like product liability action, mediation as an alternate dispute resolution mechanism, and enhanced penalties for misleading advertisements.

Importance:

The Act has played a crucial role in empowering consumers by providing them with rights and avenues for redressal against unfair trade practices and exploitation. It has also encouraged businesses to adhere to higher standards of quality and service.

Overall, the Consumer Protection Act, 1986, and its subsequent amendments have significantly contributed to protecting consumer interests and ensuring a fair marketplace in India.

Protecting the rights of the consumer is important because in the present times the demands and expectations of the consumer have changed due to globalization and growing awareness. However, the availability of large number of goods and services sometimes proves to be harmful for the consumer as not all sellers and service providers are genuine. No economy can flourish without the rights of the consumer being protected. A consumer is an indispensable actor of any economy as he is the person who buys or hires goods or services from the seller and in turn boosts employment in the country.!

! It's a humble attempt has been made to discuss and evaluate certain changes which have been made under this Act in comparison to its old version.

Timeline of the Consumer Protection Act, 2019

The journey towards the new Consumer Protection Act, 2019 can be summarized in the Table.

Table A: Timeline of Consumer Protection Act, 2019

2014	Drafting of new Consumer Protection Bill by a committee constituted by the Union Ministry of Consumer Affairs
10 August, 2015	The Consumer Protection Bill, 2015 is referred to Parliamentary
Standing Committee by Lok Sabha	
26 April, 2016	Report submitted by the standing committee giving certain recommendations
5 January, 2018	The Consumer Protection Bill, 2018 is re-introduced in Lok Sabha incorporating the recommendations given by standing committee

20 December, 2018	Lok Sabha passes the bill but it lapses as the term of 16th Lok Sabh comes to an end
8 July, 2019	The Consumer Protection Bill is re-introduced in Lok Sabha
30 July, 2019	Lok Sabha passes the bill
6 August, 2019	Rajya Sabha passes the bill
9 August, 2019	President gives his assent and The Consumer Protection Act, 2 published in The Gazette of India
Come into force	July, 2020
Short Title:	The Consumer Protection Act, 2019
Long Title:	An Act to provide for protection of the interests of consumers and f said purpose, to establish authorities for timely and effective adminis and settlement of consumers' disputes and for matters connected th e or incidental thereto.
Ministry:	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department:	Department of Consumer Affairs

It must be noted that although the Act has been passed and published in the official Gazette of India and the new Consumer Protection Act was passed by Parliament in 2019. It came into force in July 2020 and replaced the Consumer Protection Act, 1986.

Structure of the Consumer Protection Act, 2019

The Consumer Protection Act, 2019 (CPA 2019) enacted in India, is designed to provide robust protection for consumers against unfair trade practices and ensure the rights of consumers are upheld. Here's a structured overview of the key elements and structure of the Consumer Protection Act, 2019:

1. Definitions and Interpretations:

- Defines key terms such as "consumer," "complaint," "unfair trade practices," etc.
- Provides clarity on the scope and applicability of the Act.

2. Consumer Rights:

- Enumerates the rights of consumers, including the right to be protected against marketing of goods and services which are hazardous to life and property, the right to be informed, the right to choose, the right to seek redressal, etc.

3. Establishment of Consumer Protection Councils:

- Provides for the establishment of Central Consumer Protection Council and State Consumer Protection Councils to promote and protect the rights of consumers.

4. Consumer Disputes Redressal Agencies:

- Specifies the establishment of Consumer Disputes Redressal Commissions at the district, state, and national levels.
- Defines the jurisdiction, powers, and procedures for these commissions.

5. Consumer Complaints:

- Outlines the procedure for filing consumer complaints.
- Specifies the time frame and manner in which complaints are to be addressed.

6. Unfair Trade Practices and Misleading Advertisements:

- Prohibits unfair trade practices and misleading advertisements.
- Defines what constitutes misleading advertisements and provides penalties for violations.

7. Product Liability:

- Introduces provisions related to product liability.
- Specifies the responsibilities of manufacturers, sellers, and service providers in cases of defective products or deficient services.

8. Alternate Dispute Resolution Mechanisms:

- Encourages the use of mediation as a mechanism for resolving consumer disputes.

9. Penalties and Compensation:

- Provides for penalties for non-compliance with the provisions of the Act.
- Specifies the criteria and procedure for awarding compensation to consumers.

10. Miscellaneous Provisions:

- Includes provisions relating to the powers of the Central Government to make rules, the application of other laws in certain cases, etc.

11. Amendments and Repeals:

- Specifies any amendments made to existing consumer protection laws.
- Repeals the previous Consumer Protection Act, 1986.

Major changes under the CPA 2019

The Consumer Protection Act (CPA) 2019 introduced significant changes and updates compared to the Consumer Protection Act 1986. Here are some of the major changes and improvements:

1. Definition and Scope:

- **CPA 1986:** Defined consumers, unfair trade practices, and consumer disputes but lacked specific provisions for e-commerce and product liability.
- **CPA 2019:** Expanded definitions to include online transactions, e-commerce platforms, and product liability, reflecting modern consumer behaviors and challenges.

2. Centralized Authority:

- **CPA 1986:** Consumer Disputes Redressal Forums were primarily at the district, state, and national levels.
- **CPA 2019:** Introduced a centralized Consumer Protection Authority (CPA) to promote, protect, and enforce consumer rights, enhancing regulatory oversight and enforcement capabilities.

3. Enhanced Penalties:

- **CPA 1986:** Penalties for non-compliance were minimal.
- **CPA 2019:** Imposes stricter penalties and fines for misleading advertisements, unfair trade practices, and violations of consumer rights, aiming to deter malpractices effectively.

4. Product Liability:

- **CPA 1986:** Did not specifically address product liability.
- **CPA 2019:** Introduces provisions on product liability, making manufacturers, sellers, and service providers liable for defective products or deficient services, thereby enhancing consumer safety and rights.

5. Consumer Rights and Redressal:

- **CPA 1986:** Recognized basic consumer rights but lacked detailed provisions for quick resolution of disputes.
- **CPA 2019:** Strengthens consumer rights and introduces provisions for timely and efficient resolution of consumer complaints through mediation, stricter timelines for hearings, and penalties for delayed resolutions.

6. E-commerce and Digital Transactions:

- **CPA 1986:** Did not specifically address issues related to e-commerce and digital transactions.
- **CPA 2019:** Includes provisions to regulate e-commerce transactions, ensuring consumer protection in online purchases, defining liabilities of e-commerce platforms, and introducing mechanisms for dispute resolution.

7. Alternate Dispute Resolution (ADR):

- **CPA 1986:** Had limited provisions for ADR mechanisms.
- **CPA 2019:** Promotes ADR mechanisms such as mediation, making it a preferred mode for resolving consumer disputes, thereby reducing the burden on traditional legal processes.

8. Enforcement and Compliance:

- **CPA 1986:** Enforcement mechanisms were less stringent and decentralized.
- **CPA 2019:** Establishes robust enforcement mechanisms through the CPA and designated officers, ensuring proactive monitoring, compliance, and implementation of consumer protection laws.

Overall, the Consumer Protection Act 2019 represents a comprehensive overhaul of India's consumer protection framework, addressing contemporary challenges, enhancing consumer rights, and ensuring effective mechanisms for redressal and enforcement, thereby aiming to create a fair and transparent marketplace for consumers.

Comparison between CPA 1986 and CPA 2019

After going through the structure of the CPA 2019 and some important changes brought under this Act, we can carve out certain points of differences between the old and new Act in Table B.

Table B: Comparison Between Consumer Protection Act, 1986 and Consumer Protection Act, 2019

Points	CPA 1986	CPA 2019
Unfair trade practices	Narrower in scope. Only 6 types of practices were covered	Broader in scope. Adds three new practices
Product liability	There were no provisions for product liability	Contain provisions for Product liability
Unfair contracts	There were no provisions for unfair contracts	Contain provisions for Unfair Contracts
e-commerce and direct selling	There were no provisions for E- commerce	Contains specific provisions for E- commerce and direct selling

Mediation	There was no provision for alternative dispute redressal mechanism	Contain provisions for mediation cells attached to National Commission, State Commission and District Commissions
Pecuniary limits	Lower pecuniary limits of District forum - up to 20 lakhs; State commission - 20 lakhs to 1 crore; and National commission - above 1 crore	Higher pecuniary limits of District commission - up to 1 crore; State commission – 1 crore to 10 crores; and National commission – above 10 crores
Role of Central Protection Councils	Role of CPCs was to promote and protect the rights of consumers	Role of CPCs is to act as advisory bodies for the promotion and protection of consumer rights
Selection of members inconsumer disputere dressal commissios	Different committees were prescribed for different commissions	There is no provision for selection committees. Central Government has the power to appoint the members
Regulator	No regulator was in existence	A regulator by the name of Central Consumer Protection Authority shall be established
Penalties	A person failing to comply with the orders of commission could face imprisonment between one month and three years or fine between Rs 2,000 to Rs 10,000, or both	A person failing to comply with the orders of commission can face imprisonment up to three years, or a fine not less than Rs 25,000 extendable to Rs one lakh, or both

Conclusion

The Consumer Protection Act 2019 holds significant importance in safeguarding the interests and rights of consumers in India. Here are several key reasons why the CPA 2019 is crucial:

1. **Enhanced Consumer Rights:** The CPA 2019 strengthens consumer rights by explicitly defining them and providing avenues for redressal. It empowers consumers with the right to

seek compensation, information, and protection against unfair trade practices and misleading advertisements.

2. **Modernised Legal Framework:** The Act addresses contemporary issues such as e-commerce transactions, digital transactions, and product liability, which were not adequately covered under the earlier CPA 1986. This modernisation reflects the evolving consumer landscape and ensures that consumers are protected in new and emerging markets.

3. **Establishment of Central Authority:** The CPA 2019 introduces a centralised Consumer Protection Authority (CPA) to enforce consumer rights effectively. This authority monitors markets for unfair practices, conducts investigations, and takes corrective actions, thereby ensuring accountability and compliance among businesses.

4. **Stricter Penalties and Deterrents:** The Act imposes stringent penalties for misleading advertisements, unfair trade practices, and non-compliance with consumer rights. This acts as a deterrent against unethical business practices and enhances consumer confidence in the marketplace.

5. **Product Liability:** For the first time, the CPA 2019 introduces provisions on product liability, holding manufacturers, sellers, and service providers accountable for defective products or deficient services. This ensures consumer safety and promotes responsible business practices.

6. **Efficient Dispute Resolution:** The Act promotes efficient and timely resolution of consumer disputes through mechanisms such as mediation and strict timelines for hearings. This reduces the burden on traditional courts and provides quicker redressal for consumer grievances.

7. **Promotion of Fair Competition:** By prohibiting unfair trade practices and ensuring transparency in transactions, the CPA 2019 fosters a competitive and fair market environment.

   This benefits consumers by promoting choices and quality in goods and services.

8. **Empowerment of Consumers:** Ultimately, the CPA 2019 empowers consumers by educating them about their rights, providing accessible grievance redressal mechanisms, and ensuring that their concerns are heard and addressed promptly. This contributes to a more equitable relationship between consumers and businesses.

In conclusion, the Consumer Protection Act 2019 plays a pivotal role in protecting and promoting consumer interests in India. It not only enhances consumer rights and safety but also contributes to a fair and competitive marketplace, thereby fostering economic growth and trust between consumers and businesses.

References

- Ayilyath, Manoranjan, *Consumer Protection in E-Commerce Transactions in India–Need for Reforms, Available at SSRN,* 3571069, (2020).
- Garg, Ajay Kumar, and Ajay Kumar, *Study of Government Efforts for Protection of Consumers in India,*16(1), Journal of Commerce and Trade,54-60,(2021).
- GoI (2021). National Education Policy 2020 .Ministry of Human Resource Development, Government of India.
- LexForti Legal News Network, https://lexforti.com/legal-news/evolution-anddevelopment-of-the-consumer-protection-act/, last visited 27.10.2022.
- Ministry of education (1966). Report of the Education Commission1964-66. NCERT. Ministry of Education, Vol. 1
- Ministry of Education (2021). Unified District Information System for Education Plus. Department of School Education and Literacy,Ministry of Education, Government of India
- Ranganathan, S. (2007). Educational Reform and Planning Challenge.Kanishka Publishers. New Delhi.

Vol. XXI Issue No. I, Jan.–April. 2024, ISSN: 0970-1745 **Impact Factor 5.875**

Evaluation of Water Quality Index and Physico-chemical parameter value of the River Ganga at the site Kalakankar and Shringverpur

Dr. Beenu Tripathi
Assistant professor in Botany at Sri Tika Ram Kanya Mahavidyalaya Aligarh, ,Aligarh-202001, Uttar Pradesh, India

Abstract

In the present investigation work was carried out to calculate the water quality index of the river Ganga at Kalakankar (Pratapgarh) and Shringverpur (Allahabad). The number of parameters into a simple expression were expressed by water quality index (WQI) and WQI made easy interpretation of monitoring data. The physico-chemical parameters values of both the analyzing sites were monitored in the monsoon, winter and summer seasons for calculation of Water Quality index.The value of WQI of both the sites indicates that waterwere severely polluted and not fit for human consumption. But the water at the sites Kalakankar were of better quality as comparison to the site Shringverpur in the all three season. In the present investigation we concluded that the water quality of analyzing sites under study not suitable for drinking purpose during any season. From Pratapgarh the sites were taken Kalakankar whereas the sites Shringverpur were taken from Allahabad. The sites Kalakankar were located at 35 km distance from the sites Shringverpur.

Keywords: Ganga, Physico-chemical parameters, Correlation coefficient, Coefficient variation, Water quality index

Introduction

Ganga is a major river in the Indian sub continent flowing east through the immeasurable plains of northern India into Bangladesh. The 2510 km river originates at the Gangotri Glacier in the Indian State of Uttarakhand, in the Central Himalayas and empties into the bay of Bengal through its vast delta in the Sunder ban. Indian rivers are facing a threat because the

discharge of various contaminants through various industries, agricultural runoff, untreated sewage, and improper disposal of solid waste has led to deterioration in the quality of river water (Gupta *et al.* 2020a,2020b; Ali *et al.* 2021). Measuring water quality by quantifying numerous physicochemical parameters is a highly challenging task, which nevertheless only provides a loose approximation of the overall situation. Therefore, an effective evaluation tool is needed that can integrate all the relevant parameters to represent the water quality as a single numerical value (Gupta *et al.* 2019).

The pollution of the river Ganga were increased due to various activities like mass bathing, agricultural run-off, sewage, domestic as well as due to cremation activities. Polluted water disturbs the ecosystem of river and marine life have been going to lost in future. Whereas irrigation and hydroelectric dams gives struggle to aquatic life for their existence.Without water, existent of life on earth are not possible. Human and other living organism die, agricultural activities not initiated, business also cannot operated (Tripathi, Beenu., et.al., 2014).Domestic and industrial wastewater constitute as a constant polluting source, whereas surface runoff is a seasonal phenomena mainly controlled by climate(K. P. Singh, K.P. et. al., 2005). The water quality index >100 will be considered as severely polluted. The ecology of the River Ganga were affected by removal of water for irrigation, use of chemicals in agriculture, deforestation, atmospheric emissions from factories and automobiles sewage discharges. Water Quality Index(WQI) is commonly used for the detection and evaluation of water pollution and may be defined as "a rating reflecting the composite influence of different quality parameters on the overall quality of water." The quality of water is getting vastly deteriorated due to unscientific waste disposal, improper water management and carelessness towards environment, which has also led to scarcity of potable water affecting the human health(Agarkar, S. V., 2003) . For complete understanding of water quality issues, it is important to translate it to a language understandable to policy makers (Nikbakht, M. 2004) .

The quality index comprised into two parts physico-chemical indices and biochemical indices. The physico-chemical indices are based on values of various physico-chemical parameter in a water sample. Water quality index is defined in terms of its physical, chemical and biological characteristics.Water quality index (WQI) have been developed with the aim of providing summary information on quality. Overall water quality were expressed by single number. WQI can be used to summarize the large amounts of water quality database into simple terms for reporting to public in a reliable manner. WQI can be used to summarize the large amounts of water quality database into simple terms for reporting to environmental planners and public in a reliable manner.

Experimental Methodology

The physico-chemical characteristics of water like pH, Electrical conductivity, Total Dissolved solids (TDS), Total hardness, Alkalinity, Chloride, Sulphate and Nitrate were determined in summer, monsoon and winter according to standard methods6.(APHA., 2005) and(Trivedy, R.K. and P.K. Goel, 1984).Here water quality index of the River Ganga has been calculated on the basis of(Harkins, R.D. 1974)and (Lohani,B.N. 1981)and subsequently modified by (Tiwari, T.N. et.al.,1986) based on physico-chemical data. The water quality index has been calculated by using the standard of drinking water quality by the WHO, BIS, and ICMR.

Therefore, the "Weight" for various water quality characteristics are assumed to be inversely proportional to the recommended standards for the corresponding parameters. According to (Tiwari, T.N. et.al.,1986) this is Wi= K/Si

Where Wi is the unit weight and Si is the recommended standard for the parameter.The constant of the proportionality K in equation can be determined from the condition.

$\Sigma Wi = K\Sigma\ (1\backslash Si)$

The quality rating qi for the parameter Pi is calculated from the following equation.

$qi = 100\ (Vi/Si)$

Where Vi is the observed value. The subindex Si for the parameter Pi is given by

$(Si) = (qi\ wi)$

The overall WQI can be calculated by aggregating the quality rating (qi) or subindices,linearly or taking their weighted mean,

$WQI=[(\Sigma qiwi/\Sigma wi)]$

Water quality index represents the integrated effects of the relevant water quality variables. Table- 2 show drinking water standard & unit weights for all the parameters used in calculating the WQI(Maruthi Y.A.2004). gave the rating of water quality as shown in Table-1 These 11 physico-chemical parameter were taken for calculating the water quality parameter.Hardness, pH, DO,BOD,COD, Nitrate, Total Dissolved Solids, Sulphate, Electrical conductivity, Total Alkalinity and Chloride. Drinking water quality standards (Maximum permissible limit) Standards are taken according to WHO, BIS, ICMR etc. Unit weight Wi=1/Si were taken from.(Joshi, Dhirendra, Mohan, et al 2009).

Result and Discussion

The physico-chemical parameter value of various parameter were analyzed for the calculation of water quality index. The value of physico-chemical parameter were presented in table:3.Seasonwise water quality index are presented in table 5 and 6. The water quality index of winter, summer and monsoon season of site Kalakankar are 135.8, 141.7 and 151.8. Whereas at the site Shringverpur the water quality index of winter, summer and monsoon are 156.5, 166.9 and 189.2. respectively, which indicate the poor quality of water (Chaurasia, M., and Pandey, G.C., 2007) and (Chatterjee, C., and Razuddin, M. 2002).The maximum value of WQI at the site Shringverpur were recorded 189.2 in summer season it was followed by 166.9 in winter season and minimum 156.5 in winter season. Whereas at the site kalakankar it were recorded maximum 191.3 in monsoon season it was followed by 176.9 in summer season and minimum 153.3 in winter season. The water quality index value for the year 2013-14 were of better quality as comparison to the year 2014-15. Integrated effects of the relevant water quality variables were represented by water quality index. Water quality index (WQI) is the most effective way to communicate water quality. Water quality index (WQI) = 0 means complete absence of pollutants. When 0< 100, indicates the water is under consideration and fit for human use and WQI > 100 reflects its unsuitability for human use (Bahera, H. 2004).This clearly indicates that water samples of this region are highlypolluted. Water are not suitable for drinking purpose and other useful human activities (Jena, V., Dixit, S.,and Gupta, S.,et.al., 2013).

Conclusion

- The quality of river water at Kalakankar site not more deteriorated as comparison to the site Shringverpur. And the water of the River Ganga at the sites Shringverpur were of poor quality of water as comparison to the sites Kalakankar. The value of WQI more than 100 indicate the water body is entropic and not totally safe for human drinking purpose. To improve the water quality of River Ganga it is necessary to good implementations of programme that launched by governments.

Acknowledgement

The authors are thankful to the respective Head of Department, Department of Botany,University of Allahabad, providing necessary facilities. The author would like to

acknowledge the financial assistance provided by University Grants Commission (UGC) India, under D.Phil.fellowship.

Table:1 Water quality rating

WQI level	Water quality rating
0-25	Excellent
26-50	Good
51-75	Poor
76-100	Very poor
>100	Unfit for drinking purpose

Table 2: Drinking water quality standards(Maximum permissible limit) Standards are taken according to WHO, BIS, ICMR etc.

Parameters	Standard Values	Wi=1/Si
Sulphate	200	0.005
Electrical Conductivity	300	0.0033
Total Alkalinity	120	0.008
Chloride	250	0.004
Nitrate	20	0.05
Total Dissolved Solids	500	0.002
Hardness	300	0.003
pH	6.5-8.5	0.14
DO	5.00	0.2
BOD	5.00	0.2
COD	10.00	0.1

Table 3: Analysis of Physico-chemical Parameter of River Ganga at site Shringverpur and Kalakankar

Physico-chemical parameter value of water										
Parameter	**At Shringverpur site**								**At Kalakankar site**	
	Winter	**Summer**	**Monsoon**	**Mean± SD**	**C.V.%**	**Winter**	**Summer**	**Monsoon**	**Mean± SD**	**C.V.%**
Hardness	149	157	164	156.6±7.50	4.78	134	144	153	143.6± 9.50	6.61
pH	8.2	8.6	8.3	8.36±0.208	2.48	8	8.3	7.8	8.03±0.25	3.11
DO	8.79	7.1	7.6	7.83±0.868	11.08	9.3	7.5	8.1	8.3±0.916	11.03
BOD	7.4	9.9	9.4	8.9±1.32	14.83	5.6	6.6	7.4	6.53±0.90	13.7
COD	29.2	32.3	39.2	33.5±5.11	15.25	19.9	26.5	29.2	25.2±4.78	18.96
Nitrate	0.37	0.66	0.18	0.403±0.24	59.55	0.41	0.68	0.19	0.42±0.245	58.33
Total Dissolved Solids	234	279	299	270.6±33.29	12.30	223	275	285	261± 33.2	12.72
Sulphate	19	27	23	23± 4	17.39	20	30	24	24.66±5.033	20.40
Electrical Conductivity	435	385	365	395±36.05	9.12	443	390	374	402.3±36.1	8.97
Total Alkalinity	139	170	173	160.6±18.82	11.71	140	156	170	155.3±15.01	9.66
Chloride	20.2	28.9	35.5	28.2±7.67	27.19	17.2	24.8	30.3	24.1± 6.57	27.26

Table 4: Correlation matrix among the physico-chemical parameter of river Ganga at site Shringverpur and Kalakankar

	Hardness	pH	DO	BOD	COD	Nitrate	TDS	Sulphate	Ec	Alkalinity	Chloride
Hardness	1										
pH	-.081	1									
DO	-.694	-.662	1								
BOD	.914	.331	-.927	1							
COD	1.000*	-.112	-.671	.901	1						
Nitrate	-.390	.949	-.393	.018	-.418	1					
TDS	.936	.274	-.902	.998*	.925	-.042	1				
Sulphate	.474	.839	-.963	.791	.446	.626	.753	1			
Ec	-.972	-.156	.844	-.984	-.964	.162	-.993	-.668	1		
Alkalinity	.974	.149	-.840	.982	.966	-.169	.992	.662	-1.000**	1	
Chloride	.999*	-.030	-.730	.933	.997	-.342	.953	.518	-.983	.984	1

Table 5: Water quality index of River Ganga at site Shringverpur

Parameters	Standard Values(Sn)	Unit Weight (Wn) Wi=I/Si	Winter	Quality rating (Qn)	WnQn	Summer	Quality rating (Qn)	WnQn	Monsoon	Quality rating (Qn)	WnQn
Hardness	300	0.003	149	49.6	0.148	157	52.3	0.156	164	54.6	0.163
pH	-	0.14	8.2	117	16.3	8.6	122	17.08	8.3	118	26.3
DO	5.00	0.2	8.79	175.8	35.16	7.1	142	28.4	7.6	152	30.4
BOD	5.00	0.2	7.4	148	29.6	9.9	198	39.6	9.4	188	37.6
COD	10.00	0.1	29.2	292	29.2	32.3	323	32.3	39.2	392	39.2
Nitrate	20	0.05	0.37	1.85	0.092	0.66	3.3	0.165	0.18	0.9	0.045
Total Dissolved Solids	500	0.002	234	46.8	0.093	279	55.8	0.116	299	59.8	0.119
Sulphate	200	0.005	19	9.5	0.047	27	13.5	0.067	23	11.5	0.057
Electrical Conductivity	300	0.0033	435	145	0.478	385	128	0.422	365	121	0.399
Total Alkalinity	120	0.008	139	115	0.92	170	141	1.12	173	144	1.15
Chloride	250	0.004	20.2	8.08	0.032	28.9	11.56	0.046	35.5	14.2	0.056
		ΣWn=0.7153			ΣWnQn=112.0			ΣWnQn=119.4			ΣWnQn=135.4
Water quality index for the winter season =∑WnQn/Wn =156.5											
Water quality index for the Summer season =∑WnQn/Wn =166.9											
Water quality index for the Monsoon season =∑WnQn/Wn =189.2											

Table 6: Water quality index of River Ganga at site Kalakankar

Year			2014-15								
Parameters	**Standard Values(Sn)**	**Unit Weight (Wn) Wi=I/Si**	**Winter**	**Qualityrating (Qn)**	**WnQn**	**Summer**	**Qualityrating (Qn)**	**WnQn**	**Monsoon**	**Qualityrating (Qn)**	**WnQn**
Hardness	300	0.003	134	44.6	0.133	144	48.0	0.144	153	51.0	0.153
pH	-	0.14	8	114	15.9	8.3	118	16.5	7.8	111	15.5
DO	5.00	0.2	9.3	186	37.2	7.5	150	30	8.1	162	32.4
BOD	5.00	0.2	5.6	112	22.4	6.6	132	26.4	7.4	148	29.6
COD	10.00	0.1	19.9	199	19.9	26.5	265	26.5	29.2	292	29.2
Nitrate	20	0.05	0.41	2.05	0.102	0.68	3.4	0.17	0.19	0.95	0.047
Total dissolved Solids	500	0.002	223	44.6	0.089	275	55.0	0.11	285	57.0	0.114
Sulphate	200	0.005	20	10	0.05	30	15	0.075	24	12	0.06
Electrical Conductivity	300	0.0033	443	147	0.485	390	130	0.429	374	124	0.409
Total Alkalinity	120	0.008	140	116	0.92	156	130	1.04	170	141	1.12
Chloride	250	0.004	17.2	6.88	0.027	24.8	9.92	0.039	30.3	12.1	0.048
		ΣWn=0.7153			ΣWnQn=97.2			ΣWnQn=101.4			ΣWnQn=108.6
Water quality index for the winter season =∑WnQn/Wn =135.8											
Water quality index for the Summer season =∑WnQn/Wn =141.7											
Water quality index for the Monsoon season =∑WnQn/Wn =151.8											

Fig1: Showing study area map (Shringverpur and Kalakankar site)

A

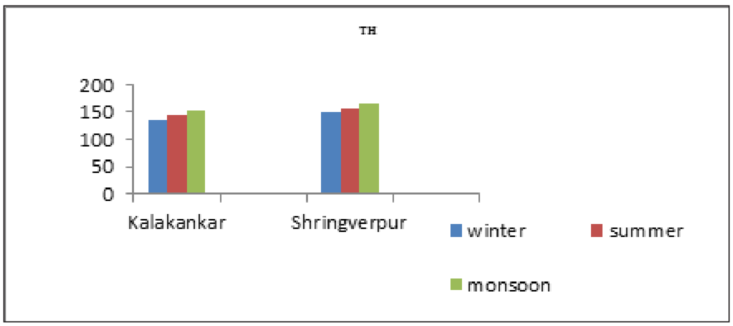

B

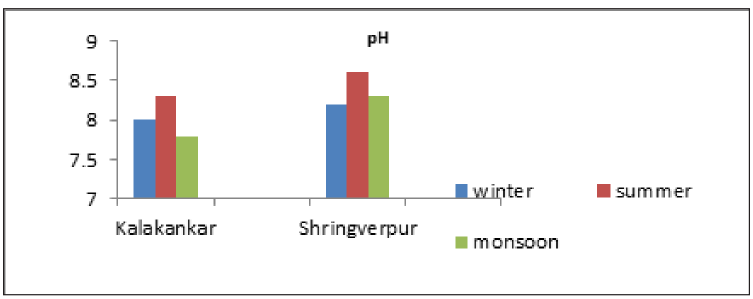

C

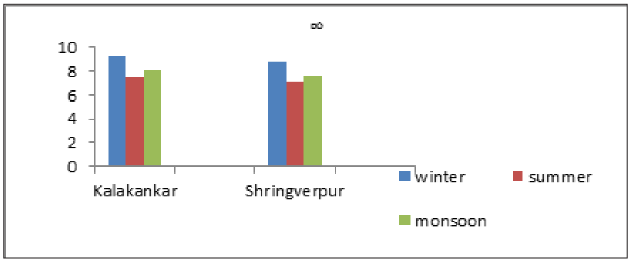
10
8
6
4
2
0
Kalakankar
Shringverpur
winter
summer
monsoon

D

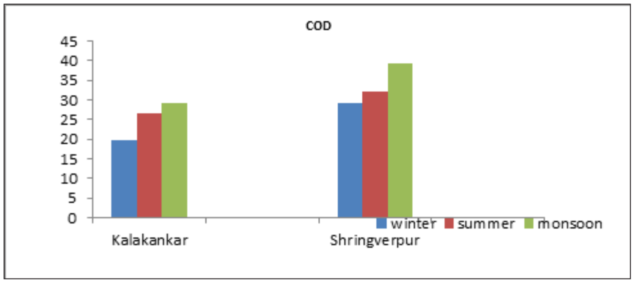
COD
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Kalakankar
Shringverpur
winter
summer
monsoon

E

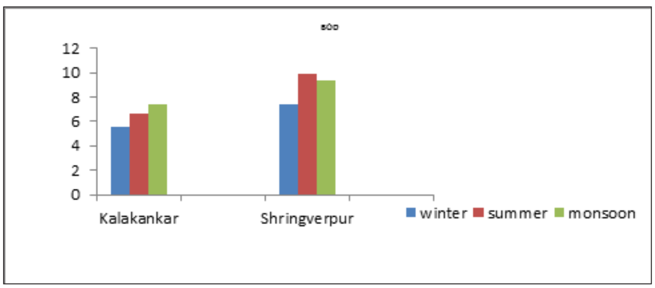
12
10
8
6
4
2
0
Kalakankar
Shringverpur
winter
summer
monsoon

F

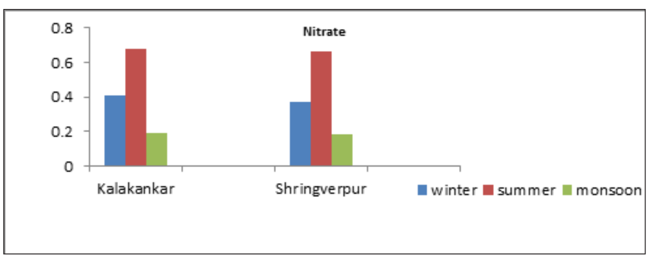
Nitrate
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Kalakankar
Shringverpur
winter
summer
monsoon

G

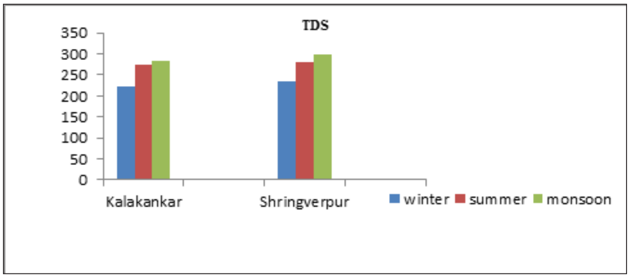
TDS
350
300
250
200
150
100
50
0
Kalakankar
Shringverpur
winter
summer
monsoon

H

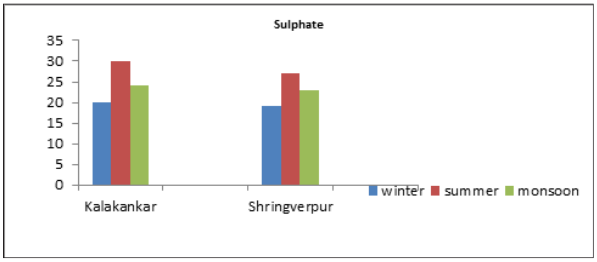
Sulphate
35
30
25
20
15
10
5
0
Kalakankar
Shringverpur
winter
summer
monsoon

I

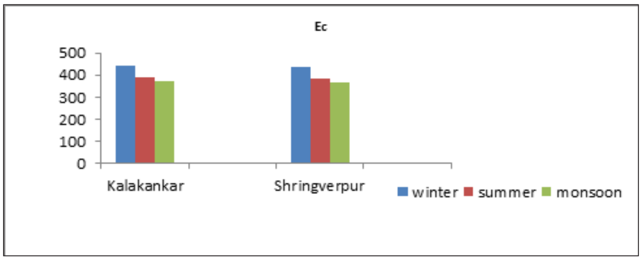
Ec
500
400
300
200
100
0
Kalakankar
Shringverpur
winter
summer
monsoon

J

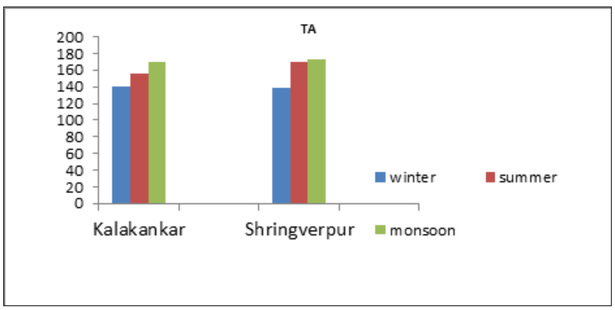
TA
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Kalakankar
Shringverpur
winter
summer
monsoon

K

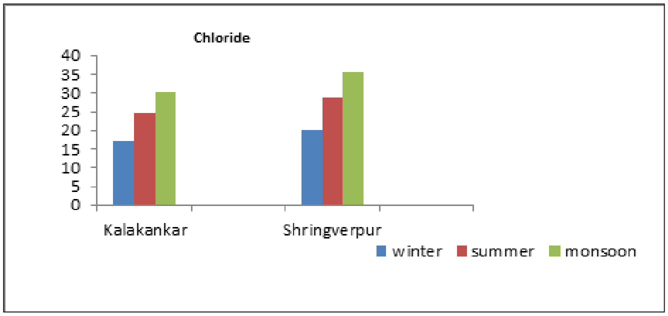

Fig 1: Graphs showing seasonal variations of physic-chemical parameter at site for Total hardness, pH, DO, BOD,COD, Nitrate, ,TDS, Sulphate Electrical conductivity, Total Alkalinity and Chloride, (A to K) at winter ,summer, monsoon seasons of Kalakankar (Pratapgarh) and Shringverpur (Allahabad) [U.P.] India.

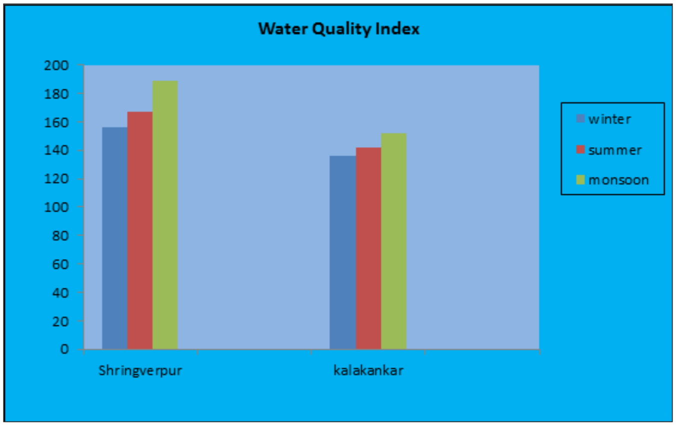

Fig 2: Graph showing water quality index in the winter, summer and monsoon season at the site Shringverpur (Allahabad) and Kalakankar (Pratapgarh).

References

1. Agarkar, S. V., 2003.Flouride content in drinking water of villages around Chikhli, Dist. Buldana, Maharastra. Asian J. Chemistry 15(3,4), 1875-1876.
2. APHA., Standard methods for the examination of water and waste waters, 21stEdn.,Washington, DC. USA. 2005.
3. B.N. Lohani, Water pollution and management reviews (Ed C.K. Varshney) South Asian publications, New Delhi, pp. 53-69 (1981).

4. Bahera, H., Pal, L. and Rout, S.P. (2004). Seasonal variations in the water quality index for Vani Vihar leke in Bhuvaneshwar. In: Water pollution (Ed: Aravind Kumar). A.P.H. Publ. Corp, New Delhi. Pp. 199-209.
5. Chaterjee, C., and Razuddin, M. (2002.Determination of Water Quality Index (W.Q.I.) of a degrade driver in Asanil Industrial area, Ranigunj, Burdwan, West Bengal. Environ. Poll. Technol., 1(2): 181- 189.
6. Chaurasia, M., and Pandey, G.C., 2007. Study of physico-chemical characteristic of some water pond of Ayodhya Faizabad. Indian J. of Environ. Protect, 27(11), 1019-1023.
7. D. Harkins, J. *Water Poll Cont. Fed,* 46, 589 (1974).
8. Gupta ,D., Shukla ,R., Barya ,M.P.,Singh ,G. & Mishra ,V.K. 2020a Appraisal of river water quality based on field observations: A case study on Narmada River . Indian journal of Ecology 47(4),897-901
9. Gupta ,D.,Shukla ,R., Barya ,M.P.,Singh ,G. & Mishra ,V.K. 2020b Water quality assessment of Narmada River along the different topographical regions of the central India. Water Science 34(1),202-212.
10. Gupta ,D.,Singh ,G., Patel , A.K.,Shukla ,R. Mishra ,U. & , Mishra ,V.K. 2019 An assessment of ground water quality of Varanasi District using water quality index and multivariate stastical techniques. Environmental We International journal of Science and Technology 14, 143 -157.
11. Jena, V., Dixit, S.,and Gupta, S., 2013.Assessment of Water Quality Index Of Industrial Area Surface Water Samples. International Journal of Chem. Tech. Research. 5(1): 278-283.
12. Joshi,Dhirendra Mohan, et al (2009) observed the water quality of River Ganga for Drinking purpose at Haridwar District vol.2. no. 1 (2009), 195-203, ISSN:0974-1496, CODEN:RJCA
13. K. P. Singh, A. Malik, D. Mohan and S. Sinha., *Water Res.*, 2004, 38, 3980.
14. Nikbakht, M. (2004) 'The effect assessment of Ahvaz No. 1: water treatment plant on Karoon water quality', Thesis (MSc), IA University, Ahvaz.
15. T.N. Tiwari, S.C. Das and P.K. Bose, *Poll. Res.,* 5, 1 (1986).
16. Tripathi, Beenu ., et.al (2014) "Studies on the Physico-chemical Parameters and Correlation Coefficient of the River Ganga at Holy Place Shringverpur, Allahabad" IOSR e-ISSN: 2319-2402, P-ISSN: 2319-2399,Vol.8 Issue 10 Ver.1)
17. Trivedy, R.K. and P.K. Goel, 1984. Chemical and biological methods for water pollution studies, Environmental Publications, Karad, India. 122
18. Y.A. Maruthi and S.R. Rao, *Asian J. of Chemisty,* 16, 122 (2004).

Socio-Legal Status of Live- In-Relationship Under Hindu Law : A Balance Need To Be Drawn

*Prof. Seema Yadav**
**H.O.D. Department of Law, Shri Varshney College, Aligarh*

Recapitulation

India is broadly known as a Nation with strong moral values and conventional integrity. Marriage is fundamentally the premise of social foundation and bond of social security from which important legal rights and obligation emerge. The concept of marriage has been diverted by the introduction of live- in-relationship , in which a couples lives together without marrying each other vis-a-vis without any legal or social commitment. Marriage which has been a sacrament,indissoluble union was not a die for this world but after that also i.e.companionship between births and births ,As per Hindu culture, tradition, customs and practices marriages are considered to be made in heaven and celebrated on earth. Indian society is still look by the world as a cultural, traditional marriage occupies a secramental position both philosopically and practically. Live- in-relationship that is cohabitation, is an arrangement whereby two people decide to live together on a long term or on permanent basis in an emotional, physical relationship, this type of arrangement is mutual understanding of the person which they follow the consequences of being treated as couple. Live -in- relationship is trending concept in Indian society now a days.So with the changing time & attitude of the people these relations have come to the main stream of the society. The number of such relations is increasing gradually and this has compelled the Apex Court of India to take the matter seriously because the Hindu marriage is a pious practice and not a contract or a trial, thus live -in-relationship in India have still not record the consonance of the society. The author tried to discuss the topic with main socio-legal status with issues , implications & also the impact of live- in-relationship on marriage institution, has been highlighted with present law which are insufficient to address the issue of live-in-relationship in Indian society.

Keywords: Live-in-relationship, Socio-Legal Status, Hindu Marriage, Impact on Society, Legislative & Legal implications, Judicial Pronoucements.

** First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

Inception :

Live-in-relationship i.e. cohabitation is an arrangement whereby two people decide to live together in a long term or permanent basis in an emotional-physical relationship. Expression live-in-relationship in its ordinary sense to mean that two people living together without intending to establish any kind of permanent relationship between them without any commitment. This kind of relationship has emerged primarily out of convenience, parties in such kind of relationship initially lack the commitment with each other.The main element that works in such relationship is it's 'compatibility'between such partners.Due to modernization and city culture, we are observing this kind of relationship in few parts (especially in metropolitan areas of India) of Indian society. The basic idea of conducting a live - in - relationship is that the interested couple wants to test their compatibility for each other before going for such commitment. Indians who are well known in entire world for their culture, tradition,usages, customs,so Indians always feel proud to say that they are adhered with their culture,traditions, values,moral etc.The concept of live-in-relationship is not digestible for their traditional & religious mind set. Indians still believe in institution of marriage as sacrament.

Pioneering:

To concept of live-in-relationship in western countries is not now new, it was also prevalent in ancient India was known as 'Maitri Karar'which a written agreement was made between two different sex persons as they will live together and they care of each other as a friend. In late 19th century the concert of relief in relationship had started emerging concept in western countries but in 21st century the concept of live- in-relationship became very popular in western countries with legal garb although cohabitation was illegal in America but in 1970 ,it gain the status as a common law subject to certain requirements.The similar situation was prevalent in Denmark, Sweden etc countries .But the children born to them were not recognised legal.In present era the cohibitation in USA became a natural step in the dating process.

Live in relationship might be new term but the concept is not new in ancient India,there were eight forms of marriages in vedic period Prajapatya, Daiv, Arsh,Brahm(recognised & approved by society),Gandharv,Asur,Rakshas,paishach(not recognized & disapproved by society).Gadharva marriage was a kind of marriage under which a man & a woman mutually agreed to get married in presence of presumed to be supernatural resources such as moon,an idol etc.as witness in their marriage, this neither involves the family nor any rituals or ceremony which is to be performed now a days.

** First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

The ancient peoples were enough to accept anything that have been Taboo on some point or any other,in Vedic period as pre and post marital sex ,prostitution , divorce, widowremarriage etc but live in relationship in India have still not receive the consonance of the society because the majority of Indian society regards live-in-relationship as improper and Immoral relationship due to lack of proper awareness. In 1978,live-in-relationship was recognised by Supreme Court of India in Badri Prasad versus Dy.Director of Consolidation[1] case.

Live-in-Relationship under Hindu Law:

Marriage which involves transfer of dominion over damsel from father to the husband and which has always been the foundation of peace and order in a civilized society was amongst the Hindu, a settled institution with a religious character attached thereto even during Vedic period. It is defined by Raghunandan Das 'the acceptance by the bride groom of a girl as his wife. The girl has been given by her guardian.Hindu Marriage is religiously explained by famous Indian Law giver Manu "The gift of a daughter (kanyadan),clothed only with a single robe to a man learned in the Vedas,whom her father voluntarily invites & respectfully receives" by saying that" I hold your hand for saubhagya (good luck) that youmaygrow old withyourhusband, youaregiven by thelearned & wise persons",upon the completion of the ceremonies the bridegroom joins hand with the bride and says to her "Give the heart to my religious duties, may they mind follow mine be thou consentient to my speech. May Brahspati unite thee unto me".

Under the old Hindu Law as well as live -in- relationship considered as Immoral & against the societal norms and values.Moreover various things and emotions are attached to the marriage institution.However now Supreme Court also recognized the live-in-relationship as the "idea of marriage",which can be beneficial & profitable with different advantages, for a lady, who is living in a relationship.

In Gopal Krishna vs Mithlesh Kumari,[2] the Court held that the institution of marriage under Hindu Law is sacred and not mere socio legal arrangement. It is not merely performed for emotional satisfaction and not mere brothel.

Socio-Legal Status of Live-in-Relationship

Social Position : In India especially among Hindus marriage has always been considered as sacrament the husband and wife is one in the eye of law the legal consequences of marriage that follow as to the sanctity of this relationship marriage legally entitles both the persons to cohabit, the children born out of a legal wed lock are the legitimate children of the couple, the

wife is entitled to maintenance during the substance of marriage and even after the dissolution of marriage. When Supreme Court of India first laid down ruling and gave green signal to the concept; live- in-relationship and pre marital sex and it became the bone of contention and debate. The primative and orthodox group period that the ruling as to live in relationship would destroy the sanctity of a marriage a large fragment of the society including the eminent and prominent social activists and the religious rights workers went to forward to express this agreement with the ruling laid down by the Supreme Court in the light of the contrary of the issues, the live-in-relationship behaviour got legalise in the country lots of people thought that the ruling will spoil the new generation not only in terms of social behavior but it would also make their mind corrupt, perhaps they would commit mistakes while choosing his/her partner & also the parent would be deprived of choosing their son / daughter in law of their choices they also believed that they will be no security as to how long the relationship would sustain whether the partner would be loyal or not.

Recently, some horrific incidents have put a question mark on live-in relationships. The society at large and the law makers have been forced to think again on the above subject, that in today's modern and progressive society, efforts should be made to make laws with positivity while maintaining our culture.

Indian society also feared that the one partner may leave other at any stage without any valid reason would effect future perspectives of heritance, maintenance etc.

Factors which may influence the Indian Society on Live -in-Relatioship :

Before the introduction of live- in-relationship in India there was traditional method of arranged marriage to opposit sex may commit cohabitation only after getting married in accordance with their respective personal laws but over the last few decades the concept of live-in -relationship has started to gain popularly in our country however acceptance in the Indian society and under the legal framework has always been a topic of debate and criticism .Since the concept of live- in- relationship has gained the legal garb and it has been getting more and more popularity with the passes of time therefore it's ramification on the Indian society and youth has to be examine under the following various heads:

- **In And Out relationship:**The the simple method for characterizing the relationship which involves no commitment on the gatherings, is an agreement of living respectively which is re-established each day by the gatherings and can be ended by either without the assent of the other. In this way individuals who have a live in relationship can grumble of disloyalty or corruption,or it would be so-called satisfactory.

- **Negative Identity :** Human Instinct has the ethical risk to hold fast to life advancing standards to empower the future ages to be glad for their introduction to the world,the richnesh of social customs & rituals.

- **Chancing Societal Norms:** Law is successful when it fulfill the prevalent changing needs of the society. Indian society is undergoing a gradual shift towards more liberal & progressive values, norms etc.there is increasing acceptance of personal choices & alternative lifestyles.This may lead to greater acceptance of live-in-relationship in the future.

- **Generational view:** Young generations in India are more open minded and liberal compared to previous generations & they may be more in acceptable form of live in relationship as a lifestyle choice. Everyone is eager to accept modernization especially youngsters without checking its pros & cons because imitation is the natural phenomenon of each & every human Instinct. Social media also plays vital role on generational differences between parents & youngsters.In today's fast paced life no one cares about anyone else, as a result the scope of social pressure is diminishing.

- **Economical Factors:** Economical soundness of youngsters influenced themselves towards doing everything is fair in day to days life due to competition,hazzaleness,tight busy schedules in their jobs, living adjustments in metropolitan cities. As the economy grows and more people become financially independent, there may be a shift towards non traditional living arrangements like live-in- relationships.

- **Legal Recognition:** Legal recognition and protection of live- in- relationship is the urgent requirement in present scenario. The Supreme Court of India has provided some legal protection to women in live-in-relationships ,there is a need for comprehensive laws(personal , substantive and procedural) to address Legal & Social issues faced by couples in such relationships.

- **Upcoming Perspectives of Live -in - Relationship in Indian Society:** The future perspectives of live-in-relationship in Indian Society is an interesting & evolving topic. As Indian society is becoming more liberal & progressive, there is a growing / demanding acceptance of alternative lifestyles and personal choices including live-in-relationship.

- **Legal Position :** the concept of live in relationship is not new in India and and it has been prevalent in various parts of the country for centuries,however the formal recognition of live-in-relationship under Indian law is a relatively recent development. In 2005 the Indian parliament passed the Protection of Women from Domestic Violence Act which provided legal protection to women who live with their partners in a relationship similar to marriage. Act recognised the need to protect women who face domestic violence livein-relationship and provisions for them to seek legal remedies.

The legal system in India first time recognised live-in-relationship in S.Khusboo vs Kanniammal case In the year 2010,the Supreme Court held that live-in-relationship were not

illegal & Immoral because two consenting adults had right to live together without getting getting married. In the year 2015, the Supreme Court of India made a landmark judgement in the case of the D. ValuSwami versus D. petiyalmal & pointed out that a long term live -in relationship could be considered a valid marriage under certain circumstances the Supreme Court of India also expanded the rights of partners in live- in-relationship the court held that "woman in long term live-in-relationship is entitled to maintenance from her partner after separation". The legal recognition of live- in-relationship in India has evolved overtime and were not recognised as marriages under Hindu law or other Indian law, the live- in-partners are not considered a legally recognised union, couples in live-in-relationship do have some legal protection under Indian personal laws.

Provisions relating to Live-in-relationship in various Indian Acts:

- **The Hindu Marriage Act, 1955:** The Act provides the recognition of marriages & also recognized the rights of a woman for maintenance from her husband, in case of separation, but it does not recognise live-in-relationship as a valid union. Various courts held that a woman in a live -in-relatioship can claim maintenance under the Act if she is able to prove that the relationship is akin to a marital relationship.

  Clause (1)&(2) of Section 16 of H.M.Act ,1955 clearly declares that children born in such relationship should be deemed as legitimate children in the eyes of the law.

- **Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 :** The Section of this Act expressly provides that the father & mother are the natural guardian of his minor legitimate children, However, Section 6(b) of the abovementioned Act appear to deal with live-inrelationship in an indirect manner as it grants the custodial rights to the mother in case of children born out of illegitimate relationship.
- **Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 :**A child born out of live-in-relationship had not been covered under Section 21 of the H.A.&M,Act and consequently had been denied the right to be maintained under the above mentioned Statute.
- **Indian Penal Code 1826 :** The Indian Court provides for criminal liability for offences like rape, adultery and bigamy, which can also be applicable in cases of live- inrelationship.
- **Domestic Violence Act 2005:** Section 2(f) of the Act defines 'domestic relationship means a relationship between two parties who live or have, at any point of time, lived together in a shared household,when they are related by consanguinity, marriage or through a relationship in the nature of marriage.,adoption or are family members living together as a joint family.

The Domestic Violence Act provides protection to women in domestic relationship including those who are in live- in-relationship, against violence and abuse the Act recognises

live-in-relationship in the nature of marriage and provides protection to women in such relationships.Though the live-in-relationship is not categorically defined in the Act but left to the Court for interpretation. By virtue of aforementioned provision,the Court interpreted the expression "relationship in the nature of marriage ".This gave women some basic rights to protect themselves from the abuse of fraudulent marriage, bigamous relationships.Section 12 of D.V.Act provides for the application by estranged partner with the domestic incidence report. In such a way the rights of live in partner is as equal as available to other shared household i.e. wife etc.For success to get the right the partner has to prove that..i) She has been in a shared household, ii)Subject to any kind of domestic violence, iii)Have in relationship of marriage.

The Domestic Violence is a protective legislation, hence, provides the protection to a person who has been in a point of time under shared household & subject to any domestic violence. The estranged may be entitled to have-

a) Separate House,

b) Monetary Relief,

c) Protection Orders,

d) Custody Orders,

e) Other Compensatory & Interim Orders.

- **Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 :** The rules made under the domestic violence act provide for the procedure for the application of protection orders, residence orders and monetary reliefs for women in live-in-relationship.
- **Protection of Women from Domestic Violence (Amendment) Act 2013:** The Amendment to the Domestic Violence Act 2005, includes "relationship in the nature of marriage" within the definition of "domestic relationship",this include live-in-relationship and women in such relationships are entitled to protection under the Act.
- **Landmark Judgements on Live-in-Relationship :** Living together is an art, it's a patience art,it's a beautiful art, it's fascinating. There would be no society if living together depended upon understanding each other, no human being should be maltreatment under any circumstances untill & unless,the society at large should accept this phenomenon parrellary with societal norms according to the prevalent need of sociolegal changing situations.

  The little Framework for such relationship is involving in recent years but still there is no specific law in India that governs live in relationship and have provided legal protection to individuals in

such a relationship do various judgements which were played a significant role in providing legal recognition and protection to such relationships, some landmark judgements by various State High Courts and Supreme Court of India are as follows:

- The Allahabad High Court also recognised the concept of live-in-relationship in the case of Payal Katara vs Supritendent, Nariniketan&others,wherein it held that live-inrelationship is not illegal. Aman & a woman can live together as per their wish even without getting married. It further said that it may be Immoral for the society but is not illegal.[3]

- In D.Velusamy vs D.Patchaiammal,2010, the Supreme Court of India laid down certain criteria to determine whether a relationship between two adults, who are not married, qualifies as a relationship in the nature of marriage and is within the ambit of domestic relationship under the Protection of Domestic Violence Act, 2005.

- In Alok Kumar vs State, one ot its judgement the Dehli High Court has held that live-inrelationship is walk in and walk out relationship and no strings are attached to it.This type of relationship does not create any legal bond between the partners. It further held that in case of live-in-relationship, the partners cannot complaint of infidelity or immorality.

- The Supreme Court pronounced inS.Khushboo vs Kanniammal & others, 2010,' live-in-relationships are not illegal or Immoral and the adults have the right to live together even if they are not married '.

- ln Indira Sharma vs V.Sharma, 2013, case Supreme Court held that woman in a live-inrelationship is entitled to protection under the Domestic Violence Act 2005 and can claim maintenance if the man deserts her or refuses to maintain her.

- In Payal Sharma vs N.Talwar, 2018,case Dehli High Court held that a woman in a livein-relationship is entitled to have the same rights as a legally wedded wife under the Hindu Marriage Act 1955,and a child born out of such relationship,is entitled to maintenance under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956.

- S.C. expanded its view in Lalita Tappo vs State of Jharkhand, 2019,according to Supreme Court "A couple in a live-in-relationship can be deemed to be married if they have lived together for a long term and have been accepted by the society as a married couple.The Court also said that in fact,under the provisions of the D.V.Act,2005,the victim i.e. estranged wife or live-in-partner would be entitled to more relief than what is contemplated under Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973,namely to shared household also.

- The Supreme Court pronounced a landmark judgement in Vidhyadhari vs SukhranaBai pronounced a landmark judgement wherin the Court granted the right of inheritance to the children born from a live-in-relationship and imputed them with the status of "legal heirs".[1]

- The Indian Judiciary in order to do justice it exercise it's judicial power to achieve the ends of Social Justice in the landmark case of Dimple Gupta versus Rajiv Gupta in this case the Supreme Court held that even an illegitimate child who is born out of an illicit relationship is entitled to maintenance under Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973, which provide maintenance to children whether they are legitimate or illegitimate while they are minors and even after such a child has attained majority if he/she unable to maintain himself /herself. Inspite of the fact that there have been enormous cases that have upheld the maintenance rights of live in partners were the statutes in a broader manner to include female live in partners as "legally wedded wife "[11]
- The discrimination and unequal treatment of a child born out of a live in relationship and a child born out of marital relationship even though both are perceived as legitimate in the eyes of law also amounts to a violation of Article 14 of the Indian Constitution,which provides the 'Equality Before Law '.Thus, with the judicial pronouncement in favour of the grant of maintenance of the child born out of live -in -relationship and Section 125 of the Code of Criminal Procedure 1973, have paved the way for the grant of the maintenance to such child.[12]

Above landmark judgements have played a significant role in providing legal recognition and protection to persons who are in live-in-relationship in India and have played a vital role to address & remove the social stigma and discrimination face by couples in such relationships. The Indian Courts have time again tried to interced in matters relating to live -in- relationship and opened the gates of hope for the people.It is also mentioned that there was no law against premerital sex or live- in- relationship. The right to life and personal freedom is guaranteed as a fundamental right by article 21 of the Indian Constitution.In Ramdev Food Products (P) Ltd. Vs Arvindbhai Rambhai Patel[13],the Court stated that a live-in-relationship between two people who are not legally married is not a crime. Live-in-relationship are permitted in India.

Compuntions faced by Partners who are in Live-in-Relationships :

Person who are in live-in-relationship may face Legal and Societal challenges due to the non recognition of such relationships under Indian law. Some significant challenges are as follows -

- **Lack of Societal Approval ;**Live-in-Relationship is not widely accepted and partly approval is given by the Indian Society, so the partners of live-in-relationship may face social stigma with disapproval from family, relatives, friends etc.They are not considered as the member of reputed society, rather they are not seen in the right angle by the society at large. In case of trouble or bad times,the chances of providing any help to them by the society are negligible.
- **Societal and Moral Acceptance;** Even if live-in-relationship are permitted, they are frowned upon and considered morally & ethically unacceptable in Indian society because Indian society

is dubious of live - in- relationship; therefore couples frequently deal with various issues such as rejection from family, difficulty in finding a rental property, rejection from society, negativity at work etc.

- **Lack of Legal Protection;** Lack of legal recognition by the Indian law, couples of live -in -relationship do not have the same legal rights as married couples. They are not entitled to property rights, inheritance or maintenance in case of separation vis-a-vis couples are not legally pressurized by the law in matters were the quarrel take place between them. There are number of instances in India on the live in horrors.Nikki Yadav, Shradha Walker,Meghan Thorvi & many more love stories that ended in 'brutal murder'.

- **Financial Instability;** Lack of legal recognition and protection, the couple in live -inrelationship has to face financial instability, they are not have any legal claim to the property or assets of their partner during separation.Lacuna on legal recognition may lead to provoke partner to commit any type of offence against each other.

- **Unstable Social Security;** Partners in live-in-relationship r are not entitled to social benefits such as health insurance, family pension or other benefits like married couples so they cannot knock the door of court for enforcement of their rights due to lack of rules and regulations in India. ***Official Documents;** In India, there is still no category for a live-in-relationship on any official paperwork. The couple encounters issues with shared bank accounts, nominee names, insurance, visas,etc.

- **Cultural Issues ;** India is known for its diverse culture and religion. The impact of globalization on human relations in our country has been unprecedented. The formerly dominant family ties and values are witnessing rampant changes. Every religion has its perspective towards a live-in-relationship. Anti religion marriage is still a complicated issue and is only allowed under the Special Marriage Act 1955.A live-in-relationship is a step ahead and Hinduism do not accept the concept because In India beliefs,customs, usages & culture have a significant impact on people's mindset(report2015 by Avantika Sarkar),so the acceptance of new norms depends upon the prominence of their beliefs rather than any law.The emphasis must be given to addressing the complications of anti religion live-in-relationship, which is still a sensitive issue.

- **Family Pressure and Violence;** Family often place a significant role in the personal life of individual in Indian society partners in live in relationship may face pressure from their families to get married or to confirm to traditional norms. Women in domestic violence in live-in-relationship are vernable to domestic violence because they have non legal protection against silence brother or relative of family,female partners are sometimes aggressive or violent towards male partners for the shake of the reputation and they tries to kill them. Almost every day newspapers, TV news, are full of 'Honor Killing' matters. Although the Judicial Activism of Higher Indian Courts provided some legal protection to couples who are in live-in-relationship.

Guidelines issued by the Supreme Court of India:

Supreme Court of India played a significant role by pronouncing landmark judgements on live-in relationship and also directed Parliament to enact a new Legislation based on certain guidelines given by it so that the victims of live-in-relationship can be given protection from any societal wrong caused from such relationships. Following are the guidelines given by the Supreme Court.

- **Duration of Period of Relationship;** Section 2(f) of the Domestic Violence Act 2005, has used the expression 'at any point of time',which means a reasonable period of time to maintain and continue a relationship which may vary from case to case ,depending upon the factual situation, should be modified.
- **Shared Household;** The expression Has been defined under Section 2(s) of D.V.Act & hence,need no further elaboration.
- **Pooling of Resources and Financial Arrangements ;** Supporting each other, or any of them, financially sharing bank accounts, acquiring immovable properties in joint names or in the name of the woman, long- term investments in business, shares in separate and joint names, so as to have a long - standing relationship, may be a guiding factor.
- **Domestic Arrangements;** Entrusting the responsibility, especially on the women to run the home, do the household activities like cleaning, cooking, maintaining or upkeeping the house etc. is an indication of a relationship in the nature of marriage.
- **Sexual Relationship;** Marriage like relationship refers to sexual relationship, not just for pleasure, but for emotional intimate relationship,for procreation of children,so as to give emotional support, companionship and also material affection, caring etc.
- **Children;** Having children is a strong indication of a relationship in the nature of marriage. Parties, therefore, intend to have a long standing relationship. sharing the responsibility for bringing-up and supporting them is also a strong indication.
- **Socialization in Public;** Holding out to the public and socializing with friends,relatives and others, as if they are husband and wife is a strong circumstance to hold the relationship is in the nature of marriage.
- **Intention and Conduct of Parties;** Common intention of parties as to what their relationship is to be and to involve, and as to their respective roles and responsibilities,primirally determines the nature of that relationship.

Peroration & Motion:

We are living in the era of modernization, urbanization and Industrialization in which India is developing as rapid pace, where the concept of morality is changing, where marriage holds an important and sacrament character. in such a society a new concept emerge known as live-in-relationship.

It is also notable that man has a night out with a woman and engages in sexual activities or lives with someone for some days on vacation, it does not qualify for a domestic relationship, also if a man has a keep / mistress / rakhail ,whom he supports socially or financially & has a only for sexual purposes (or as a service or both),then such a relationship is not marriage in opinion of the Apex Court (Supreme Court).

The first question which comes in our mind is that why people's especially young generation entered in such a relationship which is not recognised by the society even in the modern period & whey people choose such a relationship instead having a marriage which is religious, sacrament and socially recognized & sanctioned? The reason of aforesaid question may be that -

- Young generation due their career prospects are living abroad without family or local guardians.
- When hetrosexual fall in love they want to live together and wants to spend more time with each other and wants to sure their compatibility prior to enter into a permanent relationship called marriage.
- They want to avoid the responsibility of the family system.
- They support to each other financially.

As as per Hinduism, marriage between two spirit is an extremely hallowed undertaking. As indicated by Manu ,in his famous book Manusmriti, 'the girl is given in marriage just once and she remains spouse of that person to whom she is given in marriage, for as long as she is alive,so the Hindu marriage is possibility of perpetual quality & holy observance on the grounds that the conjugal connection between the companion are made not because of an agreement between the two yet by the gift of a girl to the bridegroom by her father. The blessing is heavenly and went with the religious functions of saptpadi in which the couples take seven step of the holy fire.Thus such a relationship that is live-in-relationship under Hindu law can only raise a presumption of marriage but not regard it moral from the point of the society.

Indian society is gradually opening its ways to western thoughts & ways of living standards but still there is continuous war is going on between marriage and live-in-relationship as the marriage which is sacred institution does not recognise the live-in-relationship as well as the

live-in-relationship institution does not consider it any offence to live together as husband and wife without getting married.

Family is a unit of society which comes out from union of two persons who procreate it further in the bond of marriage. Children born out of marriage are recognise by this name of their parents which unknown in live-in-relationship though they may have other rights but social recognition would not be as much as it is in marriage. For that social recognition are to children should be given. The personal laws do not allow such relationship because the Institution of marriage has considered having socio-religious sanctity attached therewith. The concept of livein relationship is inspired by western society where there has been set up of legal framework as to protect the partners in such relationship.Such type of protection is the necessary requirement for Indian Society because the temporary arrangement of live-in-relatioship may have adverse effect on the society, so thus some kind of permanent union should be advocated in live-inrelationship, though the various judicial pronouncements & decisions has come to meet out the situation. When the uniform civil code is implemented, it will be necessary for these people who are living in a live-in-relationship or wants to live-in-it is to get registered. Apart from the Registration process, information about the people who living in a live-in-relationship are giving to live in it, will also be given to their parents. There will be provision of punishment under this law for not given correct information on giving incomplete information. In the future, Indian society will be benefited from such laws made by the government it is not only expected hope but there is full faith. However, a defined legal framework is needed to protect the rights of partners and the children born out of such relationship. Live-in-relationship should be given legitimacy according to the prevalent need of modern society, it must be subject to proper guidelines and requirements.

References

Books & Articles-

1. Paras Diwan:Modern Hindu Law(20th edition),Allahabad Law Agency
2. R.K.Agrawal : Hindu Law, Central Law Agency
3. Dr Poonam Pradhan Saxena :Family Law ll ,Lexis Nexis Publication
4. Live in Relationship in India:Legal Status, Indian Laws & Jurisprudence -A Layman's guide
5. Shobhram Sharma-:Live in Relationship:An Individualistic Approach-NyayDeep
6. Kunal Mehta & Shivangi Upadhyaya-:Live in Relationship a need for Legislation, http/.advocatekhoj.com
7. Sanjay Kumar Shah-:Live in Relationship Law in India

Acts-

1. Hindu Marriage Act 1955.
2. Hindu Succession Act 1956.
3. Hindu Guardianship Act 1956.
4. Hindu Adoption and Maintenance Act 1956.
5. Domestic Violence Act 2015.
6. Criminal Procedure Code 1973.
7. Indian Penal Code 1860.

Case laws:

1) Badri Prasad vs Dy.Director of Consolidation, 1978,AIR 1557 1979 SCR(1)1.
2) Gopal Krishna vs Mithlesh Kumari,AIR1979,All.316.
3) Payal Katara vs Superitendent Nariniketan,3 MANU/UP/0288/2001.
4) Alok Kumar vs State, Dehli H.C.-Cri.M.C.no.299/2009.
5) S.Khusboo vs Kanniammal, 2010,5 SCC,600.
6) D.Velusamy vs D.Patchaiammal, 2010,10 SCC, 469.
7) Indra Sharma vs V.K.Sharma,2013 15 SCC,775.
8) Payal Sharma vs N.Talwar, A.I.R. 2001,All. 254.
9) Lalita Tappo vs State of Jharkhand,2019,13,SCC 796.
10) Vidhyadhari vsSukhranaBai,1996,4 SCC.
11) Dimple Gupta vs Rajiv Gupta,AIR 2010,SC 239.
12) Bharat Mata & others vs VijyaRangnathan&others,AIR 2010 SC2685.
13) Ramdev Food Products(P)Ltd vs Arvindbhai Rambhai Patel 2006,8 SCC,726.

Wibliography

* Status of Live in Relationship & the need of Legislation- http//academia.edu.
* Relationship and Veda- www.daily.com.onlien
* Live in Relationship- http// www.legalserviceIndia.com

Influence of Contemporary Society and English Literature on Feminism

*Dr. Binu Singh**
*Pushpagya Raj***

Abstract

This thesis will be interested in the development of feminism throughout the history of English literature and Contemporary society and will also reach outside the real world to briefly discuss how feminism is perceived in different ages and how it got influenced by its previous eras and became different in the post-modern era.

Introduction

Feminism is a wide phenomenon experienced during the nineteenth century. It is one of the most significant periods of British history, it was a century of changes for women, and the twentieth century followed the path doing so. During this time, literature and society has developed and also the position of women with respect to men. But it is fully experienced during the suffragette movement that has started this revolution of equality between men and women during the twentieth century. The word feminism itself still evokes negative meaning to many even today. Women in Europe have started to voice for their rights and independence since the End of the 18th century, the aim was to have the same opportunity for education, occupation and life as men. Feminism is deeply influenced by social, religious, philosophical ideas of contemporary Europe which are seen in contemporary literature. Feminism is not just a movement only experienced in Europe but also in other Continents.

What is feminism

Feminism is a movement which supports the feminist goals of defining, establishing, and defending equal civil, political, economic and social rights for women. Feminism identifies women's roles as unequal to those of men regarding status, power and privilege and wants to change women's place in society.

** First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

Influence of literature in feminism

Many writers portrayed the narrative of male domination in their literature by exploring the economic, social, political, and psychological forces embedded within contemporary society. Feminist tried to increase the self-esteem of women, their active participation in decision making and social action, women empowerment, and expediting the recognition by societies for the value and worth of women. The issue of Feminism in English Literature is not new but due to patriarchal society, it has been suppressed and overlooked. Many texts within classical literary writings were read through a new perspective which are patriarchal in their themes and present women below men in society. Specific goals of feminist writers is to develop and discover a place for women as equal to men in every direction. The existence of inequalities between men and women are not natural but a social taboo which is shown during nineteenth and twentieth century writings.

Feminism in different era in literature and Contemporary society

Even though 'feminism' came during the mid 18th century, its value is seen in even previous centuries literature. Even if it couldn't influence deeply contemporary society and literature.

In the 15th Century, Christine de Pizan wrote *The Book of the City of Ladies* which combats prejudices and enhances the importance of women in society.[1] Many early feminist literary writers were forgotten over due to contemporary patriarchal system and ideas.

In Western feminist literary scholarship, Studies like Dale Spender's *Mothers of the Novel (1986)* and Jane Spencer's *The Rise of the Woman Novelist (1986)*[2] were ground-breaking in their insistence that women have always been writing.

The eminent philosophers like Socrates, Plato, Aristotle, Rousseau, Kant, etc. supported to the common belief in contemporary society that of lacking women's abilities like self-determination, courage etc. Aristotle *specified the courage of man shown in commanding and woman in obeying in his work politics* From middle ages to Victorian age, patriarchal society is dominant which can also be observed through contemporary literary works of these era. It can be seen through their writings in which society is always male dominant and the story depicts fall or rise of a male protagonist and antagonist like *Hamlet, King Lear, Julius Caesar, As you like it* (William Shakespeare), *Dr. Faustus, Tamburlaine* (Christopher Marlow).

Even though female characters are important characters in many works but they always act as a supporter to a male. She is like an incomplete character in these works without a male

character before the Victorian era. These characters always followed male dominated rules and conceptions where women were placed below men.

Even during Elizabethan age, these preoccupied concepts of patriarchal society are dominant and even Queen Elizabeth had to face it during her regime. She couldn't deeply influence feminism during her ruling and change concepts about women.

Portia and Nerissa go to Venice disguised as a lawyer and clerk in male attire (Shakespeare, *Merchant of Venice, act 4*). This disguise is used by Shakespeare because at that time only a man could do these occupations. It shows the authority and power representation of male dominated society. Womens were not self-aware of these boundaries placed on their awareness by society and themselves which led to their low position in contemporary society.

Britain as well as France were among the first countries in Europe where women started fighting for their rights, education, and respect *Simone de Beauvoir wrote that "the first time we see a woman take up her pen in defense of her sex was when Christine de Pizan wrote Epitre au Dieud Amour (Epistle to the God of Love) in the 15th century"[4].*

Mary Wollstonecraft, one of the authors who wrote about feminism, advocates in her *A Vindication of the Rights of Women (1792)* that *women must be treated equally because they have to play a crucial and vital role in society, especially bringing up children.* The term 'feminism' is also used to popularize a cultural, political or economic movement aiming for equal rights for both women and men in literature during the beginning of the nineteenth century. *Margaret Fuller,* one of the famous female writers of the 19th century, in her *Women in the Nineteenth Century (1845)* believed that education is the means of emancipation for women and her key planks are education, employment and political.

During this period, many writers in their works started to begin writing and depicting women's misery, sadness, pain and their sufferings due to their pitiful position in society. During the Victorian era, there were many roles of women but the era was dominated by writers who treated women as angelic figures- innocent, physically weaker and nothing less than household commodities; *Christina Rossetti's 'Goblin Market' and Lord Tennyson's 'Lady of Shalott'* from the Victorian era depicts a women involved in a quest to attain some higher knowledge, which is limited to men and how in their attempt, they lose their ability to get back to the womanhood they were proud of. It depicts their miserable position in society and people' view regarding them. In *Les Miserable by Victor Hugo,* we can see contemporary women's condition and perception of people about women. Feminist writers started to begin describing about women's misery and its reasons through their works. They started to work on women empowerment and expediting the recognition by societies for the value and worth

of women. In early 19th century, Florence Nightingale, a social reformer who advocated the importance of nursing schools and better education for women convicted that women had *"all the potential of men but none of the opportunities"*[5]

During the 19th century and early 20th century, some women writers started to begin writing but they only imitated their male predecessor writers and their aesthetics. but during this timeline women started the suffrage movement in the United Kingdom focusing on women gaining the emancipation, equality and right to vote. They struggled for removal of barriers to women's participation in public life, and integrating women into male ways of knowing and doing like female participation in science, technology, mathematics. Many female writers and feminists asserted that what they needed was acknowledgement of what women need to fulfill their potential and their own natures and not only equality. Virginia Woolf, in *A Room of One's Own,* states her argument about how women's talents have been wasted. Edwardian poetry spoke of women's rights gathering much attention, feminism and females getting out of their homes during the war times.

Far From the Madding Crowd (1874) in which Thomas Hardy portrayed Bathsheba Everdene, the protagonist as a feisty feminist, who says: *"Well, what I mean is that I shouldn't mind being a bride at a wedding, if I could be one without having a husband." Everdene* does have strong feminist attitude and is provocative, outspoken and always seems to be ahead of her time even though it perceived to be a misogynist mindset of *Hardy* by Victorian readers. But if this character is read from a modern point of view then it shows feminism in his writing. Hardy didn't follow the contemporary social norms and criticized the Victorian patriarchy by the critique of the legal system in the United Kingdom, he did not agree with the fact that a woman should hand over all her property to her husband after getting married,which is also illustrated very well in his works.

"It appears that ordinary men take wives because possession is not possible without marriage, and that ordinary women accept husbands because marriage is not possible without possession; with totally differing aims the method is the same on both sides. But the understood incentive on the woman's part was wanting here. Besides, Bathsheba's position as absolute mistress of a farm and house was a novel one, and the novelty had not yet begun to wear off."[6] (Hardy,152-153) Hardy approves the feminist ideology in his works where women are shown as strong and capable of having power in work and romantic relationship as men are.

Margaret Waters claims in her book called *"Feminism: A Very Short Introduction, "for a married woman, her home becomes a prison-house. The house itself, as well as everything in it, belongs to the husband, and of all fixtures the most abject is his breeding machine, the wife.*

Married women are in fact slaves, their situation no better than that of Negroes in the West Indies." (Walters,44) Women at this time were not much better than servants. They hardly had any rights and possessions.

After the second world war, (during mid-twentieth century) feminism started to concentrate on the cultural features of female oppression and the structural, social and psychological transformations to achieve women's liberation. Therefore, feminism challenged contemporary sexual relations and politics but produced a new language and discursive framework of liberation rather than emancipation, and collectivism rather than individualism. feminism challenged the official or patriarchal system, texts and etiquette and practices including femininity, sexuality and masculinity. Ellen More's *Literary Women (1976), Elaine Showalter's A Literature of Their Own (1970), Nina Baym's Women's Fiction (1978)* analyzed women and literature to observe male treatment of female characters. Women started to attempt for a better social position in society and the feminist demanded for equal education opportunity and equal pay, as well as free contraception and abortion if needed during the late 20th century.

After the 90's feminism changed women's issues in the representation of female empowerment as individual transformation, women's economic problems, and the portrayal of political issues as worthy of mockery. English writer Jeanette Winterson who wrote semi-autobiographical novel Oranges *Are Not the Only Fruit (1985)* has dealt with the topic of lesbianism and sexuality in her novel, and she is also highly acclaimed as one who focuses on representation of lesbian characters in her works. Lesbianism is already brought up by Virginia Woolf in her novel *Orlando: A Biography* but also in already mentioned *Mrs. Dalloway, where Clarissa Dalloway has a relationship with Sally Seton* where *Mrs. Dalloway* deals with the question of a search for self and sexual repression.

Conclusion

As the whole feminist movement has developed over the centuries, the writing style has been changed and new themes are added during this time period; for example sexuality, homosexuality, political influence, the importance of freedom, became more apparent. Feminism became more diverse and distinct from its beginning, its previous ideas, values became strange from its present. Many previous subjects were ostracized by new ones;these subjects became too dull in post- modern era.

This movement began to gain equal rights, authority and freedom during its early years, but after going through many centuries it started to move in new directions. Some of these

post modern feminism topics would probably even be perceived as taboos in the nineteenth and early twentieth century like sexuality and homosexuality. Feminism has empowered the confidence of women and provided the individuality identification in the patriarchal society but its motive and thoughts will become more diverse and distinct as it moves to the future.

References

1. Wikipedia *Christine de Pizan*
2. Wikipedia feminist literature
3. *https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F10.1086%2F383492*
4. Wikipedia feminist literature
5. Florence Nightingale, "On Family Life" in Suggestions for Thought, ed. by Michael D. Calabria, Janet A. Macrae. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994), 125.
6. Hardy, Far From the Madding Crowd, 152-153
7. Feminism in British Literature By Njoka Divine Ngwang (Ph.D. Researcher AfLit, University of Buea)

Library and Information Science Professionals learning approach towards soft skills enhancement through MOOCs Platforms

**Amruta Nareshchandra Upreti*
Research Scholar, Oriental University,
Indore
***Asharam Pal*
Assistant Professor, Department of Library and Information Science,
Oriental University,
Indore

Abstract

This study explores how professionals in the field of Library and Information Science engage with Massive Open Online Courses (MOOCs) to enhance their soft skills. The study aims to provide insights into the selection of MOOCs and motivational factors which affects their pursuit of soft skills development. It will help to understand how digital learning platforms can be leveraged to support ongoing professional growth in the LIS sector. Early-career individuals prioritize foundational skills, leadership, creativity, and relationship-building. As they gain experience, the focus transitions to refining soft skills, personal, and professional development. For those with extensive experience, the emphasis returns to leadership, creativity, and maintaining high professional standards. Understanding these evolving needs is crucial for designing effective MOOCs. Tailoring offerings to address early-career research interests, mid-career development, and advanced professional challenges ensures that LIS professionals receive relevant and impactful support throughout their careers.

Keywords: Soft skills, MOOCs, skills enhancement, learning approach, library and information science professionals

** First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

Introduction

Soft skills act as a complement to technical skills which helps to create a productive environment. Skills and knowledge are intertwined, knowledge provides the theoretical understanding and context needed to apply skills effectively, while skills allow to put the knowledge into practice. They are crucial for creating a harmonious and productive work environment, as they influence how individuals work together and handle challenges. The soft skills-also called life skills are defined by World Health Organization as "abilities for adaptive and positive behavior, that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life". According to the eLene4work definition "Soft skills represent a dynamic combination of cognitive and meta cognitive skills, interpersonal, intellectual and practical skills. Soft skills help people to adapt and behave positively so that they can deal effectively with the challenges of their professional and everyday life." According to Geisinger (2016), skills such as collaboration, teamwork, and cross-cultural sensitivity are essential for effective teamwork and problem-solving.

The term 'soft skills' includes various interconnected skills and attributes. Rotherham, Andrew J., Willingham, Daniel T., (2010) defined soft skills as "21st-century skills" which are essential for success, further recommending soft skills help in change in the economy and world at large. Tzoc and Millard (2011) noted that both current students and practicing librarians should pursue additional non-curricular opportunities to enhance their competencies in the technical areas discussed in their study to remain marketable. Fortunately, the areas with the most significant gaps also offer considerable opportunities for independent learning. Cobb, Meixelsperger, and Seitz (2015) emphasized that while soft skills are challenging to define and measure, both scholars and employers recognize their value in the workforce. These skills include curiosity, initiative, understanding, communication, a sense of professional responsibility, and the ability to address and learn from mistakes. Notably, communication is highlighted as one of the most sought-after soft skills.

Ashalatha (2016) categorized soft skills for librarians including listening skills, communication skills, interpersonal skills, public relations, customer service, leadership, teamwork, negotiation, writing, teaching, presentation, time management, and conflict management. The Learning approach of every professional depends upon their personal needs, with purpose such as to boost the earning potentials, increase knowledge and skills which will help to gain good employability. At an entry level, a professional may need to structured courses from work on improving their soft skills which are not taught during the professional degree that an individual learns. Soft skills involve a range of competencies, including personality

development, interpersonal relationships, and teamwork. As the years of experience grows the skills required changes. Hence various soft skills are listed to know the interest of LIS professionals in upskilling.

Massive Open Online Courses (MOOCs) offer a flexible and accessible way to cultivate soft skills, which are vital for both personal and professional development. It provides wide range of eminent universities and institutions. Since 2008, when the MOOCs were introduced by George Siemens and Stephen Downes, these online courses have transformed education worldwide by providing flexible, accessible learning opportunities to a global audience. MOOCs are flexible and accessible, allowing learners to access the course materials through internet from anywhere across the world, breaking down the geographical barriers to education. Since the MOOCs are conducted on larger platform the financial burden on the learner is less comparative to traditional learning mode, making it more feasible financially. Engaging in MOOCs often involves participating in global forums, discussions which can broaden professional networks and offer fresh perspectives. MOOCs have not only helped the regular students but it has also helped the working professionals to enhance their knowledge without disrupting their careers. This flexibility is particularly advantageous for LIS professionals who often juggle multiple responsibilities and seek convenient ways to advance their skills.

This study examines how Library and Information Science (LIS) professionals' approach Massive Open Online Courses (MOOCs) designed to enhance soft skills. The study highlights the growing emphasis on soft skills within the LIS field. As the nature of professional roles evolves, these skills are becoming critical for success and career advancement. The increasing importance of soft skills in professional development, coupled with the rise of MOOCs as a flexible learning medium, provides a significant context for this research. The study focuses on LIS professionals, including librarians, archivists, and information managers, who have engaged or are engaging in MOOCs aimed at soft skills development. The research also provides brief information about MOOCs provided on various platforms. Information on the features of different platforms, such as Coursera, edX, and SWAYAM, helps demonstrate the variety of learning experiences and resources available for developing soft skills.

Table 1: Soft skills courses available on MOOC platform

Sr. No.	Course Title	Platform
1	Collaborate Effectively for Professional Success	Coursera
2	Communicating with Presence Specialization	Coursera
3	Decision-Making for Everyone Specialization	Coursera
4	Delivering Quality Work with Agility	Coursera
5	Developing Interpersonal Skills	Coursera
6	Emotional Intelligence: Cultivating Immensely Human Interactions	Coursera
7	English in the Workplace: Soft skills	Coursera
8	Essential Skills for Your Career Development	Coursera
9	How to Get Skilled: Introduction to Individual Skills Management	Coursera
10	Leadership and Influence	Coursera
11	Leadership and Negotiation Skills Specialization	Coursera
12	People and Soft Skills Assessment	Coursera
13	People and Soft Skills for Professional and Personal Success Specialization	Coursera
14	Solving Problems with Creative and Critical Thinking	Coursera
15	Teamwork Skills: Communicating Effectively in Groups	Coursera
16	Workplace Culture for Everyone Specialization	Coursera
17	Soft Skills: Collaborate Effectively	edX
18	Soft Skills: People and Power Skills Assessment	edX
19	Soft Skills: Present with Purpose	edX
20	Developing Soft Skills and Personality	SWAYAM
21	Soft Skills	SWAYAM
22	The importance of interpersonal skills	The Open University

Review of Literature

Kumar A., Buragohain, D., and Singh V., (2022) in their paper aim to investigate MOOCs, which have garnered significant interest from academics across various disciplines worldwide. Their study analyzes and evaluates the barriers to and potential of implementing MOOCs, with a particular focus on Library and Information Science (LIS) in Northeast India. By reviewing existing literature, they propose a comprehensive conceptual model that will aid in designing

and developing a framework for MOOC courses in LIS.

Lazarus, F. C., and Suryasen, R. (2022) in their study examined various issues related to MOOCs and identified key factors influencing the adoption of MOOC-based curricula. Additionally, they proposed a research model designed to facilitate the integration of MOOCs into curricula and enhance the quality of higher education.

Sharma, R., and J.C. Sharmila Devi (2022) In their study, aimed to assess the readiness to effectively utilize and maximize the productivity of MOOC platforms. The paper reviewed various MOOC platforms and noted that many are relatively new, with limited research conducted thus far. The research identified significant opportunities for further study, including the popularity of MOOCs among students and educators, the impact of capital investment, and strategies for improving the quality of MOOCs.

Yaseen.S., Ravichandran.R., Rajirajan., (2022) in their study, highlighted the adverse effects of the post-COVID era on job markets. They emphasized the need to increase upskilling and reskilling efforts by 70% through investment in workforce development to remain competitive in the near future. The study also suggested that individuals must become proficient with technology to adapt effectively and align with organizational culture. To benefit both the economy and government, the study recommended a well-defined approach to ensure that intangible human resources are not wasted. This approach would help avoid the costs associated with inadequate reskilling and upskilling, ultimately contributing to the country's GDP by creating more value-added employees.

Selwent, M. (2020) emphasizes the importance of understanding training needs, which can be categorized into three levels: professional, organizational, and individual. Organizations recognize that one-time training programs are often insufficient for employee development. To be effective, training must be integrated into regular practices and adapted to new policies. Therefore, training modules should be expanded and supplemented with various workshops to ensure that new skills and knowledge become a routine part of everyday work.

Cinque M. (2017), Companies are increasingly seeking a skilled workforce, and it is crucial to offer young people opportunities to develop essential soft skills, such as entrepreneurial abilities, coping mechanisms, and self-directed learning skills. These competencies are vital for a smooth transition from full-time education to the labor market. The study reveals that both educational institutions and technologies like MOOCs are actively working to provide students with 21st-century skills, encompassing both soft and digital skills, to better prepare them for the demands of the workforce.

Bejalwar, S. A., & Kherde, M. R. (2021), in their study found that incorporating soft skills training from college level in the syllabus of Library Science courses is essential. By emphasizing that technical skills alone are insufficient, future library professionals will be better prepared to develop their soft skills. This holistic approach is expected to enhance their performance, lead to greater stakeholder satisfaction, and positively transform the perception of libraries through improved interpersonal abilities.

Williams, R. D., & Saunders, L. (2020), confirms that public librarians need a broad range of Knowledge, Skills, and Abilities (KSAs) to thrive in their roles. While core domain knowledge—such as professional ethics, collection development, search skills, and reference interviewing—is crucial, survey results indicate that the majority of essential KSAs are actually soft skills. These include interpersonal and customer service skills, cultural competence, and the ability to work with diverse populations. The findings underscore the importance of developing and emphasizing strong personal, interpersonal, and communication skills. Emerging professionals should be prepared for the intense patron-focused and interpersonal demands of the job, including engaging with communities and demonstrating high levels of empathy and service.

Research Methodology:

The study is based on data gathered from the library and information professionals in Maharashtra. Questionnaire through google forms were distributed through emails to gather data from LIS professionals regarding their experiences, challenges, and outcomes related to MOOCs. The research focuses on librarians, archivists, and information managers who are either currently participating in or have previously engaged with MOOCs aimed at soft skills development. To identify the skill set preferences of Library and Information Science professionals and to explore the motivational factors influencing their pursuit of MOOCs. Google Form was utilized to distribute the questionnaire among Library and Information Science professionals.

The objective of the study:

- To assess the effectiveness of MOOCs in enhancing soft skills
- Investigate the motivational factors driving LIS professionals to engage in MOOCs for soft skills development
- To analyze various soft skills required for professional development of librarians

Research output

This research will provide valuable insights into how Library and Information Science professionals engage with MOOCs for soft skills enhancement. It aims to provide implications for professional development programs and the design of future MOOCs. Understanding the motivations, challenges, and impacts of MOOCs on soft skills can aid in refining educational strategies and better support LIS professionals in their career development. It will assist the target audience to analyse their required skills, raising awareness among the professionals.

Analysis and interpretation of data:

The study is conducted in two major categories:

Skills: The skills selected by the LIS professionals. Leadership skills, creative skills, Interpersonal relationship skills, soft skills, managerial skills and team work. Within soft skills specific focus areas are communication skills, professionalism, courtesy, flexibility, work ethics.

Motivational factors: To examine the learning approach of LIS professionals' motivational factors were categorized as Continuing Professional Development, Personal Development, requirement for promotion, research, curiosity, pear pressure, other.

Data analysis: The data analyses consider the following factors: gender, Urban / rural location and age group.

Analysis of skill development:

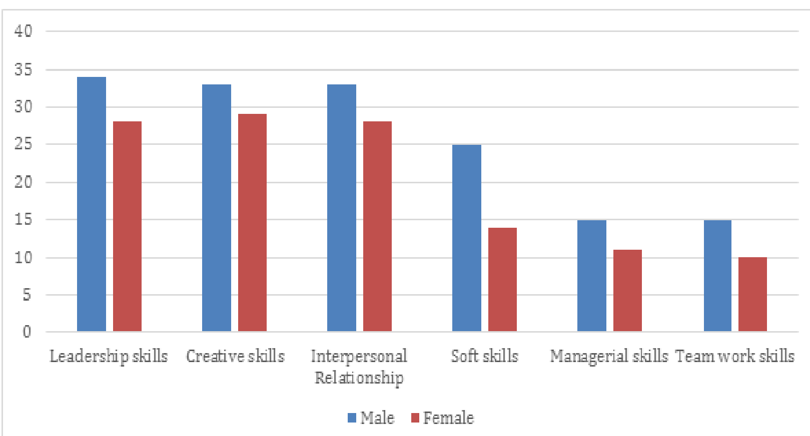

Fig 1: Gender Based Skill Development

	Leadership skills	Creative skills	Interpersonal Relationship	Soft skills	Managerial skills	Team work skills
Male	34	33	33	25	15	15
Female	28	29	28	14	11	10

Table 2: Gender Based Skill Development

The table examines the preferences for learning skills among LIS professionals, with a focus on gender differences. The findings are as follows:

- Male LIS Professionals preferred learning leadership, creative skills, interpersonal relationships, and soft skills. Managerial skills and teamwork were the least preferred.
- Female LIS Professionals preferred creative learning, leadership skills, interpersonal skills, and soft skills. Managerial skills and teamwork were also the least preferred.

Overall, both male and female LIS professionals showed a preference for creative, leadership, interpersonal, and soft skills, while managerial skills and teamwork were less favored by both genders.

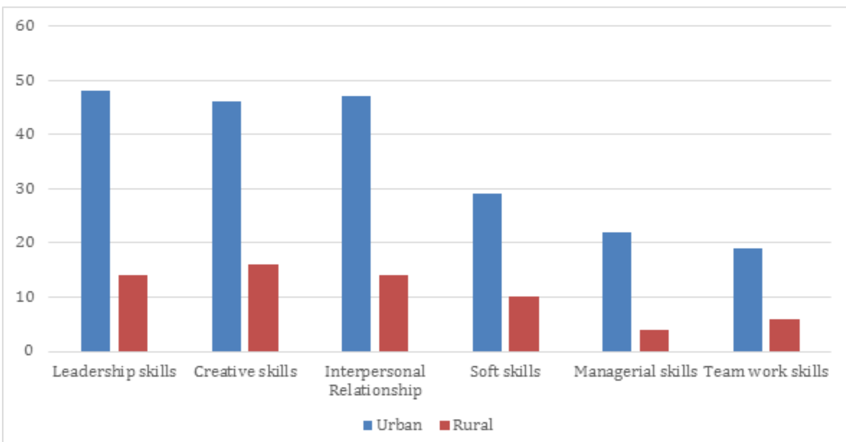

Fig 2: Urban / Rural Population

	Leadership skills	Creative skills	Interpersonal Relationship	Soft skills	Managerial skills	Team work skills
Urban	48	46	47	29	22	19
Rural	14	16	14	10	4	6

Table 3:Urban / Rural Population

LIS professionals residing in urban area preferred leadership skills over managerial skills whereas the rural population preferred creative skills over managerial skills. It can also be observed that, in both areas, teamwork is considered to be of least importance. This difference may come due to the needs required to serve the patrons in their library.

Urban LIS professionals tend to prioritize leadership skills more than managerial skills. This might reflect the demands of working in more complex, fast-paced environments where leadership can be crucial.Rural LIS professionals show a preference for creative skills over managerial skills. This could be due to different challenges or fewer resources in rural settings, where creative problem-solving might be more valuable.

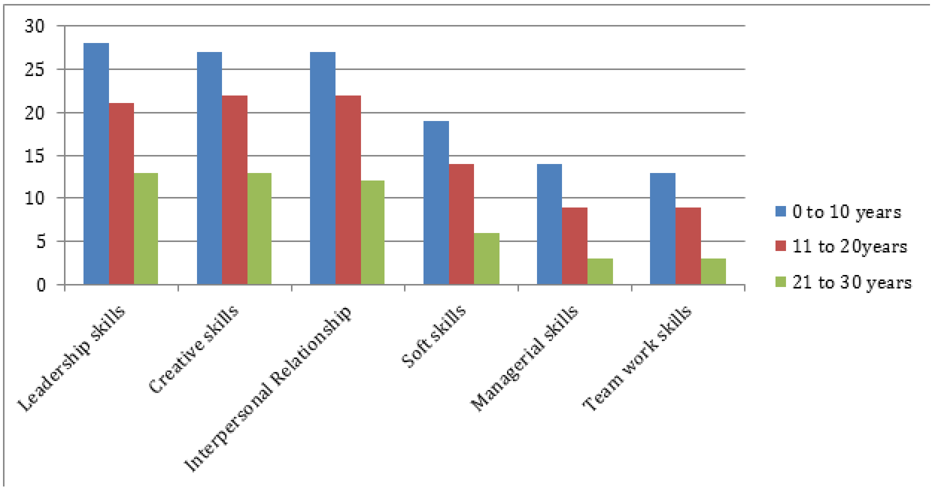

Fig 3 : Skill Development preference based on work experience

Work Experience	Leadership skills	Creative skills	Interpersonal Relationship	Soft skills	Managerial skills	Team work skills
0 to 10 years	28	27	27	19	14	13
11 to 20years	21	22	22	14	9	9
21 to 30 years	13	13	12	6	3	3

Table 4: Skill Development preference based on work experience

Professional learning skills of every individual changes according to the experience they gain in their field. Library and Information Science Professionals who have 0 to 10 years selected the leadership skills, creative skills and interpersonal relationship. It reflects on building foundation competencies that are important for initial career development.

LIS Professionals having experience of 11 to 20 years preferred leadership skills, creative skills, interpersonal relationship and soft skills. Which shows that preference in learning is given to capabilities building, adaptability and emotional intelligence as the professionals take on more complex responsibilities.

LIS Professionals having 21 to 30 years of experience had preference for leadership, creative skills. This shows that the professionals have evolved over the year and focus have shifted on strategic learning.

As LIS professionals gain more experience, their preference for learning skills evolves, with a consistent emphasis on leadership and creative skills across different experience levels.

Analysis of Motivational factors

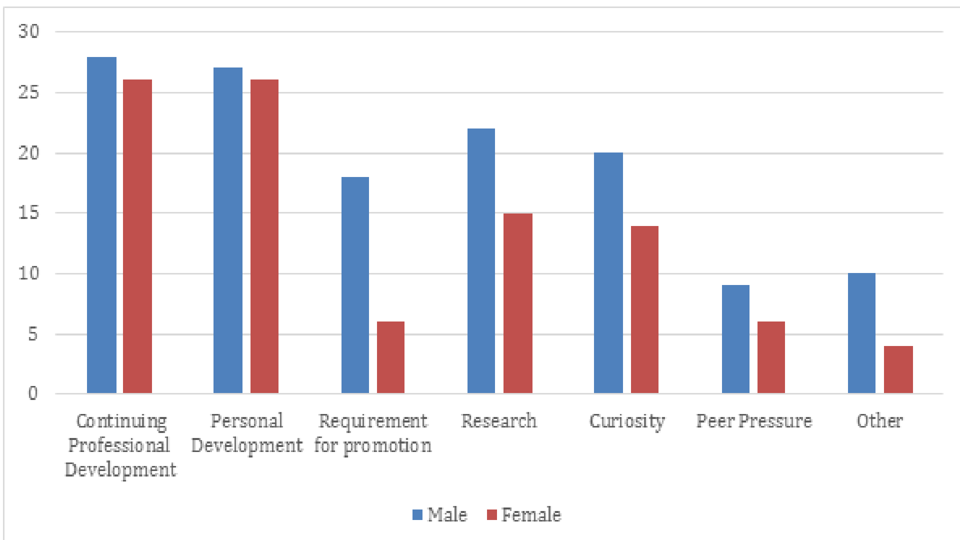

Fig 4: Motivational Factors based on Gender

	Continuing Professional Development	Personal Development	Requirement for promotion	Research	Curiosity	Peer Pressure	Other
Male	28	27	18	22	20	9	10
Female	26	26	6	15	14	6	4

Table 5: Motivational Factors based on Gender

Table No. 5 examines the motivational factors for undertaking MOOCs among LIS professionals, with a focus on gender differences. The findings are as follows:

- Male LIS Professionals: The primary motivational factors were continuing professional development, personal development, and research & curiosity. Peer pressure was identified as the least significant factor.
- Female LIS Professionals: For women, the need for promotion was the least important motivational factor. Instead, they were more motivated by opportunities to develop creative skills, leadership skills, interpersonal relationships, and curiosity.

This suggests that while both genders pursue MOOCs for professional and personal growth, their specific motivations and priorities differ.

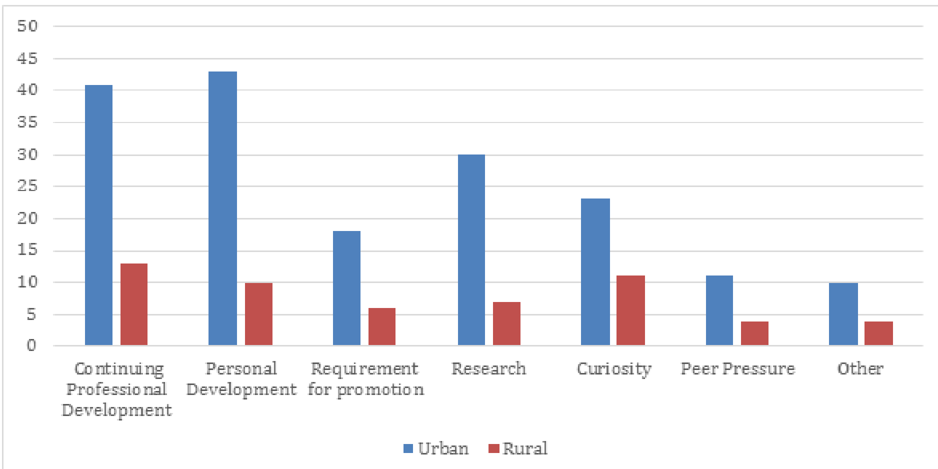

Fig 5: Motivational Factors based on Location

	Continuing Professional Development	Personal Development	Requirement for promotion	Research	Curiosity	Peer Pressure	Other
Urban	41	43	18	30	23	11	10
Rural	13	10	6	7	11	4	4

Table 6: Motivational Factors based on Location

It was found that motivational factor for LIS professionals in urban location was continuing professional development, personal development, research. Least preference was given to peer pressure, curiosity & promotion. Whereas motivational factor for LIS professionals based in rural areas were professional development, curiosity, personal development. Urban

LIS professionals may have more access to resources and opportunities, which could explain their focus on professional development and research. In contrast, rural professionals may use MOOCs as a means to bridge gaps in resources and knowledge, driven by curiosity and a strong desire for personal and professional growth. This analysis highlights how motivational factors for engaging with MOOCs can vary significantly based on geographic location.

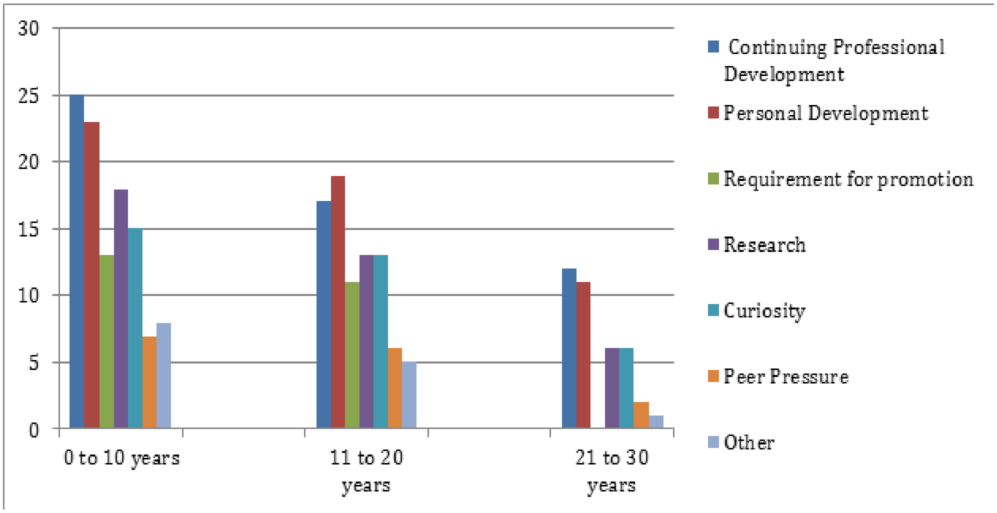

Fig 6: Motivational Factors based on years of experience

	Continuing Professional Development	Personal Development	Requirement for promotion	Research	Curiosity	Peer Pressure	Other
0 to 10 years	25	23	13	18	15	7	8
11 to 20 years	17	19	11	13	13	6	5
21 to 30 years	12	11	0	6	6	2	1

Table 7: Motivational Factors based on years of experience

Based on years of experience shows Motivational factor for LIS professionals with 0 to 10 years is research curiosity. Peer pressure was the least.

For 11 to 20 years, personal development, continuing professional development, research and curiosity. Promotion and continuing professional development, personal development, peer pressure was least motivational.

For age group of 21 to 30 years, continuing professional development, personal development. Promotion was least.

As LIS professionals advance in their careers, their motivational factors shift from a strong emphasis on research and curiosity in the early years to a focus on personal and professional development in mid-career, and finally to maintaining professional standards in later years.

Findings

As LIS professionals gain more experience, their focus shifts from developing foundational skills to refining advanced competencies. It is observed that early in their careers, they prioritize leadership, creativity, and building strong relationships. As they advance, they start valuing soft skills more, recognizing their importance in handling complex roles. For those with extensive experience, the emphasis stays on leadership and creativity, with less focus on skills they feel they have already mastered or are less relevant in their current roles.

It is found that with advance in their careers, their motivational factors shift from a strong emphasis on research and curiosity in the early years to a focus on personal and professional development in mid-career, and finally to maintaining professional standards. Understanding these shifts can help tailor MOOC offerings to meet the evolving needs of LIS professionals throughout their careers. For instance, entry level professionals might benefit from courses that foster research skills and satisfy curiosity, while mid-career professionals might seek advanced courses for personal and professional development. For those with extensive experience, MOOCs might focus on maintaining expertise and addressing high-level professional challenges.

Conclusion

The professional development needs of Library and Information Science professionals evolve significantly as they advance in their careers. Entry level LIS professionals require foundational skills, leadership, creativity, and relationship-building. Mid-career professionals focus on soft skills, personal, and professional development. Seasoned professionals prioritize leadership, creativity, and maintaining professional standards. Tailoring professional development opportunities to these evolving needs ensures that LIS professionals receive relevant support, enhancing their continuous growth and effectiveness in their roles.

References

Ashalata., (2016). Soft Skills are the Desiderata for the Librarians of 21 Century, *Anveshana,* 6, 1, 60-73.

Bejalwar, S. A., &Kherde, M. R. (2021). Soft Skill Performance of Librarians' Working in Institutions of Higher Education in Western Vidarbha of Maharashtra State in India. *American Journal of Information Science and Technology,* 5(4), 86-92.

Cobb, E. J., Meixelsperger, J., &Seitz, K. K. (2015). Beyond the Classroom: Fostering Soft Skills in Pre-Professional LIS Organizations. *Journal of Library Administration,* 55(2), 114–120.

Cinque M. (2017), MOOCs and Soft skills: a comparison of different courses on Creativity, *Journal of e-Learning and Knowledge Society,* v.13, n.3, 83-96.

Decker, E. N. (2020). The X-factor in academic libraries: the demand for soft skills in library employees. *College & Undergraduate Libraries,* 27(1), 17-31.

Gabhane, D. R. (2014). Soft Skills for Library Professionals. *International Journal of Researches in Social Science and Information Studies,* 1(2), 46-51.

Kumar, A and Saini, P. K., (2021). Need of Facet Analysis of MOOCs: A Review and Feasibility Study, *Library Philosophy and Practice (e-journal),* 6320.

Lazarus, F.C., and Suryasen, R., (2022). Enhancing the Higher Education Quality with MOOC Penetration: Role of Policy, *Library Philosophy and Practice,* 7024.

Saunders, L., & Bajjaly, S. (2022). The importance of soft skills to LIS education. Journal of education for Library and Information Science, 63(2), 187-215.

Sahu, M. K. (2013). Skill, Competences and Current Practice of Library Professionals in Engineering College Odisha: An Analytical Study. *International Research: Journal of Library and Information Science,* 3(4).

Sharma. R, and Devi S. J.. (2022). An Overview of Indian MOOCs, *Annual Research Journal of SCMS,* 10, 31-41.

Williams, R. D., & Saunders, L. (2020). What the Field Needs: Core Knowledge, Skills, and Abilities for Public Librarianship. *The Library Quarterly,* 90(3), 283–297. doi:10.1086/708958

Yaseen.S., Ravichandran.R., Rajirajan., (2022) The Importance of Reskilling and Upskilling in post covid economy -a critical study, *Journal of Tianjin University Science and Technology,* Vol.5, (5), 301-307.

Vol. XXI Issue No. I, Jan.–April. 2024, ISSN: 0970-1745 **Impact Factor 5.875**

Transforming Politics from the Inside Out: A spiritual Approach to Governance

Dr. Devendra Nath Tiwari
Senior Research Fellow at LokNeeti

Abstract:

This paper explores the idea of using spiritual and religious practices to inform political discourse and decision-making in the Indian context. The researchers argues that spiritual values such as service, sacrifice, love, and nonviolence can be used to create a more ethical and moral society. Through the incorporation of traditional Indian spiritual practices and principles into contemporary political governance, the paper suggests that leaders can promote social and economic development while ensuring equity and justice for all citizens. With the case studies of POSHAN Abhiyaan and PM CARES for Children, demonstrating the potential impact of a spiritual approach to governance in addressing critical issues such as malnutrition and education. Overall, the paper advocates for a more holistic and inclusive approach to addressing the challenges of governance in India.

Introduction:

In recent years, there has been a growing recognition of the need to integrate spiritual values and principles into politics and governance. This approach, often referred to as spiritual politics, offers a new vision for society that addresses issues of inequality, injustice, and environmental degradation. By incorporating spiritual values such as compassion, empathy, and interdependence into political decision-making and action, it is possible to create a more just and sustainable society.

The concept of spiritual politics has been discussed by many scholars and thinkers, including Noam Chomsky, Michael Walzer, and Corinne McLaughlin and Gordon Davidson, who have highlighted the potential of spiritual values in shaping political discourse and decision-making. Chomsky, in his book 'Spirituality in Politics: A New Vision for Society' (2008), argues that spiritual values can provide a new vision for society that addresses the challenges of the modern world. Walzer, in his essay 'Politics, Religion, and the Common Good' (1997), emphasizes the importance of religious and spiritual values in shaping political discourse and

** First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

decision-making. McLaughlin and Davidson, in their book 'Spiritual Politics: Changing the World from the Inside Out' (1994), emphasize the importance of spiritual transformation in creating a more just and sustainable society. In the Indian context, there is a rich tradition of spiritual and religious practices that can inform political discourse and decision-making.

One notable example is, Swami Vivekananda, a spiritual leader and social reformer, believed that spiritual values such as service, sacrifice, and selflessness could inform political action and help create a more ethical and moral society. He also emphasized the importance of individual transformation in creating meaningful and lasting change in the world.

Similarly Mahatma Gandhi, who was able to draw on his spiritual beliefs to inspire a nonviolent movement for independence from British colonial rule. Gandhi's philosophy of Satyagraha, or 'truth force', emphasized the power of love, compassion, and nonviolence in creating lasting social change.

Another influential figure is Sri Aurobindo, a philosopher and spiritual leader who believed that the evolution of consciousness is essential for the transformation of society. Aurobindo emphasized the importance of developing a deeper awareness of the interconnectedness of all beings and the need for a more harmonious and sustainable way of life. More recently, Prime Minister Narendra Modi has also spoken about the need for a more spiritual approach to governance. In his speeches and writings, Modi has emphasized the importance of tapping into India's spiritual heritage to create a more just, prosperous, and peaceful society.

In the Indian context, the integration of spirituality in politics is not a new concept. Ancient Indian texts and teachings emphasize the importance of spiritual values such as dharma, ahimsa, and karma in shaping the conduct of individuals and society. However, in recent years, there has been a growing realization of the need to integrate these values into the political discourse and decision-making process.

Literature Review:

Governance and spirituality, two seemingly disparate fields, have recently garnered attention for their potential integration. While governance is often perceived as a technical discipline focused on societal management, spirituality is considered personal and private. However, an emerging belief posits that spirituality can profoundly shape governance by providing a moral compass, fostering community and social responsibility, and promoting ethical behavior. To offer an overview of existing research on the role of spirituality in politics and governance, this literature review synthesizes key ideas, arguments, challenges, and criticisms

put forth by scholars and practitioners.

McLaughlin and Davidson (1994) contend that a spiritual approach to politics necessitates a consciousness transformation that can lead to a more compassionate and sustainable society. They argue that spiritual values such as love, respect, and unity can inform political decision-making and action. Furthermore, they stress the significance of a holistic approach to politics that recognizes the interdependence of all beings and the need for cooperation and collaboration.

Chomsky (2008) asserts that integrating spirituality into politics can present a new societal vision addressing inequality, injustice, and environmental degradation. He suggests that spiritual values like compassion, empathy, and interdependence can guide political decisions and actions. Chomsky emphasizes the importance of individual and collective transformation in creating a just and sustainable society.

Rockefeller (2003) explores the relationship between politics and spirituality, contending that they are complementary rather than distinct domains. He argues that spirituality can provide a foundation for political action grounded in values such as justice, compassion, and respect for human dignity. Ethical leadership, anchored in a sense of purpose and transcending self-interest, emerges as pivotal in Rockefeller's perspective.

Sharma (2007) examines the spiritual dimension of Mahatma Gandhi's political philosophy, highlighting its centrality in his vision of a just and peaceful society. Sharma suggests that Gandhi's spiritual practices, such as meditation and nonviolence, were vital to his political activism and his ability to inspire and mobilize people. He also emphasizes the relevance of Gandhi's spiritual politics for contemporary India and the world.

Gregory (2008) draws from the Christian tradition of St. Augustine to develop an ethical framework for democratic citizenship based on love, justice, and respect for human dignity. He argues that a spiritual approach to politics can establish an ethical foundation for decision-making and action, grounded in purpose and meaning. Gregory underscores the significance of moral leadership rooted in responsibility and service to the common good.

Recent research highlights the necessity of a spiritual and holistic governance approach that transcends economic and political considerations. This approach emphasizes incorporating spiritual and ethical values into governmental decision-making, while recognizing the role of personal growth and inner transformation in achieving equitable and sustainable outcomes.

Although India has a rich tradition of spiritual leaders shaping the political landscape, academic literature largely neglects the relationship between spirituality and governance. Few studies examine the potential impact of a spiritual approach to politics. However, two promising areas of research exist: the concept of spiritual leadership, emphasizing inner development and ethical values in leadership, and the role of spirituality in promoting social justice and equality.

Nonetheless, while a spiritual approach to politics offers valuable insights, it also carries certain risks. It may be overly idealistic, failing to consider practical political realities. Moreover, without critical inquiry and a commitment to pluralism, a spiritual approach might be susceptible to authoritarianism or dogmatism.

In summary, the reviewed sources lay the groundwork for understanding the potential benefits of integrating spirituality into politics. They underscore the need for further research on this topic, particularly regarding practical and effective integration of spirituality into governance. This research paper aims to fill this gap by exploring the potential benefits and challenges of adopting a spiritual approach to governance, with a focus on the Indian context. Drawing from relevant literature and case studies, it seeks to provide insights into how spirituality can fundamentally transform governance from within.

Research Problem:

The problem addressed in this paper is the need for a more integrated approach to governance in India that incorporates spiritual values and principles. The research question is:

RQ-1. How can traditional Indian spiritual practices and principles be adapted to contemporary political governance in India?

RQ-2. How can a spiritual approach to governance be used to promote social and economic development in India while ensuring equity and justice for all citizens?

Methodology:

This paper employed a qualitative research methodology, utilizing a literature review approach. Relevant sources were identified through academic databases and included books, scholarly articles, and reports. The analysis was based on a thematic approach, identifying common themes and patterns in the literature. In addition, the researcher conducted a case study of several flagship government welfare schemes.

Case Studies: Poshan Abhiyaan

POSHAN Abhiyaan is a flagship program of the Indian government that aims to improve the nutritional outcomes for children, adolescent girls, pregnant women, and lactating mothers. The program is implemented across 640 districts in India with a focus on the 100 most backward districts in the country.

One of the states that have made significant progress in the implementation of POSHAN Abhiyaan is Uttar Pradesh.

Uttar Pradesh is the most populous state in India and has high rates of malnutrition among children and women. To tackle this issue, the state government has undertaken various initiatives under POSHAN Abhiyaan. One such initiative is the identification and tracking of malnourished children using the Integrated Child Development Services (ICDS) platform. The ICDS is an existing program that provides nutrition and health-related services to children under the age of six and their mothers. Under POSHAN Abhiyaan, the state government has leveraged the ICDS platform to identify and track malnourished children and provide them with targeted nutrition interventions.

Another initiative under POSHAN Abhiyaan in Uttar Pradesh is the implementation of the Village Health, Sanitation and Nutrition Days (VHSND) program. This program aims to create awareness about nutrition and health-related issues among rural communities. VHSNDs are held once a month in each village and provide a platform for health workers and nutritionists to interact with the community and provide them with information and counseling on nutrition and health.

To further strengthen the implementation of POSHAN Abhiyaan, the state government has also established the State Nutrition Mission. The mission is responsible for the overall implementation and monitoring of the program in the state. It also coordinates with other departments such as health, education, and women and child development to ensure a multisectoral approach to addressing malnutrition.

The initiatives undertaken by the Uttar Pradesh government under POSHAN Abhiyaan have yielded positive results. According to a report by the NITI Aayog, the percentage of stunted children in the state decreased from 47.1% in 2015-16 to 41.1% in 2019-20. The state has also shown improvement in other nutrition indicators such as wasting, underweight, and anemia among women and children.

Here are some key statistics related to POSHAN Abhiyaan in Uttar Pradesh:

- As of March 2021, over 7.1 million children under the age of six have been screened for malnutrition in Uttar Pradesh under POSHAN Abhiyaan.
- The state has also set up over 250,000 Village Health, Sanitation and Nutrition Days (VHSNDs) where communities are provided with health and nutrition-related services.
- In 2020, the state government set a target to make 10,000 anganwadi centers (child care centers) functional in the state to provide nutrition and health services to children under the age of six.
- The state government has also implemented a number of innovative approaches to improve the effectiveness of the program, such as the use of technology to track and monitor the progress of individual beneficiaries and the introduction of a nutrition counseling program for pregnant and lactating mothers.
- These statistics indicate the significant efforts being made in Uttar Pradesh under POSHAN Abhiyaan to improve the nutritional status of children and mothers in the state.

Overall, the case of Uttar Pradesh highlights the importance of a multisectoral approach and leveraging existing programs to address malnutrition effectively. The successful implementation of POSHAN Abhiyaan in Uttar Pradesh can serve as a model for other states in India to replicate and scale up.

Case Studies: PM CARES for Children

PM CARES for Children is a program launched by the Government of India in 2020 to provide support and care for children who have lost both parents or guardians due to COVID-19. The program aims to ensure the protection and welfare of these children by providing them with access to education, healthcare, and other basic needs. PM CARES for Children has been implemented in various states and Union Territories in India, including Delhi, Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, and Uttar Pradesh. The initiative has been praised for its efforts to provide much-needed support to vulnerable children affected by the COVID-19 pandemic, and for its holistic approach to addressing the diverse needs of these children.

One of the case studies related to the PM CARES for Children program is the story of two siblings, 11-year-old Raja and 6-year-old Anjali, who lost both their parents to COVID-19 in the state of Maharashtra. After the death of their parents, the siblings were taken in by their maternal grandparents, who were already struggling to make ends meet. The family did not have the resources to provide the children with proper healthcare or education.

The PM CARES for Children program intervened and provided the siblings with financial assistance for their education and healthcare needs. The program also ensured that the children were provided with regular meals and other essential items. The program's support has helped to ensure that the children receive the care and attention they need to thrive despite the tragic loss of their parents.

According to the official website of PM CARES for Children, as of September 2021, the program had provided support to over 1,300 children who had lost both parents due to COVID-19. The program has disbursed over Rs 166 crores (approximately 22 million USD) to state governments to provide assistance to the affected children.

These initiatives and policies of the Indian government under the leadership of Narendra Modi can be examined in detail to understand how the integration of spirituality in Indian politics has been operationalized and the impact it has had on governance and society.

Overall, these case studies demonstrate how Modi has attempted to integrate spiritual values such as seva, compassion, and empowerment into various policies and programs. While there may be debates about the efficacy of these initiatives, they provide a useful starting point for exploring how spirituality can be integrated into Indian politics beyond traditional ideological divides.

Discussion:

The case study of POSHAN Abhiyaan highlights the success of a government initiative aimed at reducing malnutrition among children in Uttar Pradesh. The program's success is attributed to the integration of traditional Indian spiritual practices, such as yoga and meditation, into the program's design. The program's holistic approach, which emphasizes the spiritual and emotional well-being of mothers and children in addition to their physical health, has led to a significant reduction in malnutrition rates. This case study illustrates how a spiritual approach to governance can lead to more effective and sustainable outcomes by considering the whole person rather than just their physical needs. The case study of PM CARES for Children further reinforces the argument for a spiritual approach to governance. The program, launched in response to the COVID-19 pandemic, provides financial and material support to children who have lost one or both parents due to the virus. The program's success is attributed to its emphasis on compassion and empathy, which are fundamental principles of spirituality. The program's design incorporates the concept of seva, which means selfless service, and encourages volunteers to provide emotional and psychological support in addition to material aid. This case

study demonstrates how a spiritual approach to governance can foster a sense of community and compassion, leading to more resilient and supportive societies. The case studies illustrate how traditional Indian spiritual practices and principles can be adapted to contemporary political governance in India. The paper's research questions of how traditional Indian spiritual practices and principles can be adapted to contemporary political governance in India and how a spiritual approach to governance can be used to promote social and economic development in India while ensuring equity and justice for all citizens are both answered through these case studies. Moreover, the incorporation of spirituality into governance can have several positive outcomes, including increased citizen participation, enhanced social cohesion, and improved governance outcomes. When citizens feel connected to their government, they are more likely to participate in the political process and contribute to the development of their community. The incorporation of spiritual values into governance can foster a sense of interconnectedness and shared responsibility, leading to better social outcomes.

Conclusion:

In conclusion, the case studies presented in the paper demonstrate that this approach can lead to positive outcomes in areas like health, education, and well-being. This approach can be extended to other areas of governance, including economic development, social justice, and environmental sustainability. In conclusion, the spiritual approach to governance can help transform politics and address some of the systemic issues in India. By incorporating traditional Indian spiritual practices and principles into contemporary political governance, leaders can promote social and economic development while ensuring equity and justice for all citizens. The case studies of POSHAN Abhiyaan and PM CARES for Children highlight the potential impact of a spiritual approach to governance in addressing critical issues such as malnutrition and education. Overall, more holistic and inclusive approach to addressing the challenges of governance.

Reference:

Chomsky, N. (2008). *Spirituality in politics: A new vision for society.* Paradigm Publications.

Fry, L. W., & Slocum, J. W. (2008). Maximizing the Triple Bottom Line through Spiritual Leadership. Organizational Dynamics, 37(1), 86–96. https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2007.11.004.

Fry, L. W., Hannah, S. T., Noel, M., & Walumbwa, F. O. (2018). Impact of spiritual leadership on unit performance. *Leadership Quarterly,* 29(2), 304–318.

Gardner, H. (2017). A holistic approach to education. *Educational Researcher,* 46(3), 123–127.

Guruswamy, M. (2014). Spirituality in leadership: The Indian experience. *International Journal of Leadership in Public Services,* 10(3), 122–136.

Hall, S. (2018). Towards an ecology of leadership: Reframing leadership as a collaborative and relational process. *Journal of Business Ethics*, 150(4), 969–981.

Kumar, S. (2019). Political spirituality and the Indian context. *Journal of Dharma,* 44(4), 475–484.

Lal, P. (2015). Spirituality and governance. *Journal of Management and Spirituality,* 2(2), 100–111.

Mathur, M. (2018). Spirituality in governance: A perspective. *Journal of Public Affairs,* 18(3), e1713.

McLaughlin, C., & Davidson, G. (1994). *Spiritual politics: Changing the world from the inside out.* Ballantine Books.

Munro, I. (2017). *The spirituality of social justice: Rediscovering a transformative vision.* Routledge.

Nair, K. R. (2018). A holistic perspective on education and sustainable development. *Journal of Cleaner Production,* 172, 3457–3465.

Rockefeller, S. C. (2003). Politics and spirituality. *Political Science and Politics*, 36(2), 257–261.

Rudisill, K. C. A. (2007). Aikido Practices, Communication Awareness and Effective Entrepreneurship. Journal of Human Values, 13(1), 35–42. https://doi.org/10.1177/097168580601300105.

Sharma, S. D. (2020). The relevance of Gandhi's spiritual politics today. *Journal of Interdisciplinary Economics,* 32(2), 201–210.

Slaughter, A. M. (2019). The age of sustainability. *Solutions,* 10(4), 68–77.

Stewart, J. (2016). The role of spirituality in governance. *International Journal of Humanities and Social Science Research,* 4(4), 14–21.

Thunder, D. (2013). The idea of a spiritual approach to politics: A critical assessment. *Politics and Religion,* 6(1), 55–79.

Cultural Preservation and Heritage Revitalization: Strategies for Sustaining Siddi and Girmitiya Identities in the Global Diaspora

Abhijeet Chaudhary
(Research Scholar, University of Delhi)

Abstract

Africa and India have been historically connected for trade and commerce since immemorial. However, it was only after the advent of colonialism that large-scale migration to and from took place. This article particularly focuses on two such groups representing the African diaspora in India and the Indian diaspora in Africa i.e., Siddis and Girmitiyas respectively. While the manner of migration of these two groups have been different temporally and spatially, they represent an identity of their own which has the potential to boost the Africa-India ties. Siddi's presence in India can be traced back as early as the 7th century. The most likely reason for their initial appearance in India was slavery, brought over by Arabs and later, Europeans during their colonizing of India. Girmitiya is derived from the term Girmit, a corruption of the English word, agreement. This indentured emigration began in the 19th century to meet the shortage of labor supply caused by the abolition of slavery in the British Empire in 1833. This paper seeks to present a historical study of the migration of these groups, understand how much they have assimilated into the local culture while preserving their unique identity as well as show some light on their present conditions. It further seeks to examine the potential of this shared history for Africa-India relations and the initiatives taken to boost the ties by building upon this strong historical connection.

Keywords: Diaspora, Girmitiya, Siddi, Africa, India, Identity

Introduction

India-Africa relations go a long way in history. The movement of goods, ideas, and people has been going on for centuries. Our understanding of the nearly 600 million people of India who are of African heritage comes from specialized literature, mostly from the field of genetics. Just roughly 250,000 of them, however, can have their ancestry established by historical records,

while the vast bulk of the remaining population must have their genealogy established through anthropological research or genetic testing. This sizable segment of India's population has been referred to by a variety of titles over the years, some of which are interchangeable and others of which indicate attempts to categorize the "Africans of India" according to both their origin and the date of their advent upon this Subcontinent (Czekalska & Kuczkiewicz-Fras, 2016).

Unlike the dearth of verifiable data on the migration of Africans to India, Indians' migration to Africa is relatively well-documented. The world of the mid-nineteenth century was entering a new phase in history. Slavery had been abolished, but other forms of labor had to be found to maintain the infrastructure of trade and expansion for the European nations, especially Britain.

P. S. Joshi argues that indentured labor was a new form of slavery and was inaugurated in India in 1830: The system of indentured labor had a history of its own. It was unique in that it was an invention of the British brain to substitute it for forced labor and slavery. The indentured

'coolies' were half-slaves, bound over body and soul by a hundred and one inhuman regulations (Joshi, 1942).

The Greek terms dia (across) and sperio (to scatter) are the source of the word "diaspora," which originally referred to the scattering and exile of the Jews. The phrase is now commonly used to describe all immigrants from different nations who settle down more or less permanently in the country they have moved to yet maintain ties to their "home" countries. (Amaresh, 2020) A diaspora is said to exist when "those individuals, living far from home, build some type of community with each other and retain contact, genuine or otherwise, with their country," according to the High-Level Committee on Indian Diaspora Report from 2000. (HLCID, 2000). A diaspora, according to Lovejoy, "cannot live without a motherland by its nature" (Lovejoy, 2001). Indians of African ancestry, however, have astonishingly little awareness of an African motherland. The idea of "Africa" as a geographical notion is only a nascent one from the twentieth century. African immigrants in the IOW came from a broad range of cultural and ethnic backgrounds in West, North, Central, and East Africa as well as the islands. The titles were used by the "host" groups and tend to be general. For example, Zanj/Sidi for the Swahili Coast and Hinterland; Habshi for Ethiopia are inaccurate assumptions that names for people of African heritage are indicative of exact origins.

The concept of identification describes how people perceive themselves as members of a certain social formation, such as an ethnic group, socioeconomic class, or country. It depends on how time and space are oriented in terms of geography and society. As a result, the idea of

identity becomes malleable. According to David Sill, "Psychosocial identity aims for conceptual coherence in both its individual and community dimensions, but it is also constantly determined by that past that must be lived down and by that prospective future that must be averted. Identity development is a constant struggle against strong, opposing identity components. They are brought to the forefront at times of intensified crises and cause a man to develop a homicidal hatred of "othernesses, which he sees as bad in strangers and himself" (Sill, 1968). The cross-cultural movement, colonialism, and post-independence period have constructed and reconfigured the facets of identity and integration in the regional socio-cultural framework in the case of the African diaspora in India. The Indian Diaspora in East Africa has also seen how many cultural aspects have been configured and reconfigured. Indian diaspora in Mauritius has seen changes, according to Crispin Bates. "Particularly in Mauritius, certain castes are hardly recognizable from a sub-continental viewpoint and may combine mutually hostile castes from an Indian environment. In Mauritius, a Rajput belongs to the Sudra Caste because this group claimed the title in the 19th century" (Bates, 2004). It has been argued that the context of terms such as Hindu and Indian have also been organized on various features which have a direct correlation to Indians of North India. Further, the Tamil community identifies itself as a religious identity; the Telugu and Marathis are dominated by regional identifications. It shows the multi-hybrid facet of diaspora within the essentialist aspect of the triadic association of homeland, host land, and community.

Crisis of Identity: The Siddi conundrum

Presently, coastal Karnataka, Gujarat, and some areas of Andhra Pradesh are home to Afro-Indians, commonly known as Siddis. They are primarily tribal people and are widely believed to be the offspring of slaves who were transported to India from East Africa, specifically from the Bantu-speaking parts of the continent. Although there is no definite date for the arrival of

the first Siddis on the Subcontinent, it is widely believed that it occurred at least 700 years ago, if not earlier. Arab traders transported them across on ships and sold them to the kings of India as slaves. They quickly had a reputation for being fierce warriors and devoted slaves (Kumar, 2008). As a result, they held a variety of court posts, frequently served as soldiers, and some even had significant roles in the armies and political conflict. The strongest among them rose to power, while others purchased their release or fled, taking refuge in the wilderness, and founding autonomous villages. There are documented instances of African slave women rising to the position of queen under Muslim sultans. Most Indian Siddis now live in poverty and are typically unaware of their famous past, which is documented in the history books in

various places.

For Indians of African origin, the identity question goes beyond the realm of academia. A prominent area of current concern is the empowering of communities of identifiably African heritage who have social, economic, and political difficulties, as the 2006 Goa conference highlighted. One such community is the Sidi in India. There are two opposing perspectives on their empowerment. Essentialists argue that it is important that these communities demonstrate their empowerment by claiming their membership in the worldwide diaspora of African victims. According to Harris' remarks at the Goa Conference, "Africans and peoples of African ancestry must play a more visible and aggressive role given the heritage of the Gwyn Campbell Slave Trades and the Indian Ocean World's legacy of the slave trade, enslavement, and subsequent disadvantage." This could well be the great challenge of the 21st century"(Kumar, 2008). Essentialist scholars insist on the African identity of such groups, irrespective of the group's self-perception. In India, particularly, the government has taken note of this essentialist interest and started to accord Sidis special consideration. Believing that their "African" origins made Sidis genetically gifted for sports, the Indian government Sports Authority in 1987 launched a special program to recruit and train Siddis for international competitions. The strategy has failed due to poor Siddi enthusiasm, according to government officials (Drewal, 2004). The government has also funded musical events in which Sidis adopt "African" clothes, as when Gujarati Siddi Goma dancers were called upon to sport peacock feathers during a visit from Nelson Mandela. Bollywood has subsequently portrayed them in the same costumes to embellish films, as have some African Diaspora scholars who consider that international recognition of such "African" troupes will bring Sidis greater status and revenue (Kumar, 2008).

The creation of states in Arabia, Europe, and the Atlantic and Indian Oceans, as well as the development of the slave trade, are all directly tied to the movement of Siddis (Karmwar, 2010). Due to the growth of agriculture in lower Iraq and the rise of global trade in the Indian Ocean, the need for slave labor rose in the 8th and 9th centuries. The Bantu-speaking Zanj people were acquired either by raid capture or purchase in return for subpar commodities from the petty monarchs of the countryside. They were then transported from the counting houses along the shore to the archipelago of Socotra and the emporium of Aden, where they were assembled before being transported over the Red Sea to their ultimate destinations in Egypt and Mesopotamia. Ibn Battuta also spoke about the reputation and labor of Blacks in India. He reported the names of the ship's owner and captain as Ibrahim and Al-Jagir as he traveled from "Dawat Abad" (Daulatabad), Nadhurbas (Nandurabas), Saghar (Songarh), and Qandahar. He writes, "We boarded the ai-Jagir, which was manned by fifty Abyssinian men-at-arms and fifty rowers. If there is even one of these latter creatures on a ship, the Indian robbers and idolaters

will steer clear of it. They are the guarantees of safety in the Indian Ocean (Kumar, 2008).

It is exceedingly challenging to imagine a broad ethnic profile of Siddis in India. Dialectics in the Siddi ethnic structure were influenced by the plantations of Africans in different regions of medieval India. The Siddi community in India is mostly concentrated in the states of Gujarat and Karnataka. Yet, in the modern day, the pressures of globalization have compelled the

Siddis to solidify in the continentalization of homeland in Africa. The socio-cultural context and trajectory of regional development have established many lines of classification in the Siddis. In the Siddi community, assimilation based on religion produced a foundation for horizontal fragmentation. The Siddis were divided into Christian, Hindu, and Muslim groups. Due to the restricted opportunities for political and economic integration created by this process, diasporic identity began to develop around 1990. Hinduism, Islam, and Christianity's institutionalized religious structures were not entirely successful in assimilating Siddi values and customs into the civilization at large. They were particularly exposed to numerous hegemonistic influences because of their poverty and race. The Siddi community was unable to obtain the necessary energy to begin gathering material resources. The Siddi were thus classified as a Scheduled Tribe. Moreover, caste-based jobs introduced additional sociopsychological instances of discrimination against the Siddis. Caste and class discrimination, out of the three religious frameworks, was the most onerous system of discrimination experienced by the Siddi group (Kumar, 2008).

Political penetration has also been pervasive among the Siddi community. The regional forest committee reflects the assimilationist approach used by the Indian federal and state administrations. The committee requires the forest department to include tribal members in the administration of the forests and consider their viewpoints. The organization has evolved into a brand-new political battleground for many facets of the community. Few Indians of African heritage now have a firm understanding of their African origins, and the majority disavow any African identity, save in areas of recent and significant African settlement, like Hyderabad (Bhattacharya, 1970). Siddi musicians and dancers similarly demonstrate little consciousness of being "African" or of any common inter-Sidi cause beyond the purely local or (in Gujarat, Karnataka, and Andhra Pradesh) regional level

Over the centuries the people brought to the Subcontinent from Africa acquired different names, but now the general denomination used for the Afro-Indians is Siddi. The author of an extensive article dedicated to the names given to people of African origin in Asia, Shihan de Silva Jayasurya, states that: Initially, Africans in India seem to have been called Habshi. Then the word cafire seems to have been introduced by the Portuguese from the late 16th century up

to the 18th century. The word Kaffir (from the Arabic word qafr which means 'non-believer') does not imply that one's origins are African. It is not a derogatory term, in this context. It is not clear exactly when the terms Habshi and Kaffir began to decline in use. The term Sidi seems to have been introduced by the British in the 19th century. Sidi describes Africans in Gujarat and Karnataka today. Africans in Andhra Pradesh call themselves Chaush as they identify themselves with Yemeni Muslims. They have multiple identities and also call themselves Sidi among other ethnonyms (Kumar, 2008).

Today many Siddis are not in any way aware of their origin, and most of them have not even heard of Africa. They have adapted to the local cultures, accepting their religions, languages,

and customs, therefore the Siddi communities differ in various parts of India. Having lost their original African names, languages, and culture, they have only retained minor residues of African tradition. This heritage is traceable in their music, songs, stories, and uniquely African musical instruments. In this way, over many centuries, from once being Africans in India they became an integral part of the Indian population - Indians, who are described as African Indians mainly in scholarly studies, and figure as such in statistical data.

Girmitiya: Distortion not exclusively of the name

The Dutch East India Company brought the first Indians to South Africa as slaves, and throughout the seventeenth and early eighteenth century, half of the early Cape slaves were from Bengal and South India. Nonetheless, the introduction of indentured servants was the "primary marker" of Indian migration in Africa. Indentured laborers, also known as Girmityas, arrived by a contract (Girmit) or agreement about their tenure. In any case, the introduction of the steamship as the only mode of transportation between India and South Africa in the nineteenth century is undoubtedly connected to the history of indentured Indians. On November 16th, 1860, the SS Truro arrived in Natal with the first "batch" of Indians, a total of

341 workers, mostly from Madras. A few years later, in 1870, "Passenger Indians"- entrepreneurs, primarily from Bombay and other regions of India's west coast- arrived in addition to the indentured Indians. They created a privileged, dependent group and established a variety of companies among the recent arrivals. A total of 6,445 indentured immigrants had reached South Africa by the year 1866. Due to concerns about how Indians were treated in Natal, immigration was briefly suspended in 1871. It was then restarted in 1874. A total of 152,184 indentured migrants from India and an estimated 30,000 Passenger Indians had arrived in Natal by 1911 (Bhana & Brain, 1990). In 1857 the East India Company was abolished,

and the Indian sub-continent came under the direct rule of the British Crown. The pattern of indentured labor had already been established in the movement of Indians to Mauritius in 1833, to British Guinea in 1838, and to Trinidad and Jamaica around the same time (Joshi, 1942). Indians also went to work in the tea plantations in Assam and Bhutan (1860), Ceylon (1870s), Fiji (1879), and Burma (1880s). It is estimated that by 1870 a million Indians had gone overseas to work on indenture contracts, with Indians forming one of the largest labor diasporas of the nineteenth century The trend certainly extended Britain's "sphere of influence" and marked its expansionist, assertive, and self- conscious approach to empire. While there was free movement of white colonial settlers in the colonial world at this time, indentured laborers were moved from "one boundedness and bondedness to another". It was this "experiment" in social engineering that took half a million Indians from India to the Caribbean (referred to there as East Indians) as indentured laborers in the decades after Britain abolished slavery. It is also important to remember that a global pattern developed whereby indigenous peoples were alienated from their land and were also excluded, through the large scale of indentured labor, from the commercial developments taking place around them. Girmitiya is how they came to be known over time - the name derived from the term Girmit, a corruption of the English word, agreement. This indentured emigration began in the 19th century to meet the shortage of labor supply caused by the abolition of slavery in the British Empire in 1833. It was at this time that colonial eyes were being turned to the East Coast of Natal in South Africa, where the soil was fertile and the prospects seemed promising for sugar farming. The movement of labor was directly linked to the nineteenth-century expansion of colonialism in these parts of the world, with this period being seen as the time of classical colonialism. Wherever white British

migrants settled they required labor, and colonized subjects in the colonies such as India, as Bhana and Brain record, became the logical transportable "commodity" (Bhana and Brain, 1990).

Indians, Africans, and Colored people all had a similar history of prejudice and persecution, albeit there were variations within it. Naturally, there were conflicts between the Indian and African populations that persisted through the years and were typical of a colonial culture. There was animosity towards the Indian business community in particular because they were considered a danger to African aspirations at entrepreneurship. Throughout his visit, Gandhi attempted to bring together various Indian groups that were split along class and entrepreneurial lines, as well as linguistic, religious, and small sectarian lines. These communities were split by conflicting allegiances to South Africa and India. Also, he was against untouchability among Indians. However, how this history is interpreted and presented has long been the source of simmering unease, and the subject of ties between Africans and Indians has persisted for

the previous 150 years. With almost 1.5 million people, South Africa has the largest Indian diaspora in all of Africa. Indians had already arrived in South Africa in 1653, although as slaves. In actuality, 36.45% of the slave population in the Dutch Cape colony at the beginning of the 19th century was of Indian descent. Although the slave trade was stopped, many Indians continued to travel to South Africa to labor in the sugar cane and sisal fields held by British immigrants. Well into the first decade of the 20th century, South Africa continued to receive Indian immigrants. The majority of Indians living in South Africa are citizens of that nation and have established significant positions of power across a range of industries. The largest Indian city outside of India, Durban is known for this reputation. The Indian diaspora has grown to play a significant role as a result of the improved connections between India and South Africa, which may also be essential in strengthening ties between India and Africa.

The Girmitiya laborers played a significant role in the development of modern Africa, particularly in the agricultural sector. They brought with them skills and knowledge in farming and agriculture, which they used to cultivate crops such as sugarcane, tea, and coffee, among others. Their contribution to the agriculture sector helped to transform East Africa into one of the leading agricultural regions in the world. Furthermore, the Girmitiya laborers helped to build critical infrastructure in Africa, such as railways, roads, and ports. Their labor was instrumental in the construction of the Kenya-Uganda Railway, which played a crucial role in the transportation of goods from East Africa to other parts of the world. The railway was also instrumental in opening up the interior parts of East Africa for settlement and economic development. In addition to their contribution to the economy, the Girmitiya laborers also played a vital role in the cultural and social development of modern Africa. They introduced new food, music, and dance styles, which are still part of the cultural fabric of East Africa today.

Way Forward

In the contemporary world, the term diaspora has assumed global significance; as a result, international relations are remarkably influenced by various diasporas. Diaspora, like other transnational actors, thus enjoys a privileged status of exerting influence as an interest group in both the homeland and the host land, often affecting the homeland because of influence in

the hostland. In any case, as interest groups, Diasporas may use whatever clouts they can advance their interests. Like other interest groups, they use their financial resources, especially because members of diasporas are usually richer than their counterparts at home. The diaspora has played an important role in the economic, social, and cultural development of both regions, and there are several prospects for their continued engagement in the future.

One of the key areas where the India-Africa diaspora can contribute is in the field of entrepreneurship and business. Many members of the diaspora have established successful businesses in both India and Africa, and they can use their networks and expertise to promote greater trade and investment between the two regions. This could help to boost economic growth and create new job opportunities. Another area where the India-Africa diaspora can make a difference is in education and skills development. Many members of the diaspora are highly educated and skilled professionals who can help to improve the quality of education and training in both India and Africa. This could lead to the development of a more highly skilled workforce and greater innovation and technological advancement. In addition, the India-Africa diaspora can also play an important role in promoting cultural exchange and understanding between the two regions. This could involve initiatives such as cultural festivals, art exhibitions, and language exchange programs, which could help to build bridges between communities and promote greater mutual respect and appreciation.

Conclusion

There are several prospects for the India-Africa diaspora to contribute to the development and prosperity of both regions. There is still room for improvement and making the people-to-people connect an even opportunity for the diaspora of both regions to realize their potential. By leveraging their skills, networks, and resources, members of the diaspora can help foster greater cooperation and collaboration between India and Africa in a range of areas. In the worldwide diaspora, Siddi and Girmitiya identity preservation is a complex undertaking that calls for close examination of historical settings, cultural customs, and community involvement. Several major themes have come to light during our investigation, illuminating the opportunities and difficulties involved in maintaining these rich and varied histories. The challenges faced by the Siddi and Girmitiya populations in maintaining their cultural identities in the face of migration, globalization, and societal change are apparent. It is now necessary to take proactive measures to preserve and revitalize legacy because historical events like colonization, relocation, and marginalization have upset traditional practices and weakened cultural ties. The foundation of cultural preservation and heritage revitalization programs must be community empowerment and engagement. Programs that give priority to the agency and voices of the Siddi and Girmitiya people have a higher chance of being effective in upholding cultural customs and fostering a feeling of community among the diaspora. Effective preservation methods require cooperation and partnership between the Siddi and Girmitiya communities as well as with external players as governmental organizations, non- governmental organizations, and academic institutions. These collaborations have the potential to improve the effectiveness and long-term viability

of cultural preservation initiatives by utilizing networks, skills, and combined resources. Furthermore, it's critical to have a comprehensive approach that takes into account language, folklore, music, dance, food, rituals, and material culture, among other facets of cultural heritage. Communities can ensure the

transmission of cultural knowledge and practices by fostering a sense of pride and continuity across generations by embracing the richness and diversity of Siddi and Girmitiya traditions. Furthermore, digital platforms and technology provide creative ways to preserve and spread Girmitiya and Siddi history worldwide. Digital archives, online storytelling platforms, and virtual exhibitions are examples of projects that promote intergenerational learning and discourse while providing universal access to cultural materials.

In the end, maintaining Siddi and Girmitiya identities throughout the world diaspora involves more than just preserving the past; it also entails building strong, resilient communities for the future. Through the promotion of social justice and equity, intercultural dialogue, and celebration of cultural diversity, Siddi and Girmitiya communities can pave the way for a more diverse and fulfilling experience of living abroad. In conclusion, the Siddi and Girmitiya communities' tenacity, inventiveness, and camaraderie provide promise for a future in which cultural legacy prospers throughout the world's diaspora, despite the formidable obstacles to cultural preservation.

References

Amaresh, P. (2020, July 22). An Overview of Indian Diaspora in South Africa. Diplomatist. Retrieved from https://*Diplomatist*.com/:https://diplomatist.com/2020/07/22/an- overview-of-indian-diaspora-in-south

Bates, C. (2004). Community Empire and Migration: South Asians in Diaspora. Longman. p.32 Bhana, S. & Brain, J. (1990). Setting Down Roots: Indian Migrants in South Africa 1860-1911.

Wiwatersrand University Press.

Bhattacharya, D.K. (1970). Indians of African Origin. Cahiers d'Etudes Africaines, 10(40), 579-582

Chauhan R.R.S. (1995). Africans in India. From Slavery to Royalty. Asian Publication Services.

Czekalska, R. & Kuczkiewicz-Fras, A. (2016). From African in India to Indian Africans.

African Studies, 42, 189-212

Drewal, H. J. (2004). Aliens and Homelands, In Alpers, E. (Ed.). Siddis and Scholars: Essays on African Indians. Rainbow Publishers Limited.

Govinden, D. (2008). The Indentured Experience. In J. C. Hawley (Ed.), India in Africa, Africa in India. Indiana University Press.

High Level Committee on Indian Diaspora. (2000). Government of India. Retrieved from http://indiandiaspora.nic.in/contents.htm

Joshi, P. S. (1942). The Tyranny of Colour: A Study of the Indian Problem in South Africa.

Kennikat Press.

Karmwar, M. (2010). African Diaspora in India. Diaspora Studies, 3(1), 69-91

Kumar, S. (2008). Issues of identity and assimilation of African diaspora in India: a study of Siddi community of Karnataka. Jawaharlal Nehru University.

Sills, L. S. (1968). International Encyclopaedia of Social Sciences. The Macmillan Company, p.62.

Ballantyne, T. (2011). Orientalism and Race: Aryanism in the British Empire. Palgrave Macmillan.

Bhatt, S., & Bhattacharya, R. (2017). Siddi community and Afro-Indian identity in Karnataka: Heritage and belonging. Journal of Asian and African Studies, 52(1), 35-51.

Chaturvedi, V. (2007). Peasant Pasts: History and Memory in Western India. University of California Press.

Clarke, C. (2015). Indian Indenture in the Caribbean: Resilience and the Revival of Hindu Culture. Macmillan Caribbean.

Datta, A. (2020). Global diasporas and the preservation of culture: The case of the Girmitiyas. Diaspora Studies, 13(3), 253-269.

Desai, A. R. (2009). Rural Sociology in India. SAGE Publications.

Ghosh, P. (2016). Colonialism and Modernity: Legacy of the Girmitiya Experience. Routledge.

Hall, S. (1990). Cultural identity and diaspora. In J. Rutherford (Ed.), Identity: Community, Culture, Difference (pp. 222-237). Lawrence & Wishart

Hawley, J. S. (2008). The Memory of Love: Surviving Sidi Culture in India. Permanent Black.

Jayaram, N. (2011). The Indian Diaspora: Dynamics of Migration. SAGE Publications.

Lal, B. V. (2004). Girmitiyas: The Origins of the Fiji Indians. Institute of Pacific Studies.

Lobo, A. (2012). Sidis of India: Afro-Indian Descendants. Orient BlackSwan.

Mandal, S. K. (2018). Preservation of Girmitiya identity through music and dance. Migration and Culture: Reflections from India and the Global South, 7(2), 115-134.

Mishra, V. (2008). The Literature of the Indian Diaspora: Theorizing the Diasporic Imaginary. Routledge.

Mukherjee, R. (2017). Oral traditions and cultural preservation among the Girmitiyas in the Caribbean. South Asian Diaspora, 9(1), 45-61.

Nagaraj, D. R. (2002). The Flaming Feet and Other Essays: The Dalit Movement in India. Permanent Black.

Oonk, G. (2007). Global Indian Diasporas: Exploring Trajectories of Migration and Theory. Amsterdam University Press.

Parekh, B. (1997). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Palgrave Macmillan.

Singh, M. (2015). Diasporic identity: A study of cultural assimilation and preservation among Indian indentured communities. Journal of Diaspora Studies, 6(2), 189-206.

Tinker, H. (1993). A New System of Slavery: The Export of Indian Labour Overseas 1830-1920. Hansib Publishing.

Bhatt, S., & Bhattacharya, R. (2017). Siddi community and Afro-Indian identity in Karnataka: Heritage and belonging. Journal of Asian and African Studies, 52(1), 35-51. https://doi.org/10.1177/0021909615600234

Datta, A. (2020). Global diasporas and the preservation of culture: The case of the Girmitiyas. Diaspora Studies, 13(3), 253-269. https://doi.org/10.1080/09739572.2020.1727268

Mandal, S. K. (2018). Preservation of Girmitiya identity through music and dance. Migration and Culture: Reflections from India and the Global South, 7(2), 115-134. https://doi.org/10.1080/17486993.2018.1430549

Mukherjee, R. (2017). Oral traditions and cultural preservation among the Girmitiyas in the Caribbean. South Asian Diaspora, 9(1), 45-61. https://doi.org/10.1080/19438192.2017.1282472

Singh, M. (2015). Diasporic identity: A study of cultural assimilation and preservation among Indian indentured communities.

Journal of Diaspora Studies, 6(2), 189-206. https://doi.org/10.1177/0973957215560198

Choudhary, N., & Singh, R. (2019). The legacy of Indian indentured laborers: Cultural resilience and identity among Girmitiyas in Mauritius. Asian Journal of Social Science, 47(3), 342-359. https://doi.org/10.1163/15685314-04703005

Prakash, A. (2021). Afro-Indian communities and the struggle for cultural preservation: The Siddi identity in India. International Journal of Cultural Studies, 24(6), 813-829. https://doi.org/10.1177/13678779211016864

"Fundamental Criteria for Critical Analysis of English Textbook in Modern Education System"

Prof. Shashi Bala Trivedi (H. O. D.)
Teacher Education Department
Shri Varshney College, Aligarh (U.P.)

Abstract:

In today's fast changing life, globalization is persistently assuming a very significant role on every walk of life. Changing scenario and strong global competition has made English language role increasingly central, in the all-round development of an individual. The excellence of the modern education system and the overall development of the nation depend mainly on the quality of English textbooks and the efficiency of teachers. The text book is an important tool in the hands of teachers as well as an important means in the hands of students for obtaining knowledge. In this way, the textbooks are important for both the teachers and pupils.

To assess the value of a good textbook it should be examined by two stand points -its intrinsic characteristics (Content) and its get-up (Technical Characteristics). So, the present research paper tried to highlights the effectiveness of Fundamental Criteria for Critical Analysis of English Textbook in Modern Education System for teachers and students.

Keywords: Textbook Analysis & Evaluation, English Language, Prescribed Norms, rating scale

1) Introduction:

In today's fast changing life, globalization is persistently assuming a very significant role on every walk of life. Changing scenario and strong global competition has made English language role increasingly central, in the all-round development of an individual. The excellence of the modern education system and the overall development of the nation depend mainly on the quality of English textbooks and the efficiency of teachers. The text book is an important tool in the hands of teachers as well as an important means in the hands of students for obtaining

knowledge. In this way, the textbooks are important for both the teachers and pupils.

However, books are the best way to preserve knowledge. Knowledge can be obtained by two ways- knowledge by self-experience and knowledge by books (experiences of others), a person cannot go ahead if he learns through his own experiences whereas the experiences, ideas, realization, and feelings are preserved in the form of text books. Text books lay the foundation and experience justifies it. Moreover, the students read and learn the speeches of great men these speeches and feeling of great men remain preserved in the form of text books and they are studied by many generations and the knowledge is transmitted from one generation to another generation.

Textbooks are the best media of teaching English for these text books are prescribed for teaching in accordance with the level of intellect of primary and secondary education pupils. As a matter of fact, Textbooks play an important role for teaching language in systematic and organized manner. Louis shores define text books as, "A Textbook is any book used by a teacher and students as a basis for contact and organisation of a course of study."

2) Criteria of a Good Textbook:

To assess the value of a good textbook it should be examined by two stand points – its intrinsic characteristics (Content) and its get-up (Technical Characteristics).

i) Intrinsic Characteristics (Content):

Regarding intrinsic characteristics of the textbook the following aspects should be observed:

a) Adequate Subject Matter:

- The subject matter of the textbook should be in accordance with the mental level of the pupils. Further the subject matter should be adequate to satisfy the needs of the students.
- The subject matter should be suitable to the different levels of age group of the pupils as such different subject matter should be given to the different age group of students.
- The subject matter of the textbook should be related to the real and social life of the students.
- The subject matter of the textbook should be interesting for the students and it should be systematic and organized, providing new information.

- The subject matter should be of practical utility.
- There must be some lessons related to the ethical/moral values for the moral development of the students.
- The subject matter should be related to Indian traditions and culture.
- It should have varied topics such as prose, poetry, story etc.
- It should be related to the environment in which students live.
- The subject matter of the textbook should provide ample opportunities of oral work.

b) Suitable Language and Vocabulary:

- The language of elementary textbooks should be easy and simple.
- The language of textbooks prescribed for secondary and higher level should be in accordance with the standard, so that students may get proper opportunity to apply their reasoning power and contemplation.
- It should be incorporated carefully selected words and structures intended to be taught in a particular class.
- There should not be too many new words at one time and too few at another. Four to five new words a page should be introduced to enable the student to assimilate easily.
- The words and structures already learnt should also be repeated in the coming pages, so that the students may revise them and keep them fresh in memory, because the repetition makes meaning more clear
- The language used in textbook should be well selected, suitable and proper which the students may understand easily
- The development of the vocabulary items should be gradual and progressive in nature.
- Difficult and new words should be mentioned before the start of lesson of text book for practice and drill. There should also be a glossary of difficult words at the end of textbook.

c) Style:

The utility of textbook depends upon its adaptability to be read maximum and understood, it is possible when the style used in the text book is in accordance with the age and mental levels of the students. The following points are essential to be taken in View-

- The style of the textbook should be simple, logical, and appealing to the students.
- The style and language should be in accordance with the age, mental levels, and standard of the students.
- There should be varieties in style of the textbook which may suit the mental levels of the students.

d) Adjustment and Planning:

The planning and adjustment of the lessons and topics should be in the following manner:

- At the beginning of the textbook there should be easy and simple lessons, the difficult lesson should be arranged gradually in developing manner.
- The textbook should not consist of too lengthy lesson because such lesson causes disinterest in students. The long writings should be divided into two or three convenient parts.
- A proper proportion should be maintained between prose and poetry lessons. A poetry lesson should be placed between the two prose lessons, mostly this pro-portion is taken to be 4 :1.
- The lessons pertaining to the festivals and weather should also be given proper place in textbooks.
- The lessons of the same nature should not be placed in continuation, there should be intermission after two or three lessons to maintain interest in the textbook.

e) Pictures, Sketches and Charts:

- For making English textbook attractive and interesting clear and relevant pictures, sketches and charts should be given place in the book.
- The pictures contained in English textbook should be attractive and clear, at elementary level some of these pictures should be presented in colour.
- The pictures sketches and charts should be correct to the nature of the lesson and they should be large (in size) for the small children of elementary standard.

f) Exercises:

- At the end of each lesson, it will be asked some questions about the lesson. The purpose of the questions should be both practice and test exercises.
- Exercises should be graded; first exercise will be for testing words and structures the second for comprehension and explanation.

- There should be variety in the form in exercises.
- The formation of exercises should be based on new type of testing.
- The questions in exercise should be selected and graded.

ii) Get-up (Technical Characteristics):

The charm of the book does not lie in its content alone, the get up or the exterior look of the book also contributes. If the book looks unpleasant, students will be less likely to want to read it. So, the get-up of the text books should be attractive and impressive. The followings features are important for a good textbook:

a) Size

- The size of the textbooks should neither be too big nor too small, it should be handy in accordance with the level of students.
- The size of the textbook for elementary level should be comparatively bigger than 6"x4".
- The size of the textbook for secondary and higher level should be 7.5"x 5.5" & 8.5"x5.5" respectively.

b) Cover:

- The title cover of the English textbooks should be thick, strong and durable.
- The cover should be attractive and colourful. if any illustrative and beautiful picture is printed on its cover, it will enhance the charm of the book.

c) Binding:

- The binding of the English textbooks should be strong and durable.
- The binding of the textbook should not make the book difficult to open rather, it should be proper and easy to open the book.
- The binding should not hide any printed word or letter.
- The material used for binding should be of good quality and thread knitting should be proper and durable.

d) Printing:

- English textbook should be printed in black bright ink.
- The print should be clear and correct.
- The print of the lesson for elementary level should be of 16 points and the print of title of lesson should be of 20 to 32 points.
- There should be no mistake of printing, the spellings should be correct.
- The printing of the lessons in textbook for secondary and higher level should be of 12 points and titles of the lesson of 14 points.
- Proper space should be left on every side as margin.
- Printing should be of high standard and no mistake should be left.

Prescribed Norms of Standard Printing

S. No.	Size of Book	Size of Type	Leading	Width of Line	Length Page
1.	Demai 18 X 22 / 8	12-14 Points	2-3 Points	26 Em1	44 Em
2.	Crown 20 X 26 / 8	12-14 Points	2-3 Points	36 Em	46 Em
3.	Royal 20 X 24 / 8	12-14 Points	2-3 Points	32 Em	46 Em
4.	Other 20 X 36 / 16	12-14 Points	2-3 Points	24 Em	36 Em

Variation in Type Size: The size of type is as following:

8 point	English is an international language
10 Point	English is an international language
12 Point	English is an international language.
14 Point	English is an international language.
16 Point	English is an international language.
18 Point	English is an international language.
20 Point	English is an international language.
24 Point	English is an international language.

(**“**Em is a unit of measure in typography; the square of type body, a unit of length equal to the height of a capital letter of a designated font, a 12-point Em is one pica, it is called either the Em or piea Em”. **Dictionary of education. P. 210.)**

e) Paper:

The paper used in English textbooks should be thick, white, smooth, durable and of good quality.

f) Price:

The price of the English textbook should not be very hight, keeping into consideration the interest of students, it should be reasonable.

g) Get Up:

The get up of the textbook should be attractive and impressive.

h) General Requisites:

It is required for a good textbook that at the start there should be content (list of the lessons) and at the end there should be Index, besides a bibliography. These requisites are essential.

3) Methods of Analysis & Evaluation of English Text Book

There are two methods for evaluation of English textbook: By Subject Specialist (Expert) and By Rating Scale

i) Analysis & Evaluation of School Text Book by Subject Specialist:

In this method the English textbook of any standard is sent to three or four subject specialists for the evaluation, and the evaluation report is obtained. The subject specialists assess every aspect of the book based on prescribed norms and send their reports to the book committee. Thereafter, grade (Excellent, Good, Average, low or lowest grade) is awarded based on the report of the aforesaid experts, in this method mainly a questionnaire is used for evaluation of textbook, Yes/No is mentioned before each question of the questionnaire. The evaluator must mark (*) Yes or No assessing the book based on questions. In this manner the textbook is judged as to how much the book is suitable to the students. Thus, the available

textbooks are evaluated by adopting this procedure for providing wholesome text to the learners. A general questionnaire for evaluation of the textbook may be as given below:

Questionnaire for Analysis & Evaluation of School Text Book

S. N.	Questions	Answer
1.	Is it related to syllabus?	Yes / No
2.	Whether the presentation of subject matter has been done in organized, systematic, and psychological way?	Yes / No
3.	Whether the used vocabulary, method of presentation, formation of the sentences are in accordance with the mental level of the students?	Yes / No
4.	Whether the selected subject matter in it is suitable for educational objectives?	Yes / No
5.	Whether its subject matter can be helpful to develop Interest in students for subject and inspire for self-study?	Yes / No
6.	Whether its subject matter is capable to enable the students in solving problems?	Yes / No
7.	Whether pictures, maps, sketches, charts, graphs etc. used in it are clear, correct, up to date and relevant?	Yes / No
8.	Whether brief, exercise and proper directions etc. are given at the end of the lesson?	Yes / No
9.	Whether introduction and contents have been given at the start and bibliography and index at the end of the book?	Yes / No
10.	Whether its study is helpful in the development of an ideal citizen?	Yes / No
11.	Whether it contains impartial and rational illustration of disputable questions?	Yes / No
12.	Whether the writer of the book is learned of the subject, experienced and trained?	Yes / No
13.	Whether the developed printing technique has been used in the book?	Yes / No
14.	Whether the outer size of the book is attractive to the students?	Yes / No
15.	Whether its size and number of pages are appropriate.	Yes / No
16.	Whether the price of the book is suitable to the economic condition of an ordinary student?	Yes / No

ii) Analysis & Evaluation of School Text Book by Rating Scale

The English textbooks are evaluated by using rating scale. Some scales have been fixed for evaluation of textbooks; the books are evaluated by the experienced teachers. Who after considering the various aspects of the book and keeping the scale in view mark the sign of tick (★) on appropriate column of the rating scale. Generally rating has been classified into five categories for which statistical value is fixed; the evaluator, keeping in view the prescribed measures, which ever he deems proper marks the sign (★) tick for rating. The categories of rating and the fixed values are as under:

Division (grade)	Excellent	Good	Average	Poor	Very poor
Statistical value	5	4	3	2	1

The rating divisions have been shown in the following table:

Rating Scale:

Factors Regarding Publication:

- ✓ Title of the book: ……………………………………
- ✓ Writer or writers: ……………………………………
- ✓ Publisher: ………………………………………………
- ✓ Date of copyright: ……………………………………
- ✓ Number of pages: ……………………………………
- ✓ Price of the book: ……………………………………

S. N.	Scales for Analysis & Evaluation	Excellent 5	Good 4	Average 3	Poor 2	Very poor 1
1.	**Technical Factors:** a. External look of the book b. Durability of binding c. Quality of paper d. Clarity of printing e. Size/width of margin					
2.	**Organization:** a. General Plan/Selection of Contents b. Logical classification of Lessons c. Brief of the lessons d. Sequences of lessons e. Basic unity					
3.	**Presentation:** a. Style b. Concreteness c. Freedom from bias d. Vocabulary e. Up-to-date					
4.	**Illustrations:** a. Accuracy b. Objectivity c. Quality d. Pupil appeal e. Proportion					
5.	**Pictures, Charts, Graphs, etc.:** a. Size b. Appropriateness c. Value d. Accuracy e. Proportion					
6.	**Questions and Exercises:** a. Related with subject matter b. Comprehensiveness c. Value d. Motivation e. arrangement					
7.	**References & Bibliography:** a. Practicability b. Importance from teacher's point of view c. Importance from the student's point of view d. Type of contents e. Latest / Up-to-date					
8.	**Introduction, Index and Appendix:** a. Content b. Arrangement c. Value d. Usability e. Completeness					
	Total					
	Grand Total					

For evaluating English textbooks of any standard by the above rating scale firstly, the textbook is sent to the subject experts with the following rating scale The subject expert assessing every aspect of the book on the basis of given rating scale, expresses his view by marking the sign of tick (★) in category mentioned before, there after the signs of tick (★) are counted. Then the prescribed numbers (marks) for category are multiplied by the total number of the ticks (★) and total is derived. In this manner the category which has been given maximum marks, the same category is recommended for the textbook. Thus, this method is supposed to be the best method for its reliability, validity, and objectivity.

4) A Critical Appraisal of the English Textbook in Schools:

i) Lower Secondary Level: At this level, the textbooks have been published by the education department of state under the plan of nationalization of English text books.

Therefore, the following are the characteristics of textbooks:

- The books of this level have been prepared by the subject experts and reputed educationists.
- The vocabulary prescribed by the Govt. of India has been used.
- Pictures and sketches have been used at proper place for making the subject matter and interesting to the leamers.
- In selection of the vocabulary the environment of the students of different classes and the vocabulary of the other subject books have been kept in view.
- Those structures of sentences and vocabulary have been given place in the beginning which enable the students to express their view correctly in future.
- Basic lessons of grammar have been prescribed, which the students can lean easily.
- The questions for exercise have been given in the end of lesson so that the student may practice and memorize the read lesson.

Suggestions for the Improvement:

The suggestions for the improvement of English textbook at this level are as under:

- In selection of the content for English textbooks, the interest and the needs of the under students should be kept in view.
- The content of the English textbooks should be in accordance with mental level of the learners.

- The content of the book should be related to this local environment and life.
- The textbooks should contain some lessons related to lives of great men their patriotism, moral etc. and there should be also some lessons describing nature.
- The lessons of textbook should not be too lengthy.
- The subject matter should be selected on the basis of Psychological Principles.
- Ethical and educative lesson should be given place in the textbooks.
- At this stage descriptive style should be used in textbooks.
- There should be no printing mistakes in the book.
- Its get-up should be attractive.

ii) Secondary Level:

The following characteristics are contained in the prescribed secondary level textbooks:

- The textbooks of this level are of high standard and are capable to fulfil the need of the students.
- The content selected in the textbooks is the important and valuable Extract of English literature.
- The content is related to ethics and helpful in character formatting.
- The textbooks are helpful to the students regarding their practical and social life.
- The selection of the content of textbook is psychological and practical.
- The get-up and the price of textbook is satisfactory.

Suggestions for the Improvement of English Textbooks:

The suggestions for the improvement of English textbooks are as under:

- The content of the English textbooks should be collected from the eminent treatises.
- The interest and need of the students should be considered in selecting the content for textbooks.
- The language of the textbooks should be easy, and effective.
- The content of textbooks should be helpful in developing the feeling of national integration.
- Descriptive and contemplative style should be used in textbooks of this level.

- Sufficient material for exercise should be given in the end of lessons of text books.
- The get-up of textbooks should be attractive and impressive.

5) Conclusion:

This study concludes that some English teachers in modern education system need a criterion for English textbook evaluation. They can use and decide the appropriate textbooks for their students. The method of textbook evaluation includes basic Criteria like; Educational Objectives, Design and Organization, Content/Subject Matter, Presentation Style & Vocabulary, Questions, Exercises, and Activities, Printing Technique, Price of the book, Methodology, Technical Factors of the textbook and Physical Make-up etc. are valid criterion and can be used by English teachers to evaluate the quality of an English Textbook. Finally Textbook designers are strongly advised to pay close attention to the appearance and format of the textbooks they design for learners.

References:

1. Alamri, A.A.M. (2008), "An Evaluation of the Six Grade English Language attitudes concerning the newly developed ESP materials", Modern Journal of Language Teaching Methods, vol.7(5), P. 45–58.
2. Gebregeorgis, M. Y. (2017), "Peace Values in Language Textbooks; the case of English for Ethopia Students Textbook", Journal of Peace Education, vol.14(1), P. 54–68.
3. Gholami, R., Noodin, N., & Rafik-Galea., S. (2017), "A Through Scrutiny of ELT Textbook Evaluation; A Review Inquiry", International Journal of Education & Literacy Studies, vol. 5(3), P. 82–91.
4. Harmer, J. (2001), "The Practice of English Language Teaching Essex", Pearson Education Limited.
5. Hutchinson, T., & Torres, E. (1994), "The textbook as agent of change", ELT Journal, vol. 48(4), P. 315-328
6. Mc Grath, I. (2002), Materials Evaluation and Design for Language Teaching", Edinburgh; Edinburgh University Press.
7. Sheldon, L. E. (1988), "Evaluating ELT textbooks and materials", ELT Journal, vol. 42(4), P. 237- 246.
8. Thein, N. (2006), "Evaluating the suitability and effectiveness of three English course books at Myanmar Institute of Technology" Unpublished MA thesis, University of Thailand, Thailand.

Study on process management and competitiveness of SMEs in Bihar

Satya Prakash Ranjan
Research Scholar,
University Department of Commerce & Bussiness Administration,
T.M.B.U. Bhagalpur

Abstract

Small and medium-sized enterprises are recognized as the cornerstones of economic prosperity in any country. They support the creation of numerous jobs and act as providers of goods and services to large corporations. SMEs are defined by a variety of characteristics and standards, such as location, size, age, structure, organization, number of workers, and sales volume; also, ownership via technical innovation and asset value are considered (Rahman, 2001). The majority of SMEs have simple systems and procedures that enable flexibility, better decision understanding, rapid feedback cycles, and a quicker reaction to client demands than bigger firms. Notwithstanding these advantageous attributes, small and medium-sized enterprises encounter significant pressure to sustain their competitiveness in both local and global markets. Because of growing international rivalry, advances in technology, and other factors, competitiveness paradigms are always shifting.

Keyword:- Competitiveness, process management, SMEs.

Introduction

Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bihar are fundamental pillars of the local economy, despite grappling with a range of formidable challenges. These enterprises serve as vital contributors to employment and economic growth within the state. SMEs in Bihar face significant hurdles, starting with infrastructure deficiencies such as unreliable electricity, inadequate road networks, and limited access to essential services like water supply. These shortcomings hamper their operational efficiency and ability to scale. Financial constraints pose another major obstacle. SMEs often struggle to secure adequate funding due to limited access to formal credit sources and high interest rates from informal lenders. This restricts their capacity to invest in expansion, technology upgrades, and skilled manpower. Moreover, there is a noticeable

scarcity of skilled labour in technical and managerial roles. Despite these challenges, SMEs in Bihar demonstrate resilience and potential. They contribute significantly to local economic development, fostering entrepreneurship and diversifying the economic landscape. Addressing infrastructure deficiencies, enhancing access to finance, investing in skill development, and simplifying regulatory processes are critical steps towards empowering SMEs and unleashing their full economic contribution in Bihar. This skill gap not only affects productivity but also hampers innovation and competitiveness among SMEs in Bihar. Navigating through complex regulatory frameworks and bureaucratic processes further complicates the business environment for SMEs. Cumbersome procedures for obtaining licenses, permits, and approvals add to operational costs and time delays, impacting overall business efficiency.

Bihar's business environment is dynamic and ever-changing, with its own set of possibilities and difficulties. Bihar, a province in eastern India, is not only one of the oldest areas in the nation but also has a great deal of room to expand economically.

Bihar is home to businesses in a wide range of sectors, including manufacturing, agriculture, healthcare, education, and developing fields like renewable energy and information technology. The agricultural industry in the state, which is well-known for its rich soil and variety of crops, is the main driver of the economy and significantly raises GDP.

But for companies wishing to invest and grow in the area, Bihar's advantageous location, continuous infrastructural development efforts, and government programs to encourage industrialization and entrepreneurship provide encouraging prospects. A more favourable business climate is being created by state government initiatives to increase ease of doing business and draw investments. Bihar's business environment is essentially defined by its potential, durability, and development prospects across a multitude of industries. With focused efforts to overcome obstacles and capitalize on its advantages, Bihar has the potential to become a major centre for commercial initiatives and economic activity in India's changing market environment.

Business processes are the organized, methodical sequence of actions or procedures that companies follow in order to accomplish particular goals and provide value to their clients. These procedures are necessary for the effective administration and operation of companies in a variety of sectors. This is a research paper of the business processes idea. Business processes are all of the operations, workflows, and tasks that businesses carry out in order to produce goods or services, from the very beginning of planning to the very end of delivery and beyond. These processes are essential because they guarantee consistency, effectiveness, and quality in operations, which boosts output, customer satisfaction, and profitability.

Market condition for SMEs

Competitors' advances have resulted in shorter product life cycles, more sophisticated products, and more accessibility to new technological developments.

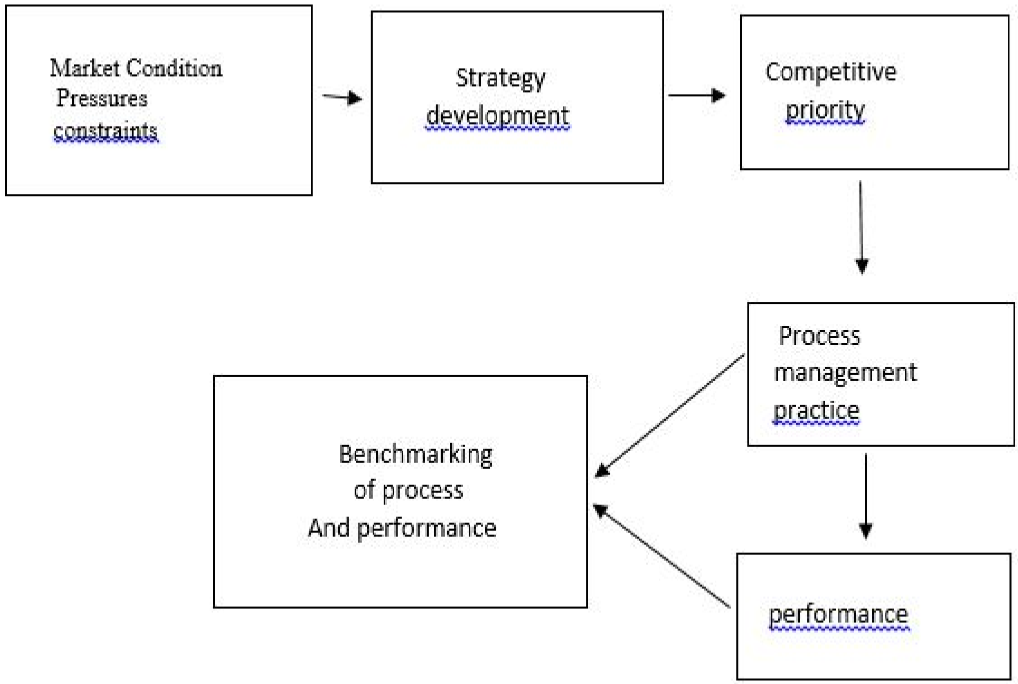

A complex term, competitiveness refers to a range of factors that affect a person's, an organization's, or a country's capacity to successfully compete in international marketplaces. It includes elements like innovation, quality, productivity, infrastructure, regulatory environment, and human capital in addition to just cost efficiency. This is a thorough examination of competitiveness. The meaning and scope of competitiveness: The capacity of a country to generate goods and services that satisfy worldwide standards in terms of quality, cost, and innovation is referred to as economic competitiveness. Business competitiveness refers to elements that help companies beat competitors in the market, such as branding, product differentiation, operational effectiveness, and market penetration tactics. Technological competitiveness is the ability of a country to innovate, embrace new technologies, and continue to be at the forefront of technology in important industries. Social Competitiveness.

Literature review

A literature review on process management and competitiveness in Small and Medium Enterprises (SMEs) Bihar state explores how effectively managing business processes can enhance SMEs' competitiveness in various industries. Here's an overview of key findings and insights from academic research and literature:

1. **Deros et al. (2006).** A benchmarking implementation methodology for automobile manufacturing SMEs was created by although it has only been verified with six pilot case studies and has not been experimentally tested. Key performance indicators have been separated into two groups: hard measurements and soft measures. Work-in-progress levels, lead and delivery times, percentages of rejection and rework, product quality and dependability, process cycle time, staff skill level, and so on are examples of hard or physical measurements. The existence and practice of teamwork, employee participation, management commitment to quality improvement, improvements in customer satisfaction for both internal and external customers, incentives and suggestion programs, etc. are examples of soft measures.

2. **Ribeiro and Cabral (2006).** A benchmarking technique has been created for the metalcasting industry by). They provide a performance evaluation approach that covers a wide range of production, customer focus, and business outcomes. An expert diagnosis method has been created by St-Pierre and Delisle (2006) for the performance benchmarking of SMEs. Benchmarking has been found to enhance the operational and financial performance of SMEs, based on data collected from 100 of these companies. In order to increase production performance, Denkena et al. (2006) provided knowledge-based benchmarking of production performance for SMEs utilizing the Benchmark Tool, an existing European database. It includes both quantitative and qualitative data on the business.

3. **Kanji and Sah (2014).** Competitiveness is a complicated phrase that describes a number of variables that might impact an individual's, an organization's, or a nation's ability to effectively compete in global markets. In addition to cost effectiveness, it also takes into account aspects like innovation, quality, productivity, infrastructure, regulatory environment, and human capital. This is a comprehensive analysis of rivalry. Definition and application of competitiveness: Economic competitiveness is the ability of a nation to produce goods and services that meet international standards for quality, affordability, and innovation. The term "business competitiveness" describes characteristics like branding, product differentiation, operational efficiency, and market penetration strategies that assist businesses in outperforming rivals in the marketplace. Technological competitiveness refers to a nation's capacity for innovation, adoption of new technologies, and ongoing

4. S.N. and Gupta (2018). This limits their ability to make investments in growth, technological advancements, and qualified labour. In addition, there is a clear shortage of qualified workers for management and technical positions. In spite of these obstacles, Bihar's SMEs show promise and resiliency. They create entrepreneurship and diversify the economy, which greatly contributes to local economic growth. Investing in skill development, streamlining regulatory procedures, improving access to financing, addressing infrastructural shortcomings, and empowering SMEs are essential measures towards realizing the full economic potential of SMEs in Bihar. In addition to impairing production, this talent gap also makes Bihar's SMEs less innovative and competitive. For SMEs, navigating intricate regulatory frameworks and bureaucratic procedures adds to the complexity of the business environment. arduous processes for acquiring authorizations, licenses, and approvals raise operating expenses and efficiency.

Research methodology

There are different ways to carry over research and which method will be suitable should be judged with regards to the description of the research problem (Patel & Tebelius, 1987). Research Design: Proposed synopsis would be carried over by Exploratory and Empirical research design based on Secondary and Primary data. The general research approach of the first theme as a continuous development of knowledge has been initiated by the research interest, iterating between empirical data and tentative theories, ending with the resulting implementation model. Sample size: 260 respondents Sampling Method: Primary data will be collected through stratified random sampling. Sources of Data Collection: The Secondary data and relevant literature will also be compiled from published and documented sources. Such sources are articles, case, Conference proceedings, Annual Reports etc. The general research approach of the third theme as a continuous development of knowledge has been initiated by the research interest, iterating between literature studies and tentative theories, ending with the resulting models and conceptualisations. Design of Questionnaire: Different sets of questionnaires will be prepared. The questionnaire will be consisting of open & close ended questions and likert scale questionnaires as well. Reliability and Validity: The questionnaire will further Tested for reliability. The general research approach of the first theme as a continuous development of knowledge has been initiated by the research interest, iterating between empirical data and tentative theories, ending with the resulting implementation model.

Data analysis:-

Table No-01: Showing No. of MSMEs in India.

Activity Category	Estimated No of Enterprises (in lakh)			Share(%)
	Rural	Urban	Total	
Manufacturing	115.21	81.42	196.24	31
Electricity	0.035	0.15	0.029	0

Source:- Annual report of SMEs

Table No-01: Show thatiIn addition to offering significant job opportunities at a significantly lower capital cost than large industries, MSMEs are playing a critical role in India's industrialization of rural and underdeveloped areas. This process also reduces regional imbalances and ensures a more equitable distribution of the country's wealth and income. According to the National Sample Survey (NSS) 73rd round, which was carried out by the National Sample Survey Office, Ministry of Statistics & Programme Implementation between 2015 and 2016, there were 633.88 lakh unincorporated MSMEs in the nation that were not involved in agriculture and were engaged in a variety of economic activities. These included manufacturing (196.65 lakh), trade (230.35 lakh), and other services (206.85 lakh). However, this number did not include MSMEs that were registered under Sections 2m(i) and 2m(ii) of the Factories Act, 1948, the Companies Act, 1956, and (c)

Conclusion

The body of research concludes that improving SMEs' competitiveness requires efficient process management. SMEs may achieve operational excellence, save costs, improve the quality of their products and services, and ultimately fortify their market position in a competitive climate by methodically reviewing and optimizing their business processes. To fully profit from process management and maintain long-term competitiveness, SMEs must remove obstacles and take advantage of supporting legislation. Without a doubt, the MSME sector is essential to boosting the economy of Bihar by generating employment and revenue possibilities. For these small businesses to pay for working capital costs, equipment purchases, technological upgrades, or capacity building for entrepreneurs, a consistent source of cash is necessary. Giving the MSME sector a steady stream of capital finance is essential to their expansion since they play a significant role in GDP and exports, eliminating regional imbalances, and implementing cutting-edge technologies. The State governments bear the major duty for the growth and

promotion of MSMEs. Hence, it is imperative to enhance their prominence and sustainability by leveraging entry to domestic and global markets via the establishment of a business-friendly regulatory framework.

References

1. Fink, K., & Ploder, C. (2009). Balanced system for knowledge process management in SMEs. *Journal of Enterprise Information Management,* 22(1/2), 36-50.
2. Cugini, U., Ramelli, A., Rizzi, C., & Ugolotti, M. (2006). Total quality management and process modeling for PLM in SME. *Advances in Design,* 339-350.
3. Rolinek, L., Plevny, M., Kubecova, J., Kopta, D., Rost, M., Vrchota, J., & Marikova, M. (2015). Level of process management implementation in SMEs and some related implications. *Transform. Bus. Econ,* 14, 360-377.
4. Usman, I., Hartani, N. H., & Sroka, M. (2020). Operational performance of SME: the impact of entrepreneurial leadership, good governance and business process management. *Polish journal of management studies,* 21(1), 408-418.
5. Imanipour, N., Talebi, K., & Rezazadeh, S. (2012). Obstacles in business process management (BPM) implementation and adoption in SMEs. *Available at SSRN 1990609.*
6. Sohns, T. M., Aysolmaz, B., Figge, L., & Joshi, A. (2023). Green business process management for business sustainability: A case study of manufacturing small and medium-sized enterprises (SMEs) from Germany. *Journal of cleaner production,* 401, 136667.
7. Fink, K., & Ploder, C. (2009). Balanced system for knowledge process management in SMEs. *Journal of Enterprise Information Management,* 22(1/2), 36-50.

Barriers to Health: A Sociological Study of Healthcare Access for Rural Women in India

***Dr. Satyam Dwivedi**
Associate Professor
Department of Sociology
D.A.V. (P.G.) College, Dehradun

****Dr. Archana Pal**
Associate Professor
Department of Sociology
D.A.V. (P.G.) College, Dehradun

*****Ankita Trivedi**
Research Scholar (Sociology)
Motherhood University, Roorkee

Abstract

This review-based research paper explores the sociological barriers that hinder healthcare access for rural women in India. Drawing from existing literature, the paper investigates how gender norms, poverty, and inadequate healthcare infrastructure contribute to poor health outcomes for women in rural areas. Patriarchal structures often limit women's autonomy in decision-making, delaying or preventing access to healthcare services. Additionally, economic constraints and geographic isolation further restrict their ability to receive timely medical care. The review also highlights gaps in government policies and healthcare systems that fail to address the unique needs of rural women. Through a synthesis of scholarly articles, reports, and case studies, this paper underscores the urgent need for gender-sensitive and inclusive healthcare reforms to improve health equity for rural women in India.

Keywords: rural women, healthcare access, gender inequality, sociological barriers, India, healthcare infrastructure, health equity.

** First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

Introduction

Healthcare access for rural women in India is a significant public health concern, reflecting broader socio-economic and cultural challenges. Rural women face numerous barriers, including economic constraints, which limit their ability to afford healthcare services, and geographic isolation, making healthcare facilities physically inaccessible. Social and cultural norms also play a crucial role; patriarchal attitudes often restrict women's autonomy and decision-making power regarding their health. In many cases, traditional beliefs and stigma around women's health issues, such as reproductive health, discourage seeking professional medical help. Additionally, the lack of education and awareness about healthcare options further impedes their ability to make informed health decisions. These factors are compounded by inadequate healthcare infrastructure, with rural areas frequently lacking sufficient medical facilities, qualified professionals, and essential resources. Addressing these healthcare access issues is vital for improving the health and well-being of rural women and achieving broader public health goals in India.

Overview of Healthcare Access Issues Faced by Rural Women in India

Healthcare access for rural women in India is a critical issue that directly impacts their overall health and well-being. Rural women face numerous challenges that hinder their ability to access quality healthcare services, leading to high rates of maternal mortality, malnutrition, reproductive health problems, and preventable diseases. Several key issues contribute to the inadequate healthcare access experienced by rural women:

1. **Economic Constraints:** A significant number of rural women live in poverty, which limits their ability to afford healthcare services. Economic dependency on male family members often results in healthcare being deprioritized, especially for non-urgent or routine health check-ups. The high cost of transportation to reach healthcare facilities, coupled with the expense of medical treatments, further restricts access.

2. **Social and Cultural Barriers:** Deeply ingrained patriarchal norms and gender roles restrict women's autonomy over their health decisions. Cultural beliefs and practices, such as the preference for home remedies, the stigma surrounding certain health conditions (e.g., reproductive health issues), and restrictions on women's mobility, create significant barriers to seeking healthcare.

3. **Lack of Education and Awareness:** Low literacy rates among rural women contribute to a lack of awareness about health issues and available healthcare services. This often results in delays in seeking medical care and a reliance on traditional healers or unqualified practitioners, which can

exacerbate health problems.

4. **Inadequate Healthcare Infrastructure:** Rural areas in India often suffer from a shortage of healthcare facilities, qualified medical professionals, and essential medical supplies. The healthcare centres that do exist are frequently understaffed and lack the resources necessary to provide comprehensive care. The absence of female healthcare providers in many rural areas also discourages women from seeking care, particularly for sensitive health issues.

5. **Geographical Barriers:** The physical distance to healthcare facilities poses a significant challenge for rural women. Many rural areas lack reliable transportation, making it difficult for women to reach healthcare centres, especially in emergencies. Geographic isolation also limits the availability of information and access to healthcare services.

Aim of the Study and Its Sociological Perspective

The aim of this study is to examine the barriers to healthcare access faced by rural women in India from a sociological perspective. By reviewing existing literature and employing sociological theories, this paper aims to provide a comprehensive understanding of the factors that hinder rural women's access to healthcare. It will explore how socio-economic, cultural, and structural factors intersect to create unique challenges for rural women, influencing their health outcomes and overall quality of life.

A sociological perspective is essential for analysing healthcare access issues because it allows for the examination of how societal structures, cultural norms, and power dynamics shape individuals' experiences and opportunities. This paper will utilize concepts such as the social determinants of health, feminist theory, and intersectionality to understand how gender, caste, class, and other social identities influence rural women's access to healthcare. By doing so, the paper aims to highlight the need for more inclusive and context-sensitive healthcare policies and interventions that address the root causes of health disparities and promote equitable healthcare access for all women, regardless of their socio-economic or cultural background.

Theoretical Framework

Understanding the healthcare access issues faced by rural women in India requires a multidimensional theoretical framework that incorporates various sociological theories. Three prominent theories—Social Determinants of Health, Feminist Theory, and Intersectionality—provide a comprehensive lens to analyse and interpret these challenges.

Social Determinants of Health: This theory posits that health outcomes are significantly influenced by social, economic, and environmental factors rather than just individual choices or medical interventions (Marmot & Wilkinson, 2005). For rural women in India, factors such as poverty, education level, and living conditions are critical determinants of their health access. Economic dependency on male family members, coupled with limited financial resources, restricts their ability to seek and afford healthcare services. Moreover, inadequate infrastructure and limited access to clean water and sanitation further exacerbate health disparities. Understanding these social determinants highlights the need for comprehensive policies that address underlying socio-economic inequalities.

Feminist Theory: Feminist perspectives emphasize the role of gender inequality in shaping women's health experiences and access. This theory critiques how patriarchal structures and cultural norms systematically disempower women, limiting their autonomy over health-related decisions (Lorber, 1997). In rural India, patriarchal attitudes often dictate that women's health needs are secondary to those of men, affecting their ability to access timely and adequate healthcare. The stigma associated with discussing women's reproductive health issues, along with societal expectations of women's roles, further restricts their health-seeking behaviour. Feminist theory, therefore, underscores the importance of addressing gender-based power imbalances to improve healthcare access for rural women.

Intersectionality: Coined by Kimberley Crenshaw, intersectionality theory examines how overlapping social identities—such as gender, caste, class, and ethnicity—interact to create unique experiences of oppression or privilege (Crenshaw, 1989). For rural women in India, caste and socio-economic status intersect with gender to compound healthcare access barriers. Lower-caste women often face discrimination within healthcare settings, while those from poorer backgrounds lack the financial means and social capital to access care. Intersectionality allows for a nuanced understanding of how multiple forms of social stratification impact rural women's health outcomes.

Together, these sociological theories provide a robust framework for analysing the healthcare access issues of rural women in India. By recognizing the interplay of social, economic, gender, and identity factors, policymakers and healthcare providers can develop more targeted and effective interventions to reduce health disparities.

Review of Literature

Healthcare access for rural women in India is influenced by a complex interplay of economic, social, cultural, structural, and educational barriers. A comprehensive review of existing literature reveals how these factors contribute to the health disparities faced by this marginalized population.

Economic Barriers

Economic constraints are a primary barrier to healthcare access for rural women in India. Many studies indicate that poverty significantly restricts women's ability to afford healthcare services. According to the World Bank (2019), over 60% of rural households in India live below the poverty line, which directly impacts their health-seeking behaviour. Banerjee and Duflo (2011) highlight that economic dependence on male family members often results in healthcare being deprioritized, especially for women's non-urgent health issues. This is further corroborated by a study conducted by Mohindra et al. (2006), which found that rural women in India are less likely to seek medical care due to financial constraints and are more likely to resort to home remedies or delay treatment until necessary.

Additionally, the prioritization of resources for male family members over female members exacerbates the problem. A study by Sengupta and Nundy (2005) observed that in many rural households, the health needs of men and boys are given precedence due to their perceived role as breadwinners, leaving women with limited access to financial resources for their health. This economic marginalization not only impacts women's health directly but also perpetuates a cycle of poor health outcomes across generations.

Social and Cultural Barriers

Social and cultural norms significantly influence healthcare access for rural women. Patriarchal structures often dictate women's roles and restrict their autonomy, leading to limited decision-making power regarding their own health. According to Das and Horton (2018), traditional gender roles in rural India confine women to domestic spheres, limiting their mobility and ability to seek healthcare independently. This is particularly evident in the context of reproductive health, where societal stigma and taboos surrounding women's health issues lead to secrecy and shame. A study by Sharma et al. (2007) found that many rural women are reluctant to seek medical help for reproductive health issues due to fear of social ostracism

and the stigma attached to discussing such topics.

Cultural beliefs also play a critical role in shaping health behaviours. For instance, many rural communities rely on traditional healers and home remedies rather than seeking modern medical care (Patel et al., 2013). While these practices are deeply rooted in cultural traditions, they often result in delayed medical intervention, leading to exacerbated health issues. Furthermore, the societal preference for male children often results in neglect of female children's health needs, further entrenching gender disparities in health access (Pande & Malhotra, 2006).

Structural Barriers

The structural inadequacies in the healthcare system present significant obstacles to healthcare access for rural women. A lack of healthcare facilities in rural areas is a major concern. According to the Ministry of Health and Family Welfare (2017), rural healthcare infrastructure in India is plagued by a shortage of primary health centres and sub-centres, which are the first point of contact for rural populations. This shortage is coupled with a severe lack of qualified healthcare professionals, particularly female providers, which discourages rural women from seeking care, especially for gender-specific health issues (Kruk et al., 2018).

The physical distance to healthcare facilities also poses a significant challenge. In many rural areas, women have to travel long distances to access medical care, which is not always feasible due to lack of transportation and high travel costs (Kesterton et al., 2010). This is particularly problematic in emergency situations, such as during childbirth, where delays can have severe consequences for both mother and child. Studies have shown that inadequate transportation infrastructure is a critical factor in the high rates of maternal mortality in rural India (Vora et al., 2009).

Educational Barriers

Education plays a crucial role in health literacy and healthcare access. Low literacy rates among rural women are a significant barrier to accessing healthcare services. According to the National Family Health Survey (2015-16), literacy rates among rural women in India are significantly lower than those of their urban counterparts, which limits their awareness and understanding of health issues and available healthcare services. Educated women are more likely to make informed health decisions and seek medical care when needed (Caldwell, 1993).

A study by Bhatia and Cleland (2001) found that women with higher levels of education are more likely to use maternal healthcare services, including antenatal care and skilled birth attendance. In contrast, women with little or no education are more likely to rely on traditional practices and less likely to recognize the importance of seeking medical care. Furthermore, education empowers women to challenge societal norms and make autonomous decisions about their health (Jejeebhoy, 1995). Therefore, enhancing educational opportunities for rural women is crucial for improving healthcare access and outcomes.

The review of literature underscores the multifaceted nature of healthcare access issues faced by rural women in India. Economic constraints, social and cultural norms, structural inadequacies, and educational barriers interact to create significant obstacles for rural women seeking healthcare. Addressing these barriers requires a comprehensive approach that includes economic empowerment, challenging cultural norms, improving healthcare infrastructure, and enhancing educational opportunities. By understanding and addressing these factors, policymakers and healthcare providers can work towards ensuring equitable healthcare access for rural women in India.

Sociological Analysis of Barriers

Economic Barriers: Financial constraints significantly hinder rural women's access to healthcare in India. Poverty, which affects a substantial portion of rural households, restricts the ability to pay for healthcare services, transportation, and medication (World Bank, 2019). Economic dependence on male family members further exacerbates this issue, as male heads of households often control financial resources and may prioritize healthcare for themselves or other male family members. Studies show that men's health needs are often given precedence, leading to women's health being deprioritized or neglected (Sengupta & Nundy, 2005). This economic dependence creates a barrier to healthcare access, as women may lack the autonomy to seek care even when they recognize the need for medical attention.

Social and Cultural Barriers: Traditional gender roles and patriarchal norms in rural India restrict women's autonomy and decision-making power concerning their health. Women are often expected to prioritize household duties over personal health needs, limiting their ability to seek healthcare (Das & Horton, 2018). Cultural practices, such as the purdah system, which enforces female seclusion, and taboos surrounding menstruation, create additional barriers by stigmatizing women's health issues and discouraging them from seeking medical help (Sharma et al., 2007). The societal expectation to maintain modesty and the shame associated with discussing reproductive health issues further deter women from accessing healthcare services.

Structural Barriers: The inadequacy of healthcare infrastructure in rural areas is a significant barrier. Many rural regions lack sufficient healthcare facilities, and existing centres are often understaffed and under-resourced (Ministry of Health and Family Welfare, 2017). The shortage of female healthcare providers is particularly problematic, as it discourages women from seeking care for sensitive health issues. Additionally, the lack of reliable transportation facilities makes it difficult for women to travel to healthcare centres, especially in emergencies (Kesterton et al., 2010).

Educational Barriers: Low literacy levels and lack of health education among rural women contribute to poor health-seeking behaviour. Women with limited education often lack awareness of available healthcare services and the importance of timely medical intervention (Caldwell, 1993). This knowledge gap leads to reliance on traditional healers and home remedies, which may delay proper treatment and worsen health outcomes. Education empowers women with the information needed to make informed health decisions, highlighting the importance of promoting educational opportunities to improve healthcare access.

Impact of Government Policies and Programs

Government initiatives such as the National Rural Health Mission (NRHM), now part of the National Health Mission (NHM), have been pivotal in improving healthcare access for rural women in India. Launched in 2005, the NRHM aims to enhance healthcare infrastructure, improve service delivery, and address the healthcare needs of underserved populations, including rural women. A critical component of the NRHM is the Accredited Social Health Activist (ASHA) program. ASHAs are community health workers selected from the local population who act as a bridge between the healthcare system and rural communities (National Health Mission, 2017). Their roles include educating women about health, promoting antenatal and postnatal care, facilitating institutional deliveries, and ensuring vaccination coverage.

The NRHM and ASHA programs have achieved notable successes. The introduction of ASHAs has led to increased institutional deliveries and higher rates of vaccination and maternal health services in rural areas (Bhatia & Cleland, 2001). For instance, studies show a significant rise in institutional births and improved coverage of essential maternal and child health services due to the efforts of ASHAs (Garg et al., 2014). The NRHM's focus on strengthening primary healthcare infrastructure has also contributed to better health outcomes in rural areas.

Despite these successes, the implementation of these policies faces several challenges. Limited and irregular funding has often hampered the ability of the NRHM to fully realize its

goals. Financial constraints affect the availability of essential resources, such as medical supplies and infrastructure development, which are crucial for effective service delivery (Kumar et al., 2013).

Training of Healthcare Workers: ASHAs, although critical to the healthcare delivery system, often face challenges related to inadequate training and support. Many ASHAs report insufficient training in advanced healthcare practices and a lack of ongoing professional development opportunities. This can impact their ability to effectively educate and assist rural women (Bhatia & Cleland, 2001).

Cultural Insensitivity: The success of healthcare programs is also impacted by cultural factors. Rural areas in India have diverse cultural practices and beliefs that can sometimes conflict with modern healthcare approaches. For example, traditional practices related to childbirth and health are deeply ingrained, and without sensitivity to these practices, the implementation of health programs can be less effective. Efforts to incorporate local customs and engage with community leaders are essential for improving acceptance and effectiveness (Garg et al., 2014).

Addressing these challenges requires a multifaceted approach, including increased funding, better training and support for ASHA workers, and culturally sensitive healthcare practices. By overcoming these barriers, government programs can more effectively meet the healthcare needs of rural women in India.

Conclusion and Recommendations

This review has identified several critical barriers to healthcare access for rural women in India. These barriers include economic constraints, social and cultural norms, structural inadequacies, and educational deficits.

Economic Barriers: Rural women often face significant financial constraints that limit their ability to seek and afford healthcare. Economic dependence on male family members and poverty restricts their access to medical services and prioritize male health needs over their own.

Social and Cultural Barriers: Traditional gender roles and patriarchal norms in rural India restrict women's autonomy and health-seeking behaviour. Cultural practices such as the purdah system and taboos around menstruation further deter women from accessing healthcare services.

Structural Barriers: Inadequate healthcare infrastructure in rural areas, including a shortage of healthcare facilities and qualified staff, and lack of transportation options, significantly impact women's ability to access timely medical care.

Educational Barriers: Low literacy levels and lack of health education among rural women contribute to poor health-seeking behaviour and reliance on traditional remedies. Limited knowledge about health services and preventive care further exacerbates the issue.

Recommendations:

1. **Increase Economic Opportunities:** To address economic barriers, it is essential to enhance economic opportunities for rural women. Implementing microfinance programs, vocational training, and income-generating activities can improve their financial independence. Government schemes that provide financial support for healthcare needs, such as subsidies or insurance for medical expenses, can also alleviate economic constraints and enable women to seek necessary care.
2. **Enhance Education and Awareness:** Improving educational opportunities is critical for increasing health literacy among rural women. Educational initiatives should focus on health education, emphasizing the importance of preventive care, early detection of diseases, and the benefits of institutional deliveries. Community-based health workshops, school programs, and media campaigns can help disseminate health information and challenge harmful cultural practices.
3. **Strengthen Healthcare Infrastructure:** Expanding and improving healthcare facilities in rural areas is crucial. Investments should focus on building more health centres, ensuring the availability of female healthcare providers, and enhancing transportation infrastructure to facilitate access to care. Strengthening the primary healthcare system and ensuring that it is well-resourced and staffed will help meet the needs of rural women more effectively.
4. **Promote Cultural Sensitivity:** Healthcare programs should be culturally sensitive and tailored to local customs and beliefs. Engaging with local communities and incorporating their input into program design can improve acceptance and effectiveness. Training healthcare workers in cultural competency will help address and respect local traditions while delivering care.

By addressing these barriers and implementing these recommendations, policymakers and healthcare providers can significantly improve healthcare access for rural women, leading to better health outcomes and overall well-being.

References

- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum,* 1989(1), 139-167.
- Lorber, J. (1997). *The Variety of Feminisms and their Contributions to Gender Equality.* Oldenburg: BIS-Verlag.
- Marmot, M., & Wilkinson, R. G. (2005). *Social Determinants of Health.* Oxford University Press.

- Banerjee, A., & Duflo, E. (2011). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty.* Public Affairs.
- Bhatia, J. C., & Cleland, J. (2001). Health-care seeking and expenditure by young Indian mothers in the public and private sectors. *Health Policy and Planning,* 16(1), 55-61.
- Caldwell, J. C. (1993). Health transition: The cultural, social and behavioural determinants of health in the Third World. *Social Science & Medicine,* 36(2), 125-135.
- Das, P., & Horton, R. (2018). Women's health in India: A matter of life and death. *The Lancet,* 371(9602), 185-186.
- Jejeebhoy, S. J. (1995). *Women's Education, Autonomy, and Reproductive Behaviour: Experience from Developing Countries.* Clarendon Press.
- Kesterton, A. J., Cleland, J., Sloggett, A., & Ronsmans, C. (2010). Institutional delivery in rural India: the relative importance of accessibility and economic status. *BMC Pregnancy and Childbirth,* 10(1), 30.
- Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., Jordan, K., Leslie, H. H., Roder-DeWan, S., & Pate, M. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: Time for a revolution. *The Lancet Global Health Commission.*
- Ministry of Health and Family Welfare. (2017). Rural Health Statistics. Government of India.
- Mohindra, K. S., Haddad, S., & Narayana, D. (2006). Women's health in a rural community in Kerala, India: do caste and socioeconomic position matter? *Journal of Epidemiology & Community Health*, 60(12), 1020-1026.
- Pande, R. P., & Malhotra, A. (2006). Son preference and daughter neglect in India. *International Center for Research on Women.*
- Patel, V., Chowdhary, N., Rahman, A., & Verdeli, H. (2013). Improving access to psychological treatments: Lessons from developing countries. *Behaviour Research and Therapy,* 51(6), 597-606.
- Sengupta, A., & Nundy, S. (2005). The private health sector in India: Is burgeoning, but at the cost of public health care. *BMJ,* 331(7526), 1157-1158.
- Sharma, S., Sarna, A., Tun, W., Saraswati, L. R., Thior, I., Madan, I., ... & Sriram, S. (2007). Women and HIV/AIDS: Questions of access and equity. *The Lancet,* 370(9595), 343-344.
- Vora, K. S., Mavalankar, D. V., Ramani, K. V., Upadhyaya, M., Sharma, B., Iyengar, S., Gupta, V., & Iyengar, K. (2009). Maternal health situation in India: A case study. *Journal of Health, Population and Nutrition,* 27(2), 184-201.
- World Bank. (2019). Rural population living below the national poverty line (% of rural population). *World Bank Group.*
- Garg, S., & Ankur, D. (2014). The role of Accredited Social Health Activists (ASHAs) in improving maternal and child health. *Indian Journal of Community Medicine,* 39(1), 34-40.
- Kumar, A., Mishra, A., & Agarwal, A. (2013). Challenges in training and functioning of ASHA workers: A study in rural areas of India. *Journal of Health Management,* 15(3), 345-359.
- National Health Mission. (2017). National Rural Health Mission: Implementation Framework. Government of India.